राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 06] पन्द्रहवीं विधान सभा के छठे सत्र का अड़तीसवां दिवस [संख्या: 20

शुक्रवार,

19 मार्च 2021

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, श्री प्रताप सिंह।

टांची (छीपाबड़ौद) में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

360. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की तहसील छीपाबड़ौद के ग्राम टांची में चरागाह भूमि पर प्रभावशाली लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर रखा है? यदि हां, तो सरकार उक्त भूमि को अवैध कब्जे से कब तक मुक्त कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हरीश चौधरी): बारां ज़िले के तहसील क्षेत्र छीपाबड़ौद के पटवार मंडल टांचा के ग्राम टांची में चरागाह भूमि पर 59 अतिक्रमियों द्वारा रकबा 48.10 बीघा भूमि पर कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा है। (सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है)। अतिक्रमियों के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर बेदखल की कार्यवाही जैरकार है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी।)

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से तीन सवाल करना चाहता हूं। पहला है, क्या यह सही है कि ग्राम टांची व अजनावर में सीमाएं मिली होने की वजह से श्री भूपेश, सौभागमल, बद्रीलाल, राकेश, प्रभूलाल, अमरसिंह, किशनलाल, बहादुरसिंह, शुभम,

(श्री प्रताप सिंह)

रामप्रताप, प्रेमसिंह निवासी भगवानपुरा, यह सभी एक ही परिवार के हैं? क्या इन्होंने चरागाह भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है? क्या यह भी सही है कि इनके चरागाह भूमि पर कब्जा करने की वजह से अजनावर टांची और भगवानपुरा के मवेशी चराने वालों के लिए कोई स्थान रिक्त नहीं बचा है? नम्बर टू, क्या यह भी सही है कि मेरे प्रश्न के बाद, अवैध कब्जे हटाने की तारीख तय की गई है? यदि हां, तो अब तक कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण रहे?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक-एक प्रश्न पूछें।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): एक-एक ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: कहां? आप तीन प्रश्न तो पूछ चुके हो।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): नहीं, एक ही पूछा है।

श्री अध्यक्ष: मेरे को याद है, मैं ही बोल दूंगा। पहली बार नाम बोले हैं, दूसरी बार यह, मैं सब ध्यान रखता हूं।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, गोचर भूमि पर जिन्होंने भी अतिक्रमण किया है, उसकी सूची आपको दी गई है। उसमें यह नाम भी सम्मिलित हैं। आपका सवाल यह था कि गोचर भूमि, दोनों गांवों में है या नहीं है, यह मूल प्रश्न था। उसके अन्दर इसका उल्लेख नहीं है, इसलिए इसका जवाब मैं अभी नहीं दे पाऊंगा। मैं इस बारे में जानकारी इकट्ठी करके, आपको व्यक्तिगत तौर पर साझा कर दूंगा।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): एक और पूछना है। क्या यह सही है कि अतिक्रमियों द्वारा ज्यादा कब्जा कर रखा है और पटवारी ने जो टीप की है उसमें कम दर्शाया है? दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि छीतर पुत्र धुल्यां, जाति बैरवा, इसकी जमीन पर भी इन्हीं लोगों द्वारा कब्जा कर रखा है? यदि हां, तो उस कब्जे को कब तक मुक्त कराकर इस बैरवा जाति के, दलित जाति के व्यक्ति को संभला दिया जाएगा?

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस किसी अधिकारी को बोलेंगे, उससे मैं जांच समिति बनवा दूंगा। जो भी जानकारी इस जवाब में दी गई है, वह गलत है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उन्होंने यह पूछा है कि उस जमीन

(श्री अध्यक्ष)

पर, जो एससी की है, उस पर दूसरा आदमी काबिज है, उसको कब तक खाली करा दोगे? मैं समझता हूं, प्रश्न यही है।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): एक तो यह है।

श्री अध्यक्ष: अब आप मेरे को पूछने दो। फिर आप पूछोगे तीसरा आ जाएगा।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सिर्फ चरागाह भूमि के संदर्भ में जानकारी मांगी है। दूसरा सवाल, इन्होंने जो सप्लीमेंट्री सवाल किया उसके अन्दर, किसी दलित की जमीन पर अतिक्रमण की बात की है, मेरे पास अभी वह रिकार्ड नहीं है। दूसरा, इन्होंने यह बात की कि जो जमीन की मात्रा बताई गई है, हकीकत के अन्दर उतनी जमीन से ज्यादा उन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है। उस संदर्भ में मैंने बोला है कि मैं जांच करा लूंगा। यह जिस दलित के बारे में बात कर रहे हैं, उसके अन्दर भी कार्यवाही करेंगे।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: एक मिनट। माननीय प्रताप जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय यह बताएं, 59 अतिक्रमी आप मानते हैं, इन अतिक्रमियों का कितने वर्षों से यह अतिक्रमण है? यह विभाग के ध्यान में है या नहीं?

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इन अतिक्रमियों को 26.02.2021 को बेदखली का दे चुके। इससे पहले कितने समय से थे, यह जानकारी राजस्व विभाग को नहीं है। उस दिन, जिस दिन नोटिस दिया, उस दिन यह अतिक्रमी वहां अतिक्रमण किए हुए थे। जो समय है, उस समय का रिकार्ड के अन्दर कहीं भी उल्लेख नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूं। मैं इसका पता करके, आपको बता दूंगा कि कितने समय से अतिक्रमियों द्वारा उसमें अतिक्रमण किया हुआ है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह विषय पहले भी विधान सभा में उठ चुका है। कई वर्षों से इन अतिक्रमियों का कब्जा है और विभाग उसको हटा नहीं पा रहा। पहली बार धारा 91 की कार्यवाही विभाग ने इनके विरुद्ध कब शुरू की?

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): यह भी जानकारी मुझे नहीं है।

(श्री हरीश चौधरी)

आखिरी दफा 26.02.2021 को धारा 91 की कार्यवाही की गई है, यह मैं आपको बता सकता हूं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। ज्ञानचंद पारख।

पाली के विद्यालयों में स्ववित्त पोषित योजना में अध्ययनरत छात्र-छात्राएं

361. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली शहर स्थित बालिया बालिका एवं बागड़ उच्च माध्यमिक विद्यालय में कितने-कितने वर्षों से, किस-किस विषय में, स्ववित्त पोषित योजना अन्तर्गत कितने-कितने छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं? उक्त से कितनी-कितनी राशि प्रतिवर्ष ली जाती है? किस स्तर तक की बालिका शिक्षा को नि:शुल्क किया हुआ है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त दोनों विद्यालयों में स्ववित्त पोषित योजना में चल रहे विषयों को सरकारी खर्च पर पढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री गोविन्द सिंह डोटासरा): (1) अध्यक्ष महोदय, राजकीय बालिया बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, पाली में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कम्प्यूटर विज्ञान, भूगोल एवं गणित की कक्षाएं वर्ष 2009-10 से तथा राजकीय बागड़ उच्च माध्यमिक विद्यालय, पाली में वाणिज्य वर्ग में कम्प्यूटर विज्ञान की कक्षाएं वर्ष 2008-2009 से संचालित हो रही हैं।

उक्त विद्यालयों में वर्तमान में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का कक्षावार विवरण परिशिष्ट-'क' तथा 'ख' पर संलग्न है।

इस योजनान्तर्गत समस्त वित्तीय एवं मानवीय संसाधनों का प्रबन्धन विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति द्वारा किया जाता है एवं विद्यार्थियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। विवरण परिशिष्ट-'ग' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। स्ववित्त पोषित योजना अन्तर्गत विषय/संकाय इसी शर्त के साथ खोला गया था कि विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति इसका खर्चा स्वयं वहन करेगी। सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं दी जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से सीधा-सा एक ही प्रश्न है। सारे विषय 12-13 साल से चल रहे हैं। उसके बाद में सरकारों ने कई बार आदेश जारी किए बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नि:शुल्क शिक्षा के, तो क्या इनको राज्य सरकार के मद से यह संकाय देने की परमिशन देगी? यह सीधा-सा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): बिलकुल। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बिलकुल सही बात कह रहे हैं कि हमारी सरकार की प्रायोरिटी में है बालिका शिक्षा। इसी को लेकर कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की, मैं समझता हूं कि किसी भी स्टेट में नहीं हुई होगी, जहां 500 बच्चियां हो जाएंगी वहां हम कन्या महाविद्यालय खोलेंगे। कटारिया साहब भी पूछेंगे, इनको अलाउ करना सर। मैं काफी दिन से सोच रहा हूं, मैं डिमांड पर भी नहीं बोल पाया, तो थोड़ी-सी इनसे भी चर्चा हो जाए।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 2006 में स्ववित्त पोषित, इनकी सरकार थी। उसके बाद में, फिर पांच साल, पिछली आपकी सरकार थी, आप नहीं खोल पाए, लेकिन पिछली सरकार की जो गाइडलाइन व पालिसी थी, शिक्षा विभाग में, पूरे प्रदेश में वह यही पालिसी थी कि तीन शर्तें पूरी करना आवश्यक था। या तो वह शाखा साथी होना चाहिए या संघ मित्र होना चाहिए या फिर एक भवन विशेष से पर्ची आनी चाहिए वरना, इनको खोल देनी चाहिए थी।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में घोषणा करता हूं कि कम्प्यूटर शिक्षक, जब हमारा कैडर बन जाएगा, उसके बाद हम विषय खोलेंगे। भूगोल, गणित का, आपका गणित का या बायोलोजी का है, वह दोनों इसी सत्र में हम खोल देंगे, लेकिन आप पांच साल तक क्यों नहीं खुलवा पाए, यह भी इनसे पूछिए। कटारिया साहब, आप प्रश्न पूछिए, तब एक उत्तर भी देना है कि आपकी सरकार ने इनकी क्यों नहीं सुनी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। कटारिया जी बोल रहे हैं न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, खण्ड-एक के उत्तर में यह कह रहे हैं, इस योजनान्तर्गत समस्त वित्तीय एवं मानवीय संसाधनों का प्रबन्धन विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति द्वारा किया

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जाता है एवं विद्यार्थियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। क्या यह विकास समिति के अपने स्वयं के कोई सोर्सेज हैं जिनके कारण से इनका पेमेंट करते हैं?

नीचे वाले में आप कह रहे हो स्ववित्त पोषित योजना अन्तर्गत विषय/संकाय इसी शर्त के साथ खोला गया था कि विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति इसका खर्चा स्वयं वहन करेगी। आप यही बता दो कि इसका वहन करने का बच्चे कुछ देते हैं या सारा विकास समिति खर्च करती है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्यालय विकास समिति भामाशाहों से भी लेती है, विद्यालय विकास समिति विकास शुल्क के रूप में भी कुछ पैसा छात्रों से भी लेती है। यही नहीं, सब जगह लिया जाता रहा है। लेकिन आपकी सरकार में न शिक्षा प्रायोरिटी थी, न बालिका शिक्षा प्रायोरिटी थी, इसलिये 5 साल तक, 5 साल तक ...(व्यवधान) सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। माननीय, सुनना पड़ेगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 5 साल का नहीं ...(व्यवधान) जो सवाल पूछा है उसका जवाब दें। मैं यह पूछ रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारियाजी, माननीय कटारियाजी, आप बोल लेना। इनको बोलने दें। (व्यवधान) आप बोल लेना, आपको अधिकार है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): प्रश्न का जवाब ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं। You can't compel the Minister. Let him speak. आप, मंत्रीजी, जवाब दें। प्लीज, मंत्रीजी please, be relevant. मेरा निवेदन है please, be relevant.

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैं भरा पड़ा हूं। मेरे को एजुकेशन पर भी नहीं बोलने दिया गया था।

श्री अध्यक्ष: वह बाद में कर लेंगे। आपका आफरा बाद में निकाल लेंगे। अभी be relevant.

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): इनके शिक्षा के क्षेत्र में पूरे प्रदेश को पीछे धकेलने के कारनामे रोजाना लेकर आता हूं, मेरे को मौका ही नहीं मिल रहा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी, माननीय मंत्रीजी, प्लीज, क्वेश्चन-आवर में ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): नहीं, नहीं, संसदीय भाषा में ही उत्तर दे देता हूं। (व्यवधान) साहब का देता हूं।

श्री अध्यक्ष: Please excuse me. एक मिनट, please excuse me. प्रश्न काल की महत्ता यही है कि रिलेवेंट क्वेश्चन का जवाब दें। आप सीनियर आदमी हैं। आपसे अपेक्षा करेंगे कि be relevant. कटारिया साहब ने जो सीधा प्रश्न पूछा है, क्या बच्चों से फीस ली जाती है या अन्य, अपना इसी पर कन्फर्म करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पढ़ाने के नाम से, कमरे के नाम से या किसी भी तरीके से स्ववित्त पोषित में कोई राशि बच्चों से नहीं ली जाती है, विकास शुल्क के रूप में जरूर ली जाती है। अन्य भामाशाहों के द्वारा सहयोग किया जाता है लेकिन मैं आपके माध्यम से नेता, प्रतिपक्ष को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह जो विद्यालय है उसमें कम्प्यूटर शिक्षक का तो अभी तक हमारे पास में कैडर नहीं है, इसलिये हम टीचर नहीं दे पाएंगे। हम स्ववित्त पोषित में ही रखेंगे। लेकिन जो बायोलोजी वाला, प्लस भूगोल वाला, खोल देंगे। आप तो 500 बच्चियां कर दो, मुख्य मंत्रीजी आपके लिये कन्या महाविद्यालय भी खोल देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री जोराराम कुमावत। अच्छा, कटारियाजी।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): अध्यक्ष महोदय, मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष: उनसे आपकी बात हो गई न, खोल रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं केवल इतना ही पूछ रहा हूं कि यह जो बालिका विद्यालय के विषय हैं, यह 2009-10 से हैं और 2009 -10 में किसकी सरकार थी, यह तो आप बता दें, और इन बच्चियों से, जो बच्चियां इसमें नामांकित हैं, उनमें से किसी बच्ची से इस खर्चे को या स्वपोषित के तहत कोई शुल्क नहीं लिया जाता, इतना ही बता दें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलकुल सही पूछा। यह एक विद्यालय तो स्वपोषित हुआ था, आपकी सरकार थी 2006 में, तो 07.06.2006 को तो यह गाइडलाइन आपने जारी की। बालिया बालिका 24.07.2008, जब आपकी सरकार थी, हम लोग दिसम्बर में आए थे, तब आपने किया। एक जो बांगड़ है, इसमें 30.07.2007

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

को, यानी यह जो अन्याय बालिकाओं के साथ में शिक्षा के क्षेत्र में किया गया, वह आपके समय में शुरुआत की गई। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने तो पिछले बजट में, इसी बजट में यह घोषणा की थी कि 200 और 300 संकाय हम लोग खोलेंगे, तभी तो हम इनको दे पा रहे हैं और आज घोषणा कर पा रहे हैं। अगर आप यह पांच साल में कर लेते तो दिक्कत ही नहीं थी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह परिशिष्ट-क जो लगा है, इसको आप भगवान के लिये शांति से पढ़ लो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): पढ़ लिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): परिशिष्ट-एक पर आपने 2009-10 में, यह जो कम्प्यूटर विज्ञान की कक्षा, बालिया विद्यालय, इसमें आपने जो मुझे दिया, वह आपने दिया है 2009-10 से लेकर के 2020-21 तक का सारा रिकार्ड, कहां कितनी, मैं इतना ही पूछ रहा हूं कि यह 2009-10 से लेकर जो स्वपोषित विद्यालय, जो चल रहे हैं, जिन बच्चियों को आप नामांकित बता रहे हो, इनसे स्वपोषित के नाम से इस खर्चे को निकालने के लिये कोई पैसा लिया या नहीं लिया?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): टीचर के नाम से, पढ़ाई के नाम से कोई खर्चा नहीं लिया जाता है। विकास शुल्क के नाम से पूरे प्रदेश में पैसा लिया जाता है। आप भी ले रहे थे, और, हो सकता है हमारे समय में भी लिया जा रहा हो और किसी की जोर-जबरदस्ती नहीं है ...(व्यवधान) सुनिये, सुनिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे। गलत बात है। बहुत गलत परम्परा है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): किसी की जोर-जबरदस्ती नहीं है, फिर भी मैं तो यह कह रहा हूं कि ये दोनों विषय हम इसी सत्र से खोल देंगे। आपके दिक्कत क्या है? इनका खुल रहा है तो आपको दिक्कत हो रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। अगला प्रश्न, श्री जोराराम कुमावत।

तख्तगढ़ (सुमेरपुर) में कन्या महाविद्यालय की स्थापना

362. श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री जोराराम कुमावत)

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के तख्तगढ़ के कस्बे में कन्या महाविद्‌यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री भंवर सिंह भाटी): जी हां। वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा संख्या 48 की अनुपालना में विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के तख्तगढ़ कस्बे में राजकीय कन्या महाविद्‌यालय खोला जाना प्रस्तावित है।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में विभिन्न विषयों के तहत तख्तगढ़ में कन्या महाविद्‌यालय खोलने की मेरे द्‌वारा मांग की गई थी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट घोषणा में कन्या महाविद्‌यालय खोलने की घोषणा की है, मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बस हो गया, उत्तर आ गया। अब क्या बचा? खोल रहे हैं आपके। अब क्या बात है? अगला प्रश्न।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि महाविद्‌यालय का शैक्षिक सत्र कब से शुरू होगा, भूमि आबंटन कब होगी, भवन निर्माण कब होगा और इस पर कितना बजट उपलब्ध होगा? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अभी कल ही तो बजट खतम हुआ है, बैठें। आपके खोल रहे हैं, इसलिये धन्यवाद।

अगला प्रश्न, श्री नारायण सिंह देवल।

रानीवाड़ा उपखण्ड मुख्यालय पर अग्निशमन यंत्र उपलब्ध करवाने की कार्ययोजना

363. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के गांव लाखावास के आस-पास के जंगलों में विगत दिनों आग लगी थी? यदि हां, तो उक्त आग से कितना नुकसान हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नारायण सिंह देवल)

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा बजट वर्ष 2020-21 में जंगलों में लगने वाली आग पर नियंत्रण हेतु अग्निशमन यंत्र उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो विगत एक वर्ष में कहां-कहां, कितने-कितने अग्निशमन यंत्र उपलब्ध कराये गये? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड मुख्यालय रानीवाड़ा हेतु अग्निशमन यंत्र उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, वन (श्री सुखराम विश्नोई): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के गांव लाखावास के आस पास ओपी की ढाणी व ताविदर की सरहद के नजदीक कुडी सारीयाना ।। वन खण्ड के लगभग 300 हैक्टेयर वन क्षेत्र में दिनांक 29.12.2020 को आग लगने से क्षेत्र में मौजूद वनस्पति यथा जूलीफ्लोरा के साथ कुछ मात्रा में कुमठा, जाल, आंवल छाल आदि को नुकसान पहुंचा है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019-20 के वृक्षारोपण दांतवाड़ा में 5 से 7 हैक्टेयर क्षेत्र में रोपित पौधों को भी क्षति पहुंची है।

(2) आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा के तहत जंगलों में लगने वाली आग पर तत्काल नियंत्रण हेतु अग्निशमन यंत्र उपलब्ध कराने के लिए वन विभाग को 267.00 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। आपदा प्रबंधन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा माह जनवरी में राशि रुपये 267.00 लाख हस्तांतरित की गई है। उक्त राशि को 19 संवेदनशील वन मण्डलों को आबंटित किया जाकर वाटर टैंकर मय कम्प्रेशर, वाटर स्प्रेयर, पावर चेन सॉ, फायर ब्लोअर, अग्निरोधक किट आदि अग्निश्मन यंत्र स्थानीय आवश्यकतानुसार क्रय की जा रही हैं।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के उपखण्ड मुख्यालय रानीवाड़ा के लिए अग्निशमन यंत्र क्रय कर इस वित्तीय वर्ष में उपलब्ध करा दिये जाएंगे, जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट-'ए' अनुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल के जवाब में बताया गया है कि 2020-21 के बजट घोषणा में 267 लाख की घोषणा हो गई, एक साल हो गया। रानीवाड़ा रेंज के अन्दर 5 लाख के बजट की घोषणा की गई। 5 लाख में से मात्र 52 हजार रुपये के 14

(श्री नारायण सिंह देवल)

आइटम खरीदे हैं तो, मंत्री महोदय से मेरा यह निवेदन है कि रानीवाड़ा उप खण्ड क्षेत्र में फायर-ब्रिगेड वाहन नहीं है, ऐसी स्थिति में फायर-ब्रिगेड वाहन देने का विचार रखते हैं या नहीं?

श्री अध्यक्ष: 'हां' ही भर ली, तीसरे खण्ड में 'हां' ही भर ली। प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। बैठें, माननीय सदस्य।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): इसमें हमने परिशिष्ट-ए में वाटर टैंकर विद कम्प्रेशर, हमारे पास है, और टंकी पर कम्प्रेशर लगा हुआ है, फिर लीफ ब्लोअर है, वाटर स्प्रेयर है, इस तरह से कुल 74 आइटम इसी सत्र में मार्च तक खरीद कर लिये जाएंगे। वाटर टैंकर स्प्रेयर बिलकुल आपके वहीं रहेगा रानीवाड़ा में।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वन क्षेत्र करीब 500 हैक्टेयर से ज्यादा है, और इस वन क्षेत्र के आस-पास में कई गांव और ढाणियां हैं। भविष्य में कभी भी आग लग सकती है तो इन गांवों को बचाने के लिये क्या आप सुरक्षा दीवार बनाने का विचार रखते हैं या नहीं?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्षजी, दीवार से कोई आग रुकती नहीं है। बाकायदा टैंकर, ट्रैक्टर वहीं पड़े रहेंगे। बिलकुल व्यवस्थित, जहां भी इत्तला मिलेगी, यह जो आग लगी 24 घंटे के अन्दर बुझा ली गई। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं किसी तरह से इसमें पूरा प्रयास करेंगे कि आग नहीं लगे, लगी तो उस पर तुरन्त काबू पा लेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्रीमती अनिता भदेल।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा रद्द परीक्षाएं

364. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान मंत्रालयिक कर्मचारी बोर्ड द्वारा आयोजित पटवार भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा, 2020 को भी रद्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): (1) जी हां। दिनांक 10-01-2021, 17-01-2021 व 24-01-2021 को चरणवार आयोजित होने वाली पटवार सीधी भर्ती परीक्षा को प्रशासनिक कारणों से स्थगित किया गया है। इस सम्बन्ध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के स्तर पर हुई कार्यवाही एवं जारी की गई सूचना की प्रति परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(2) राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा, 2020 में से केवल दिनांक 06-12-2020 प्रात 10.00 बजे से अपरान्ह 12.00 बजे तक आयोजित कनिष्ठ अभियंता (सिविल)(डिग्रीधारी) संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2020 को प्रश्न-पत्र लीक होने के कारण बोर्ड कार्यालय आदेश दिनांक 29-12-2020 द्वारा रद्द कर दिया गया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-'ख' पर संलग्न है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं।)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो मेरे को परिशिष्ट दिया है, उस परिशिष्ट का जो दूसरा पेज है, उस दूसरे पेज में ही मूल प्रश्न का उत्तर आपने दिया है, लेकिन आप यह प्रिंट देखिए कि इसमें जो मूल प्रथम जो दो लाइन है, वह तो बिलकुल ही दिखाई नहीं दे रही है कि क्या है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रश्न के खण्ड-1 में जवाब दिया है कि प्रशासनिक कारणों से और यह जो परिशिष्ट लगाये हैं, उन परिशिष्टों में आप यह कह रहे हैं, जो लास्ट की लाइन है, वह मैं पढ़ देना चाहती हूं। बोर्ड द्वारा कनिष्ठ अभियंता (सिविल) (डिग्री) संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2020 का प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में एस.ओ.जी. से प्राप्त रिपोर्ट पर बोर्ड बैठक में गहन विचार-विमर्श करने के उपरांत पटवार सीधी भर्ती परीक्षा-2019 को और अधिक सतर्कतापूर्वक तरीके से आयोजित कराने एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने हेतु उक्त परीक्षा को स्थगित किया जाने का निर्णय लिया गया। परिशिष्ट में जवाब यह है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मेरा यह सीधा प्रश्न है कि सिविल परीक्षा का डिपार्टमेंट अलग है, सिविल परीक्षा का प्रश्न पत्र बनाने वाले अलग हैं। यह पटवार भर्ती परीक्षा रेवेन्यू से संबंधित है। ये दोनों विभाग अलग-अलग हैं, दोनों पेपर सैट करने वाले लोग अलग-अलग हैं। आप मुझे यह बताइये कि अगर जैसे एक पेपर लीक हो जाता है तो उसके आधार

(श्रीमती अनिता भदेल)

पर आप दूसरे पेपर को कैसे कैंसिल कर सकते हैं? यह कैसे रेलेवेंट है? आपस में दोनों का कोई जोड़ नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न मेरा यही है कि आपकी सिविल परीक्षा का पेपर लीक हुआ है तो आप उसको कैंसिल करिये, पर उसको आधार बनाते हुए आपने पटवार भर्ती परीक्षा को कैसे कैंसिल किया, यह मेरा प्रश्न है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 13 लाख 49 हजार से ऊपर व्यक्तियों ने पटवारी परीक्षा के लिए फार्म भरे थे। इतनी बड़ी परीक्षा में किसी भी प्रकार की गलती नहीं हो और भविष्य में पेपर लीक नहीं हो, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए तथा पेपर लीक नहीं हो, इसके लिए मैं यह बताना चाहता हूं कि 04.01.2021 को एक कमेटी बनायी गयी। उसमें एस.ओ.जी. के आई.जी., आर.पी.एस.सी. के सैक्रेटरी इन दोनों को सम्मिलित किया गया और अन्य राज्यों, केन्द्र की संस्थाओं की भर्ती प्रक्रिया का अध्ययन करवाया गया। उसके बाद बजट में भी अभी आपने यह देखा होगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने द्वितीय चरण की परीक्षाओं की घोषणा की है। मतलब, एक जैसी समान परीक्षाओं के लिए पहले प्रारम्भिक परीक्षा करवा ली जाए और उसके बाद जितनी भी भर्तियां हैं उससे पन्द्रह गुणा अथवा बारह गुणा जो भी संबंधित विभाग निर्धारित करे, उसके आधार पर द्वितीय परीक्षा में जो पास होंगे, उसको तीन गुणा करते हुए उनकी मैरिट के आधार सलेक्शन करने की यह बात सोची गयी है। चूंकि, जो आठ परीक्षाएं करवाई गयी थीं उसमें कनिष्ठ अभियंता-विद्युत डिग्रीधारक, कनिष्ठ अभियंता-विद्युत डिप्लोमाधारक, कनिष्ठ अभियंता-यांत्रिक डिग्रीधारक, कनिष्ठ अभियंता-यांत्रिक डिप्लोमाधारक, इस तरह से यह आठ परीक्षाएं हुई थीं, उसमें केवल सिविल डिग्रीधारक कनिष्ठ अभियंता का पेपर लीक हुआ था 06.12.2020 को, उसके कारण से यह परीक्षा स्थगित की गयी है, वह वापस जून में करवायी जा रही है। अब इसमें खास तौर से जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है, उसका कारण, उसमें दो आदमी पकड़ लिये गये हैं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: I'm sorry to intervene you. उनका बहुत सीधा प्रश्न है। आप लिख रहे हो कि कनिष्ठ अभियंता, सिविल का यह पेपर लीक हुआ

(श्री अध्यक्ष)

और वह यह पूछ रहे हैं कि जब इसका पेपर लीक हुआ है तो पटवारी का क्यों कैंसिल हुआ? यह सीधा प्रश्न है। मतलब, उसका क्या कारण है, यह समझना चाहते हैं, बस।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): वह मैं यह समझा रहा हूं कि इतनी बड़ी यह परीक्षा है और दो आदमी गैंग के पकड़ लिये गये हैं और वही गैंग आगे गड़बड़ नहीं करे, उनके जितने भी गुर्गे हैं, उनको पकड़ने की कार्यवाही की जा रही है ताकि आइंदा पेपर लीक नहीं हो, इसके कारण से इसको प्रशासनिक आधार पर स्थगित किया गया है और मैं यह समझता हूं कि आपने यह देखा होगा, एक बार आगे परीक्षाएं, जो पेपर लीक हुए थे, उसके आधार पर हमने एक एक्ट बनाया था। उस एक्ट में ऐसे लोगों को जो अनफेयर-मीन्स यूज करते हैं, उनको दंडित किया गया था। गैंग में जो लोग करते हैं उनके लिए सात वर्ष तक की सज़ा का प्रोविजन किया गया था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब यह समय आ गया है कि जो इस प्रकार की गैंग पेपर लीक करती है, उनके लिए यह सख्त से सख्त कानून बने और ऐसे लोगों को रोका जाए। चूंकि, इसमें 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी यह परीक्षा दे रहे थे और उसमें किसी भी प्रकार यह पेपर लीक नहीं हो और व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त करके यह इम्तिहान करवाया जाए, इसके कारण से प्रशासनिक आधार पर उसको स्थगित किया गया है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कटारिया साहब। अनिताजी।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): भाई साहब, बस एक बात, फिर आप पूछ लीजिए। मैं एक सवाल आपके सामने खड़ा कर रही हूं कि ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): यह अलग से प्रश्न है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। माननीय कटारियाजी। यह गलत परम्परा है। I will not allow it. आप सीनियर मैम्बर हैं और ईर्रलेवेंट बातें कर रहे हैं, गलत बात है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो खण्ड-1 में उत्तर दिया, उसमें इनकी तारीखें तय थीं, 10.01.2021, 17.01.2021 व 24.01.2021 को, यह तीन तारीखें तय थीं और 29 तारीख के दिन सिविल इंजीनियर का पेपर आउट हुआ। इससे आपने इसको एकदम कैसे जोड़ा, दस दिन पहले? क्योंकि 10 तारीख को परीक्षा होनी थी। केवल दस-बारह दिन पहले आपने यह अचानक कैसे निर्णय ले लिया, बिना कोई आधार आये, बिना कोई सूचना आये, बिना कोई चीज आये, आपने यह निर्णय लेकर यह परीक्षा क्यों रोकी है? यह जानना चाहते हैं। केवल हम पटवार भर्ती परीक्षा तक ही सीमित हैं। सारे देश में और सारे प्रदेश में क्या पेपर हो रहा है, उसको तो आप अलग रख दीजिए। आप तो सीधा इस पर आ जाइये कि जो 10 तारीख तय हो गयी थी, 17 तारीख तय हो गयी थी पेपर होने की, 29.12.2020 को अर्थात् 12 दिन पहले ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि इन परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पेपर छपे थे, वह प्रेस सेम, ट्रांसपोर्टर सेम तो यह पूरी संभावना थी कि पता नहीं कहां-कहां पर किस तरह से पेपर आउट हो सकता है। इसलिए यह उचित समझा गया कि इतनी बड़ी परीक्षा में पेपर पुन: लीक नहीं हो, इसके लिए यह चुस्त-दुरुस्त व्यवस्था करके और प्रशासनिक आधार पर उसको कैंसिल किया गया। जहां तक सवाल है, आपकी गवर्नमेंट में भी 2014 से 2018 के बीच में लिपिक ग्रेड द्वितीय का पेपर 11.01.2014 को पेपर लीक हुआ, कनिष्ठ लेखाकार का पेपर जो 02.08.2015 को हुआ था, उसको आपको निरस्त करना पड़ा। मैं कोई यह नहीं कहता कि आपके में और हमारे में, परन्तु ऐसे जो लोग हैं उनको पकड़ना चाहिए और उनके खिलाफ यह कार्यवाही होनी चाहिए। चूंकि, साढ़े तेरह लाख आदमी जिसमें अभ्यर्थी हैं और उनकी प्रेस जहां पर यह पेपर छपा है, पहले वाला पेपर लीक हुआ है, वह प्रेस सेम है और ट्रांसपोर्टर भी सेम है तो ऐसी स्थिति में यह जरूरी था प्रशासनिक आधार पर कि यह पेपर लीक नहीं हो और सारी व्यवस्था चाक-चौबंद करके ही यह इम्तिहान करवाये जाएं, इसलिए इसको स्थगित किया गया।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री संयम लोढ़ा।

सिरोही में संरक्षित स्मारकों पर व्यय राशि

365. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री संयम लोढ़ा)

(1) जिला सिरोही में विभाग के माध्यम से कितने स्मारक व स्थान संरक्षित हैं? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत तीन वर्षों में उक्त जिले में स्मारक संरक्षण एवं पुनरुद्धार के क्या-क्या कार्य प्रस्तावित किये गये और उन पर कितना व्यय हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) सिरोही जिले में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा एक स्मारक एवं एक पुरास्थल संरक्षित घोषित है, जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विगत तीन वर्षों में सिरोही जिले में स्मारक संरक्षण एवं पुनरुद्धार के तहत पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा किसी कार्य पर कोई व्यय नहीं हुआ है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, सिरोही जिले के वरमाण का सूर्य मंदिर 9वीं शताब्दी का है और चन्द्रावती के अन्दर जो खुदाई हुई, उसमें 9वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी के साक्ष्य मिले हैं- किले हैं, मूर्तियां हैं, स्थापत्य कला है और इससे राजस्थान के इतिहास को समृद्ध होने में सहायता मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले साल माननीय मुख्य मंत्रीजी से मैंने निवेदन किया तो उन्होंने वर्ष 2020-21 में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): प्रश्न ही पूछ रहा हूं। वर्ष 2020-21 के बजट में चन्द्रावती के लिए 50 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की थी, उस पर कोई काम नहीं हुआ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि चन्द्रावती में आप वह पैसा जो पड़ा हुआ है, अब इस साल में क्या काम करेंगे और जो सूर्य मंदिर की भव्यता है और उसका जो परिसर है, उसके संरक्षण के लिए यह सरकार क्या काम करेगी?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि वर्ष 2020-21 के बजट में चन्द्रावती के लिए 49 लाख 93 हजार रुपये की राशि रखी गयी थी। इसमें मंदिरों के चारों ओर बाउंड्रीवाल, गेट एवं रेलिंग निर्माण कार्य 21 लाख 03 हजार, जंगल की साफ-सफाई 4 लाख, ट्यूबवैल निर्माण 5 लाख, संग्रहालय भवन में विद्युत फिटिंग कार्य 1 लाख

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

50 हजार, मूर्तियों के लिये प्लेटफार्म का निर्माण 8 लाख 40 हजार, पाथ-वे निर्माण 10 लाख। इस प्रकार कुल-मिलाकर 49 लाख 93 हजार के काम स्वीकृत हुए हैं। फरवरी 2021 में इसका कार्यादेश जारी हो चुका है और अगस्त, 2021 तक इन कार्यों को पूर्ण कर दिया जाएगा।

जहां तक सूर्य मंदिर का सवाल है, इसके बारे में अभी तक कोई प्रस्ताव आये नहीं हैं, आने पर उस पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री अशोक डोगरा।

जैत सागर झील (बूंदी) को राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में सम्मिलित करवाने की कार्ययोजना

366. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बून्दी शहर की जैत सागर झील की बदतर स्थिति को सुधारने के लिये विगत पांच वर्षों में कितनी राशि का बजट आबंटन हुआ है व उक्त राशि से क्या कार्य कराये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त झील में कमल गट्टों की सफाई करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त झील को राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में सम्मिलित करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) नगर परिषद् द्वारा ही पूर्व में झील की सफाई का कार्य करवाया गया था परन्तु विगत 5 वर्षों में जैत सागर झील के विकास/सुधार हेतु कोई बजट आबंटन नहीं हुआ है।

(2) जैत सागर झील वन विभाग (वाइल्ड लाइफ) के क्षेत्राधिकार में है। जैत सागर झील का विकास कार्य वन विभाग (वाइल्ड लाइफ) द्वारा ही कराया जाना है। फिर भी नगर परिषद् द्वारा वन विभाग (वाइल्ड लाइफ) द्वारा एनओसी देने पर कमल गट्टों की सफाई के लिए विचार किया जावेगा।

(स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(3) राजस्थान झील विकास प्राधिकरण को जिला स्तरीय झील (संरक्षण एवं विकास) समिति बूंदी से प्रस्ताव प्राप्त होने पर राजस्थान झील (संरक्षण एवं विकास) प्राधिकरण की धारा 4 के तहत झील को संरक्षित घोषित कराने बाबत विचार किया जावेगा।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यटन नगरी बूंदी में देशी-विदेशी पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए इस जैत सागर झील का बहुत महत्व है। करीब 5 हजार हैक्टेयर में बसी हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार बजट आबंटन कर वन विभाग को कार्यकारी एजेंसी बनाकर जैत सागर झील की सफाई कराना चाहती है? यदि हां, तो कब तक?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह झील तो वैसे ही वाइल्ड लाइफ वालों की है। इसमें उनको देना, न देने का सवाल ही नहीं होता और उसकी सफाई की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि अगर नगरपालिका के द्वारा प्रस्ताव आता है तो झील संरक्षण बोर्ड इस बात पर विचार कर सकता है कि इस झील का संरक्षण बोर्ड के द्वारा करवा दिया जाये।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): पर्यटन की दृष्टि से वन विभाग को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, नगर परिषद् को फर्क पड़ेगा, यदि उसकी साफ-सफाई हो जाए। आज यह माउंट आबू की नक्की झील से ज्यादा बैटर स्थिति में है। इसमें शिकारे, बोटिंग, सब तरह की सुविधाएं चाहे वन विभाग ही करे, लेकिन एक बार नगर परिषद् उसका बजट देकर उसकी सफाई तो करा दे ताकि उस रूप में तो आ जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): दूसरा मैं यह पूछ रहा था कि आपने खण्ड तीन में यह कहा कि जिलास्तरीय झील संरक्षण एवं विकास समिति बूंदी से प्रस्ताव प्राप्त होने पर, अब मैंने वहां के नगर परिषद् के अधिकारियों से पूछा तो वह तो बताते नहीं कि यह कौनसी समिति है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने यह जिला स्तरीय समिति बतायी है, यह किसकी अध्यक्षता में है और कौन-कौन इसके सदस्य हैं, ताकि उनसे बात की जा सके।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं, मोटी बात यह है कि आपने बताया कि 5 हजार हैक्टेयर की यह झील है, 5 हजार हैक्टेयर की झील को आप नगर परिषद् के माध्यम से साफ करवाना चाहते हो, यह आज हो सकता, न कल हो सकता है। नगर परिषद् की स्थिति आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। पांच-पांच महीने से तो वहां पर तनख्वाह नहीं बंटी और नतीजा यह हुआ कि गबन-घोटाले के चक्कर में आपके चेयरमैन को सस्पैंड और करना पड़ा मुझे। अब सवाल यह आता है कि वाकई यह झील पर्यटन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन इसका विकास किस प्रकार से हो, तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि आप नगर परिषद् के सदस्य भी हैं, आप एम.एल.ए. की हैसियत से वहां पर बैठते भी हैं। मेहरबानी करके वहां से एक प्रस्ताव लें और प्रस्ताव लेकर राजस्थान झील विकास प्राधिकरण को भेजें, ताकि हम आगे की कार्यवाही यह करें कि झील विकास प्राधिकरण के बजट से इसकी कुछ न कुछ साफ-सफाई वगैरह करवा सकें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री बलवीर सिंह लूथरा।

सूरतगढ़ व अनूपगढ़ में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के क्षतिग्रस्त खालों की मरम्मत

367. श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की सूरतगढ़ शाखा एवं अनूपगढ़ शाखा के खाले क्षतिग्रस्त हो चुके हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त को नाकारा घोषित कर सी.ए.डी. गंग कैनाल की तर्ज पर खाले पक्के करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री हरीश चौधरी): जी हां। इन्दिरा गांधी नहर सी.ए.डी परियोजना को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 31.08.2010 को पूर्ण घोषित कर दिया गया था। पूर्व निर्मित खालों के रख-रखाव का कार्य संबंधित कृषकों/कृषक संगठनों द्वारा ही किया जाता है। पूर्व निर्मित क्षतिग्रस्त खालों को नाकारा घोषित करने की कार्यवाही सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा नहीं की जाती है। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में कच्चे खालों को पक्का किये जाने की वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, जब गंग कैनाल एवं भाखड़ा नहर पर सी.ए.डी. द्वारा खालों का निर्माण किया जा रहा है तो आई.जी.एन.पी. पर क्यों नहीं? आपने यह कहा कि कृषक संगठनों द्वारा रख-रखाव करवाया जाएगा, जबकि जल उपभोक्ता संगठन, वाटर यूजर एसोसिएशन तो वहां भी है, तो आई.जी.एन.पी. के साथ सौतेला व्यवहार क्यों?

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत गम्भीर प्रश्न उठाया है। कल कैलाश मेघवाल जी ने भी बहुत गम्भीर बात कही थी। हम लोग सदन में बैठकर इस प्रदेश के हित के लिये क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, उस बारे में हम लोगों को जरूर चर्चा और फैसले करने चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में 7 प्रयोजनार्थ सी.ए.डी. डब्ल्यू.एम. के तहत कार्य हो रहा था। 01.04.2017 को केन्द्र सरकार ने इन तमाम योजनाओं को रोक दिया और यह बात कही कि एक नई योजना इजबिग (ISBIG) के नाम से देश में लायी जाएगी, उसके मार्फत राजस्थान के किसानों के खालों का निर्माण होगा और 2017 के बाद आज तक केन्द्र सरकार द्वारा, जो रूकी हुई योजना इजबिग (ISBIG) के तौर पर नहीं आयी है। हमारे काफी सदस्य प्रभावशाली हैं। अभी मैंने देखा सतीश पूनियां जी का प्रभाव अनिता जी पर, कि जैसे ही इनका निर्देश हुआ, प्रश्न किस तरह से पूछा जाए, अनिता जी ने इनके निर्देशों की पालना की। राजेन्द्र जी राठौड़ भी बड़े प्रभावशाली हैं, इनका प्रभाव वहां केन्द्र सरकार के अन्दर कुछ उपयोग करेंगे तो राजस्थान के किसानों का इजबिग (ISBIG) के मार्फत से, यह रिलेवेंट है, यह रिलेवेंट इसलिए है कि राजस्थान के किसानों के खालों से ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। किसी शहर के अन्दर बड़े मौहल्ले के अन्दर सीवरेज थोड़े दिन भी अगर खराब हो जाती है तो अखबारों के अन्दर पहले पृष्ठ के अन्दर उसकी खबर होती है। राजस्थान के किसानों के पिछले पांच सालों से खाले निर्माण का कार्य बंद हुआ पड़ा है, उसकी चर्चा या उसके संदर्भ में कोई भी योजना का निर्णय हम लोग चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, निर्णय कराना तो अलग बात है। इससे रिलेवेंट और क्या होगा? उन किसानों के लिये इस पानी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इजबिग की योजना इन्होंने बंद कर दी, इसलिए यह कार्य नहीं हो पा रहा है दूसरी जगह। एम एल ए साहब, यह स्थिति है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। अगला प्रश्न, श्री सुरेश रावत।

कोचिंग केन्द्रों द्वारा ऑफलाइन कक्षा प्रारम्भ नहीं करने पर शुल्क पुन: लौटाने की कार्यवाही

368. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार निजी शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग केन्द्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए बेतहाशा वसूल किये जाने वाले शुल्क को रोकने हेतु कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कोचिंग केन्द्रों में विद्यार्थियों द्वारा शुल्क जमा कराने के पश्चात् भी ऑफलाइन कक्षा शुरू नहीं करने के कारण उनके शुल्क को लौटाने अथवा आगामी कोर्सेज में सम्मिलित करने हेतु सरकार कुछ कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) जी हां। निजी शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग केन्द्रों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाना प्रक्रियाधीन है।

(2) जी नहीं। कोचिंग केन्द्रों में विद्यार्थियों द्वारा जमा कराये गये शुल्क को लौटाने अथवा आगामी कोर्सेज में सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर जारी की गई गाइडलाइन्स में ऑफलाइन कक्षाओं के संचालन का कोई विकल्प नहीं था।

कोचिंग केन्द्रों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रस्तावित नियामक प्राधिकरण के गठन के पश्चात् इस बाबत नियम बनाकर तद्नुसार कार्यवाही की जाएगी।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय मंत्री महोदय, पिछले दो सालों से नियामक प्राधिकरण के गठन की बात सुन रहे हैं। मेरा आपसे प्रश्न है कि सरकार कब तक नियामक प्राधिकरण का गठन करेगी? दूसरा, कोचिंग सेंटरों का जो संचालन है, क्या कामर्शियल जगह में करना अनिवार्य है? आवासीय कालोनियों में चल रहे सेंटरों पर क्या कार्यवाही करने का विचार रखते हैं? विचार रखते हैं तो कब तक?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष

(श्री भंवर सिंह भाटी)

महोदय, कोचिंग संस्थान प्रदेश में जो संचालित हो रहे हैं वह निजी संस्थान हैं और उन पर जो शिकायतें आती हैं उन पर नियंत्रण के लिए समय-समय पर शिक्षा विभाग के द्वारा और प्रशासनिक विभाग के द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं और वर्तमान समय में कोचिंग संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन का, पंजीयन का या अनुमति लेने का शिक्षा विभाग से या उच्च शिक्षा विभाग से अभी तक कोई प्रावधान नहीं है।

मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे जन घोषणा पत्र में भी हमने कहा है कि कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए एक रैगुलेटरी अथोरिटी का गठन किया जाएगा, तो उस सम्बन्ध में कार्य प्रक्रियाधीन है, अतिशीघ्र करेंगे। हालांकि यह शिकायतें लगातार पिछले लम्बे समय से रही हैं, 2016 में 2017 में भी शिक्षा विभाग के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गयी थी, 2018 में प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा पूरे प्रदेश के कोचिंग संस्थानों में जो शिकायतें आ रही हैं, उस सम्बन्ध में एक एडवाइजरी जारी की गयी, जिसमें जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, उसमें एस.पी. और जिले के दूसरे अधिकारी रहते हैं और जो भी शिकायतें होती हैं तो स्थानीय स्तर पर जिला कलेक्टर के माध्यम से इन संस्थाओं पर नियंत्रण के लिए और इन पर जो भी शिकायतें आती हैं, उसके समाधान के लिए कार्यवाही की जाती है।

नियामक प्राधिकरण की जो बात है वो प्रक्रियाधीन है और बहुत जल्दी ही कार्यवाही करके उसकी घोषणा की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री समाराम गरासिया।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया, प्रक्रियाधीन है, उसमें बात ही नहीं है। (व्यवधान)

पिंडवाड़ा के राजकीय महाविद्यालय भवन का निर्माण

369. श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार पूर्व में स्वीकृत एवं संचालित राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा के भवन का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री भंवर सिंह भाटी): जी हां। राजकीय महाविद्यालय पिंडवाडा का भवन निर्माण DMFT FUND से अनुमत है। भवन निर्माण के लिये राशि रुपये 6.675 करोड़ की जिला दण्डनायक एवं जिला कलेक्टर, अध्यक्ष, सिरोही डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट मैनेजिंग कमेटी द्वारा दिनांक 08.02.2021 को प्रशासनिक एवं 08.03.2021 को वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गयी है, जिनकी प्रति क्रमश: परिशिष्ट-01 व 02 पर संलग्न है।

भवन निर्माण का कार्य कार्यकारी संस्था अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड आबू रोड द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद तो दो, मंत्री जी, हो गया कालेज का सैंक्शन, अब क्या है? हो गया अब उसमें ...(व्यवधान)

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, तीन साल हुए हैं, मैं यह पूछना चाहता हूं यह इतना तीन साल का विलम्ब क्यों रहा?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जो हो गया उसका धन्यवाद दें। अगला प्रश्न। श्री ओम प्रकाश हुड़ला।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): धन्यवाद। यह कहां बनेगा, यह तो जगह बता सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): यह कहां बनेगी?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें। हो गया, उसका धन्यवाद ही नहीं दे रहे हैं आप।

प्रश्न संख्या 370

श्री ओम प्रकाश हुड़ला।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री रामलाल शर्मा।

राजीव फण्ड का गठन

371. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रामलाल शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राजीव फण्ड की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त फण्ड में क्या-क्या प्रावधान किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त फण्ड का गठन कर कितनी राशि का फण्ड बनाया गया हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत एक वर्ष में उक्त फण्ड से कितनी राशि किस-किस में व्यय की गई? यदि नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): (1) जी हां। माननीय मुख्य मंत्रीजी की वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 166 के अन्तर्गत 20 अगस्त, 2019 को भारत रत्न राजीव गांधी जी के जन्मदिवस पर जयपुर में आई.टी. आधारित प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें पूरे प्रदेश से आये बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बच्चों के उत्साह को देखते हुए सरकार द्वारा स्टार्टअप्स के विकास हेतु 75 करोड़ रुपये के "राजीव@75" फण्ड की स्थापना की घोषणा की गई थी जो कि आगामी पांच वर्ष में स्टार्टअप के विकास के लिये, स्टार्टअप्स को Equity Fund के रूप में वित्तीय सहायता दिये जाने का प्रावधान है।

(2) उपरोक्त बजट घोषणा के क्रम में "राजीव@75" फण्ड के गठन के क्रम में SEBI Registered Alternate Investment Fund Structure की स्थापना हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात् प्रशासनिक आदेश जारी कर दिया गया है। जी हां, Equity Funding को मूर्त रूप देने के लिए वित्त विभाग के निर्देशानुसार Equity Funding की Modalities के निर्धारण हेतु CA Firm को Hire किया गया है, जिससे प्राप्त रिपोर्ट के मूल्यांकन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। वर्तमान में उक्त फण्ड के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण कोई भी राशि का व्यय नहीं किया गया है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सरकार ने बजट 2020-21 के अन्दर घोषणा की, एक साल बीत चुका, दूसरे बजट की घोषणा भी हो गयी और अभी तक बजट का प्रावधान भी नहीं किया गया, न बजट खर्च किया गया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की नैतिकता है कि जिस

(श्री रामलाल शर्मा)

वर्ष बजट की घोषणा की जाए, उसी वर्ष बजट का प्रावधान भी हो और बजट व्यय भी किया जाए? एक तो यह प्रावधान आप कब तक कर दोगे और इसको खर्च करना कब तक शुरू कर दोगे?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 20 फरवरी, 2020 को बजट घोषणा हुई। इसमें खास तौर से यह फण्ड कैसे काम करेगा, किस तरह से होगा, इसके लिए दो सी.ए. फर्म को काम दिया गया, चीर अमृत इंफ्रास्ट्रक्चर और एक एनएमआर सी.ए. कम्पनी है, इन्होंने इक्विटी फण्ड की गाइडलाइन अभी जनवरी, 2021 में दी है। 26 मार्च को स्टेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के पास यह सारी बातें, सी.ए. की रिपोर्ट जाएगी, यह स्टेट लेवल की कमेटी तय करेगी, उसके बाद में माननीय मुख्य मंत्री जी जो आई.टी. के मंत्री हैं, उसको पास करेंगे, उसके बाद यह विधिवत रूप से काम शुरू कर देगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री मुकेश भाकर।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब जब प्रश्न हाइपोथेटिकल है ... (व्यवधान) अब इसमें क्या है, है ही नहीं जब कोई चीज, कोई चीज है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज यह जानना चाह रहा हूं, मंत्री महोदय, आपने स्टार्टअप के विकास के लिए...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है उस पर क्या प्रश्न करेंगे?

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): नहीं, मैं तो यही पूछ रहा हूं कि इसके क्राइटेरिया क्या रखोगे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जब होगा तब होगा। माननीय सदस्य, प्लीज। अंकित नहीं होगा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

प्रश्न संख्या 372

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री मुकेश भाकर।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री रफीक खान।

जयपुर स्थित उद्‌यानों में पौधारोपण के रख-रखाव का अनुबंध

373. श्री रफीक खान (आदर्श नगर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर उद्‌यानों के रख-रखाव एवं पौधारोपण पर जेडीए व नगर निगम द्‌वारा कितना व्यय किया जा रहा है? विगत पांच वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पौधारोपण के लिए कितने समय का रख-रखाव का अनुबंध किया जाता है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्‌वारा उक्त पौधारोपण की देखरेख की कोई व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम, जयपुर उद्‌यानों के रखरखाव, विकास और पौधारोपण पर पिछले पांच वर्षों में किये गये व्यय का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वर्ष	जविप्रा द्‌वारा व्यय (लाखों में)	नगर निगम द्‌वारा व्यय (लाखों में)
1.	2015-16	2421.49	1492.29
2.	2016-17	2175.63	931.43
3.	2017-18	1246.46	388.53
4.	2018-19	938.13	1728.04
5.	2019-20	584.75	2814.86
	कुल योग	**7366.46**	**7355.15**

मैं आपको जवाब दे रहा हूं, मैं पूरा पढ़ूं क्या इसको?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी, पढ़ा हुआ माना जाए, प्रश्न पूछ लें।

स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): हां, पढ़ा हुआ मान लें, लिखा हुआ विवरण..

(उत्तर जो पढ़ा हुआ माना गया)

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण द्‌वारा पौधारोपण के उपरांत रखरखाव का अनुबंध निम्नानुसार किया जाता है:-

(स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

क्र. सं.	**पौधे की साइज**	**पौधे की रखरखाव अवधि**	**विवि**
1.	1500mm	3 वर्ष	3 वर्ष पश्चात् स्वपोषित
2.	3000mm	दो वर्ष	2 वर्ष पश्चात् स्वपोषित
3.	झाड़ियां	नियमित संधारण	झाड़ियों का संधारण सतत प्रकृति का होने के कारण प्रतिवर्ष/2 वर्ष की निविदा कर संधारण किया जाता है

नगर निगमों, जयपुर द्वारा कुछ बड़ी सड़कों, मुख्य मार्गों एवं निगम क्षेत्र के पार्कों पर वृक्षारोपण कार्य के साथ-साथ एक वर्ष तक संधारण कार्य हेतु कार्यादेश दिये जाते हैं, जिसे संतोषजनक होने पर नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नगर निगमों द्वारा स्थानीय विकास समितियों, संस्थाओं, जन प्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों के माध्यम से भी वन-टाइम प्लान्टेशन कार्य करवाया जाता है, जिसके अन्तर्गत निगम द्वारा संस्थाओं/जन प्रतिनिधियों की मांग अनुसार पौधे उपलब्ध करवाकर एक बार लगवाये जाते हैं, उसके पश्चात् आगामी रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित स्थानीय विकास समिति/संस्था की होती है।

(3) जी हां। पौधारोपण के रख-रखाव हेतु प्रत्येक उद्यानिकी क्षेत्र में जोन प्रभारी पदस्थापित है। सहायक वन संरक्षक, वरिष्ठ उद्यानविज्ञ एवं वन संरक्षक द्वारा समय-समय पर पर्यवेक्षण/निरीक्षण किया जाता है। संवेदक के श्रमिकों द्वारा संधारण अवधि के दौरान नियमित रूप से पौधों की सुरक्षा एवं निगरानी की जाती है। संधारण कार्य की दैनिक निगरानी साइट सुपरवाइजर द्वारा की जाती है। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों की मासिक रिपोर्ट सहायक उद्यान निरीक्षक/कनिष्ठ अभियन्ता को करता है, जो पाई गई कमियों को दुरुस्त करवाते हैं तथा नियमानुसार भुगतान में कटौती की जाती है।

श्री अध्यक्ष: हां, प्रश्न पूछें। माननीय मंत्री जी, आप बैठें। प्रश्न पूछ लेंगे। माननीय मंत्री जी, पढ़ा हुआ मान लिया, प्रश्न पूछ रहे हैं वे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हैं?

श्री अध्यक्ष: वे प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): 2020-21 में रियायती दर पर कुल कितने पौधे वितरित किये गये और किशनबाग प्रोजेक्ट कब तक चालू हो जाएगा? पब्लिक के लिए किशनबाग प्रोजेक्ट कब तक चालू हो जाएगा?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): किशनबाग के लिए तो आपने पूछा नहीं है लेकिन किशनबाग चालू है। आपको फुर्सत हो तो शाम को साथ चल चलें।

उत्तर आपका यह है कि जयपुर शहर को प्रदूषण मुक्त करने की दृष्टि से, हरियाली बढ़ाने की दृष्टि से भी जे.डी.ए. के क्षेत्राधिकार में जो 2020 और 2021 में रियायती दर पर जो पौधे वितरण किये गये हैं, मैं उनकी संख्या आपको बताना चाहता हूं कि 43 हजार 791 पौधों का वितरण जे.डी.ए. के क्षेत्राधिकार में जे.डी.ए. के द्वारा किया गया है।

नम्बर दो, किशनबाग के लिए तो मैं जवाब दे चुका हूं। इसके लिए भी इस पार्क के संधारण के लिए 24.02.2021 को ईओआई आमंत्रित की गयी है। मेंटिनेंस के काम के लिए संस्था का चयन होते ही पार्क का लोकार्पण कर आमजन के लिए खोल दिया गया। जो खुला हुआ है उसका लोकार्पण कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। अगला प्रश्न। श्री सुरेश मोदी।

नीमकाथाना (सीकर) में नियमन कमेटी का गठन

374. श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार भूमिहीन गरीब लोगों द्वारा सिवायचक, बंजड़ काबिल काश्त किस्म की भूमियों को सुधार कर वर्षों से काश्त कर रहे लोगों को नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि नियमन का गठन किया जा चुका है? यदि हां, तो जिला सीकर के नीमकाथाना में उक्त कमेटी का गठन कब हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हरीश चौधरी): (1) भूमिहीन लोगों द्वारा कृषि हेतु उपयोग में ली जा रही सिवायचक भूमि को नियमन करने के लिए राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आबंटन) नियम, 1970 के नियम 20 के तहत

(राजस्व मंत्री)

उपखण्ड स्तर पर आबंटन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित कर इस सम्बन्ध में नियम, 1970 के नियम 13 के तहत भूमिहीन पात्र व्यक्तियों को योग्य पाये जाने पर नियमानुसार आबंटन की कार्यवाही की जाती है।

(2) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आबंटन) नियम 1970 के नियम 13 में उपखण्ड स्तर पर आबंटन सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान है।

सामान्यतया आबंटन से पूर्व सदस्यों को 7 दिवस के नोटिस पर बैठक आहूत की जा सकती है।

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना): अध्यक्ष महोदय, आप जैसे काबिल अध्यक्ष के होते हुए हमको किस तरह से सवालों के क्या जवाब दिए जा रहे हैं। जरा खण्ड 2 देखिए।

श्री अध्यक्ष: देख लिया मैंने।

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना): यह मेरा सवाल क्या है?

श्री अध्यक्ष: आपकी बात समझ गए। आप बैठें। माननीय मंत्री जी, प्रश्न 2 में, क्या यह सही है कि नियमन कमेटियों का गठन किया जा चुका है? यदि हां, तो जिला सीकर के नीमकाथाना की उक्त कमेटी का गठन कब हुआ? इस प्रश्न का जवाब इससे रिलेवेंट नहीं है। आप यही पूछना चाहते हैं माननीय सदस्य?

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना): जी हां।

श्री अध्यक्ष: आप बैठें।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो नियम बने हुए हैं, उन नियमों के तहत ...(व्यवधान)

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना): नियम की जानकारी है मुझे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठें, आप बैठें। माननीय मंत्री जी, नियम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। वह पूछ रहे हैं कि नीमकाथाना में कमेटी कब गठित हुई है?

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह नियम के अन्तर्गत ही कमेटी बनेगी।

श्री अध्यक्ष: वह आप प्रश्न पढ़ें। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, एक मिनट रुकें।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): बता रहा हूं न।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पढ़ लें। दुबारा प्रश्न पढ़ लें।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): प्रश्न यह है, क्या यह सही है कि नियमन कमेटियों का गठन किया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष: आगे।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): यदि हां, तो जिला सीकर के नीमकाथाना में उक्त कमेटी का गठन कब हुआ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कमेटी है, वह नियमों के तहत पंचायत समिति का प्रधान, इसमें सदस्य कौन-कौन हैं।

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना): यह नहीं है सवाल।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): पूरे राजस्थान में हर जगह, हर उपखण्ड में बनी हुई हैं। उस कमेटी की क्या संरचना है, वह बता रहा हूं। वहां का स्थानीय एमएलए, पंचायत समिति का प्रधान, पंचायत का सरपंच, क्षेत्राधिकारी वाली पंचायत..

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना): मंत्री जी, गठन हुआ या नहीं हुआ, यह बताएं। कब हुआ?

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): पूरे राजस्थान में हुआ है।

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना): सदस्य नहीं, मैं सदस्य पूछ ही नहीं रहा आपसे। वह तो कानून में दिया हुआ है, सदस्य कौन है। मेरा सवाल कुछ है और आप जवाब कुछ दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी, एक मिनट। आप खड़े होकर के पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? प्रश्न पूछें अपना।

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना): मैं यह पूछना चाहता हूं कि नीमकाथाना में कमेटी का गठन कब हुआ?

श्री अध्यक्ष: बस, आप बैठें।

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना): आप मुझे सदस्यों के नाम बता रहे हो।

श्री अध्यक्ष: बात खतम हो गई न। सीधी बात है। कब गठन हुआ है यह पूछ रहे हैं बस।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह नीमकाथाना में और पूरे राजस्थान में कमेटियों का गठन हुआ है।

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना): कब हुआ तो?

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): जिस दिन यह नियम बने, उस दिन के बाद से लगातार यह कमेटी एग्जिस्ट करती है। हर साल या हर बार, हर सरकार में कमेटी नहीं बनती है। वर्च्यु आफ पोस्ट इनके अन्दर यह सदस्य रहते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पूछ लीजिए।

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना): अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में कमेटी का गठन कब हुआ? इसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। यह तलाश करके बता दें। इसकी बैठक कब हुई और इसमें कितने लोगों को भूमि का नियमन किया गया?

दूसरा मेरा सवाल है कि मेरे क्षेत्र में नियमन के कितने आवेदन लम्बित हैं? एक सवाल मेरा और है कि अभी तक कमेटी का गठन नहीं हुआ है। यह आपका जो जवाब है उसमें आप लीपापोती कर रहे हो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न।

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना): कब तक कमेटी का गठन कर दिया जाएगा? कब तक इसकी बैठक हो जाएगी? कौन अधिकारी इसका गठन करेगा? काश्तकार किससे सम्पर्क करे? इस बात का जवाब दें। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। जवाब दे रहे हैं। प्लीज।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): ज्ञानी सदस्य से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कमेटी एग्जिस्ट करती है। जब से यह नियम बने हुए हैं पूरे राजस्थान के अन्दर, उपखण्ड स्तर पर यह कमेटी एग्जिस्ट करती है। मैं इसलिए उन नियमों के तहत बता रहा था, जिसको आप सुनना नहीं चाह रहे थे। नीमकाथाना के अन्दर कोई भी एप्लाई नहीं किया हुआ है। आप खुद भी इस कमेटी के सदस्य हो। आप कमेटी की बैठक बुलवा सकते हो। कोई भी बुलवा सकता है। पात्र व्यक्ति अगर भूमि वहां अवेलेबल है तो आप लोग कमेटी के मार्फत उसको भूमि दे सकते हो।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी। माननीय सदस्य, एक मिनट, बैठें आप, बैठें आप। कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 1970 के नियम 13 के उपखण्ड स्तर पर आबंटन सलाहकार समिति

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

का गठन हुआ है। हम 200 एमएलए में से अगर किसी एक को भी, कहीं भी राजस्थान में मीटिंग हुई हो 2 वर्षों में तो वह जानकारी करके हमें बता दो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह तो उपखण्ड स्तर पर ही अगर आवश्यकता महसूस हुई तो आप लोग बैठक बुला सकते हो। किसी को सूचना इन नियमों की नहीं है तो मैं नियमों की प्रति हर सदस्य को आपके निर्देशानुसार पहुंचा दूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हुई ही नहीं मीटिंग।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। अगला प्रश्न। श्री रूपाराम।

जैसलमेर में मर्ज बालिका विद्यालयों को पुन: चालू करने की कार्ययोजना

375. श्री रूपाराम (जैसलमेर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के सात राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, देवा, हमीरा, खींया, पारेवर, रूपसी, खुहड़ी व सांवला को आदेश क्रमांक.14 (4) शिक्षा-1/जैसलमेर/2014 पार्ट तथा क्रमांक प.17 (18) प्राशि/आयो/जिला जैसलमेर/2014 के द्वारा मर्ज कर दिया गया था?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के लोग अब भी बालिका शिक्षा में पीछे हैं एवं कक्षा 5वीं के पश्चात् छात्राओं को छात्रों के साथ अध्ययन करने हेतु विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं भेजते हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं में से अधिकतर बालिकाओं ने इन विद्यालयों के मर्ज होने के कारण स्कूल जाना छोड़ दिया है? यदि हां, तो सरकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु उक्त बालिका विद्यालयों को पुनः चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री गोविन्द सिंह डोटासरा): (1) जी हां।

(2) जी नहीं। माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत संचालित राजकीय विद्यालयों की कक्षा 6 से कक्षा 12 तक उक्त क्षेत्र की 10,665 बालिकाएं अध्ययनरत हैं।

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

(3) जी नहीं। विद्यालय मर्ज होने के कारण किसी भी बालिका ने विद्यालय में अध्ययन नहीं छोड़ा है। समन्वयन से मुक्त करने के संबंध में विभाग को प्राप्त प्रस्तावों का मानदण्डानुकूल समग्र स्थिति का गुणावगुण के आधार पर आकलन किया जाकर वित्तीय प्रावधानों के तहत विद्यालयों को समन्वयन से मुक्त किया जा सकेगा।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 376

श्री राजकुमार रोत।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री लक्ष्मण मीणा।

बस्सी में संचालित आरा मशीनें

377. श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कितनी आरा मशीनें लाइसेंसशुदा तथा कितनी अवैध रूप से संचालित हो रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकने तथा अवैध रूप से चल रही आरा मशीनों के विरुद्ध विगत दो वर्षों से अब तक क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के वन क्षेत्रों में पानी रोकने के लिए विगत दो वर्षों में नरेगा के तहत कितने कार्य करवाये गये हैं तथा कितने कार्यों के प्रस्ताव तैयार कर जिला परिषद् में स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, वन (श्री सुखराम विश्नोई): (1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में लाइसेंसशुदा 80 आरा मशीनें संचालित हो रही हैं, 66 आरा मशीनें अवैध रूप से स्थापित हैं जो वर्तमान में संचालित नहीं हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में विगत दो वर्षों में वन क्षेत्र में अवैध कटान के विरुद्ध 42 वन अपराध प्रकरण दर्ज किये जाकर राशि 32,701 रुपये

(राज्य मंत्री, वन)

का एवजाना वसूल किया गया है, 12 आरा मशीनों को अवैध रूप से संचालन करते हुए पाये जाने पर उन्हें सील किया जाकर उनके विरुद्ध संबंधित न्यायालय में इस्तगासे प्रस्तुत किये गये।

(3) वन विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बस्सी में विगत दो वर्षों में मनरेगा अन्तर्गत वन क्षेत्रों में पानी रोकने हेतु कोई कार्य नहीं करवाया गया है। वन विभाग द्वारा मनरेगा अन्तर्गत वर्ष 2020-21 की अवधि में कुल 9 कार्यों के प्रस्ताव जिला परिषद्, जयपुर को भिजवाए गए हैं। सूची परिशिष्ट 'अ' संलग्न है।

(सूची विधान सभा में रखी गयी)

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह 66 अवैध आरा मशीनें हैं, 12 के खिलाफ कार्यवाही की है तो 54 को क्यों छोड़ा गया है?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): छोड़ा एक को भी नहीं गया है। हमारे कर्मचारी, अधिकारी जहां भी शिकायतें मिलती हैं, वह भ्रमण में, निरीक्षण में जाते हैं तो यह 12 आरा मशीनें चालू पाई गईं। इसकी वजह से उनको सीज किया गया है। बाकी जो आरा मशीनें हैं, वह बंद पड़ी हुई हैं और न ही उनके किसी तरह के कनेक्शन हैं।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मंत्री जी खुद मान रहे हैं कि 66 अवैध आरा मशीनें हैं। अपने जवाब में खुद कह रहे हैं कि 12 के खिलाफ कार्यवाही की है। अब यह कह रहे हैं कि और कोई हमारे अधिकारियों को शिकायत करेंगे तभी कार्यवाही करेंगे। यह तो खुद ही मान रहे हैं कि 54 भी अवैध हैं। उनको बंद क्यों नहीं कराया जा रहा है? उनके खिलाफ मुकदमे क्यों नहीं दर्ज कराए जा रहे? मंत्री जी, यह बताएं।

श्री अध्यक्ष: प्रताप जी, मैं अलाउ नहीं करूंगा। आपकी आवाज बार-बार आती है। गलत बात है।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, शिकायत आने पर तो सीज करते हैं। शिकायत के अलावा जब भी निरीक्षण में या भ्रमण के दौरान अवैध आरा मशीनें चालू पाई, उन्हें सीज किया, वह 12 मशीने हैं। बाकी आरा मशीनें बंद पड़ी हैं। जैसी माननीय सदस्य की भावना है कि आरा मशीनें जब लगी हुई हैं तो सीज क्यों नहीं की जाएं? मैं मेरे अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि सभी आरा मशीनों को सीज किया जाए।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री पूराराम चौधरी। अगला प्रश्न। श्री पुखराज।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): हैं वह तो।

श्री अध्यक्ष: श्री पूराराम चौधरी।

जालौर, सिरोही व पाली में माही बजाज योजना से सिंचाई का पानी

378. श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जालौर, पाली, सिरोही जिलों में माही बजाज योजना 1966 के समझौते के अनुसार राजस्थान एवं गुजरात में नर्मदा का पानी खण्डाला बांध में आने के बाद माही का पानी नहरी योजना के लिए सिंचाई का पानी राजस्थान एवं गुजरात सरकार को दिये जाने का अनुबंध हुआ था?

(2) क्या सरकार माही बांध का पानी उक्त जिलों में सिंचाई हेतु उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(उत्तर जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): (1) गुजरात व राजस्थान राज्य के मध्य माही जल बंटवारे के 1966 में निष्पादित अनुबन्ध में सिरोही, जालौर, पाली जिलों में पानी दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

(2) जी नहीं। माही जल के बाड़मेर, जालौर जिलों में उपयोग किये जाने हेतु राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा माही-लूनी अन्त: राज्जीय लिंक परियोजना का पूर्व संभाव्यता प्रतिवेदन (Pre-Feasibility Report) अक्टूबर, 2013 में तैयार की गई, जिसके अनुसार यह प्रस्ताव आर्थिक एवं तकनीकी रूप से फिजिबल नहीं पाया गया, अत: वर्तमान में इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उत्तर पढ़ा गया। आप प्रश्न पूछ लें।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जब 1966 के अन्दर जल समझौता हुआ था। पूरे भारत में हुआ था। राजस्थान में भी हुआ था। यह

(श्री पूराराम चौधरी)

राजस्थान और गुजरात दोनों का जल समझौता था। राजस्थान का वेस्टेज पानी, मैं यह नहीं कह रहा कि हमें जालौर, सिरोही के लिए ही पानी दो।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, प्रश्न, माननीय सदस्य, प्रश्न पूछो आप। प्रश्न पूछो।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): प्रश्न यही था कि उसके बाद 1984 के अन्दर एक आयोग बैठाया, उसका आपने उल्लेख ही नहीं किया।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो आप। क्या चाहते हो आप?

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): पानी दिया जाए जालौर, सिरोही, पाली और बाड़मेर जिले को। यह कब तक दोगे, यह बताओ?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 1966 में तत्कालीन इर्रिगेशन मिनिस्टर नाथूराम जी मिर्धा और त्रिवेदी जी, गुजरात के जो इर्रिगेशन मिनिस्टर थे, उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ। उसमें 40:9 के अनुपात में अपने को पानी मिलना था। आज भी राजस्थान को 16 टीएमसी पानी मिल रहा है। उसमें यह कहीं उल्लेख नहीं था कि राजस्थान में यह पानी आएगा और कहां-कहां जाएगा। अब तक एक्सेस वाटर अपने पास आया नहीं है। अक्टूबर, 2013 में एक प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाई गई थी, उसमें इसको आर्थिक एवं तकनीकी रूप से फिजिबल नहीं पाया गया। इस कारण से और उस एग्रीमेंट में यह कहीं नहीं लिखा था कि राजस्थान का पानी कहां-कहां जाएगा। जब फिजिबिलिटी हो जाएगी तब हम विचार करेंगे कि कहां-कहां पानी ले जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित व समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

(12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के राजकीय महाविद्यालय में स्वीकृत 32 में से 20 व्याख्याताओं के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से कोटा व बून्दी जिले में लगातार हो रहे अवैध खनन से राज्य सरकार को हो रहे राजस्व के नुकसान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश के टाइगर रिजर्व मुकुंदरा में टाइगर व अन्य जीवों की सुरक्षा में विभाग द्वारा बरती जा रही लापरवाही से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री अशोक डोगरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ विशधारी वन अभयारण्य क्षेत्र में आने वाले ग्रामों के निवासियों को अन्यत्र बसाने के संबंध में।

(5) श्री छगनसिंह एवं एक अन्य सदस्य की ओर से प्रदेश में ईडब्ल्यूएस के छात्रों को विभिन्न परीक्षाओं में आयु सीमा, परीक्षा शुल्क एवं अर्हता अंक में छूट नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के ग्राम पंचायत मुख्यालय हुरडा का कंवलियास में रोडवेज बसों का ठहराव बंद कर दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से जयपुर शहर में चौड़ा रास्ता स्थित एक पुस्तक प्रकाशन के कार्यालय पर असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस की सुरक्षा होने के बावजूद हमला किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्रीमती संतोष, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में तहसील रावला की ग्राम पंचायत 9 पीएसडी चक 1 एएनएम आनंदगढ़ में वन विभाग की भूमि से खनन माफियाओं द्वारा सरेआम जिप्सम का अवैध खनन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से माउंट आबू में भालुओं की घटती संख्या व उनके स्वभाव में आ रहे परिवर्तन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(10) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की तहसील सेमारी में सार्वजनिक निर्माण, जल संसाधन, जलदाय, महिला बाल विकास एवं ऊर्जा विभाग के कार्यालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(11) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर के गांव दौलतपुरा से धवली सड़क मार्ग पर पुलिया निर्माण नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(12) श्री बलजीत यादव, सदस्य की ओर से सहायक आचार्य (कालेज शिक्षा) भर्ती 2020 के राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दिये जाने की आशंका से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(13) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से चित्तौड़गढ़ शहर में दिनांक 19.03.2021 को आग लगने के कारण 3 व्यक्तियों की मृत्यु होने व 8 गम्भीर रूप से घायल होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(14) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से राज्य सरकार द्वारा बालिका शिक्षा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए शिक्षा विभाग को बजट जारी नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(15) श्री शंकर सिंह रावत व अन्य 02 सदस्यों की ओर से पूरे प्रदेश में रावत जाति के लोगों को एक समान अनुसूचित जनजाति आरक्षण का लाभ नहीं दिये जाने के संबंध में।

(16) श्री सतीश पूनियां, सदस्य की ओर से जिला जयपुर के ग्राम टांटियावास में संचालित भारतीय विद्या निकेतन संस्थान के 27 विद्यार्थियों को बाल संरक्षण आयोग द्वारा अवैधानिक रूप से अन्यत्र स्थानांतरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(17) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से बारां जिले में सहरिया जाति के समान भील समाज को सुविधाएं नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(18) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से धौलपुर जिले में कुख्यात डकैतों से हुई मुठभेड़ में जान की बाजी लगाने वाले पुलिस कांस्टेबल अवधेश को गैलेंट्री पदोन्नति नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(19) श्री मदन दिलावर, अटरू व झालावाड़ नगर में हुई गैंग रेप की घटना से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(20) श्री निर्मल कुमावत, सदस्य की ओर से जयपुर जिले के जोबनेर बंड्या

(श्री अध्यक्ष)

का बास में एक शादी समारोह में आतंक फैलाकर एक व्यक्ति की हत्या करने वाले आदतन अपराधी को गिरफ्तार नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(21) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से रतनगढ़ से लोसल वाया सालासर राज्य राजमार्ग संख्या 7 की चौड़ाईकरण कार्य से प्रभावित किसानों को भूमि का मुआवजा नहीं दिये जाने से किसानों में व्याप्त आक्रोश से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(22) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से प्रदेश में बढ़ रहे आपराधिक मामलों में बिगड़ रही कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

आज स्थगन प्रस्ताव जान बूझकर मैंने ज्यादा लिए हैं, यह देखने के लिए कि कितनी संयमित भाषा में, संयमित समय में सदस्य अपनी बात रख सकते हैं इसलिए मैंने आज लिबरल होकर 8 स्थगन प्रस्ताव रखे हैं। मैं अपेक्षा रखता हूं कि वो समय के अन्दर अपनी बात रखेंगे।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री शंकर सिंह रावत, श्री सतीश पूनियां, श्री प्रताप सिंह, श्री रामलाल शर्मा, श्री मदन दिलावर, श्री निर्मल कुमावत, श्री नारायण बेनीवाल एवं श्रीमती अनिता भदेल को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से सलूम्बर नगरपालिका क्षेत्र में आदिवासी जनमानस के आस्था का केन्द्र प्राचीन सोनार माता मंदिर के विकास की 340 लाख रुपये की परियोजना स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

(2) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के हुरडा में हिन्दुस्तान जिंक खनिज प्लांट में कथित रूप से की जा रही अनियमितताओं के संबंध में।

(3) श्रीमती सूर्यकांता व्यास, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के सुन्दर बालाजी पहाड़ी एवं उम्मेद सागर बांध की भूमि पर किये गये अतिक्रमण के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर की ग्राम पंचायत लूणू खुर्द में बिजली के झूलते तारों में प्रवाहित करंट से झुलसी 3 लड़कियों के परिवार को मुआवजा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से मेवाड़ विश्वविद्यालय, गंगरार, चित्तौड़गढ़ में Animal Husbandary Diploma Course की मान्यता नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में किसानों द्वारा समय पर ऋण जमा करवाने के बावजूद उन्हें डिफाल्टर घोषित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कपासन में क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण रोक दिये जाने के संबंध में।

(8) श्री मदन प्रजापत, सदस्य की ओर से मरुस्थलीय क्षेत्र में विद्युत से वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने हेतु अतिरिक्त बजट का प्रावधान किये जाने के संबंध में।

(9) श्री धर्मनारायण जोशी एवं एक अन्य सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मावली की पंचायतों में भीषण पेयजल संकट होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(10) श्री सुरेश टाक, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में स्थित श्रम निरीक्षक कार्यालय को जनहित में श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में।

(11) श्री अमर सिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में कक्षा पांच तक स्कूल मर्ज किये जाने पर अधिकांश पहाड़ी क्षेत्र में विद्यार्थी शिक्षा से वंचित हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(12) श्री वाजिब अली, सदस्य की ओर से प्रदेश में मेव जाति को मुख्यधारा में जोड़ने हेतु एमबीसी/एसबीसी में शामिल किया जाकर आरक्षण को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किये जाने के संबंध में।

(13) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में खराब पड़े जनता जल योजना के अन्तर्गत आने

(श्री अध्यक्ष)

वाले हैंडपम्प, ट्यूबवैल सहित पाइपलाइनों को निश्चित समयावधि में योजनाबद्ध तरीके से ठीक नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(14) श्री सुरेश सिंह रावत, सदस्य की ओर से प्रदेश में रावत जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति के समान आरक्षण का लाभ दिये जाने के संबंध में।

(15) श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की विभिन्न ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं सचिवों द्वारा मनरेगा योजना में कथित रूप से भ्रष्टाचार किये जाने के संबंध में।

(16) श्री जे.पी. चन्देलिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिलानी के चिड़ावा में संचालित गुरु हनुमान व्यायाम संस्थान को आबंटित भूमि पर खेल स्टेडियम का निर्माण किये जाने के संबंध में।

(17) श्री सुमित गोदारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के 132 केवी जीएसएस शेखरसर में वोल्टेज बढ़ाने हेतु 20-25 एमवीए का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। आखिरी दिन है इसलिए यू-ट्यूब उनका जाना चाहिए, इसलिए पढ़ने की अनुमति दी जाती है।

माननीय श्री शंकर सिंह रावत।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

रावत जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति के समान आरक्षण लाभ

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका देने के लिए सबसे पहले आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के जहाजपुर, भीण्डर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों में बसने वाले रावत जाति के लोग एसटी, अनुसूचित जनजाति आरक्षण में सम्मिलित है जो कि मगरे क्षेत्र से हमारे गोत्रों से हैं तथा रावत मीणा के नाम से जाने जाते हैं जबकि अजमेर, राजसमन्द, भीलवाड़ा, पाली जिले में बसने वाले रावत समाज के गोत्र रावत, मेहरात,

(श्री शंकर सिंह रावत)

कठात, सभी गोत्रों को अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है जबकि यहां की भौगोलिक स्थिति भयावह है, जमीनें नहीं हैं, पानी का अभाव है, 20 वर्षों में एक बार ही तालाब भरते हैं यानी न्यूनतम बरसात होती है। इस क्षेत्र में पहाड़ी होने के कारण कल-कारखाने और औद्योगिक क्षेत्र नहीं होने के कारण बड़े-बड़े शहरों में जाकर रात-दिन पत्थर फैक्ट्रियों में महिला, पुरुष काम करने को मजबूर हैं। फैक्ट्रियों में वही लोग काम करते हैं जिनके पास में...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थगन प्रस्ताव पर बोल रहे हैं, 295 पर नहीं।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): यही बोल रहा हूं सर। दो मिनट में अपनी बात रखता हूं सर।

श्री अध्यक्ष: आप सीनियर आदमी हैं, स्थगन प्रस्ताव और 295 का अंतर समझें। स्थगन प्रस्ताव पर बोलना है तो कागज नीचे रखें और बोलें जो बोलना है।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): जी सर। बड़े-बड़े शहरों में जाकर पत्थर पीसने की फैक्ट्रियों में काम करने को मजबूर हैं। फैक्ट्रियों में वे ही काम करते हैं, जिनके पास रोजगार के कोई साधन नहीं हों, आजीविका चलानी मुश्किल हो रही हो। इससे प्रदेश में बसने वाली एक ही जाति के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। इन चार जिलों में बसने वाली रावत जाति के लोगों को आरक्षण से वंचित तथा इन गोत्रों की महिलाएं, पुरुष पत्थर पीसने की फैक्ट्रियों में रात-दिन मजदूरी करते हैं, जीवनयापन करना मुश्किल होता है। अब आप इससे हिसाब लगा सकते हैं कि इनसे गरीब और कौन-सी जाति हो सकती है। आज चाहें तो जांच कमेटी भेजकर सर्वे करवा सकते हैं...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह बहुत गलत परम्परा है।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): मेरी गलती हो तो मुझे सज़ा दें, भुगतने के लिए तैयार हूं। ये गोत्र बीपीएल के समकक्ष हैं। महोदय हम रावत जाति के लोगों के लिए आरक्षण का लाभ नहीं मांग रहे हैं...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, शंकर सिंह जी, प्लीज गलत परम्परा नहीं। बैठें आप। आप नियम 295 पर बोल रहे हैं या नियम 50 पर बोल रहे हैं? आप बैठें। आप सीनियर आदमी हैं, नहीं समझना चाहते हैं तो यह बिलकुल unfortunate है।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सर, यह इनके साथ में अन्याय है। सर्वे कराकर जांच कराएं।

श्री अध्यक्ष: प्लीज बैठें अब आप। आपकी बात रिकार्ड में आ गयी। आपकी बात पहुंच जाएगी। प्लीज बैठें आप। यह गलत परम्परा है। मैंने स्थगन प्रस्ताव में अलाउ किया है, आप सुन नहीं रहे हैं क्या? स्थगन प्रस्ताव के लिए मैंने अलाउ किया है और 295 की तरह लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं। श्री सतीश पूनियां।

भारतीय विद्या निकेतन संस्थान के विद्यार्थियों का स्थानांतरण

श्री सतीश पूनियां (आमेर): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। भारतीय जनसेवा प्रतिष्ठान एक पंजीकृत संस्था है। आमेर विधान सभा क्षेत्र में 1987 से भारतीय विद्या निकेतन के नाम से एक छात्रावास चलाते हैं, 27 गरीब विद्यार्थी हैं उत्तर पूर्व के जो अपने अभिभावकों की सहमति से यहां आकर अध्ययन करते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय है। उन्हें कम्प्यूटर की, सिलाई की और बाकी चीजों की शिक्षा दी जाती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, I don't expect this from ministers, please.

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, 1991 से इन्हें स्कूल की मान्यता मिल गयी, 2017 से छात्रावास के लिए समाज कल्याण, शिक्षा विभाग, बाल संरक्षण आयोग में इन्होंने एप्लीकेशन दी। एक मार्च को अभी बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा, बाल विकास समिति और एक चाइल्ड हैल्पलाइन के लोग आये और रात को इस छात्रावास पर छापा मारा और उन बच्चों को जबरन अनधिकृत तरीके से, गांव की जो समिति थी, उसने रोकने का प्रयास किया, निवेदन भी किया, बावजूद उसके उन्हें कस्टडी में ले गये।

ये 27 विद्यार्थी ऐसे हैं जो निराश्रित हैं, गरीब हैं, अपने अभिभावकों की सहमति से यहां पढ़ रहे हैं। मेरा निवेदन है कि समाज कल्याण विभाग और बाल संरक्षण आयोग इन बच्चों को इस छात्रावास को वापस सुपुर्द करें, क्योंकि इनकी सारी व्यवस्था गांव के लोग करते हैं। इन गरीब बच्चों पर इस तरीके से अन्याय हो रहा है। मुझे लगता है सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रताप सिंह।

बारां में सहरिया जाति के समान भील समाज को सुविधाएं

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने, नेता प्रतिपक्ष और हमारे डिप्टी लीडर ने मेरा यह स्थगन प्रस्ताव मंजूर किया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय, निवेदन है कि...

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्ताव मैं मंजूर करता हूं, कोई नहीं करता है। आप गलतफहमी निकाल दें बिलकुल। आप सीनियर सदस्य हैं। इन्होंने किया, उन्होंने किया। यदि उन्होंने किया है तो उन्हीं को सुना देना।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): मेरी गलती हो गयी साहब, रिक्वैस्ट आपसे ही करते हैं, पर...

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियमों में डिप्टी लीडर की व्यवस्था ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, जीरो आवर में नहीं। माननीय सदस्य, आप बोलें।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): गलती हो गयी साहब, आप ही करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में भील जाति बहुत ही अधिक संख्या में है और इनका रहन-सहन, खान-पान इस प्रकार का है जिस प्रकार से सहरिया जाति का है। वही जंगलों में रहना, शिकार करना, इसी प्रकार की स्थिति इनकी है। वैसे तो भील जाति डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और सिरोही क्षेत्रों में बहुतायत में है, पर हाड़ौती क्षेत्र में भी बारां, झालावाड़, कोटा, बून्दी में भी यह बहुतायत में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में भी भील जाति बहुतायत में है..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यदि इनके हाथ में एक भाला दे दिया जाए तो ये अभी साक्षात भील लगेंगे। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): मूंछें नहीं हैं इन जैसी आपके पास, आप होंगे राठौड़।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी, राजेन्द्र सिंह जी इन्हें महाराणा प्रताप नहीं बनाना चाहते। आप क्यों दु:खी हो रहे हैं? आप विराज जाएं।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): ऐसा है साहब कि हमारे पूर्वज परमार राजपूत थे, अब उन्होंने गलती की, ज्यादा शराब पी, ज्यादा मांस खाया होगा, इसलिए हम जैनी बने। अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि वापस परमार बन जाऊं।

श्री अध्यक्ष: यह राजेन्द्र जी को बता दिया आपने, आप क्या बन रहे हैं? राजेन्द्र जी को बता दिया कि आप क्या बन रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैंने स्वागत किया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज वाइंड अप।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): एक मिनट साहब, एक मिनट। बारां जिले में किशनगंज और शाहबाद में सहरिया जाति के लोग बहुतायत में रहते हैं। उन्हें सरकार की तरफ से जिस प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं, मेरी मांग है कि भील जाति भी उतनी ही गरीब है। उसी तरह का उनका सामाजिक रहन-सहन और रीति-रिवाज है, इसलिए मेरा बारां जिले सहित पूरे राजस्थान में जहां भी भील समाज निवास करता है, उन्हें बारां जिले के सहरियाओं को जिस प्रकार का लाभ सरकार की तरफ से मिल रहा है, उसी प्रकार का लाभ भील जाति के लोगों को दिलवाएं। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल शर्मा।

धौलपुर में मुठभेड़ में वीरता प्रदर्शन वाले पुलिस कान्स्टेबल को गैलेंट्री पदोन्नति

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन पर बोलने की अनुमति दी, उसके लिए मैं आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान 25 अक्टूबर, 2020 की उस घटना की ओर दिलाना चाहता हूं। 25 अक्टूबर, 2020 को बाड़ी शहर पुलिस को सूचना मिलती है कि केशव गुर्जर नाम की गैंग अमुक स्थान पर छिपी हुई है। 20-22 लोग उस पुलिस टीम में शामिल होते हैं। केशव गुर्जर का आतंक तीन राज्यों- राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। उसके ऊपर एक लाख का इनाम भी पुलिस ने घोषित कर रखा है कि जो कोई उसकी सूचना देगा अथवा उसे पकड़ेगा, उसे एक लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा।

जब यह टीम उस स्थान पर पहुंचती है तो उसका केशव गुर्जर के गैंग से आमना-सामना होता है, फायरिंग होती है और फायरिंग में अवधेश कुमार नाम के एक कान्स्टेबल को गोली लगती है। उसे धौलपुर हास्पिटल में लाया जाता है। उसके बाद उसे आगरा रैफर किया जाता है। आगरा से ग्रीन कोरिडोर बनाकर जयपुर लाया जाता है। जयपुर में एसएमएस में उसका इलाज चलता है। डेढ़ महीने तक वह जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहता है। उसके प्राण बचते हैं। तीन महीने से वह घर में बैड रैस्ट पर है।

(श्री रामलाल शर्मा)

इस घटना के उपरान्त मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि हकदार को सम्मान मिले और गुनहगार को सज़ा मिले। जिस कान्स्टेबल ने अपनी जिंदगी और मौत की बाजी लगाते हुए अपने कर्त्तव्य का निर्वहन किया और जो अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने प्राणों को तिलांजलि देने के लिए तैयार हो गया, उस संघर्षशील व्यक्ति को सरकार गैलेन्ट्री प्रमोशन दे। साथ ही, सरकार इस टीम में सभी शामिल व्यक्तियों को गैलेन्ट्री प्रमोशन देने का काम करे ताकि पुलिस के इन जांबाज सिपाहियों का मनोबल बना रहे और आने वाले समय में हम सबकी पुलिस में निष्ठा और बढ़े। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन दिलावर।

अटरू व झालावाड़ में हुई गैंग रेप की घटना

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा गला बैठा हुआ है, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं कि मुझे कोई डिस्टर्ब न करें।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): अध्यक्ष महोदय, इनका गला बैठा हुआ है।

श्री अध्यक्ष: आप सपोर्ट कर देना।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): अध्यक्ष महोदय, पिछली 25 फरवरी को हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा गैंगरेप काण्ड झालावाड़ जिले में घटा है। उसमें एक अनुसूचित जाति की बालिका जो 15 वर्ष की है, उसे लगभग 40 लोगों ने दुष्कर्म करके रौंदा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक सारे के सारे दरिंदे पकड़े नहीं गये हैं। मेरी जानकारी के अनुसार 28 लोग इसमें पकड़े जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त जिन मकानों में ले जाकर बलात्कार किया गया है, उनके परिवारों को नहीं पकड़ा है। जिन वाहनों में गये थे, उन्हें नहीं पकड़ा है। जिन होटलों में जाकर, जिन-जिन स्थानों पर जाकर बलात्कार हुआ है, उनको अभी तक नहीं पकड़ा गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक इसमें यह भी उल्लेख आया है कि फूफी के यहां जाकर भी बलात्कार किया है तो फूफी और फूफा कौन थे और उनको अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, पीड़िता के साथ 9 दिन तक बलात्कार होना, यह सामान्य घटना नहीं है। यह बालिका वहां से उन दरिंदों से छूटकर आती है और अपनी मां के साथ जाती है तो थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है, भगा दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष

(श्री मदन दिलावर)

महोदय, यहां तक डराया जाता है कि तुमने इस घटना की चर्चा कहीं की तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन मैं रामगंज मण्डी के डीवाईएसपी मंजीत सिंह को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इसको गम्भीरता से लिया और गम्भीरता से लेकर उस महिला की यानी बालिका की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई अन्यथा यह रिपोर्ट दर्ज नहीं होती।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि रामगंज मण्डी क्षेत्र में, जिसमें थाना सुकेत आता है, रामगंज मण्डी आता है, मोडक थाना आता है। तीनों थानों में यदि मुनादी करा देंगे कि कितनी महिलाओं के साथ, बलात्कार, रेप, अश्लीलता, छेड़खानी की घटनाएं हुईं जिनकी थाने में जाने के बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तो मैं समझता हूं कि कम से कम 100 महिलाएं तो बलात्कार वाली होंगी और 200 महिलाएं अश्लील हरकतों वाली होंगी जिनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। मेरी सरकार से मांग है, मैं हाथ जोड़कर संरक्षण चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष: समय का, मैंने पहले ही बता दिया है, please wind up.

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं तीन मिनट में पूरा कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: तीन मिनट ही बोलें और तीन मिनट बोल चुके हैं आप।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं शार्ट कर रहा हूं। मुनादी कराकर यह कराई जाए, मेरी यह सरकार से मांग है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आशंका है कि यह जो सुकेत की घटना है बालिका के साथ की, इसको अदालत तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। या तो डरा-धमकाकर बयान बदला दिए जाएंगे या उसकी हत्या कर दी जाएगी, परन्तु अभी तक उसकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नहीं किया है। एक पुलिसवाला बिठा रखा है। उसकी मां मजदूरी पर जाती है क्यों कि वह गरीब है और मजदूरी पर नहीं जाएगी तो खाएगी क्या और वह मजदूरी पर नहीं जा पा रही है जिससे भूखे मरने की स्थिति में है। सरकार को चाहिए कि जहां तक अदालत में मुकदमे.....

श्री अध्यक्ष: No. I'll not allow it. माननीय, मैं पहले ही बोल चुका हूं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी

(श्री मदन दिलावर)

प्रार्थना है, मुझे यह भी जानकारी मिली है कि +++ एक व्यक्ति ने ठेका लिया है कि मैं इसको अदालत में नहीं पहुंचने दूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जो हाउस में नहीं है.... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): कह रहा है कि अदालत नहीं पहुंचने दूंगा, या तो मार दूंगा या बयान बदलवा दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सारे के सारे दरिंदे +++.....

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। आप बैठें। अंकित नहीं होगा। बैठें आप। माननीय प्रताप सिंह, I'll name you. I'll name you.

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी, लिमिट हो जाएगी। माननीय कटारिया जी, एक्स्ट्रीम है। कटारिया जी, आपके कहने से मैंने दिलावर साहब को अलाउ किया है। नीचे बैठें। I'll not allow. I'll not allow. रिकार्ड नहीं होगा। आप बैठें प्लीज। I'll not allow. मैं सुन नहीं रहा क्या? कटारिया जी, मैं लास्ट टाइम कह रहा हूं, I'll not tolerate it. Last day I don't want to create a scene. मैं आखिरी दिन सीन क्रियेट करना नहीं चाहता हूं, but, I'll not tolerate it. I'll not tolerate it.

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री अध्यक्ष: मैं फिर दुबारा कह रहा हूं। मिस्टर दिलावर जी, मेरे को कटारिया साहब ने रिक्वैस्ट की इसलिए मैंने अलाउ किया है, I'll not allow it. प्लीज, स्थगन प्रस्ताव को आउट आफ वे जाकर मैंने अकोमोडेट किया है। आपकी भावना समझ में आ गई, आपने खुद ने कहा है, उस भावना का समझ में आ गया, उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, उस बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस सम्बन्ध में काग्नीजेंस ले। यही चाहते हैं आप? बात खतम हो गई। प्लीज। I'll name you. फिर बाहर निकलो। I'll name you. आप समझ नहीं रहे क्या। (व्यवधान) कम्पीटिशन बन गया क्या कि हरेक आदमी को बोलना जरूरी है? जो चीज अख़बार में आती है वह हम बोलते हैं। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? कोई नया तथ्य है, कोई चीज है, अख़बार में चार दिन पहले आ गई, हर घटना मैंने पढ़ी है, मैं भी ऐसे-ऐसे बोल सकता हूं। प्लीज, बैठें आप।

(श्री अध्यक्ष)

I'll not allow it. सदन की गरिमा नहीं रखना चाहते हम। कोई चीज जो अख़बार में आए उसी को हम रिपीट करते हैं। मदन जी, आपको समझ में नहीं आया? श्री निर्मल कुमावत।

जोबनेर (जयपुर) के बंड्या का बास में हत्या के दोषियों की गिरफ्तारी एवं पीड़ितों को मुआवजा

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, स्थगन के लिए धन्यवाद। मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर जिले के जोबनेर थानान्तर्गत बंड्या का बास, भोजपुरा गांव में 13 तारीख की रात तेजपाल वर्मा के घर पर शादी का महिला संगीत का प्रोग्राम चल रहा था तो कुछ दबंगों द्वारा वहां जबरदस्ती घुसकर डांस करने की कोशिश की गई। इसमें उनके कहासुनी हुई और सबने समझाकर मामला शांत कर दिया। अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य की बात है कि 15 तारीख को दोपहर एक बजे जब बारात रवाना हो रही थी तो उन दबंगों द्वारा गाड़ी लाकर पूरे परिवार को कुचलने की कोशिश की गई। उसमें उनके दो रिश्तेदार, जो सीकर से यहां आए थे, गम्भीर रूप से घायल हुए और एक की मौके पर मौत हो गई। डैड बाडी को लेकर परिवारजन दो दिन तक जोबनेर थाने में धरने पर बैठे रहे। मैं खुद भी वहां गया था। प्रशासन के तमाम बड़े-बड़े अधिकारी वहां आए, उन्होंने आश्वासन दिया, सबने समझाइश की तो उन्होंने बाडी उठा ली। उन्होंने आश्वस्त किया था कि एक दिन में आज गिरफ्तारी हो जाएगी पर आज पांच दिन हो गए पर गिरफ्तारी नहीं हुई। मुआवजे की भी मांग उन्होंने की थी और जो गम्भीर घायल हैं उनका अस्पताल में इलाज होना था उसके लिए आश्वासन दिया था कि सरकार के द्वारा किया जाएगा पर आज तक कुछ भी नहीं हुआ। मेरी सरकार से मांग है कि उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो और जो दो-तीन व्यक्ति गम्भीर घायल हैं उनके लिए सुचारु रूप से व्यवस्था हो तथा दुबारा उनके साथ कोई ऐसी घटना नहीं हो उसके लिए सरकार कार्यवाही करे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री नारायण बेनीवाल।

रतनगढ़ से लोसल वाया सालासर राज्य राजमार्ग संख्या 7 की चौड़ाईकरण कार्य से प्रभावित किसानों को भूमि का मुआवजा

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन

(श्री नारायण बेनीवाल)

प्रस्ताव पर आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान उन किसानों के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो किसान न छाताधारी हैं, न बंगलाधारी हैं। रतनगढ़ से लोसल वाया सालासर जो स्टेट हाईवे संख्या 7 का निर्माण कार्य चल रहा है उसमें रतनगढ़ उपखण्ड के गांव लूंच, सांगासर, भींचरी, कुसुमदेसर, मैणासर, कनवारी तथा सुजानगढ़ उपखण्ड के ढाकावाली, मालासी, खूड़ी, शोभासर, गुढावड़ी और सालासर, ये ऐसे गांव हैं जिनके अन्दर पीपीपी मोड पर राज्य मार्ग का निर्माण हो रहा है। उन लोगों को मुआवजे के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। 19.08.2020 को भास्कर के अन्दर बड़ी खबर आई, उसके बाद लगातार वे लोग मुआवजे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्तहा तो तब हो गई जब पीपीपी मोड के जो परियोजना निदेशक हैं उन्होंने जिला कलेक्टर चूरू और उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार के साथ जो पत्राचार किया, उसके अन्दर यह लिखा कि राज्य उच्च मार्ग चलन में आते समय निजी भू-स्वामियों द्वारा बिना लिखित सहमति दिए उच्च मार्ग के लिए भूमि दे दी गई है, खातेदारों द्वारा अपनी भूमि स्वेच्छा से राजमार्ग हेतु प्रयोग में लाए जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं की तथा अपनी भूमि का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में जब हम सब किसानों की बड़ी बातें करते हैं और उनके उत्थान और कल्याण की बात करते हैं तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के किसानों को उचित मुआवजा मिले। वे पीपीपी मोड पर सड़क बनाने का भी विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक-दो गांव में बाईपास और बाकी जगह जो उनकी खातेदारी भूमि है उसके मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस संवेदनशील मामले में सरकार का ध्यान आकर्षित कराएं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल।

आपराधिक मामलों से बिगड़ रही कानून व्यवस्था

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया है इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं।

(श्रीमती अनिता भदेल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब एनसीआरबी की रिपोर्ट आई तो इस एनसीआरबी की रिपोर्ट ने पूरे प्रदेश भर को चौंका दिया। महिला अपराधों में राजस्थान पहले नम्बर पर आ गया और महिला अपराधों में भी बलात्कार की घटनाएं, जयपुर जैसा हमारा शहर, जयपुर जो राजस्थान की राजधानी कहलाता है उस राजधानी में पिछले दिनों जो दो घटनाएं घटित हुईं उनसे न केवल मन विचलित हुआ, बल्कि मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब जयपुर की यह स्थिति है तो पूरे प्रदेश की क्या स्थिति होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करती हूं कि महिला अपराधों को किसी तरह से रोकने का काम करें। न तो घर सुरक्षित है, न सड़क सुरक्षित है, न अस्पताल सुरक्षित है, न थाना सुरक्षित है, न निर्माणाधीन मकान सुरक्षित है। महिलाओं के लिए कोई स्थान सुरक्षित नहीं है। ऐसे में महिलाएं जाएं तो जाएं कहां।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि पिछली सरकार में माननीय वसुन्धरा जी ने बलात्कार के अपराधियों को फांसी की सज़ा का प्रावधान किया था। वह फांसी की सज़ा कहां गुम हो गई? माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी सारी घटनाएं, लगभग-लगभग आपको मैं बताऊं तो 41,550 मुकदमे दर्ज हुए उन 41,550 मुकदमों में लगभग 3 हजार से ऊपर की घटनाएं बलात्कार की घटनाएं हैं और प्रूफ हो गया। मेरा आपके माध्यम से सरकार को निवेदन है कि समय पर पुलिस चालान पेश नहीं करती, न अभियोजन की स्वीकृति मिलती। अभियोजन यदि समय पर स्वीकृत हो जाए और अभियोजन की कार्यवाही यदि समय पर हो जाए तो शायद हम इन महिलाओं को न्याय दिलाने में सफल होंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि दुष्कर्म के केसों में यदि अलग से अभियोजन विभाग का गठन हो जाए तो शायद कुछ न्याय उन महिलाओं को मिल पाएगा और इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि स्पेशल केस स्कीम की तर्ज पर यदि इन केसेज को भी स्पेशल स्कीम की तर्ज पर डे-टू-डे मानिटर करें और पुलिस विभाग, सरकार इसको डे-टू-डे मानिटर करें तो वहशी दरिंदे न केवल पकड़ में आएंगे, बल्कि उनको फांसी की सज़ा होगी। यदि फांसी की सज़ा होती है तो जो अपराध करने वाले हैं, उनके मन में भय बैठेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हो क्या रहा है कि एक व्यक्ति को भी फांसी की सज़ा इन दो-तीन साल के कार्यकाल में नहीं हुई है। चालान पुलिस ने पेश कर दिये कोर्ट में, लेकिन

(श्रीमती अनिता भदेल)

न्याय नहीं मिल रहा है तो कोर्ट क्या कर रही है? जो फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, जो पोक्सो कोर्ट हैं, वे कर क्या रही हैं? हम क्या समीक्षा कर सकते हैं उस लेवल पर आकर के।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर विषय है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सीनियर मैम्बर हैं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं अपनी बात को अपने शब्दों की मर्यादा में ही रखते हुए बोल रही हूं पर मैं महिला हूं इसलिए इस दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकती हूं इसलिए मैं निवेदन कर रही हूं कि महिला होने के नाते से आप मेरे इन सुझावों पर यदि गौर कराएंगे और एक निवेदन और करना चाहती हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि बहुत सारी जो लड़कियां हैं, वे गरीब तबके से होती हैं, जिनके साथ में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, उनके पास पैसा नहीं होता तो पीड़ित प्रतिकर स्कीम में जो पैसा सरकार देती है, वह पैसा भी सरकार समय पर नहीं देती है और समय पर नहीं देने के कारण से जो अपराधी लोग हैं, वे उसको पैसे का लालच देकर, उनके बयानों को बदलवा देते हैं तो मेरा निवेदन है कि यदि सरकार पैसा दे और सरकारी वकील बिके नहीं, अच्छे से पैरवी करें इन केसेज की, तो मुझे लगता है कि अपराधी निश्चित रूप से जेल के अन्दर होगा और यदि जेल के अन्दर अपराधी जाता है तो महिलाएं सुरक्षित होंगी, इतना मेरा निवेदन है आपके माध्यम से। आप सरकार को कहें, माननीय अध्यक्ष जी, कि इन व्यवस्थाओं को तो कम से कम सरकार करे।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। 295, श्री अमृतलाल मीणा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

सलूम्बर में सोनार माता मंदिर के विकास हेतु परियोजना की स्वीकृति

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम-295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि सलूम्बर नगरपालिका क्षेत्र में प्राचीन सोनार

(श्री अमृतलाल मीणा)

माता मंदिर स्थित है, जो वन खण्ड सोनार माता की पहाड़ी पर स्थित है, जो कि बड़ा वन क्षेत्र होने से उक्त वन खण्ड में जल एवं मृदा संरक्षण वृक्षारोपण व विकास हेतु अपार संभावना सदैव से बनी हुई है। विगत एक दशक से उक्त पहाड़ी पर सौंदर्यीकरण व वन खण्ड के विकसित करने हेतु सोनार माता वन सुरक्षा व पर्यावरण प्रबन्ध समिति द्वारा विभिन्न अवसरों व मंचों पर भागीरथी प्रयास किया, उसी क्रम में क्रमश: 48 लाख, 1 करोड़ व 3.40 करोड़ का विकास प्रोजेक्ट वन विभाग की ओर से बनाकर इस राशि को स्वीकृत कराने हेतु नियमित प्रयास किया है।

उक्त वन खण्ड नगरपालिका क्षेत्र व आबादी से सटा होने के कारण व प्राचीन परकोटे के खुर्द-बुर्द एवं ढहने से अतिक्रमण की संभावनाएं बनी हुई हैं। प्राचीन मंदिर, सलूम्बर आदिवासी अंचल के लगभग सैकड़ों गांवों की आस्था का एक प्रगाढ़ केन्द्र रहा है। हर वर्ष शीतला सप्तमी के अवसर पर विशाल मेले का भी आयोजन होता है। जिसमें हजारों श्रद्धालु आते हैं। यह स्थल वन खण्ड क्षेत्र में आने से पूरी तरह प्राकृतिक व आकर्षित करने वाला है व शहर से सटा होने से वहां पर पहाड़ी से सौंदर्यीकरण व ईको ट्यूरिज्म (वन खण्ड) से पूरा वन खण्ड आस्था के साथ ही नया पर्यटन केन्द्र बनकर उभरेगा।

अत: आपसे मेरा निवेदन है कि सलूम्बर से इस जनजाति क्षेत्र के आदिवासी बहुल व सभी क्षेत्रीय जन्मानस की आस्था का केन्द्र सोनार माता मय उपखण्ड क्षेत्र को उक्त परियोजना से जोड़कर इसे साकार रूप देने की दिशा में 340.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृति कराई जाकर अनुग्रहीत कराएं।

श्री अध्यक्ष: श्री जब्बर सिंह।

हुरड़ा (आसीन्द) में हिन्दुस्तान जिंक खनिज प्लांट में अनियमितता

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम-295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के हुरड़ा में हिन्दुस्तान जिंक का बहुत बड़ा एक खनिज प्लांट है, जिसमें कई तरह की अनियमितताएं बरती जा रही हैं, जिसका मलबे का बहुत बड़ा पहाड़ जैसा ढेर लगा हुआ है। जिसका क्या मापदण्ड है, नियमानुसार

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

कितनी फीट की ऊंचाई तक मलबे का ढेर होना चाहिए, ये किसी को पता नहीं हैं और वहां प्लांट के आस पास के किसानों की सारी जमीनें बेकार व बंजर हो गई हैं। आस पास में किसानों के कुए सूख गये हैं, जिससे सारे किसान बर्बाद हो गये हैं और वहां के लोकल बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार नहीं दिया जा रहा है। बाहर के लोग वहां आकर मजदूरी कर रहे हैं जबकि, आगूचा व आस पास के बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं। अगर वहां रोजगार की बात करने जाते हैं तो वहां के अधिकारियों की मनमानी व बदसलूकी तथा गुंडागर्दी करते हैं, पर्यावरण भी इतना दूषित है कि खेतों में व आस पास के जंगलों में पेड़-पौधे तक सूख गये हैं, जमीनों में फसल भी नहीं हो पाती है। पर्यावरण विभाग की गाइडलाइन के अनुसार खनिज प्लांट के आस पास कितने प्रतिशत एरिया में पेड़ पौधे लगने चाहिए, यह भी सरकार को व्यवस्था करने की जरूरत है।

(12.35 बजे)

(श्री जितेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

अत: मेरा आपसे निवेदन है कि आगूचा माइंस के लिए एक ईमानदार अधिकारियों की टीम गठित करके इसकी बारीकी से हर पहलू पर जांच करवाई जाए और वहां के बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार उपलब्ध कराया जाए, जिससे उन्हें अपने नगर में ही रोजगार मिल सके और वे राहत की सांस ले सकें तथा वहां के किसानों की जमीनें जो बेकार हो गई हैं, वे उचित दाम पर माइंस को दिलवाई जाए या किसानों को हर माह उचित मुआवजा दिलवाया जाए। अत: मेरा निवेदन है कि यह बहुत ही गम्भीर विषय है, इस ओर सरकार ध्यान दे और हिन्दुस्तान जिंक के आस पास के किसानों व बेरोजगार युवाओं व आम जनता को राहत प्रदान करने की कृपा कराएं। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्रीमती सूर्यकांता व्यास।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मैं बड़े संवेदनशील विषय पर महत्वपूर्ण इंफोर्मेशन से अवगत कराना चाहता हूं, सदन को, एक 15 साल की अबोध बच्ची के साथ माननीय सभापति महोदय, 20-20 लोगों ने उसका दैहिक शोषण किया और उसको पाशविकता के साथ, दरिंदगी के साथ 9 दिन तक माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मेरा आपसे आग्रह है कि आलरेडी सभी

(श्री सभापति)

ने देख लिया और सबने सुन लिया। माननीय सदस्य, सबने सुन लिया, आपने सबका ध्यानाकर्षण कर दिया, तशरीफ रखें। I'll not allow you. आप बैठिए, आप सीनियर आदमी हैं। क्या कर रहे हैं, बैठिए मिस्टर। यह सफीशिएंट है, आप बार-बार रिपीट करके क्या बताना चाहते हैं हाउस को? आप बैठिए, प्लीज। माननीय सूर्यकांता व्यास।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): पूरे हाड़ौती में...(व्यवधान) प्रभावशाली लोगों ने नाबालिग बच्ची के साथ, पहले सरकार से जवाब दिलवाए।

श्री सभापति: आप वैल में नहीं आएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप बैठिए, प्लीज। You're so senior. आप सीनियर हैं, आप इस तरह का बिहेवियर न करें। मेरा आपसे आग्रह है, मेरा आपके करबद्ध आग्रह है कि आप इस तरह का बिहेवियर न करें। प्लीज, सफीशिएंट है, सबने सुन लिया, आपने ध्यानाकर्षण कर दिया, प्लीज। सबने सुन लिया, आपने ध्यानाकर्षण कर दिया, अब सबने सुन लिया, वैल में आने का कोई मतलब नहीं है। अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

सदन कूप मे

(माननीय सदस्य श्री मदन दिलावर, श्री संदीप शर्मा एवं श्री प्रताप सिंह का सदन कूप में आगमन व नारे)

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): 000

श्री सभापति: यह सबने देख लिया।

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): 000

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): 000

श्री सभापति: श्रीमती सूर्यकांता व्यास बोलिए, आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): सभापति महोदय, इनको कोई नेता ही नहीं मान रहा, राठौड़ साहब को। इनके दल के लोग वैल में आ गये।

श्री सभापति: मानते हैं, मानते हैं, तभी तो बैठ गये, मंत्री महोदय।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): ये तो खुद के कारण से ही चले गये और आपका प्रभाव पड़ गया सभापति महोदय, वरना इनको कहां नेता मानते हैं।

श्री सभापति: माननीय प्लीज-प्लीज, आप सीनियर हैं, आप वरिष्ठ हैं। अब आप हाउस को आर्डर में रखें। माननीय, सीनियर लीडर बोल रही हैं, सूर्यकांता जी व्यास।

सूरसागर के सुंदर बालाजी पहाड़ी और उम्मेद सागर बांध की भूमि पर अतिक्रमण

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया नियम-295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के सुंदर बालाजी पहाड़ी और उम्मेद सागर बांध की भूमि पर षड्यंत्रपूर्वक अवैध कब्जे के क्रम में। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के सुंदर बालाजी पहाड़ी और उम्मेद सागर बांध पर षड्यंत्रपूर्वक एक समुदाय विशेष द्वारा किए जा रहे अवैध अतिक्रमण की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। मेरा निवेदन है कि:-

(1) जोधपुर शहर में श्री श्याम मनोहर मंदिर, चौपासनी, सुंदर बालाजी पहाड़ी और उम्मेद सागर की भूमि पर एक समुदाय विशेष द्वारा लगातार अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है।

(2) आप विधान सभा रिकार्ड और सरकार के प्रत्येक स्तर पर किए जा रहे मेरे पत्र व्यवहारों से अवगत हो सकते हैं कि लगातार 10 वर्ष से अधिक समय से इस विषय को उठा रही हूं। विषय उठाने पर दिखावे की कार्यवाही के नाम पर कुछ अतिक्रमण हटाए जाते हैं और फिर मिलीभगत कर वापस अतिक्रमण हो जाते हैं।

(3) ऐसा करते-करते वहां एक समुदाय विशेष ने अपनी अवैध कालोनी विकसित कर ली है। इस कारण श्री श्याम मनोहर प्रभु मंदिर की भूमि के साथ ही सिंचाई विभाग की उम्मेद सागर बांध और कैचमेंट एरिया की भूमि के साथ जन प्रसिद्ध सनसैट पाइंट और आस्था के प्रतीक सुंदर बालाजी पहाड़ी की भूमि पर भी अवैध कब्जा कर लिया गया है।

(4) मेरी मांग है कि उक्त क्षेत्र के समस्त अवैध कब्जों को अविलम्ब हटाया जाए और इसके लिए जिम्मेदार समस्त विभागों के

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

अधिकारियों और कार्मिकों पर ठोस अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।

(5) मेरी मांग है कि उक्त समस्त अवैध कब्जों को हटाकर उक्त भूमि पर मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में विकसित फूलों की घाटी और हर्बल पार्क की तर्ज पर नगरीय वनीकरण का माडल विकसित कर इसे पर्यटक आकर्षण के सनसैट पाइंट के रूप में विकसित किया जाए, ताकि वह यहां पुन: अतिक्रमण न हो सके।

श्री सभापति: माननीय श्री मेवाराम जैन।

बाड़मेर की ग्राम पंचायत लूणू खुर्द में बिजली के तारों में करंट से पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, विधान सभा संचालन प्रक्रिया के नियम-295 के तहत विशेष उल्लेख।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान अत्यन्त ही लोकहित के मुद्दे पर आकृष्ट करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के ग्राम पंचायत लूणू खुर्द तहसील बाड़मेर में दिनांक 10.03.2021 को दोपहर के 3:00 बजे मीना बानू पुत्री अला बचाया एवं लालो बानू पुत्री अला बचाया एवं हामीद पुत्र तमाची जाल के वृक्ष के नीचे खेल रहे थे। इसी वृक्ष के ऊपर से भादरेश से धोरीमन्ना जाने वाली 220 केवी की विद्युत तार निकलती है जो कि तार ढीले होने के कारण तार जाल के वृक्ष को छू रहे थे। इस कारण इस जाल में करंट फैला हुआ था और मासूम बच्चे जाल के वृक्ष के नीचे खेल रहे थे, जिसका जाल के वृक्ष को छूने से उक्त तीन बच्चों के करंट लग गया जो कि आज जोधपुर में जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। विद्युत तार जो ढीले थे, उनको सही करने को लेकर पूर्व में ग्रामीणों द्वारा विद्युत विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया था लेकिन ध्यान नहीं देने के कारण एक गरीब परिवार के ऊपर इतनी बड़ी आफत आ गई।

महोदय, यह अल्पसंख्यक परिवार बहुत ही गरीब है। जीवन यापन के लिए भी संघर्ष कर रहा है। ऐसे में इन बच्चों के उपचार के लिए भी समस्याएं आ रही हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में पीड़ित गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता दिलाकर पीड़ित परिवार को राहत प्रदान करावें।

श्री सभापति: माननीय श्री राजकुमार रोत (अनुपस्थित)। माननीय श्री गिरधारीलाल।

श्रीडूंगरगढ़ के डिफाल्टर घोषित किसान

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं नियम-295 के तहत श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में समय पर ऋण जमा करवाने के बावजूद किसानों को ओ.डी. (डिफाल्टर) घोषित करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

सभापति महोदय, श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा किसानों को सीजनल फसली ऋण दिया जा रहा है। समिति द्वारा प्रदत्त ऋण को किसानों द्वारा समय पर जमा करवाने के बावजूद भी अनेक किसानों को ओ.डी. (डिफाल्टर) घोषित कर दिया गया है जिसकी वजह से किसानों को फसली ऋण नहीं मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के देराजसर, लखासर, आडसर सहित अन्य गांवों के किसानों ने कई बार पत्र व्यवहार के माध्यम से सरकार को अपनी माल से अवगत करवाकर ओ.डी. (डिफाल्टर) खातों का निस्तारण करवाकर फसली ऋण देने की बात कही थी, किन्तु किसानों की इस मांग की तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिससे क्षेत्र के किसान परेशान हैं।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के ओ.डी. (डिफाल्टर) किसानों के खातों का निस्तारण कर किसानों को फसली ऋण का लाभ प्रदान करने की कृपा करें।

श्री सभापति: माननीय श्री अर्जुन लाल जीनगर।

कपासन की क्षतिग्रस्त सड़कें

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम-295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

माननीय सभापति महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों की स्वीकृति 2017-18 में की गई थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा टेंडर निकालकर वर्क आर्डर भी ठेकेदारों को जारी कर दिए गए और ठेकेदारों द्वारा कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया लेकिन सरकार बदलने से सड़कों के काम रोक दिए गए।

वर्ष 2017-18 में स्वीकृत ग्रामीण गौरव पथ तथा ग्रामीण गौरव पथ

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

के विरुद्ध मिसिंग लिंक सड़कें जिनके नाम हैं - राशमी श्मशान घाट सड़क, मेन रोड से मंदिर तक रूपाखेड़ी, आडा रास्ते से छोटा देवना, चारभुजा मंदिर, सुथारों की कथोड़, स्वामी के मकान से माताजी और गोदाम होते हुए आधे रास्ते तक बनाकिया कला, बस स्टैण्ड पर नारायण जनवा के मकान से जाट मौहल्ला, चारभुजा मंदिर, तेली मौहल्ला, लक्ष्मण मंदिर से मेनारिया समाज के नोहरे तक करजाली, बस स्टैण्ड से नारायण जी गाडरी तक उमण्ड, उच्च माध्यमिक विद्यालय से सुथार मौहल्ला, श्री चारभुजा मंदिर से श्री हनुमान मंदिर से श्री शनि महाराज रोड तक उचनार खुर्द, पंचायत भवन के गाडरी मौहल्ला, ब्रहमपुरी मौहल्ला फलासिया, भील बस्ती, चौधरी मौहल्ला, राजपूत मौहल्ला, ब्राहमण मौहल्ला से उच्च माध्यमिक विद्यालय तक, गुल्दली, पुरानी चौकी पहुंना से पुराना रास्ता राशमी पहुंना, डिण्डोली से चावण्डा माताजी डिण्डोली, पावली रोड से नारायणपुरा पावली, लालपुरा चौराहा से मान्यास रोड साखली, कानपुरी जी के मकान से तेजाजी सीसी रोड भीमगढ़, गोपी जी गर्ग के मकान से पंचायत भवन रामदेवजी सीसी रोड अडाना, करूकडा से नई आबादी हमीरपुरा बस्ती करूकडा, चाकुडा से रणवो का खेडा चाकुडा, बाईपास रोड दामाखेडा, तुर्किया खुर्द से चित्तौड़िया रोड, सुथारिया खेडा से केसर खेडी सड़क स्वीकृत करके टेंडर निकालकर ठेकेदारों को वर्क आर्डर देने के बाद कार्य प्रारम्भ हो गया लेकिन सरकार बदलने से कार्य बंद कर दिए गए हैं। उपरोक्त सभी सड़कों के कार्य अधूरे पड़े होने से लोगों को आने-जाने में भारी परेशानी आ रही है।

अतः मेरा आपसे निवेदन है कि उपरोक्त सभी स्वीकृत सड़कों का कार्य अविलम्ब प्रारम्भ कर लोगों को राहत दिलवाने की कृपा करें।

श्री सभापति: माननीय श्री मदन प्रजापत।

मरुस्थलीय क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली हेतु अतिरिक्त बजट आबंटन

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य तथा प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम-295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहता हूं कि दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर को विद्युत देने के उद्देश्य से दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति एवं सौभाग्या योजना के तहत कल्याणपुर एवं बालोतरा की 53 ग्राम

(श्री मदन प्रजापत)

पंचायतों में 2017 में किए गए सर्वे के अनुसार 10024 घरों को विद्युतीकरण हेतु चिन्हित किया गया था, जिनमें से 8048 अब तक दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों एवं जरूरतमंदों को बिजली से जोड़ दिया गया है। लगभग 1002 नए मकानों की बसावट और बढ़ गई है। इस प्रकार वर्तमान में 2978 घर अभी ऐसे हैं जो विद्युतीकरण से वंचित हैं। इन वंचित लोगों को लाभान्वित करने के लिए 11 किलोवाट के 3100, एलटी के 6100 पोल व 430 ट्रांसफार्मर्स की आवश्यकता होगी। इस हेतु लगभग 9 करोड़ रुपये की राशि की और आवश्यकता होगी।

मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी एवं माननीय ऊर्जा मंत्री जी से आग्रह है कि देश की आजादी के बाद भौगोलिक विषम परिस्थितियों में जीवन-यापन करने वाले मरुस्थलीय क्षेत्र के इन गरीब लोगों के घर बिजली पहुंचाने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 मैं 9 करोड़ रुपये का उक्त योजना हेतु बजट प्रावधान कर अनुग्रहीत कराएं, ताकि वंचितों को उनका हक मिल सके।

श्री सभापति: श्री धर्मनारायण जोशी।

मावली में पेयजल समस्या

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत पंचायतों में भीषण पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में निवेदन है कि मावली विधान सभा क्षेत्र में पेयजल का भीषण संकट है। अभी ग्रीष्म ऋतु का प्रारम्भ है और जल संकट गहरा गया है। क्षेत्र के शरताणा, जेवाणा, फलीचड़ा, बडियार, मोरठ, लदानी, आमली, थामला, पलाना कला, पलाना खुर्द, भादवा, बापेर गांवों सहित पूरी तहसील के अधिकांश गांवों में पानी की समस्या से नागरिक त्रस्त हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि क्षेत्र के लिये आपात जल योजना बने। क्षेत्र में टेंकरों से जलापूर्ति प्रारम्भ की जाए और जहां ट्यूबवैल व हैंडपम्प आवश्यक हैं, तुरन्त खोदे जाएं। मावली तहसील में पेयजल समस्या के समाधान की दीर्घकालिक योजना बनाई जाये।

मेरा सरकार से निवेदन है कि बागोलिया बांध को उदयसागर से भरने के लिये डीपीआर बन चुकी है। राज्य सरकार बागोलिया बांध को भरने की डीपीआर को वित्तीय स्वीकृति दें या स्वीकृति के लिये केन्द्र सरकार को अग्रेषित करें जिससे क्षेत्र में समस्या का स्थाई समाधान हो सके।

श्री सभापति: श्री सुरेश टाक।

किशनगढ़ के श्रम निरीक्षक कार्यालय का क्रमोन्नयन

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): सभापति महोदय, श्रम निरीक्षक कार्यालय को श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में किशनगढ़ स्थित श्रम निरीक्षक कार्यालय में विश्व स्तरीय मार्बल मण्डी, पावरलूम, हैण्डीक्राफ्ट, लकड़ी, लोहे, हस्तकला एवं निर्माण कार्य में असंगठित रूप से मजदूरी करने वाले लगभग 40 हजार से अधिक श्रमिक पंजीकृत हैं जो जिले में सर्वाधिक श्रमिक संख्या है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में निर्माण कार्य से सम्बन्धित पंजीकृत मजदूरों के अलावा अन्य क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या लगभग एक लाख है, जो किसी भी उपखण्ड में सबसे ज्यादा है, परन्तु किशनगढ़ में श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय नहीं होने से श्रमिकों की छोटी-छोटी समस्याओं के निराकरण हेतु अपना पूरे दिन का रोजगार छोड़कर अजमेर जाना पड़ता है। वर्तमान में किशनगढ़ में श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय के अभाव में श्रम विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के आवेदन अजमेर मुख्यालय पर स्थित श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय में लम्बित हैं जिनमें निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना में 980, प्रसूति योजना में 24, सामान्य दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता के 36, श्रमिकों के बच्चों की छात्रवृत्ति के एक हजार तथा नवीन श्रमिकों के 300 आवेदन लम्बित हैं। इसके अलावा जिन योजनाओं में अभी रोक है, उनमें भी काफी समय पूर्व से कई आवेदन लम्बित हैं, जैसे शुभशक्ति योजना में 1419 व श्रमिक सुलभ्य आवास योजना में भी 22 आवेदन लम्बित हैं। इसके अलावा श्रमिक डायरी और श्रमिक के खाते में एंट्री में त्रुटि ठीक कराने के लिए श्रमिकों को अजमेर जाना पड़ता है। साथ ही गेगल, खोड़ा गणेश, अरांई तथा किशनगढ़ के रीको औद्योगिक क्षेत्र के लाखों श्रमिकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का भी पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। यदि किशनगढ़ में वर्तमान श्रम निरीक्षक कार्यालय को श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय में क्रमोन्नत किया जाता है तो यह पैंडेंसी भी नहीं रहेगी एवं विभिन्न योजनान्तर्गत आवेदन करने वाले श्रमिकों को भी त्वरित लाभ मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त श्रमिकों को बार-बार अजमेर के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे।

(श्री सुरेश टाक)

अतः इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं माननीय श्रम मंत्री महोदय से निवेदन करता हू कि मजदूरों के हितों को मद्देनजर रखते हुए किशनगढ़ में स्थित श्रम निरीक्षक कार्यालय को श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय में क्रमोन्नत करवाने की स्वीकृति प्रदान करवाकर किशनगढ़ में पंजीकृत श्रमिकों को लाभान्वित करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अमर सिंह।

कक्षा पांच तक स्कूल मर्ज किये जाने से शिक्षा से वंचित विद्यार्थी

श्री अमर सिंह (बयाना): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य तथा प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन है कि पिछली सरकार द्वारा कक्षा पांच तक के स्कूलों के मर्ज करने के कारण अधिकांश पहाड़ी क्षेत्र के कक्षा पांच तक के विद्यार्थी स्कूलों तक नहीं जा पा रहे हैं और वह शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम पहाड़ी क्षेत्रों में जहां आवागमन की सुविधा कम है वहां पर जो कक्षा पांच तक स्कूल मर्ज किये गये हैं उन्हें पुन: संचालित किया जाए।

ग्रामीण इलाकों में बने स्कूलों में पढ़ने वाली बेटियों के लिये कोई भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है, वहां शौचालय का निर्माण कराया जाए।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरी माननीय मंत्री महोदय से मांग है कि विधान सभा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसई, ब्रहमवाद, सिंघाड़ा, खान सुरजापुर, श्रीनगर रूंध रूपवास एवं इब्राहिमपुर में विज्ञान संकाय तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिंनिया तथा बंशी पहाड़पुर में कृषि विज्ञान और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय औंडेलगद्दी एवं दौरदा में कला संकाय खोला जाए।

राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामपुरा, बाजना, झटोला, नगला भांड, गदैखार, नगला जाटवान, कंजौली, खोहरी, ककलपुरा, सैमरामाफी, नरीपुरा, नाथपुरा, गुर्जर नगला, नगला देविया एवं बाईखेडा को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नगला होता, भगोरी, एतमादपुर, धरैरी, पुराहरलाल, दर्र बराहना, नगला छैला, बंगसपुरा, लखनपुर, जरीला, पांडुरी, खेरिया विल्लोच, बरबार, ऐलऊ, रसीलपुर एवं वस्त्रावली को माध्यमिक तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालय बौसोली, मैरथा एवं मदनपुर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री वाजिब अली।

मेव जाति को पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का लाभ

श्री वाजिब अली (नगर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मेव जाति मुख्य रूप से अलवर और भरतपुर के कुछ क्षेत्र में निवास करती है। मेव जाति शिक्षा, रोजगार, मूलभूत सुविधाएं और अन्य संसाधनों के स्तर पर बहुत ही पिछड़ी हुई है। इनका मुख्य रूप से कार्य खेती और पशुपालन है। मेवात में भौगोलिक स्थिति आज ऐसी है कि खेती और पशुपालन करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। इस वजह से ये जाति आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़ती जा रही है। ऐसी ही स्थिति मुस्लिम, लुहार, सकका, मिरासी, मियां, कुरेसी, गद्दी और कई छोटी-छोटी जातियां की भी हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेव व ये अन्य जातियों का सर्वे करवाएं और इन शोषित पीड़ित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिये एमबीसी/एसबीएसी में शामिल कर इसको 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत आरक्षण कर दिया जाये।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

केशोरायपाटन में खराब हैण्डपम्प व नलकूपों की मरम्मत

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, केशोरायपाटन बूंदी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था सुचारु करने हेतु प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि केशोरायपाटन बूंदी विधान सभा क्षेत्र में स्थित नगरपालिका क्षेत्र केशोरायपाटन, कापरेन, लाखेरी व इन्दरगढ़ सहित अनेकों गांव व ढाणियों में शुद्ध पीने के पानी की बहुत ही ज्यादा समस्या है। ग्राम पंचायतों, नगरपालिकाओं व जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थापित अधिकांश जनता जल योजना की सप्लाई हैंडपम्प, ट्यूबवैल सहित पाइपलाइनें काफी समय से खराब पड़ी हैं। इनको ठीक कराने हेतु शहर व ग्रामीण क्षेत्र की जनता प्रतिदिन कार्यालयों के चक्कर लगा-लगाकर परेशान हो चुकी है। साथ ही स्थापित आरओ प्लांट भी खराब पड़े हैं या सही रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। कई-कई महीनों तक विभाग इनकी कोई सुध नहीं लेता। अनेक गांवों में पानी में फ्लोराइड बहुत अधिक मात्रा में है जिसका भी कोई स्थाई समाधान करने में विभाग विफल है। क्षेत्रीय जनता रबी व खरीफ की फसलों के समय

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

सिंचाई विभाग द्वारा कृषि कार्य हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले नहरों के सीपेज से नालों व खालों में बहकर आने वाले पानी को पीने के लिये मजबूर होना पड़ता है। गर्मी का मौसम आने से पहले ही सभी नहरें, तालाब, पोखर आदि सूख जाने के कारण आने वाले दिनों में पानी के बिना जीवन व्यतीत करना भी मुश्किल हो जाता है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगरपालिकाओं व ग्राम पंचायतों में हैंडपम्प मिस्त्री व रिपेयर का उचित बजट समय पर उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त समस्याओं का समाधान समय पर नहीं हो पाता है। साथ ही पेयजल हेतु टीएफसी व एसएफसी फंड में प्राप्त राशि को उक्त संस्थाएं अन्य कार्यों में खर्च कर देती है जिस पर भी रोक लगाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

(13.00 बजे)

अत: मेरा विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि सम्पूर्ण विधान सभा क्षेत्र का सर्वे करवाकर क्षेत्रीय जनता को शुद्ध पेयजल प्रतिदिन उचित आवश्यकतानुसार मात्रा में उपलब्ध कराने, खराब पड़े जनता जल योजना की सप्लाई, हैंडपम्प, ट्यूबवैल सहित पाइपलाइनों को निश्चित समय में योजनाबद्ध तरीके से ठीक कराने व बजट उपलब्ध कराने के आदेश विभाग को प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद।

(13.00 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेश सिंह रावत।

रावत जाति के लोगों को अनुसूचित जन जाति के समान आरक्षण का लाभ

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख-रावत जाति (सभी गौत्र) को प्रदेश में एक समान एसटी आरक्षण में सम्मिलित करने बाबत।

उक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान के जहाजपुर, भीण्डर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिले में बसने वाले रावत जाति के लोग एसटी (अनुसूचित जाति) आरक्षण में सम्मिलित हैं, जो कि अजमेर क्षेत्र के हमारे गौत्रों से ही हैं एवं रावत मीणा के नाम से जाने जाते हैं जबकि अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा एवं पाली जिले में बसने वाले रावत समाज की सभी गौत्रों को अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है जबकि यहां की भौगोलिक स्थिति भयावह है, जमीनें नहीं हैं, पर्याप्त पानी

(श्री सुरेश सिंह रावत)

का अभाव, 20 वर्षों में एक बार तालाब भरते हैं अर्थात् न्यून बरसात होती है। इस क्षेत्र में पहाड़ी होने के कारण कल कारखाने एवं औद्योगिक क्षेत्र नहीं होने से बड़े-बड़े शहरों में जाकर रात-दिन पत्थर पीसने फैक्ट्रियों में काम करने को मजबूर हैं। इन फैक्ट्रियों में वही व्यक्ति काम करता है, जिसके पास रोजगार का कोई और साधन नहीं हो और अपनी जीविका चलाना मुश्किल हो रहा हो। इससे प्रदेश में बसने वाली एक ही जाति के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है।

इन चार जिलों में बसने वाली रावत जाति के आरक्षण से वंचित सभी गौत्र की महिलाएं, पुरुष पत्थर पीसने की फैक्ट्रियों में रात भर मजदूरी करते हुए जीवन यापन कर रहे हैं। अब आप हिसाब लगा सकते हैं, इनसे गरीब कौनसी जाति हो सकती है? आप चाहें तो जांच कमेटी भेजकर सर्वे करा सकते हैं। मेरी बात गलत निकलती है तो आप जो सज़ा देंगे, मैं उसे भुगतने को तैयार हूं। कृपया न्याय करायें। सभी गौत्र बीपीएल के समकक्ष ही हैं।

अत: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि हम आपसे रावत जाति के लिए कोई अलग से आरक्षण नहीं मांग रहे हैं। हम लोग भी राजस्थान में ही रहते हैं और आरक्षण कोई जिले-वाइज नहीं है। जब जहाजपुर, भीण्डर, चित्तौड़गढ़ जिले के रावत समाज के गौत्र को वर्षों से आरक्षण मिल रहा है। ये लोग भी ब्यावर क्षेत्र के मांगट जी महाराज के बड़ाखेड़ा से निकले हुए हैं, जो मोठिस हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जहाजपुर से गोपीचन्द मीणा विधायक महोदय, पूर्व विधायक शिवजीराम मीणा, बांसवाड़ा से धन सिंह रावत पूर्व सांसद, ये लोग हमारे गौत्र से रावत हैं। आज भी हर वर्ष जुलाई महीने में मांगट जी महाराज के मेले में बड़ाखेड़ा ब्यावर में, जहाजपुर, भीण्डर, चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद से लाखों की संख्या में, मांगट जी का मेला भरता है। हम सभी यहीं से निकले हुए हैं। हमारे लोकदेवता भी एक ही हैं।

अत: आपसे निवेदन है कि अजमेर, राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा जिले में बसने वाली रावत जाति के सभी गौत्र के लोगों को जो अपना शपथ-पत्र एसटी प्रमाण पत्र हेतु देता है, उसके लिए चारों जिले के कलेक्टर को आदेश निकालकर पाबंद कराएं कि जो रावत एसटी प्रमाण-पत्र लेने हेतु आपके पास शपथ-पत्र देता है, उसे आप एसटी का प्रमाण-पत्र जारी कराने का आदेश कराएं। पुन: निवेदन करता हूं कि हमारी रावत जाति आपसे कोई प्रकार का अलग से आरक्षण नहीं मांग रही है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपी चन्द मीणा।

जहाजपुर की ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना में हो रहे भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जांच

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में राजनैतिक द्वेषता से मेरे विधायक कोष के स्वीकृत कार्य को कार्यवाहक सचिव ग्राम पंचायत गाडोली के द्वारा रोका जा रहा है। स्थानीय आमजन व सरपंच ग्राम पंचायत की बिना सहमति के नरेगा के कार्य चलाये जा रहे हैं। सचिव विगत 5-6 माह से ग्राम पंचायत में नहीं आकर बाहर से ही कार्य कर रहा है। इसी तरह ग्राम पंचायत खजूरी में विधायक कोष के निर्माण कार्य भी नहीं चलाये जा रहे हैं। पंचायत समिति कार्यवाहक विकास अधिकारी संजय मोदी की भी भ्रष्टाचार की विभागीय जांचें चल रही हैं। लंबे समय से जहाजपुर पंचायत समिति में कार्यरत हैं। कार्यवाहक विकास अधिकारी संजय मोदी द्वारा नरेगा योजना में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ग्राम पंचायत पण्डेर में सचिव व सरपंच व कनिष्ठ अभियंता श्री चंद्र शेखर शर्मा द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कनिष्ठ अभियंता स्थानीय पंचायत का निवासी है। इनके द्वारा जेसीबी मशीन नरेगा योजना में उपयोग में ली जा रही है। इसी तरह ग्राम पंचायत बिसनिया पंचायत समिति कोटड़ी में सचिव व कनिष्ठ अभियंता व वर्तमान सरपंच द्वारा भी नरेगा कार्य में भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जेसीबी मशीन उपयोग में ली जा रही है। पूर्व में सरकारी कर्मचारियों द्वारा फर्जी हाजरियां भरकर नरेगा में भुगतान उठाया गया। गाडोली ग्राम पंचायत में संजय मोदी के द्वारा सरपंच की उपेक्षा कर मनमर्जी से मस्टररोल जारी किया जा रहा है। इस संबंध में मेरे द्वारा बार-बार पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया गया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

अत: मेरा आपसे निवेदन है कि सचिव व अधिकारियों के खिलाफ उच्चस्तरीय जांच की जाए एवं कार्यवाही करते हुए आमजन को राहत दिलाने की कृपा करें, जिससे मेहनतकश लोगों को न्याय मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जे.पी. चन्देलिया।

चिड़ावा में संचालित गुरु हनुमान व्यायाम संस्थान की आबंटित भूमि पर खेल स्टेडियम का निर्माण

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन है कि अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्वर्गीय गुरु हनुमान मेरे विधान सभा क्षेत्र के ही थे और जिनके नाम से दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की गुरु व्यायाम शाला चलती है और कुश्ती का अन्तरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण वहां दिया जाता है। इसी केन्द्र से निम्नलिखित अन्तरराष्ट्रीय स्तर के पहलवान, जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया, निकले हैं:-

(1) सतपाल (2) करतारसिंह (3) जगमिंदर (4) सुरेश कुमार (5) सुशील कुमार।

ख्यातिनाम स्व. गुरु हनुमान जी के नाम से मेरे विधान सभा क्षेत्र में चिड़ावा में एक गुरु हनुमान व्यायाम संस्थान वर्ष 1985-86 से एक पंजीकृत संस्थान के रूप में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है। इस संस्थान के द्वारा कई बार राज्यस्तरीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करवायी जा चुकी हैं और आज भी लगभग 150 छात्र-खिलाड़ी अभ्यास के लिए सुबह-शाम इस संस्थान में आते हैं। इस संस्था के पास राज्य सरकार से आबंटित लगभग 10 बीघा भूमि उपलब्ध है, जिसके चारों ओर बाउण्ड्री बनी हुई है तथा सांसद तथा विधायक कोष से कुछ कार्य हुआ भी है तथा राज्य सरकार से आबंटित फंड से कुछ अन्य काम भी हुए हैं।

मैं निवेदन करता हूं कि इस संस्था में जो कि उपखंड स्तर पर है तथा ब्लाक स्तर पर स्थित है, में राज्य सरकार की नीति के अनुसार एक खेल स्टेडियम का निर्माण करवाया जाए, जिससे चिड़ावा उपखण्ड व तहसील तथा ब्लाक मुख्यालय तथा आसपास के अनेक गांवों के युवा लोग इसका लाभ उठा सकें। उल्लेखनीय है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के, विशेष रूप से इस क्षेत्र के अनेक युवक राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं और न केवल झुंझुनूं जिले, बल्कि राजस्थान का नाम भी रोशन किया है।

मैं निवेदन करता हूं कि इस स्व गुरु हनुमान व्यायाम संस्थान, चिड़ावा की 10 बीघा भूमि, जो कि राज्य सरकार से ही आबंटित है और खेल स्टेडियम बनाने के लिए उपलब्ध है, किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं है, में खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा करें जिससे न केवल कुश्ती बल्कि अन्य खेलों के खिलाड़ियों को भी लाभ मिले जिससे ताकि झुंझुनूं जिला, राजस्थान राज्य

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

व हमारे देश का नाम ऊंचा करने की क्षमता रखने वाले स्थानीय खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिले। साथ ही, यह भी निवेदन करता हूं कि इस बात पर भी विचार किया जाए कि यह संस्थान जो कि पद्मश्री गुरु हनुमान द्रोणाचार्य के नाम पर है, इसे एक कुश्ती और खेल एकेडमी के रूप में विकसित किया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री सुमित गोदारा।

लूणकरणसर तहसील में शेखरसर 132 के वी जी एस एस पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद आपका। विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। निवेदन है कि लूणकरणसर तहसील में दो 132 केवी जीएसएस हैं, लूणकरणसर और शेखरसर। शेखरसर 132 केवी जीएसएस पीपीपी मोड पर कार्यरत है। पिछले एक साल से यहां पर वोल्टेज की भयंकर समस्या है। किसानों को बिजली नहीं मिलने से किसानों की फसलें खराब हो चुकी हैं। पूर्ण वोल्टेज नहीं मिलने के कारण गांव में पीएचईडी के ट्यूबवैल भी नहीं चल पा रहे हैं। इसके कारण गांवों में भयंकर पेयजल की किल्लत है। घरेलू बिजली भी पूरी नहीं मिल रही है, जिससे ग्रामवासी कहते हैं बल्ब, पंखे सिर्फ हमें चिढ़ाने के लिए ही चलते हैं। शेखरसर जीएसएस पर अतिरिक्त 20/25 एमवीए का ट्रांसफार्मर लगाने की महती आवश्यकता का प्रस्ताव विभाग और पीपीपी मोड पर संचालन करने वाले संवेदक दोनों के बीच फुटबाल बना हुआ है। किसान और क्षेत्रवासी इसकी किक रोज खा रहे हैं।

अत: मेरा आपसे निवेदन है कि शेखरसर 132 जीएसएस पर 20/25 एमवीए का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाकर किसानों के लिए कार्य करके किसानों और ग्रामीणों के हितैषी होने का राज्य सरकार प्रमाण दें। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, नियम 131, श्री संयम लोढ़ा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

कोटा में के ई डी एल कंपनी द्वारा प्रस्तुत स्ट्रीट लाइट के गलत बिलों पर दर्ज अभियोग

(श्री संयम लोढ़ा)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन व प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत नगर निगम, कोटा द्वारा अनियमितता बरतते हुए कोटा शहर में स्ट्रीट लाइट के केईडीएल द्वारा प्रस्तुत गलत बिलों को स्वीकृत किए जाने के संबंध में दर्ज एफ.आई.आर. पर कार्यवाही करने हेतु माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य संयम जी लोढ़ा ने 131 के तहत ये मामला उठाया है। उसके बारे में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा में विद्युत वितरण व संचालन की व्यवस्था वर्ष 2016-17 से चालू हुई थी और कंपनी थी केईडीएल। दिनांक 16/01/2020 को अधीक्षण अभियंता, नगर निगम, कोटा ने थाना किशोरपुरा में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। प्राथमिक सूचना जो दर्ज करवायी गयी, उसमें यह दर्ज करवाया गया कि जितना बिल हमारा आना चाहिए था, उस तरीक से वह बिल न आकर फर्जी बिल देकर हमसे ज्यादा पेमेंट उठाया है। कुल मिलाकर इसका सार ये है। केईडीएल के द्वारा नगर निगम, कोटा क्षेत्र की विभिन्न सड़कों पर लगाई गयी रोड लाइट एवं नगर निगम, कोटा द्वारा आवेदित तत्संबंधी विद्युत संबंधों के वास्तविक उपयोग के लिए प्रभारित विद्युत शुल्क का भुगतान नगर निगम, कोटा के द्वारा अरबन सैस से किया जाता है। केईडीएल द्वारा उक्त संविदा की शर्तों के उल्लंघन में जान बूझकर कपटपूर्ण नीति से गलत एवं छद्म विद्युत प्रभार को परिगणित करते हुए वास्तविक उपभोग से अधिक विद्युत प्रभार का बिल बनाया गया एवं अरबन सैस मद से आमजन की राशि को दोषपूर्ण रूप से प्राप्त करने का प्रयास किया गया।

उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण 17/20 धारा 418, 420, 468, 471, 120बी भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना, किशोरपुरा, कोटा शहर में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अब तक के अनुसंधान से संक्षिप्त में केईडीएल कंपनी के द्वारा विद्युत बिलों में अनियमितता करना, बिना कोई आवेदन प्राप्त किये स्वेच्छा से ही अतिरिक्त विद्युत मीटर या कनेक्शन लगाया जाना, मीटर में आयी हुई रीडिंग से भिन्न औसत के आधार पर मनमर्जी का बिल बनाकर भुगतान के लिए नगर निगम को भेजना, रोड लाइट के कनेक्शनों में से आवासीय कालोनी को विद्युत तार से जोड़ने में सहायता करना, सभी बिलों

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

में मनमर्जी से अधिक रीडिंग बढ़ाकर नगर निगम, कोटा एवं नगर विकास न्यास, कोटा के साथ धोखाधड़ी एवं छलपूर्वक तथ्यों को छिपाते हुए दोषपूर्ण विद्युत संरचनाएं बनाकर उपकरणों के साथ छेड़छाड़ करना व विभिन्न मीटर के विद्युत बिल वास्तविक रीडिंग से न देकर के बिना किसी तकनीकी आधार पर (प्रोविजनल) औसत के आधार पर फर्जी तरीके से राजकीय धनराशि केईडीएल कंपनी द्वारा नगर निगम, कोटा से उठाने का प्रयास किया गया है।

सभी बिल सीईओ मुकेश गर्ग के हस्ताक्षर से जारी हुए हैं। उक्त बिलों में हुई अनियमितता के संबंध में आरोपीगण 1. मुकेश गर्ग, चीफ आपरेटिंग आफिसर, केईडीएल, 2. रविशंकर शुक्ला, कामर्शियल हैड, केईडीएल व 3. भानू प्रकाश मिश्रा, हैड मीटरिंग विभाग, केईडीएल के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या धारा 418, 420, 465, 468 आईपीसी का अपराध प्रमाणित है। अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाएगी। केईडीएल कंपनी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान, जयपुर में एसबी क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन संख्या 513/2020 में पारित आदेश 27.02.2020 एवं एसबी क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन संख्या 5400/2020 में पारित आदेश के अनुसार 12.11.2020 में, In the meantime, police would be free to continue with the investigation. However, no coercive action shall be taken against the petitioner, यह एक आर्डर हाई कोर्ट के द्वारा प्रसारित कर दिया गया। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध कार्यवाही पर रोक लगायी गयी है तथा अनुसंधान जारी रखने का आदेश भी जारी किया गया है। माननीय न्यायालय के द्वारा तारीख 02.04.2021 नियत की गयी है।

सरकार की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में अविलम्ब सुनवाई के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा अपील दायर की गयी थी। जैसे ही राजस्थान उच्च न्यायालय से केईडीएल के विरुद्ध स्टे हटेगा, पुलिस द्वारा अविलम्ब केईडीएल के विरुद्ध चालान पेश किया जाएगा व केईडीएल के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। चूंकि तफ्तीश पूरी हो चुकी है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, इस एफ.आई.आर. पर 13 महीने पहले कोर्ट ने स्टे किया। आपके वकील साहब 13 महीने से क्या कर रहे हैं? आप इस पूरे प्रकरण में चालान कब तक करेंगे? अब 2019 में

(श्री संयम लोढ़ा)

कलेक्टर, कोटा ने आपको लिख दिया कि ये विधिक प्रक्रिया का वीसीआर बनाने में पालन नहीं कर रहा है। आपकी नगर निगम ने जयपुर डिस्काम को लिख दिया 2019 में ही, 2019 में कलेक्टर ने लिखा और 2019 में ही नगर निगम ने लिख दिया। अब जिन लोगों के पैसे, नागरिकों के पैसे वसूल किये, निगम का पैसा ज्यादा वसूल करना तो अलग है, बड़ी संख्या में नागरिकों के पैसे ही वसूल किये, वह पैसे वापस लौटाने की कोई कार्यवाही नहीं हुई। आप बता दें, कोई कंपनी सरकार से भारी पड़ रही है, क्या बात है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): तीन सवाल आपने उठाए। एक तो वीसीआर की बात की आपने, वीसीआर के बाबत पहले भी लिखा जा चुका है बिजली कंपनियों को कि इस-इस तरीके की गड़बड़ की जा रही है। आप जाकर जांच कमेटी बैठाओ। एक बार उनकी जांच कमेटी आई भी सही वहां पर, लेकिन वापस लौटकर उसने क्या रिपोर्ट दी, क्या रिपोर्ट नहीं दी? उसका एलएसजी को उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

दूसरी बात यह है कि, जहां तक आपने कहा कि 12-13 महीने हो गये और हाई कोर्ट का स्टे आपने वैकेट नहीं करवाया। अब हमने वहां पर एएजी के बजाय एजी साहब से रिक्वेस्ट की है कि वह जाकर इस तारीख पर स्टे को वैकेट करवाएं। तीसरी बात, यह है कि अभी जो तफ्तीश पूरी की गयी है और जो चालान तैयार कर लिया गया है, वह चालान तो तैयार कर लिया गया है, लेकिन अदालत में इसलिए पेश नहीं किया जा रहा है क्योंकि कोर्ट का नो कोअरसिव एक्शन, इसके लिए जो ये आदेश दे दिया गया है, इसमें चालान पेश करना भी मना होता है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नागरिकों से जो गलत वसूली हुई है आप कह रहे हैं कि हमने जयपुर डिस्काम को लिख दिया। जयपुर डिस्काम जवाब नहीं दे रही है तो मैंने सारे तथ्य आपको लिखे हैं और जवाब सरकार से मांग रहा हूं। आप सरकार हैं। जयपुर डिस्काम भी आप ही के पास है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): निश्चित तौर पर आप जो बात कह रहे हैं, मैं भी उससे एग्री करता हूं कि जिन लोगों के साथ गलत तरीके से जिनकी वीसीआर भरी गयी

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

है और जिनको लूटा गया है, वे एक ही नहीं हैं, हजारों की तादाद में केसेज हैं। लेकिन अब उसके ऊपर, वह तो बिजली कम्पनी को ही काम करना है, हमें तो काम नहीं करना। हमने तो जो कमप्लेंट थी वह बिजली कम्पनी को दे दी। बिजली कम्पनी ने एक बार वहां टीम भी भेजी, टीम भेजने के बाद रिपोर्ट तैयार की, उसकी नकल भी हमें नहीं दी तो फिर आखिरी में क्या हुआ, इसलिए नगर निगम को, वहां के नगर विकास न्यास को किशोरपुरा थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ी और यह पुलिस का केस बनवाना पड़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, नागरिकों की रक्षा कौन करेगा?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सरकार अगर इस तरह लाचारी दिखाएगी कि जयपुर डिस्काम हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। माननीय मंत्री जी। आप बैठें। खाली इसमें यह आश्वासन दें कि इसमें पैरवी करके कितना जल्दी इसको एक्सपीडाइट करने की कोशिश करेंगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पहले AAG इसमें खड़े होते थे, लेकिन अब एडवोकेट जनरल को खड़ा करने के लिए हमने निवेदन कर दिया है। इसकी नियत तारीख 02.04.2021 है। जब तक इंतजार कीजिए, शायद कोई अच्छी खबर आपको मिल जाए।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: आप बैठें प्लीज। अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: आप बैठें। 131, श्री ज्ञानचंद पारख।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: आप प्लीज बैठें। अंकित नहीं होगा। I will not allow, Mr. Lodha, प्लीज बैठें। अंकित नहीं होगा। प्लीज बैठें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: प्लीज बैठें। ज्ञानचंद पारख।

पाली में औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण के रोकथाम की नयी तकनीक व नयी इकाई स्थापित करने की अनुमति

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): मैं माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने नियम 131 के तहत पाली शहर में उद्योग के बारे में ध्यान आकर्षण किया है।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.5 दिनांक 08.06.2017 द्वारा टैक्सटाइल क्लस्टर पाली, बालोतरा, जोधपुर स्थित 100 केएलडी से अधिक उच्छिष्ठ जनित करने वाले टैक्सटाइल उद्योगों को स्वयं का ईटीपी लगाकर संचालित करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये थे।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 14 दिनांक 10.02.2021 द्वारा, उक्त आदेश दिनांक 08.06.2017 का आंशिक संशोधन करते हुए टैक्सटाइल क्लस्टर पाली, बालोतरा, जासोल, बिठूजा एवं जोधपुर स्थित सभी टैक्सटाइल उद्योगों को स्वयं का ईटीपी लगाकर संचालित करने हेतु दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं जिसके अंतर्गत कोई भी टैक्सटाइल उद्योग अपना ईटीपी (जेड.एल.डी.) लगाकर संचालित किया जा सकता है।

उपरोक्त आदेश दिनांक 08.06.2017 एवं संशोधित आदेश दिनांक 10.02.2021 के तहत पाली एवं अन्य टैक्सटाइल क्लस्टर के अन्दर जो भी उद्यमी ईटीपी (जेड.एल.डी.) लगाकर अतिरिक्त मशीन लगाने, पुरानी तकनीक की मशीनों के स्थान पर नई तकनीक की मशीनों को लगाने एवं औद्योगिक क्षेत्र में ही नई इकाई स्थापित करने हेतु आवेदन करते हैं, उनको राज्य मण्डल के नियमानुसार सम्मति प्रदान की जा सकती है।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय मंत्री महोदय, एक तो मेरा आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, वर्षों से यह पैंडिंग काम था, आपने कर दिया। मेरे दो निवेदन रहेंगे। जैसे भीलवाड़ा में आपने एग्रीकल्चर लैंड में इंडस्ट्रियल

(श्री ज्ञानचंद पारख)

कंवर्जन करने के साथ, ईटीपी (जेड.एल.डी.) शर्त पर इंडस्ट्री लगाने की छूट दी। आपने वहां संचालन सम्मति भी दी है। पाली में भी आप ऐसी छूट देंगे क्या? पहले भीलवाड़ा में थी, अब आपने चित्तौड़ में भी दी, तो उससे भी काफी सारी टैक्सटाइल इकाई लग जाएंगी।

मेरा दूसरा आग्रह है कि मार्केट अलग-अलग होता है। कभी कोई क्वालिटी बिकती है, कभी कोई क्वालिटी बिकती है। अलग-अलग समय में, अलग-अलग क्वालिटी बिकती है। अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग क्वालिटी मिलती है। सारा व्यापार अलग-अलग समय होता है। जैसे किसी ने 500 केएलडी का ईटीपी लगा दिया, आप अनुमति देते हैं 500 केएलडी की मशीनें लगाने की, पर सारी मशीनें कभी एक साथ काम नहीं आतीं। कभी कोई मशीन काम आती है, कभी कोई मशीन काम आती है। अगर किसी इकाई ने 500 केएलडी का ईटीपी लगा दिया और वह 700, 800, 900 की मशीन अपने अलग-अलग उपयोग के लिए, एक में 500 से ज्यादा नहीं चलाएगा, वह 500 तक ही चलाएगा। मार्केट अलग-अलग होता है, समय अलग-अलग होता है, सीजन अलग-अलग होता है। अगर वह ईटीपी लगाता है, जेड.एल.डी. करता है, उसका जीरो डिस्चार्ज है। आपने पाली में सारी इकाइयों के आउटलेट बंद कर रखे हैं। सारे मौके पर बंद हैं। बाहर पानी जा ही नहीं सकता। आपने सिस्टम कर रखा है। मान लो अगर किसी ने 4-5 करोड़ का इन्वेस्ट करके ईटीपी लगा दिया, वह अतिरिक्त मशीनें, जितनी क्षमता का ईटीपी है, उससे डेढ़ी या दुगुनी, आप भले ही कोई एक सीमा तय कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसकी अनुमति दे देंगे तो आपकी और बड़ी कृपा हो जाएगी।

अंतिम मेरी एक बात और है। पाली का नया गांव औद्योगिक क्षेत्र है, वहां अभी तक जो भूखण्ड जारी हो रहे हैं, सारे के सारे...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, please don't be confused. You're extending the argument. Please, don't do that.

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): तीन कैटेगरी के। वहां रेड कैटेगरी को जेड.एल.डी. की शर्त पर यहां भूखण्ड आबंटन की घोषणा की थी। अगर मान लीजिए, वहां उद्योग मंत्रालय इनको उद्योग भूखण्ड दे दे, तो वहां भी, क्योंकि अब टैक्सटाइल नहीं है, पर वहां भी आप यह अनुमति दे दें, इतनी-सी और चाहिए मुझे।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष जी, पहला सवाल खातेदारी का है। भीलवाड़ा का उदाहरण दिया गया, उसका परीक्षण करवाएंगे। माननीय उद्योग मंत्री जी से, इनके विभाग से सलाह करके, आगे कार्यवाही करेंगे।

दूसरा, 500 केएलडी से ज्यादा ईटीपी लगाते हैं, हमारा तो पहला ही है जेड.एल.डी. के आधार पर सीटीओ जारी करते हैं। हमारे अधिकारी निरीक्षण कर आएंगे, आपका डिस्चार्ज जेड.एल.डी. है तो हम परमिशन दे देंगे। सीधी बात है।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह है कि ईटीपी तो 500 केएलडी का है, अन्दर इकाई में जो मशीनरी है, हर मशीनरी, हर वक्त...

श्री अध्यक्ष: मैं इसको वाइंड अप, 500 का है, 700 का है, आप लगवाना चाहते हो तो वह 500 का ही उपयोग में ले। यह हरदम आकर चेक करेगा और उसमें प्रोब्लम आएगी। जो चीज सम्भव नहीं हैं। चर्चा समाप्त हुई। राजेन्द्र राठौड, 131.

प्रतिपक्ष के विधायकों को सरकारी समारोहों में आमंत्रित न कर उनके विशेषाधिकार का हनन

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राठौड़ साहब ने जो यह सवाल उठाया है, यह राठौड़ साहब तक ही सीमित नहीं है, यह तो सदन के सारे माननीय सदस्यों के सम्मान की बात है। उनका सम्मान कायम रहे, इसके लिए यह सरकार प्रतिबद्ध है।

राजकीय भवनों के शिलान्यास, उद्घाटन कार्यक्रमों व अन्य राजकीय समारोह के राजकीय धनराशि से आयोजित हो, में जन प्रतिनिधि (यथा सांसद-विधायक आदि) को आवश्यक रूप से आमंत्रित किये जाने के संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा दिनांक 17.02.2020 को फिर नये दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जो परिशिष्ट 'क' पर हैं। नये मतलब रिपीट किया गया है, कोई नये नहीं बनाए हैं ...(व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हमें भी नहीं बुलाते थे।

श्री अध्यक्ष: सुनें, सुनें आप।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): रिपीट किया गया है। इन आदेशों, निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रावधान है। उक्त आदेशों की पालना हेतु विभाग द्वारा दिनांक 02.12.2020 को समस्त जिला कलेक्टर को पुन: लिखा गया था। जन प्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों पर त्वरित कार्यवाही के संबंध में विभाग द्वारा 23.09.2020 को परिपत्र जारी किया गया है तथा इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित किए जाने, समस्त विभागों को तथा जिला कलेक्टर्स को दिनांक 12.02.2021 को भी पुन: निर्देशित किया गया है।

विधायक विकास कोष से विकास कार्यों की विधायकों के द्वारा अभिशंसा उपरान्त 6 माह तक स्वीकृति जारी नहीं करने के संबंध में समस्त जिला कलेक्टर्स को तथा विधायक कोष से क्रय किये जाने वाले चिकित्सा उपकरणों का क्रय नहीं किये जाने के संबंध में प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा विभाग को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है, जो परिशिष्ट-ग पर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): धन्यवाद, मंत्री जी। आपने उन सारे परिपत्रों का उल्लेख किया जो समय-समय पर, 1995 से अभी लेटेस्ट आपने जारी किया 21.02.2021 तक, समय-समय पर जिला कलेक्टर और संबंधित विभागों को भेजा गया। मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था, उसमें मैंने मोटे तौर पर चार बिन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया था। एक तो प्रतिपक्ष के विधायकों को किसी भी समारोह में सम्मानपूर्वक आमंत्रित नहीं किया जाता। दूसरा, हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं आता। तीसरा, विधायक विकास कोष से जो पैसा हम स्वीकृति के लिए भेजते हैं, उसकी 6-6 महीने स्वीकृति जारी नहीं होती और चौथा कोविड के अन्दर, जो आपके निर्देश पर विधायकों ने अपने-अपने चिकित्सालयों में पैसा दिया, उसके या तो उपकरण क्रय नहीं हुए या डिब्बे में बंद हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह दर्द जो मैं बयां कर रहा हूं, मैं लम्बी बात नहीं कहूंगा, आज नहीं तो कल इससे रूबरू हम सब होंगे। मंत्री महोदय, मैं आपसे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

निवेदन करना चाहता हूं, आप बड़े खुशनसीब हैं। आप जब सत्ता में आते हैं, तभी जीतते हैं। हम बड़े बदनसीब हैं, जो सत्ता में आये तब भी जीतते हैं और सत्ता से बाहर रहें, तब भी जीतते हैं। इसलिये इस दर्द को जितना मैं समझता हूं, उतना शायद आप नहीं समझते होंगे। केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आप भी नहीं बुलाते थे तो यह प्रक्रिया अपने को जारी रखनी है? देखिये, मैं निवेदन करूं, कि यह एक इंस्टीट्यूशन है। हम विधायक हैं, हम 3 से 5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। संसदीय लोकतंत्र के अन्दर हमारे शब्द के आगे 'माननीय' लिखा जाता है। प्रोटोकोल में ब्ल्यू बुक जो जारी की है, आपने देखी होगी, अध्यक्ष महोदय, उसके अन्दर हमारा जो स्थान है, एन्ट्री है, वह चीफ सैक्रेटरी से भी ऊपर है।

मैं बड़ी पीड़ा से कह रहा हूं। देखिये, या तो एक काम हो जाए कि आज सदन में यह तय हो जाए कि जो धराशायी विधायक हैं, उनका आप इस तरह का एक परिपत्र जारी कर दें कि जब तक आप सत्ता में रहेंगे, हमें बिलकुल नहीं बुलाएं, ताकि हमारा मान-सम्मान नहीं घटे। मैं अचम्भित हो जाता हूं, मैं एक ही जगह से 7 बार जीत गया, मेरी अनुपस्थिति के अन्दर, मैं कितने कागज दूं, जिसके अन्दर, जो मुझसे पराजित हैं ...(व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एक जगह से नहीं, दो जगह से जीते हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): दो जगह से जीते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): चलिये, दो जगह।

श्री अध्यक्ष: फिर आप यह गलत परम्परा डाल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): जो, मेरे से पराजित है, वह उस समारोह की, जो सरकार के पैसों से होता है, उसकी अध्यक्षता करते हैं, उसका उद्घाटन करते हैं। मैं उसी दिन टुकुर-टुकुर देखता हूं। यह मेरी ही पीड़ा नहीं है आप यह देखिये, सूरजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो दिया, और अध्यक्ष महोदय, लाडपुरा से आने वाली माननीय सदस्या तो खुद आपके सामने हाजिर हुई थीं। मैं इसको विवाद में नहीं ले जाना चाहता। हो सकता है, हमारे समय के अन्दर आप फोटुएं दिखा सकते हैं, जिसके अन्दर हमारे समय के अन्दर भी कोई धराशायी और पराजित विधायक का नाम होगा। मैं चाहता हूं कि अब कोई सम्मानजनक बात रहे।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मैं यह कहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मैंने पत्र लिखे, मंत्री महोदय, मैंने कई बार, मैं आरोप नहीं लगा रहा। देखिये एक परम्परा को कहीं से प्रारम्भ करना पड़ेगा। मैं निवेदन करूं, हरियाणा के अन्दर आपको ध्यान है, चौधरी देवीलाल और बंसीलाल, दोनों की सरकारों में हर पांच साल में बदलाव होता था। दोनों सरकारें, जो पहले वाली सरकार के कार्यकलाप के अनुरूप कहते कि तुमने ऐसा किया इसलिये हम ऐसा करेंगे। अगर हमने किया तो हम इधर बैठे हैं। इसलिये मैं आपसे बड़े मन से कह रहा हूं कि आप इस समस्या, जो समस्या मेरी नहीं, यह सारे विधायकों का दर्द है, यह सब लोगों का दर्द है। हमारे दर्द को दूर करें, अध्यक्ष महोदय, और इसके लिये एक ही प्रार्थना है, जो हमसे पराजित है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: I'll not allow it. मैं बंद कर दूंगा, चर्चा बंद कर दूंगा। (व्यवधान) चर्चा बंद कर दूंगा, यदि आप ऐसा करेंगे तो। आप इसकी गम्भीरता नहीं समझ रहे। I'll not allow it. माननीय सदस्य, प्लीज बैठें, प्लीज बैठें। गलत परम्परा है। आप गलत परम्परा डाल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, आज हम आपसे संरक्षण मांगने आए हैं, आपसे प्रार्थना करने आए हैं, अध्यक्ष महोदय, विद फोल्डेड हैंड्स, आज आप तय करा दो कि किसी भी समारोह में हमें नहीं बुलाकर सत्तारूढ़ दल के विधायक को बुलाया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, आज हमारे प्रभारी मंत्री नहीं हैं, मैं मेरी वेदना बता रहा हूं। हमारे यहां प्रभारी मंत्री बैठक में आते हैं दो महीने में एक बार। बैठक में जाते हैं तो अपने साथ दहेज के अन्दर इतने लोगों को ले जाते हैं, एक कोने में हम दूर बैठते हैं। उससे पहले कोई कांग्रेस का पदाधिकारी होगा, कोई कांग्रेस का पराजित आदमी होगा, मतलब, अगर हमें नहीं कहना, आप तय फरमा दें, कोई दिक्कत नहीं। मैं बाई ओथ कह रहा हूं, ये सारी बात मान लेंगे, एक बार संदेश चला जाए। आपने यह जो ध्यान आकर्षण लगाया है, अध्यक्ष महोदय, यह मैंने नहीं, कई लोगों ने आपसे प्रार्थना की है, इसलिये, मंत्री महोदय, मेरी वेदना है, यह जो सिस्टम है, चाहे फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य का हो, चाहे मेरा खुद का हो, चाहे सूरजगढ़ का हो, इसको बंद कराओ। या तो आप पराजित लोगों को ही सम्मान दे दो, पार्टी का फंक्शन बना दो। सरकार आपकी पार्टी की है, हमें कोई वेदना नहीं या फिर एक प्रोटोकोल तय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हो जाए, उस प्रोटोकोल के अनुसार हमें आमंत्रित करें। यह विषय नहीं है कि पीछे क्या हुआ, नहीं हुआ। पीछे किसी ने गलती की होगी, या यह कह दें कि पीछे भी गलती है और भी गलती करते रहेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, मैं गम्भीरता समझता हूं। सरकार की भी जो अप्रोच है, जितने परिपत्र मैंने देखे हैं, उनका भी एफर्ट तो यही है कि सभी का सम्मान हो। कोई भी सरकार नहीं चाहती कि माननीय सदस्यों का सम्मान नहीं हो। मैं समझता हूं कि यह कोई इश्यू नहीं है। लेकिन नीचे जो प्रैक्टिकल प्रोब्लम आ रही है, उसके सम्बन्ध में मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि चीफ सैक्रेटरी के लेवल पर एक मीटिंग बुला ली जाए, जिस मीटिंग में सत्ता पक्ष के संसदीय मंत्री, चीफ व्हिप, पार्टी व्हिप, हमारे विपक्ष के नेता और उनके पार्टी के सदस्य, ये बैठकर एक प्रोटोकोल बना दें, ब्लैक एण्ड व्हाइट में पूरा प्रोटोकोल।

मैं भी भारत सरकार में मंत्री रहा हूं। भारत सरकार में जो भी विभाग के फंक्शन होते हैं, उसमें बहुत क्लीयर-कट प्रोटोकोल बना हुआ है, वही प्रोटोकोल विभाग के अन्दर सबको फालो करना पड़ता है। मंत्री, एम.पी., एम.एल.ए., इन सबके नाम उसमें लिखे हुए होते हैं, चाहे अख़बार में एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे उसका शिलान्यास हो। ये सब चीजें भारत सरकार में स्टैंडर्ड फिक्स हैं। मैं आशा करता हूं कि हम इसी तरह बैठकर एक चर्चा कर लें, वन्स फोर आल, क्योंकि पक्ष में भी रहेंगे, विपक्ष में भी रहेंगे। पास्ट में क्या हुआ, उन चीजों को मैं बहस में नहीं डालना चाहता पर मैं भी इस पक्ष का हूं कि सदन में हमारे जितने भी माननीय सदस्य हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। इसलिये इसमें चर्चा नहीं करें। मैं चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में एक मीटिंग बुलाऊंगा, मैं खुद उसमें उपस्थित रहूंगा, जिसमें माननीय सदस्य बैठ कर उसके ऊपर ...(व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मेरी बात सुन लें, साहब, आप मुझे सुन लें पहले।

जहां तक सवाल इस बात का है, जो चार बिंदु आपने उठाए हैं, उन चारों बिंदुओं को मैं महत्वपूर्ण समझता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल यह आता है कि अगर मान लीजिए, आपके कोई शिलान्यास का प्रोग्राम हो रहा है या कोई लोकार्पण का समारोह हो रहा है और किसी विधायक को या

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

किसी मैम्बर आफ पार्लियामेंट को उसमें नहीं बुलाया जाता, तो वह किसको शिकायत करेगा। हमें मालूम ही नहीं है कि जिले में नोडल आफिसर कौन है, जिसके पास शिकायत जानी चाहिए। शिकायत पता नहीं कहां चली जाती है। जाकर के वह कागज कहीं न कहीं पड़ा रहता है।

आपने अभी लाडपुरा से आने वाली विधायकजी का नाम लिया। इन्होंने मुझे लैटर लिखा। मुझे लैटर लिखा और मैंने उसी वक्त उस ई.ओ. को वहां पर सस्पैंड किया, जबकि मुझे पत्र नहीं लिखना चाहिए था, इनको लिखना चाहिए था नोडल आफिसर को। कलेक्टर नोडल आफिसर होता है, या तो खुद बनेगा या किसी दूसरे को अथोराइज करेगा, पहली बात।

दूसरी बात यह है कि यह बहुत स्पष्ट है, यह बात बिलकुल दिमाग में से निकाल दीजिए कि यह सरकार किसी प्रकार का भेदभाव करना चाहती है। पहले क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इस सबको छोड़ो। जो भी प्रोग्राम राजकीय कोष से आयोजित किया जाता है, चाहे वह शिलान्यास का प्रोग्राम हो, चाहे वह लोकार्पण का प्रोग्राम हो, पहली बात तो यह है कि वह सिर्फ जन प्रतिनिधियों के द्वारा ही सम्पन्न होगा। शर्तें जो लिखी गई हैं, मैं आपको एक मिनट पढ़कर, मुझे टाइम लगेगा, सर, लेकिन मैं इस बात को क्लीयर करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, अब आप बैठें, आप सुनिये।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं, इस बात को क्लीयर करना चाहता हूं ताकि जानकारी तो हो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, एक बार मेरी बात सुनिये न आप। यह डिबेट का इश्यू ही नहीं है। सरकार के एफर्ट्स को कोई चैलेंज नहीं कर रहा है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): डिबेट का सवाल नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मेरी बात तो सुनें, मंत्रीजी, दो मिनट सुनें।

शिलान्यास का कोई प्रारूप दे रखा है, नीचे किसी अधिकारी को नहीं दे रखा है तो प्रारूप में वह कहीं नाम एम.एल.ए. का लिखता है, कहीं किसी का नाम लिखता है। भारत सरकार में बिलकुल प्रारूप है। उस शिलान्यास का प्रारूप राजस्थान सरकार ने नहीं बना रखा है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं दे रखा है।

श्री अध्यक्ष: तो मैं यही envisage कर रहा हूं, इसमें चर्चा करने से कोई मतलब नहीं है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं, वह चर्चा नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं, साहब।

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि ये जो सर्कुलर निकला, पहले जो लास्ट सर्कुलर निकला था, आपको याद है, 2018 में जब निहालचंद गोयल चीफ सैक्रेटरी थे। जब निहालचंद गोयल चीफ सैक्रेटरी थे तो उन्होंने कुल मिलाकर दो बिंदुओं के ऊपर अपना सर्कुलर निकाला था। उसमें सिर्फ दो बिंदु थे। उनमें यही था कि जन प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा और जन प्रतिनिधियों में भी किन-किन को, जैसा आपने फरमाया कि वहां पर, सेन्ट्रल गवर्नमेंट में यह जो प्रोसिजर है कि शिलान्यास में सारे जन प्रतिनिधियों का नाम लिखा जाएगा, तो जन प्रतिनिधि तो इतने सारे हैं, कितने लिखे जाएंगे। मैं पढ़कर बता देता हूं आपको, जो राजस्थान सरकार के चीफ सैक्रेटरी ने निकाला, 05.04.2018 को, सार्वजनिक राशि के उपयोग से आयोजित होने वाले राजकीय भवनों के शिलान्यास, उद्घाटन कार्यक्रम एवं अन्य राजकीय समारोह, चाहे वे किसी राजकीय उपक्रम, बोर्ड, निगम, स्वायत्तशासी संस्था के हों, में जन प्रतिनिधियों, यथा सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान, नगर निकायों के मेयर, सभापति, अध्यक्ष, ग्राम पंचायत सरपंच एवं अन्य जन प्रतिनिधि, विशेष कार्यक्रम स्थल से सम्बन्धित जन प्रतिनिधियों को आवश्यक रूप से निमंत्रण दिया जाएगा, नम्बर-एक। नम्बर-दो, शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण आदि कार्यक्रम जन प्रतिनिधियों से ही सम्पन्न करवाया जाएगा।

मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो 13 बिंदु हैं, जिसमें एक तो आपने पत्र वाली बात उठाई कि पत्र का जवाब नहीं मिलता, निश्चित तौर पर मैं इस बात को मानता हूं कि अधिकारी कई बार पत्रों का जवाब नहीं देते। बाकायदा इस बात पर कड़ाई से काम किया जाएगा। चीफ सैक्रेटरी साहब की जो आपने बैठक का कहा है, निश्चित तौर पर उसमें सबसे ज्यादा इसी बात पर जोर दिया जाएगा क्योंकि लोगों की जो परेशानियां हैं, वे परेशानियां इस बात की हैं कि देखो, मैंने तुम्हारे लिये चिट्ठी लिख दी। अगर उस अधिकारी का जवाब आ जाता है तो कम से कम वह उस आदमी को बता तो

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

सकते हैं कि देखो जवाब तो यह आया है, तुम्हारे लिये मैं कोशिश तो कर रहा हूं। यह बहुत बड़ी बात है।

लेकिन हर शिलान्यास के कार्यक्रम में और हर लोकार्पण के कार्यक्रम में, यह बात सही है कि अगर मान लीजिए जो निमंत्रणकर्ता है, वह निमंत्रणकर्ता चाहे बोर्ड हो, चाहे यू.आई.टी. हो, चाहे जे.डी.ए. हो, चाहे कोई भी संस्था हो, उसको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वह जो संबंधित जन प्रतिनिधि है, उनको वह इत्तिला दे और इत्तिला देने की भी पुष्टि हो। यह नहीं है कि वह साहब, वह इत्तला दे दें और पुष्टि न हो, लेकिन कई बार ऐसे मौके भी आते हैं, जैसे एक बार हुआ, सहकारिता मंत्रीजी गये, श्री अर्जुन जीनगर साहब की शिकायत थी यह कि साहब, सहकारिता मंत्रीजी गये, उन्होंने यह टेलीफोन किया कि मैं रात तक पहुंच रहा हूं और कल सुबह दस बजे तक रहूंगा और दस बजे के बाद में मैं उद्घाटन करके चले जाऊंगा तो न तो कोई आमंत्रण पत्र छपा पाया और न ही इत्तिला कर पाया, ऐसे किस्से भी होते हैं। तो ये सारी की सारी जितनी भी शिकायतें हैं ये सब कलेक्टर, अगर नोडल आफिसर के पास यह पहुंच जाएं या कलेक्टर के पास पहुंच जाएं तो फिर कलेक्टर को उत्तरदायी माना जा सकता है लेकिन हम शिकायत ही पता नहीं कहां-कहां पर करते हैं? चक्कर तो यह है मतलब, जिस थाने में यह रिपोर्ट दर्ज करवानी है, उसमें तो नहीं करवाये और दूसरे थाने में जाकर करवा दे।

तीसरी बात एक और मैं बता देना चाहता हूं, कटारिया साहब, आपकी कही हुई बात है यह। यह भी मैं पढ़कर बता देता हूं। 6 मार्च, 2018 को आपने एक स्टेटमेंट दिया इसी बाबत - ''गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं यह कह रहा था कि पंचायत का कोई फंक्शन हो और आपको हर पंचायत में बुलाए तो इतना समय आपके पास होगा क्या?" यह माननीय सदस्यों से पूछ रहे हैं कि इतना समय तुम्हारे पास होगा क्या? आगे कहा- "क्या उसमें, अटकाओ मत, इन कामों को अटकाओ मत, आपसे, जिसमें आपकी उपस्थिति हो सकती है, उसी में आप पधारो। आपका स्वागत होना चाहिए, लेकिन यह जरूरी नहीं कि पंचायत का सरपंच हर कार्यक्रम आपकी बिना उपस्थिति के न

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

करे, ऐसी कोई कानूनी रोक नहीं है। वह भी जन प्रतिनिधि के नाते अपना कार्यक्रम कर सकता है।"

मुझे 13 शिकायतें माननीय सदस्यों की मिली हैं, उन माननीय सदस्यों ने ज्यादातर शिकायतें ही इसी तरह की हैं। गुलाब चन्द कटारिया साहब ने एक शिकायत कर दी कि साहब, आधुनिक सार्वजनिक शौचालय बनाये गये, पर हमें नहीं बुलाया गया और न ही शिला-पट्ट पर हमारा नाम लिखा गया। नहीं लिखा जाएगा। नहीं लिखा जाएगा। नाम सिर्फ उसी का होगा जो उद्घाटनकर्ता होगा या अध्यक्षताकर्ता होगा या मुख्य अतिथि होगा, हर किसी का नाम नहीं होगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): हारे हुए व्यक्ति ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, गलत बात है। आप प्लीज बैठें। अंकित नहीं होगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): न ऐसा कोई कानून है।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, बैठें। आप यह चाहते ही नहीं हैं कि आपका सम्मान हो। आप खुद ही नहीं चाहते कि आपका सम्मान हो। You don't want it. आप फिर बोल रहे हैं, आप चाहते ही नहीं हैं कि आपका सम्मान हो, अपन ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं कि मंत्री बोल रहे हैं और आप बोले जा रहे हो।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार यह भी सवाल उठता है..., मैं खतम कर रहा हूं, साहब, कई बार यह भी सवाल उठता है कि साहब, विशेषाधिकार का हनन हो गया। भाई, शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम में माननीय सदस्य को नहीं बुलाने से प्रोटोकोल का उल्लंघन तो जरूर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन इससे उनके विशेषाधिकार, ब्रीच आफ प्रिविलेज कहां होता है? यह तो बताओ। किसने रोका आपको यहां आने से? सदन का क्या ताल्लुक है इन बातों का? विशेषाधिकार का हनन तो तब ही

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

होगा जब माननीय सदस्यों को उनके संसदीय दायित्व और कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोका जाएगा, सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए बाधा पहुंचायी गयी हो तो ही हो सकता है। इन चीजों को, इन सब चीजों से जोड़ने से जरूरत नहीं है। मोटी बात तो यही है कि सम्मान रहना चाहिए, निश्चित तौर पर रहना चाहिए और वहां के जन-प्रतिनिधियों को बाकायदा इत्तिला होनी चाहिए, समय के अन्दर इत्तिला होनी चाहिए और उनके पत्रों का जवाब अधिकारियों को देना चाहिए, इस बात के लिए सरकार कटिबद्ध है। फिर, जैसा आपने यह कहा है, आगे कोई डाइरेक्शंस होंगे तो उनको देखेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं फिर यह निवेदन कर रहा हूं एफर्ट्स, सर्कुलर, इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। मैं बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूं। हमने जब तक, जैसा कि खुद मंत्रीजी यह कह रहे हैं कि नोडल आफिसर ही नहीं बनाया है। ये जितने सर्कुलर हैं, किसी अधिकारी ने नोडल आफिसर नहीं बनाया है। आप यह सर्कुलर उठाकर देख लें। यह कहीं न कहीं कमी और खामी है, जिसके कारण ही ये चीजें हो रही हैं इसलिए मैंने आपको यह कहा कि जो-जो भी हमारे अनुभव हैं, जिसमें कौन अधिकारी बुलाएगा, उसका उस प्लेट में जो शिलान्यास का बनेगा, उसमें किसके नाम होंगे? इन सब पर विस्तृत चर्चा करके once and for all इसको डिसाइड करने के लिए चीफ सैक्रेटरी को बुलाकर एक मीटिंग कर लेते हैं जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट कर लें जिससे भविष्य में इस तरह की बात नहीं हो और हम सब मिलकर एक दूसरे का संसदीय प्रणाली में जो सम्मान है, उसको स्थान बनाये रख सके। इसके संबंध में जो कमी है, सर्कुलर में जो कमी है, उसका कैसे ठीक कर सकें, मैं यह आशा करता हूं कि शीघ्र ही, शीघ्र का मतलब, अभी समय है, दो महीने का समय है, दो महीने के बीच में चीफ सैक्रेटरी लेवल पर एक मीटिंग बुलाकर, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री, पार्टी के चीफ व्हिप, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आपकी पार्टी के नेता और जो हमारे छोटे-छोटे दल के नेता भी हैं, उनके साथ बैठकर, तब तक आप ब्लैक एंड व्हाइट में लिख लें। मैं खुद भी अपना अनुभव बताना चाहता हूं।

पंचायत लेवल पर क्या होना चाहिए, पंचायत समिति लेवल पर क्या होना चाहिए, सरकार के जो फंड हैं, जिस सरकार का डिपार्टमेंट का फंड है,

(श्री अध्यक्ष)

उस डिपार्टमेंट के फंड पर क्या होना चाहिए, किस लेवल पर किन-किन आदमियों के नाम उसमें होने चाहिए। once and for all डिसाइड करके हम ब्लैक एण्ड व्हाइट में लिख दें, फिर adhere करने की जिम्मेदारी, यह चीफ सैक्रेटरी के सर्कुलेशन नहीं है, विभाग का कौन अधिकारी जिम्मेदार होगा या कलेक्टर जिम्मेदार होगा, जैसा कि धारीवाल साहब ने कहा, वह किसी न किसी नोडल अधिकारी को आइडेंटिफाई करके उसकी रेस्पांसिबिलिटी होगी कि यह उसका शिलान्यास का ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसको आमंत्रित किया है कि नहीं किया? यह जिम्मेदारी किसी विभाग के अधिकारी की होगी। इन सब चीजों पर चर्चा करके, सारे इन सर्कुलर्स को देखकर ठीक ढंग से हम कर सकें, इसकी व्यवस्था करेंगे और इसमें चर्चा समाप्त हुई।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: I'll not allow it. फिर आप, माननीय सदस्य, मुझे क्षमा करें। मुझे क्षमा करें। मैं जिस चीज में नहीं एग्री करता हूं, वह नहीं करता हूं। जब मंत्रीजी बोल गये, मैं इस चर्चा को समाप्त कर रहा हूं। आप उसमें क्या एड करेंगे? जो मीटिंग होगी, उसमें आप आ जाना।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): एक मिनट। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, माननीय सदस्य। No. Please, I'm extremely sorry. (Interruption) I'll not allow it. मैं फिर आपको कहना चाहता हूं, आप खुद पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। (व्यवधान) यह जगह नहीं है। आप बोल लें, मैं बैठ जाता हूं। आप बोल लें, जो बोलना है। जो बोलना है, बोल लें। (व्यवधान)

मतलब, आप क्या परम्परा डालना चाहते हो? मैं रोज तीन दिन से बराबर इस बात की कोशिश कर रहा हूं, कभी मैं किसी माननीय सदस्य को कहता हूं, कभी मंत्री को कहता हूं, कभी क्या कहता हूं तो फिर मुझे अपने आपमें यह सोचना पड़ेगा। मैं माननीय, आपका सम्मान करता हूं लेकिन मैं गलत परम्पराओं को जगह नहीं दूंगा। धारीवाल साहब मेरे मित्र हैं, स्थगन प्रस्ताव पर उस दिन मैंने अलाउ नहीं किया क्योंकि स्थगन प्रस्ताव में मैंने

(श्री अध्यक्ष)

यह फैसला किया कि मैं मंत्री का जवाब नहीं दिलवाऊंगा तो मैंने मंत्री का जवाब नहीं दिलवाकर स्टेटमेंट करवाया है।

कुछ नियमों को पालन करने का अनप्लेजेंट काम मुझे ही करना पड़ेगा, because every decision is linked with displeasure. कोई भी डिसीजन से आप डिस्प्लीज नहीं हो। मैं आपको सुन लूं तो आप भी खुश हो जाओगे और मैं भी खुश हो जाऊंगा। मैं आपको मना करूंगा तो आप मुझसे नाराज होंगे तो मैं डिसीजन लूंगा चाहे कोई डिस्प्लीज हो। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम परम्पशा 131 में, मंत्री बोल गये, मंत्री का जवाब देने के बाद फिर हम सप्लीमेंट्री करें तो यह परम्परा ठीक नहीं होगी, मेरा यह निवेदन करना है।

आप सबसे यह निवेदन है कि मैं भी इस बात की गम्भीरता को समझता हूं और आप सबसे फिर यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके माननीय राठौड़ साहब और आपकी मित्रता, बाहर भी निभ सकती है। मतलब, कभी हम देखते हैं, वह बोलते हैं तो आप इशारा करते हो, दोनों में होशियारी है। मैं बहुत ध्यान रख रहा हूं मैं यहां पर बैठता हूं, आपकी मित्रता इतनी है कि दो आदमी जब बोलते हैं, आप होशियार हो, बोलते नहीं हो, इशारा करते हो। बात तो वही है, डिस्टर्बेंस तो तीनों ही कर रहे हैं पर कोई ओवर्टली कर रहा है और कोई कोवर्टली कर रहा है पर कोई न कोई तो कर रहा है।

मैं समझता हूं कि सदन की इन परम्पराओं को हमें सीनियर लीडर्स को, यदि हम यह नहीं करेंगे तो मैं यह समझता हूं कि हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेंगे इसलिए मुझे माफ करें श्री गोविन्द सिंहजी डोटासरा साहब, जिस पार्टी के आप अध्यक्ष हैं, उस पार्टी का मैं भी एम.एल.ए. रहा हूं और मैं आपको रोक रहा हूं तो मुझे यह तकलीफ होती है कि मैं किस तरह की परम्परा को डाल रहा हूं लेकिन अनप्लेजेंट ड्यूटी मुझे करनी पड़ेगी इसलिए इन परम्पराओं को जैसे मैंने यह फैसला किया है कि 131 में यदि मंत्री ने जवाब दे दिया, उसके बाद हम इंटरवीन करें, it is not desirable. It will set a wrong precedent. I'm extremely sorry. चर्चा समाप्त हुई।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

सार्वजनिक निर्माण विभाग

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग की निम्नांकित तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: एफ.14(26)पीडब्ल्यू/2014/228 दिनांक 11 दिसम्बर, 2020 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य उच्चमार्ग प्राधिकरण (सभापति एवं पूर्णकालिक सदस्यों की सेवा शर्तें) नियम, 2015 में संशोधन किया गया है;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.14(26)पीडब्ल्यू/2014/206 दिनांक 24 अगस्त, 2020 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य उच्चमार्ग अधिनियम, 2014 की धारा 102 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य उच्चमार्ग प्रशासन नियम, 2020 विरचित किये गये हैं;
3. अधिसूचना संख्या: एफ.14(26)पीडब्ल्यू/2014/204 दिनांक 24 अगस्त, 2020 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य उच्चमार्ग अधिनियम, 2014 की धारा 102 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य उच्चमार्ग प्राधिकरण (बजट, अंकेक्षण तथा निधियों का निवेश) नियम, 2020 विरचित किये गये हैं।

इसमें ज्यादा डिले नहीं है साहब, इसमें कोई साल भर का डिले तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं यह मानता हूं लेकिन डिले का कारण भी यह है कि जब यह अधिसूचना जारी हुई थी तो उसके बाद में जो यह सैशन हुआ वह एक या दो रोज का ही सैशन था इसलिए यह चूक हो गयी।

श्री अध्यक्ष: समिति प्रतिवेदन। श्री हेमाराम चौधरी।

समिति प्रतिवेदन

राजकीय उपक्रम समिति (क्रम संख्या 10 एवं 11)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजकीय उपक्रम समिति, 2020-21 के निम्नांकित दो प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

(श्री हेमाराम चौधरी)

1. राजस्थान लघु उद्योग निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2014-15) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2018-19 का दशम् प्रतिवेदन ;
2. राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2015-16) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2019-20 का ग्यारहवां प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री संदीप शर्मा।

याचिका

कोटा दक्षिण के ए-श्रेणी के पार्कों में ओपन जिम और योगा केन्द्रों की स्थापना

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण के ए-श्रेणी के पार्कों में ओपन जिम और योगा केन्द्र बनवाये जाने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती संतोष।

अनूपगढ़ नगरपालिका द्वारा सीवरेज परियोजना का कार्य पूर्ण होने से पूर्व भुगतान

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की अनूपगढ़ नगरपालिका द्वारा IHSDP परियोजना के तहत मैसर्स TCIL, नई दिल्ली को दिये गये सीवरेज परियोजना के कार्य पूर्ण होने से पूर्व भुगतान कर दिये जाने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत।

बानसूर के ग्राम खटोटी की ग्राम पंचायत देवसन में उप स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र बानसूर के ग्राम खटोटी की ग्राम पंचायत देवसन में उप स्वास्थ्य केन्द्र का भवन बनाये जाने के संबंध में याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री वासुदेव देवनानी।

अजमेर उत्तर की ज्ञान विहार कालोनी में मुख्य सड़क का निर्माण

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर के वार्ड संख्या-1 स्थित ज्ञान विहार कालोनी में मुख्य सड़क का निर्माण करवाये जाने के संबंध में याचिका का उपस्थापन करता हूं।

अजमेर उत्तर में ग्राम माकड़वाली स्थित रेलवे स्टेशन से मुख्य रोड तक सड़क निर्माण

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर में ग्राम माकड़वाली स्थित रेलवे स्टेशन से मुख्य रोड तक सड़क निर्माण करवाये जाने के संबंध में याचिका का उपस्थापन करता हूं।

विधायी कार्य: विधेयक पर विचार

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021

श्री अध्यक्ष: श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021 (2021 का विधेयक संख्या 6) को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, इसमें जनमत जानने के लिये नाम दिया है। मेरा दोनों पार्टी के चीफ व्हिप से निवेदन है कि जनमत पर जो सदस्य बोलें, उनकी संख्या कम कर लें। उनमें से कुछ सदस्य थर्ड पारण पर भी बोल सकेंगे। इस तरह की व्यवस्था कर लें तो हम समझते हैं कि अच्छे ढंग से डिबेट हो पाएगी और टाइमली हम अपने बिलों को पास कर पाएंगे। श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरपालिका एक्ट, 2009 को मंत्रीजी संशोधन करने के लिये बिल लेकर आये हैं। हमको यह समझना पड़ेगा कि यह स्थानीय निकाय नगर प्रशासन का महत्व क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत में नगर प्रशासन पहली बार, 1687 में मद्रास नगर निगम में वॉयसराय मिस्टर राइप भारत में लाये। लगभग 334 वर्ष पहले यह व्यवस्था शुरू हुई। फिर 1726 में कलकत्ता और

(श्री अशोक लाहोटी)

बोम्बे नगर निगम बने और 19वीं सदी के प्रारम्भ में 1935 में सरकार व प्रांतों के तहत नगरपालिका सरकार को विशिष्ट शक्तियां दी गयीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पहली बार इन नगरपालिकाओं के 1973 एक्ट बनने के बाद में भी इनकी शक्तियों को खतम करने का काम, इन पर सरकारी शिकंजा कसने का काम यदि किसी ने किया तो वह कांग्रेस सरकार के द्वारा बार-बार किया जा रहा है और इसलिए किया जा रहा है कि अपनी पार्टी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिये आप पहले भी बिल लाये और उन बिलों में बिना किसी कानूनी प्रावधान के, कुछ बिना मापदंडों के आधार पर कोटा, जयपुर और जोधपुर जैसे नगरों की आत्मा का विभाजन किया और बिना जरूरत के पहली बार देश में दो-दो बार नगर निगम बनाये गये। इतना ही नहीं रुके आपके बिलों में, मैं आज के बिल की चर्चा करूं, आप इस बिल की यदि गहराई में जाओ तो महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए अचानक एक रात में आपको सपना आता है और आप पूरे राजस्थान में 2,153 वार्ड बढ़ा देते हो। आप यह देखो कि आपने वार्ड कितने कर दिये? आपके 213 नगरपालिकाएं हो जाएंगी, 17 संशोधन तो आप कैबिनेट में कर चुके हो, उसके बाद 213 हो जाएंगी, 10 निगम हैं, 34 नगर परिषदें हैं, कुल 7,500 पार्षद आप राजस्थान में बना रहे हो निर्वाचित तरीके से। उसके बाद आप बिल लेकर आये हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एक आश्चर्य और हो रहा है कि यह एक ऐसा विभाग है, मैंने वहां पर काम किया है, इसलिए मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि इस विभाग ने 2009 के बाद में, मैंने सवाल भी लगाया था पहले सत्र में, आज तक उसका जवाब नहीं आया कि 2009 के बाद में इस विभाग ने कितने सर्कुलर निकाल दिये, जहां बिना बिल के सर्कुलर निकाले हैं। यहां सुबह नया सर्कुलर निकलता है, दोपहर में नया निकलता है और शाम को नया निकलता है। इसकी संख्या भी मंत्री महोदय, आज आप बता दें कि 2009 के एक्ट में बिना सक्षम स्तर से, आपके स्तर से भी अनुमति लिये बिना डी.एल.बी. ने अपने स्तर पर कितने सर्कुलर निकाल दिये और आप कौनसे सर्कुलर को आप संशोधित करवाओगे और कौनसे एक्ट को संशोधित करवाने के लिये यह लाये हो? आपके 2009 के एक्ट के बाद हजारों सर्कुलर निकल गये, इस एक्ट का कोई महत्व ही नहीं रह गया है। इस पर आप जरूर मनन करें, क्योंकि आप जैसा विद्वान यू.डी.एच. मंत्री, मैं कई बार कहता हूं

(श्री अशोक लाहोटी)

कि आप तो यू.डी.एच. के एनसाइक्लोपीडिया हो। आप जैसे विद्वान यू.डी.एच. मंत्री के रहते इस तरह से हो जाए कि 13 मई के आपके सर्कुलर के बाद आपने लिखा नगर निगम, नगरपालिकाओं में भुगतान की प्रायोरिटी तय की जाए। आपके सर्कुलर के बाद में हर नगरपालिका, नगर निगम में उसकी धज्जियां उड़ायी जा रही हैं, तो फिर ऐसे नियम और सर्कुलर लाने का क्या फायदा? ऐसे एक्ट बनाने का क्या फायदा है? आज आपने एक्ट में पूछा, धारा 6 के (1) खण्ड-vi में आपने कहा कि नामित सदस्य नगर निगम में 6 की जगह 12 करेंगे। नगर परिषद् में नामित सदस्य 5 की जगह 8 करेंगे और नगरपालिकाएं, वह तो बेचारी हैं। वहां आप नगरपालिकाओं में सदस्य 4 की जगह 6 करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद मंत्रीजी यह भूल रहे हैं कि कई नगरपालिकाओं में कुल पार्षदों की संख्या ही 18-20 है। अब 20 पार्षदों में 6 आप नोमिनेट कर रहे हैं और आपकी स्थिति क्या है? इस सफेद हाथी को पालने के लिए आपके पास तनख्वाह नहीं है। आपके बजट में मैंने उस दिन भी चर्चा में बताया था कि लालटेन लेकर पूरा बिनोकुलर लगाकर देखने से भी कुछ पाइंट परसेंटेज में आपका बजट दिखता है। नगरपालिका के पार्षदों को मात्र 1,800 रुपये आप देते हो। वह भत्ता भी देने के लिए आपके पास पैसे उपलब्ध नहीं हैं। आप एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए, यह तो अच्छा है कि आपने उसमें वोटिंग राइट्स नहीं दिये, वरना आपने जिस प्रकार एम.एल.ए., एम.पीज. को वोटिंग राइट्स दिये, इनमें भी आप वोटिंग राइट्स दे दो और नीचे एक लाइन लिख दो कि जहां हमारा बोर्ड नहीं बना, वह सब नगरपालिकाएं, सरकार हमारी है तो हमारी ही गिनी जाए। यह इन 25 प्रतिशत सदस्यों के माध्यम से हम एक्ट में परिवर्तन करते हैं। इनको वोटिंग राइट्स भी दे दो फिर, क्योंकि इससे आपकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होगी। इस तरीके से केवल सरकार के माध्यम से नगरपालिकाओं पर थोपना और नगरपालिकाओं का राजनीतिकरण करना, मैं समझता हूं मंत्री महोदय, इस पर कहीं न कहीं तो लगाम लगाओ। यह आप ही 1973 में भारत में आपकी कांग्रेस की सरकार थी, जब एक्ट बना था। उस एक्ट को भी एक बार देख लो, उस एक्ट की आत्मा रो रही है कि उसके बाद आपने कितने संशोधन कर दिये। आज वहां चपरासी का ट्रांसफर भी होता है तो फाइल मंत्रीजी के पास आती है।

(श्री अशोक लाहोटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आप जैसे विद्वान मंत्री के रहते यदि यह संस्थाएं ठीक नहीं हुईं तो भविष्य में इनकी कभी ठीक होने की उम्मीद भी मत पालना। अच्छा होता आप बिल लाते। आपकी रेवेन्यू बढ़ाने की कार्ययोजना लेकर आते। आप तनख्वाह बांटने के लिये पैसे के लिये कोई कार्ययोजना लेकर आते। मैं इसलिए कह रहा हूं मंत्री महोदय, कि आपने जिस प्रकार से इस धारा 6(2) में भाग-4 में आपने नामित सदस्य में एक दिव्यांग व्यक्ति को जोड़ने का किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं लेकिन, आपको अतिरिक्त लाने की आवश्यकता कहां पड़ गयी? आप उन्हीं में से उसको अतिरिक्त ले लेते। (व्यवधान)

(13.55 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, आपके रिश्तेदार हैं, आप बाद में चैम्बर में जाकर बात कर लेना, यहां हमारे लिये छोड़ दो आप। यहां हमको ही बात कर लेने दो। माननीय सभापति महोदय, व्यवस्था दो, वह डिस्टर्ब कर रहे हैं बीच में।

माननीय सभापति महोदय, धारा 24 की 17 में आपने दो से अधिक संतान होने पर पालिका सदस्य से चुने जाने के लिये उसमें लिखा है कि 'दत्तक में दी गयी किसी संतान की संख्या की गणना करते समय अपवर्जित नहीं किया जाएगा'। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार का दत्तक अधिनियम बना हुआ है। जब आपका दत्तक अधिनियम बना हुआ है और उसका वर्णन यदि इसमें है नहीं तो फिर यह विरोधाभासी प्रावधान करने का क्या औचित्य है? दत्तक अधिनियम का वर्णन इसमें करते हुए यदि इन प्रावधानों को किया जाता, तो मैं समझता हूं यह किसी दृष्टि में उचित होता। इस प्रकार से केवल राजनैतिक लाइनें खींचने के लिये और सरकार द्वारा अधिनियम में वर्णित ऐसी स्थिति में विरोधाभासी प्रावधान किया जाना और केवल राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिये और पार्टी के लोगों को आब्लाइज करने के लिये यदि इतने-इतने सदस्य बढ़ाने के बाद भी यदि पार्टी आब्लाइज नहीं हो रही तो मंत्री महोदय वह कभी होगी भी नहीं। इस प्रकार के सरकार के श्रेय पर केवल गुंडागर्दी करना, यह शोभा नहीं देता। इन चुनी हुई संस्थाओं की, लोकतंत्र की हत्या नहीं करें। इन चुनी हुई संस्थाओं को संविधान

(श्री अशोक लाहोटी)

प्रदत्त जो अधिकार हैं, उनको अपने अधिकार लौटाये जाएं। यही मैं आपसे निवेदन करता हूं और माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अधिकार दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, सदन में राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021 पर चर्चा हो रही है, जिसको मैंने जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिये अपना प्रस्ताव दिया है। मुझे अफसोस इस बात का है कि इसको जो पायलट कर रहे हैं, मंत्री महोदय, वह इतने मशगूल हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं कि उनके द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर आज विधान सभा चर्चा कर रही है। सबसे पहले तो आप इनको कहो।

माननीय सभापति महोदय, अभी मुझसे पहले सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही, उस बात में एक बात पर तो मैं इत्तेफाक करता हूं कि हमारे स्वायत्त शासन मंत्री निश्चित तौर पर स्थानीय निकायों का एनसाइक्लोपीडिया हैं पर इनका जो स्वभाव है, मूल रूप से इस डेमोक्रेसी के अन्दर कुछ लोग स्वाभाविक तौर पर आटोक्रेट स्वभाव के होते हैं, लोकतंत्र में नहीं...

माननीय सभापति महोदय, या तो मैं बंद कर दूं या इनको कहिए। यह कोई तरीका थोड़े ही है, माननीय सभापति महोदय, मैं यहां आकर धरने पर बैठता हूं। नहीं, हमारा अपमान हो रहा है। बात करने की इतनी ही इच्छा है तो आप बाहर जाकर बात करो न। यह क्या बात हुई? राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य को अपनी सीट पर भेजिये।

(14.00 बजे)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप यह चाहते हो कि हम बात भी आपसे पूछ कर करें? वाह। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं पुन: अपनी बात को प्रारम्भ कर रहा हूं। मंत्री महोदय, मैंने राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021 को जनमत जानने के लिए इसलिए परिचालित किया है कि इस विधेयक के माध्यम से आज इस सदन से आप जो सत्ता का बेजा इस्तेमाल करने का अधिकार ले रहे हो और यह नगरपालिका अधिनियम

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

2009, इसकी अगर पैदाइश हुई तो संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से स्थानीय निकायों को और पंचायती राज संस्थायों के विकेन्द्रीकरण का जो युग प्रारम्भ हुआ था, उस युग के अन्दर यह भी तय हुआ था कि यह सारे स्थानीय निकाय, यह लोग सरकार के आगे अपने पैसों के लिए, अपने वित्तीय संसाधनों के लिए मोहताज नहीं हों इसलिए वित्त आयोग बनाने का भी इसी के अन्दर प्रावधान हुआ था। मंत्री महोदय, आज राजस्थान के अन्दर आप संशोधन लेकर आ रहे हैं और संशोधन के मूल में आप कुछ लोगों को, जो निश्चित तौर पर आपके पसंदीदा लोग होंगे क्योंकि नगरपालिका अधिनियम, 2009 में यह जो पार्षदों को नोमिनेट करने का अधिकार बिना चुनाव के है वह सरकार के पास है। आप नोमिनेट करने वाले पार्षदों की संख्या दोगुना कर रहे हैं, पर आप यह तो बताएं कि इन नगरपालिकाओं को राज्य वित्त आयोग के माध्यम से जो राशि मिलती है, अब कौनसा वित्त आयोग है जिसकी सिफारिश पर इन नगरपालिकाओं और स्थानीय निकायों को, नगर निगम को, नगर परिषद् को पैसा मिलेगा? आपने छठे वित्त आयोग का गठन नहीं किया है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो आपकी अदा है, आपकी अदा से मैं कायल भी हूं, एनसाइक्लोपीडिया भी आप हो, पर स्वाभाविक रूप से स्वभाव में डैमोक्रेसी आपके आस-पास नहीं है। अधिकारों का बेजा इस्तेमाल करना इस राजस्थान की हुकूमत में अगर कोई जानता है तो एक ही व्यक्ति जानता है, वह है शान्ती जी धारीवाल। मैं समझता हूं कि आपने इस नगरपालिका अधिनियम, 2009 के साथ जो किया है, मैं दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, पर आपने इसको नखहीन और दंतहीन कर दिया। सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य सही कह रहे थे, आपने पूरे इस नगरीय प्रशासन को अपने परिपत्रों के जोर पर जैसा चाहा, जब चाहा तोड़ा और मरोड़ा।

सभापति महोदय, आपका आज जो यह नगरपालिका (संशोधन) विधेयक है उसके पृष्ठ तीन पर आपने उद्देश्यों और कारणों के कथन का जिक्र किया है और उसमें आपने कहा कि नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 6 और धारा 9 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, चूंकि वार्डों का पुनर्गठन हो गया, वार्डों की संख्या बढ़ गयी, यह भी अधिसूचना है 10.06.2009 की जिसका आपने जिक्र किया, अब वार्डों की संख्या बढ़ गयी तो नोमिनेट किये जाने वालों की संख्या बढ़नी ही चाहिए। नगरपालिका के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अन्दर पहले तीन नामजद हुआ करते थे वो 6 होने चाहिए, नगर परिषद् के अन्दर 4 की जगह 8 होने चाहिए और नगर निगम के अन्दर 6 की जगह 12 होने चाहिए।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा इसके लिए आप आज संशोधन लेकर आये हैं। नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 6 की उप-धारा (1) (क) में उप-धारा (ii) के अन्दर। यह इस प्रजातंत्र की खूबसूरती भी है, प्रजातंत्र के अन्दर लोग अपना मत बदलते हैं और विशेष तौर पर जब सरकार की उम्र आधी व्यतीत हो जाती है तो सरकार के अन्दर सरकार को बनाने वाले लोग सरकार के आधे कार्यकाल के आधार पर अपना मन बनाना प्रारम्भ कर देते हैं। मैं उन सारी बातों की तरफ नहीं जाऊंगा, कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, मैं बिल की परिधि में रहना चाहता हूं, परन्तु यह सही है कि जिस प्रकार रोज समाचार पत्रों में आपके कार्यकर्ता, जिनको सब्जबाग था कि शासन में वे भी कहीं मलाई चखेंगे, वह जब महरूम रह गये तब आपने रास्ता यह निकाला है कि आज इस विधेयक के संशोधन के माध्यम से पूरे राजस्थान में भारी-भरकम संख्या, सभापति महोदय, इनकी संख्या को अगर सारे स्थानीय निकायों से जोड़कर देखोगे तो सात हजार का आंकड़ा पार कर रही है। मैं समझता हूं यह सारे लोग और विशेष तौर पर आपने इसमें एक बात कही। आपने कहा कि हम जिनको नामजद करेंगे वो नगरपालिका प्रशासन के विशेषज्ञ, विशेष ज्ञान और अनुभव वाले। आपने इसमें लिखा है, आप 6 (2) में संशोधन लेकर आ रहे हैं। अब मुझे बता दो, यह नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान, यह विशेष ज्ञान की परिभाषा कहां लिखी आपने? विशेष ज्ञान, सभापति महोदय, मैंने सारी डिक्शनरी देख ली, विशेष ज्ञान को मैं परिभाषित नहीं कर सका, विशेष ज्ञान की परिभाषा क्या है? अनुभव की तो आप कह सकते हो कि चार बार, पांच बार अगर कोई पार्षद रहा है...

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): Special knowledge about municipalities and their duties.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, यह मेरा दुर्भाग्य तो जरूर रहा कि मैं गांव का रहने वाला पंचायती स्कूलों में पढ़ा, पर स्पेशल नालेज की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बात को मैं नहीं समझूं, ऐसी बात नहीं है। घुमावदार बात मत करो, आप राजस्थान की विधान सभा में तर्कों के आधार पर और इस बिल को पायलट करने वाले मंत्री के रूप में सामने विराजे हैं। आप मुझे बता दो कि विशेष ज्ञान की परिभाषा क्या है, मैं बिलकुल संतुष्ट हो जाऊंगा।

आपने जिस नोटिफिकेशन का जिक्र किया है इसी में, उद्देश्यों और कारणों में भी किया है, वह नोटिफिकेशन 10.06.2019 का। अब है कि नहीं, बता दो आप। उस नोटिफिकेशन के द्वारा वह नोटिफिकेशन हुआ है, सभापति महोदय, इस राजस्थान के अन्दर एक नया इतिहास रचा गया था। 2011 की जनगणना के आधार पर नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 6 और 9 की शक्तियों का उपयोग करते हुए आपने वार्डों का गठन किया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नगरपालिका अधिनियम की धारा 6 (ii) है, उसमें जो परन्तुक है उसमें लिखा है, नगरपालिका की स्थापना के पश्चात् प्रत्येक जनगणना के पूर्ण होने पर। सभापति महोदय, मुझमें यही कमी है, जो आदमी स्वभाव से सीधा, सरल हो वह आंखों से डरता है। अब यह मुख्य सचेतक महोदय, दोनों ने जो बातें कीं, उनकी गूंज यहां तक आयी है।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): यह तो खुद आंखों से डरा रहे हैं प्रताप सिंघवी जी को। वह बोल रहे थे उस वक्त आंखों से डरा रहे थे, यह सदन और यू-ट्यूब, सब देख रही थी, दुनिया देख रही थी। डरा तो यह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मुख्य सचेतक महोदय, मैं जानता हूं, मैं मेरी बात पूरी कहूंगा, आप मुझे रोक नहीं पाओगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप मुझसे इर्रिलेवेंट बात सुनने के लिए मुझे पाबंद करना चाहेंगे, मैं नहीं होऊंगा, रिलेवेंट बात करो सुनूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): तो, सभापति महोदय, मैंने रिलेवेंट बात नहीं की? मंत्री महोदय, आप यह बता दो कि 10.06.2009 का, उस नोटिफिकेशन का जिक्र इसमें है या नहीं है? उस 10.06.2009 के उस नोटिफिकेशन में ऐसी आपने क्या करतूत की, अगर सदन में यह बताऊं तो गुनाह नहीं करूंगा मैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा मैंने आपके द्वारा जो धारा 6 (ii) के परन्तुक में लिखा, उसको पढ़कर सुना रहा था। नगरपालिका अधिनियम, 6

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(ii) के परन्तुक में, नगरपालिका की स्थापना के पश्चात् प्रत्येक जनगणना के पूर्ण होने पर राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर नगरीय क्षेत्रों की नवीनतम जनगणना के आधार पर पुन: निर्धारित करेगी। मतलब नई जनगणना, कौनसी नई जनगणना थी आपके इस परिपत्र से पहले, बताओ। इससे पहले, निश्चित तौर पर इससे पहले भी 1994 के अन्दर पुनर्सीमांकन हुआ था, जनगणना थी 1991 की, 2008 के अन्दर पुनर्सीमांकन हुआ जनगणना का आधार था 2001, 2014-15 में पुनर्सीमांकन हमारे समय में हुआ जनगणना का आधार था 2011, अब 2019 में पुन: उसी जनगणना के आधार पर इन्होंने जिस प्रकार इन वार्डों का पुनर्गठन किया और उनमें आप उन लोगों को नामजद कर रहे हो और उन्हीं में, किस प्रसव पीड़ा से आपके यह दो नगर निगमें बनी हैं। जयपुर में क्या हुआ, कोटा में क्या हुआ, जोधपुर में क्या हुआ? मैं समझता हूं आप और हम रहें न रहें पर यह कानून यहां रहेंगे और कानून रहेंगे तो इतिहास में यह भी लिखा जाएगा कि इस विधान सभा के फ्लोर का उपयोग अपनी हिलती हुई कुर्सियों को बचाने के लिए जिस प्रकार किया गया है, यह पहले कभी नहीं किया, सभापति महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है। मतलब छठे वित्त आयोग का गठन नहीं, एक पैसा नगरपालिकाओं के पास है नहीं और सफेद हाथी के रूप में आप यह कहकर कि हम जिनको कर रहे हैं वह विशेष ज्ञान नगरपालिका प्रशासन में और अनुभव।

मैं एक बात पर तो निश्चित तौर पर कि आपने एक अच्छा काम कैसे कर दिया? मैं समझता हूं, कई बार अनजाने में अच्छा काम हो जाता है और उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। आपने दिव्यांग को नामजद करने में सम्मिलित करने का काम किया, मैं समझता हूं निश्चित तौर पर कोई अच्छे लोगों का सम्पर्क आप में आया होगा। लेकिन इसके साथ ही जो दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 है, सिर्फ नगरपालिका के अन्दर एक मनोनीत पार्षद नामजद करने से नहीं, आज वह लोग धरने पर बैठे हैं। आज कम से कम उनके तो 3 परसेंट आरक्षण के आधार पर पदोन्नति हो, उस बारे में भी आपको सोचना चाहिए।

जिस बात को अभी सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आपने धारा 24 के खण्ड 17 के अन्दर यह अयोग्यता मात्र 2 बच्चों से अधिक होने वाला जो निर्धारित किया था, उसमें दत्तक पुत्र, इसकी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आवश्यकता कहां पड़ी थी? मैंने आपके मूल प्रिंसिपल एक्ट को पढ़ा है। उस प्रिंसिपल एक्ट में आपने कहीं नहीं लिखा। दत्तक पुत्र का जिक्र ही नहीं है। सबको मालूम है कि राजस्थान में दत्तक पुत्र अधिनियम बना है। उस अधिनियम का इसमें जिक्र नहीं है।

सभापति महोदय, आप जब भी मेरी तरफ देखते हो तो मैं समझता हूं कि मैंने समय कुछ ज्यादा नहीं ले लिया हो, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस खोटे कानून को तो मंत्री महोदय आप जनमत जानने के लिए तो परिचालित नहीं करोगे। मैं आपका स्वभाव तो बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन एक काम आप कर सकते हो, उसमें भी लोगों को अब आप पर विश्वास नहीं है। आप अपने आदमी ज्यादा ले लेना। एक प्रवर समिति बना दो। हम भी बैठ जाएंगे। कुछ ज्ञान हमारे पास है कि नहीं, कुछ तो होगा न, विशेष ज्ञान तो नहीं है, पर सामान्य ज्ञान वाला यह व्यक्ति भी इसमें बैठे, हम सब लोग बैठें और इस पर चर्चा करें इसलिए इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करें।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 संशोधित करने के लिए माननीय मंत्री जी बिल लेकर आए हैं। उक्त एक्ट की धारा 6 की उप धारा 1 के खण्ड 'क' के उपखण्ड 2 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अनुसार नोमिनेट सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी। नगरपालिका 4 से 6 और नगर परिषद् 5 से 8, नगर निगम 6 से 12 करने का प्रावधान सरकार लाई है।

माननीय सभापति महोदय, क्या आवश्यकता पड़ गई? जब उद्देश्य में स्वयं सरकार, मंत्री जी कह रहे हैं कि 10.06.2019 के सर्कुलर से वार्डों की संख्या बढ़ाई है पूरे देश भर में। वार्डों की संख्या भी बेतहाशा हजारों की संख्या में बढ़ाई है। जयपुर नगर निगम जो 91 वार्डों का हुआ करता था, उसमें 2 निगम बना दिए। एक में 100 और एक में 150, कुल 250 की संख्या हो गई। क्या सुधर गया जयपुर में? क्या जयपुर स्वच्छता में आगे आ गया? जयपुर में और कोई सुधार हो गए? क्या बदल गया नोखा में?

माननीय सभापति महोदय, यह जो नोमिनेट की संख्या बढ़ाई जा रही

(श्री बिहारीलाल)

है, विशेष ज्ञान और उस आधार पर, तो मुझे इसका उद्देश्य कुछ समझ में नहीं आता है। निश्चित तौर पर यह संशोधन जो सरकार, माननीय मंत्री जी लेकर आए हैं, नोखा को ध्यान में रखकर लाया गया लगता है।

नगरपालिका में आपने मनमर्जी से वार्ड बढ़ाए। मनमर्जी से परिसीमन किया। वोटों का ख्याल नहीं किया। कोई वार्ड तो 300 वोट का बना है और कोई 1800 वोट का भी बना है। आड़ी, तिरछी लाइनें खींच दी गईं शहरों के बीच में। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया और न विपक्षियों की सुनी गई। ऐसे-ऐसे वोट जोड़ दिए गए कि घर के मालिक को ही पता नहीं कि यह वोट मेरे घर में कहां से आए। खाली प्लाट पड़े हैं! उन प्लाटों पर कोई घर आबाद ही नहीं है। वहां भी 5-5, 10-10 वोट जोड़ दिए गए। एक वार्ड में ऐसे 15, 20 नहीं, 100 से 150 तक वोट जोड़ दिए गए।

उसके बाद भी जब नगर निगम 6 में से 3 चले गए और नगरपालिकाओं में कहीं 18 में बहुमत आया और उसको 36 कर लिया। इतना कुछ करने के बावजूद भी नोखा में तो कांग्रेस का एक भी पार्षद नहीं आया। पार्षद तो लड़े फिर आए, सत्तारूढ़ पार्टी जिसका मुख्य मंत्री है, उस पार्टी का एक भी व्यक्ति नोखा के 45 वार्डों में टिकट लेने को भी तैयार नहीं है। मैं समझता हूं कि इसलिए नोमिनेट व्यक्तियों के माध्यम से कांग्रेसियों को उस नगरपालिका में लाएं, ऐसे में नोखा के लिए एक्ट लाया गया लगता है। अब वह धारीवाल जी आपके पास आएंगे। आपके नेता आएंगे। आप खुद मंत्री हो, मुख्य मंत्री आपका है, सरकार आपकी है और आपकी पार्टी से लड़ने के लिए ही मना कर दिया। अब आकर कहेंगे कि हम आपसे भी बड़े कांग्रेसी हैं। नोमिनेट की लिस्ट लेकर आएंगे।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा जो संशोधन इसमें लाया गया है धारा 24 का संशोधन, दत्तक एक्ट राजस्थान में प्रभावी होते हुए इस संशोधन का क्या मायने रहता है। यह विरोधाभासी बातें क्यों हैं? जब दत्तक पुत्र देने के बाद में, गोदनामे के बाद में माता-पिता का नाम भी बदल जाता है, उसको भी इसमें अपवर्जित नहीं किया जाएगा। यह आपस में विरोधाभासी बातें हैं। आप या तो उस एक्ट को खतम करिए या इस प्रावधान को इसमें से निकालिए।

दूसरा, दिव्यांगजन को इसमें शामिल करने का आपने जिक्र किया। उसके लिए मंत्री जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। आदरणीय मंत्री जी, इसी के

(श्री बिहारीलाल)

माध्यम से एक छोटी-सी चीज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि नोखा नगरपालिका को 2013 में आपकी सरकार में, पीएचईडी महकमे को नगरपालिका के अधीन लाया गया था। आज नोखा में 16 करोड़ से ज्यादा बिजली का बकाया नगरपालिका पर पडा है और कनेक्शन कट रहे हैं। यह तो कल्ला जी भी बीकानेर से हैं इसलिए रोक देते होंगे। लेकिन कब तक? एक नगरपालिका पर 16-16 करोड़ बिजली का बकाया है, 50 हजार अगर किसानों का हो तो ट्रांसफार्मर उतार लिए जाते हैं। एक फसल का इंतजार भी नहीं किया जाता। यह स्थिति है, इसलिए या तो नगरपालिका उसको भरे, अगर नगरपालिका की व्यवस्था नहीं है तो माननीय धारीवाल जी आपका महकमा भरे, सरकार भरे और इससे नोखा को निजात दिलाएं। यह प्रयोग पूरी तरह से नोखा में ही नहीं सब जगह फेल हुआ है।

माननीय धारीवाल जी, आरयूआईडीपी 4 जिसमें नोखा भी शामिल था 42 शहरों में, नगरपालिका की लेटलतीफी की वजह से नोखा की भूमि संबंधित रिपोर्ट्स, आपने मेरे तारांकित सवाल के जवाब में भी कहा, आपने भी प्रयास किए। आपके कहने पर ही डीएलबी के अधिकारी पीछे पड़े हुए हैं तब जाकर के 2 साल में भूमि संबंधी रिपोर्ट्स भेजी हैं। अब वह आ चुकी हैं, लेकिन उनके आते-आते आपने 42 शहरों को 2 ट्रैंच में बांट दिया। फर्स्ट ट्रैंच में जो 14 शहर हैं, उनको शामिल किया गया है। नोखा हमारा उसमें नहीं है। 99 करोड़ की नहरी पेयजल योजना है और 55 करोड़ के एसटीपी प्लांट हैं। उनको इसमें शामिल करके टेंडर प्रक्रिया करवाएं। धन्यवाद।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 2 ट्रैंच में डालने का काम एडीबी के द्वारा किया जाता है। 14 शहर पहले में लिए हैं। अब 11 शहर और में लिए जा रहे हैं।

श्री बिहारीलाल (नोखा): उन 11 में नोखा को शामिल कराइए, माननीय मंत्री जी।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित करना चाहता हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अलग से बात कर लेना।

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आदरणीय सभापति महोदय, जब राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक, 2021 की जानकारी मिली तो लगा कि शायद इसमें कुछ अच्छी बातें होंगी, लेकिन पता लगा कि शान्ती जी धारीवाल प्रस्तुत करने वाले हैं तो समझ में आ गई कि इसके अन्दर क्या होगा। इसको पढ़ने पर लगा कि किस तरह से स्थानीय निकायों को पंगु बनाया जाए, किस तरह से उस पर सत्तारूढ़ पार्टी अपना शिकंजा कसे, उसका निश्चित रूप से भान हो गया। जबसे आप सत्ता में आए हैं, तब से सारा दिखने लग गया।

आपने एक तो यह जो वार्डों का परिसीमन किया, इसमें अगर आप लाते कि हम प्रत्येक वार्ड समान जनसंख्या का करेंगे, तो लगता था कि शायद आप इसमें कुछ समझदारी करेंगे लेकिन अपनी सत्ता को लाभ देने के लिए, पार्टी के लिए आपने पहले तो इन 3 बड़े शहरों के निगमों को 2 भागों में बांटा। उसमें भी कहीं डेढ़ सौ और कहीं 100, जयपुर में इस प्रकार का आपने किया। उसके साथ आपने वार्डों में भी कहीं 150 की संख्या का, कहीं 2 हजार की संख्या का, कहीं 3 हजार की संख्या का, यानी इस तरह से कहां पर आपकी पार्टी जीत सकती है, उसको ध्यान में रखते हुए परिसीमन कराया। जब परिसीमन के बाद चुनाव हुए तो उसमें भी आपको लगा कि जहां इनकी बनी हैं, यह जो समितियां बनाएंगे तो उनको भी आपने भंग करना शुरू कर दिया। यह शर्मनाक बात है।

माननीय सभापति महोदय, जयपुर की बहुमत वाली जयपुर ग्रेटर समितियों का गठन बहुमत से और नियमानुसार हुआ और रातोंरात उसको भंग कर दिया। यही हालत आपने पुष्कर में की। हमारे अजमेर जिले के पुष्कर में उन्होंने समितियां बनाकर भेजीं। आपने भंग कर दिया। आपका लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): महेश जी के कहने से की।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बीच में मत बोलिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): किसी के भी कहने से की। ये सब एक हैं। एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं। उससे मैं आगे नहीं बढ़ता। मैं चाहूंगा कि आपने इस तरह से करके उनका गला घोंटा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): दूसरी जगह अपने अधिकारी मनपसंद के लगाकर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के निगम या निकाय हैं, वहां पर ऐसे अधिकारी लगाओ जो उनको परेशान करते रहें। यहां से उनको निर्देश भेजकर इस प्रकार से परेशान करें। आज पुष्कर की नगरपालिका का ई.ओ., उसको वहां से 2 बार रवाना किया। वापस आपने उसी को लगा दिया ताकि नगरपालिका को काम नहीं करने दें। यही हालत आपने बाकी जगह भी कर रखी है। इस प्रकार का आपने वातावरण बना रखा है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कई बार कहते हैं कि निकाय काम नहीं करती। जब वह अतिक्रमण हटाने जाते हैं, सीज कर लेते हैं, डीएलबी के आ गए, इन्होंने जिसको चाहा उसके सीज को खतम कर दिया। कहीं भी जो कुछ हुआ, उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता। अंदर क्या खेल होता है? इस प्रकार के खेल से यह सारी चीजें हो रही हैं। आपका मन नहीं माना, हार गए कई जगह, फिर भी कहा कि अपना नियंत्रण कैसे हो तो आपने सदस्य संख्या बढ़ाने की तरकीब की। पहली बात तो यह कि सदस्यो की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता कहां पड़ी? मान लो, आपके पेट में आया कि अपने लोग हैं और नाराज हो रहे हैं। सत्ता जा रही है तो किस तरह से वहां अपने लोगों को ओब्लाइज करो, तो आपने बिना किसी सोच के एकदम से संख्या बढ़ा दी। यानी आज आपके कोई 150 की सदस्य संख्या का नगर निगम है, तो भी 12 जाएंगे, कहीं 100 नगर निगम है वहां भी 12 जाएंगे, कहीं 70 की नगर निगम है तो भी 12 जाएंगे, इस प्रकार नगर परिषदों की संख्या अलग-अलग होगी। आप प्रपोर्शनेटली रखते, यदि सदस्य संख्या 100 होगी तो इतने लोग नोमिनेट होंगे, 150 होगी तो इतने होंगे, 50 होगी तो इतने होंगे तो शायद समझ में आता कि कोई तर्क है लेकिन आपको तो अपने यहां जो हारे हुए लोग हैं, दूसरे जिनको आप टिकट नहीं दे सके और जो आपके कपड़े फाड़ रहे हैं, हमारे अजमेर में तो आपके प्रभारी बाद में आये ही नहीं तो इस प्रकार की स्थिति बनी।

इसके साथ में मेरा एक और बिन्दु है कि आज निकायों की आर्थिक स्थिति बहुत गड़बड़ है। अब आपने सदस्य संख्या तो बढ़ा दी पर वहां इतना बड़ा हॉल ही नहीं है जहां पर बैठकर वह मीटिंग कर सके। आज कहीं संख्या 60 थी उसको 100 कर दिया, 80 कर दिया, 150 कर दिया। हॉल में बैठेंगे कैसे? एक तरफ तो आप कोरोना की बात करते हो कि डिस्टेंस में बैठें,

(श्री वासुदेव देवनानी)

डिस्टेंस में बैठने की बात तो दूर रही, साधारण तरीके से बैठने तक की जगह नहीं है। आप कह दोगे कि वहां पर अलग से हाल बनाओ। अलग से हाल बनाने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं तो क्या आप स्पेशल ग्रांट देंगे कि वहां पर सब लोग एक साथ मीटिंग के लिए बैठ सकें। इस प्रकार केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकना उचित नहीं लगता है।

माननीय सभापति महोदय, मेरी एक बात और है। आपने दिव्यांग की बात रखी वह तो ठीक है, लेकिन दत्तक वाली लोगों ने कह दी, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। आपने संख्या बढ़ाने का कहीं 12, कहीं 8, मनमाने ढंग से, ठीक है जहां पर आपका वश चलता हो, आपको खतरा हो कि ढाई साल के अन्दर आप कोई और विधेयक ले आओ कि इनको मतदान का भी अधिकार देते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो और आपका लोकतंत्र में कहीं कोई विश्वास नहीं है। इस प्रकार का बिल लाकर थोपोगे तो ये निकाय जिस आधार पर बनाये गये हैं, जिन सिद्धांतों के आधार पर बनाये गये हैं, उनका तो एक प्रकार से गला घोंटना हुआ, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। एक तरफ तो मुख्य मंत्रीजी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और दूसरी तरफ आप उनकी बातों को गलत साबित करने में जुटे हुए हैं। मैं सोचता हूं कि हालांकि मंत्रिमंडल में बातचीत हुई होगी, लेकिन फिर भी क्योंकि स्वायत्त हैं, ये किसी की सुनते नहीं हैं, ये स्वायत्त शासन मंत्री स्वायत्त होते हुए इस प्रकार का विधेयक लाकर के लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। आपने केवल उनकी एक ही नकल की, वो पानी पी-पीकर बोलते हैं और आप भी पानी पी-पीकर बोलते हो, ये दोनों में समानता है। पता नहीं काम्पीटिशन होगा, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि इस विधेयक को दुबारा पढ़ो और अपनी अंतरात्मा से पूछो, यदि आपकी अंतरात्मा है, यह उसके अनुसार लाएं। इससे कोई लाभ होगा क्या लोकतंत्र को? आपकी अंतरात्मा की खुद की गवाही मिलेगी, लेकिन होगी तब न। इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, अभी नोखा से आने वाले माननीय सदस्य को स्वायत्त शासन मंत्रीजी के द्वारा कहा गया कि

(श्री संयम लोढ़ा)

आप अलग से मिल लेना। अब इनके जैसे दुर्लभ व्यक्ति से कोई अलग से कैसे मिलेगा? (व्यवधान) यह शोध का विषय है, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: अब मैं आपके लिए विशेष रूप से इनसे आग्रह करूंगा कि आपको मिलने का समय दें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बढ़िया तो यह हो कि एक दिन पूरा इन पर ही चर्चा कर लें? पूरी चर्चा धारीवालजी पर ही करवा लें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, अगर इन पर चर्चा करवा लेंगे तो फिर देश में शोध का काम, रिसर्च का काम बंद हो जाएगा, इतनी शोध पुस्तिकाएं निकल जाएंगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मैं इनको बहुत वर्षों से जानता हूं, विशेषज्ञों के पैनल में मुझे बैठाना, निर्णय मुझसे करवाना आप, ये शांति हैं या अशांति हैं, यह मैं बताऊंगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे महबूब नेता, स्वर्गीय राजीव गांधी स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने का सपना हम सबको देकर गये थे। अपने जीवनकाल में जब उन्होंने प्रयास किया वह संशोधन लाने का, लोक सभा में पारित हुआ, लेकिन राज्य सभा में भारतीय जनता पार्टी ने साथ नहीं दिया तो वह संवैधानिक संशोधन पारित नहीं हो सका।

पूर्व प्रधान मंत्री नरसिम्हारावजी के कार्यकाल में वह 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, स्थानीय निकाय और पंचायती राज की इन संस्थाओं को संवैधानिक इकाई का दर्जा दिया गया। आपको याद होगा कि सालों चुनाव नहीं होते थे इन नगरपालिकाओं के। जब ये खुद प्रतिपक्ष के उप नेता पहली बार चिकित्सा मंत्री बने थे या उससे पहले जब 1990 में विधायक बने थे तब भी चुनाव नहीं होते थे नगरपालिकाओं में। शासन में ये जरूर थे, लेकिन चुनाव नहीं होते थे। उन संवैधानिक संशोधनों का नतीजा यह हुआ कि आज देश के अन्दर हर पांच साल के अन्दर व्यवस्थित रूप से स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने लगे हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के माननीय साथियों ने भी कहा है और राजस्थान में इस पर किसी को शक शुबहा नहीं है कि नगरीय विकास के लिहाज से शान्ती धारीवाल साहब का कोई तोड़ नहीं है। इतना

(श्री संयम लोढ़ा)

लम्बा अनुभव है, इनका अपना विजन है, लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इतने साल इस महकमे को संभालने के बाद ये जो नगरपालिका वाला काम है इसमें इनकी रुचि बहुत कम है। आप देखेंगे, स्वायत्त शासन विभाग में कितना कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है। यह इतना इम्पोर्टेंट बना तो शान्ती धारीवाल साहब की वजह से बना। एक समय था जब किसी विधायक को यह महकमा देते थे तो वह यह सोचता था अरे, मुझे यहां कहां फंसा दिया? यह स्वायत्त शासन विभाग मुझे क्यों दे दिया? 1998 में जब इन्होंने यह महकमा संभाला तो नियमों में इतने परिवर्तन किये कि इस महकमे का कलेवर बदल गया। आज लोगों की निगाह रहती है, जो भी सत्ता में चुनकर बैठे हुए हैं कि यह महकमा उनको मिले। लेकिन स्वायत्त शासन विभाग, क्या है इसमें? आप देखिये, सैक्रेटरी के पास में क्या स्टाफ है? डाइरेक्टर लोकल बोडी, कितने लोग उसके पास हैं वहां? आज अगर प्रदेश की किसी नगरपालिका में किसी तरह की बात हो, जांच करने के लिए जयपुर से किसी को भेजना हो तो क्या इनके पास मैन पावर है, नहीं है। आपने डीडीआर बैठा रखे हैं, अलग-अलग रीजन में, जोधपुर का ले लीजिये आप, चालीस नगरपालिकाएं होंगी उस डिप्टी डाइरेक्टर के पास, महीनों उन नगरपालिकाओं के अन्दर नहीं जा पाता है। क्या होता है और क्या वहां नहीं होता है, किसी को कोई पता नहीं।

इसी सदन में मैं एक मामला लाया था, आबूरोड नगरपालिका का, माननीय मंत्रीजी ने कहा था, जवाब गलत दिलवा दिया, मैं आपके ध्यान में लाया कि जवाब गलत दिलवा दिया गया है। आपने कहा कि मैं कलेक्टर से जांच करवाऊंगा। कलेक्टर ने वह जांच करके भेज दी। जब वापस इस प्रश्न को भेजा तो मुझे स्वयं डाइरेक्टर लोकल बोडी ने बताया कि उनके कार्यालय से वह फाइल ही गायब है जो कलेक्टर ने जांच की है। इस तरह के हालात में यह महकमा काम कर रहा है।

माननीय सभापति महोदय, अब इसमें पैसा बहुत है। इनके अधिकारियों को लो आप, कोई देखने वाला नहीं है, भ्रष्ट से भ्रष्ट अधिकारी हैं, धारीवाल साहब को शिकायत मिलेगी, धारीवाल साहब ट्रांसफर कर देंगे, वो जाएगा हाई कोर्ट में और स्टे लेकर आ जाएगा। फिर धारीवाल साहब को पता चलेगा कि वह स्टे लेकर आ गया तो वह उन कागजों के आधार पर उसको सस्पेंड कर देंगे तो वह फिर जाएगा और सस्पेंशन पर स्टे लेकर आ जाएगा और बैठा रहेगा। फिर इनकी मजबूरी है, वकील इनके पास हैं जैसे ही हैं, वो

(श्री संयम लोढ़ा)

खुद ही मिल जाते हैं तो चोर से बड़ा चोर आदमी कई महीनों तक मंत्रीजी की खुद की जानकारी में है, खुद बता देंगे उसके पूरे कारनामे, विभाग के सारे अधिकारी बता देंगे कि यह तो वहां रहा, इसके खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज थे, इसके खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज थे, इसके खिलाफ इतनी 16 सीसीए की चार्जशीट है। इसके खिलाफ इतनी वो चार्जशीट है लेकिन कोई तंत्र है? सैकड़ों मुकदमे होंगे जोधपुर हाई कोर्ट में इनके विभाग के, करोड़ों रुपये का इनका रेवेन्यू उनमें फंसा हुआ है, बीस-बीस साल से फंसा हुआ है, ये पता नहीं है विभाग को कि अगली पेशी कब है, हमारा वकील कौन है, उसमें जवाब क्या पेश हुआ है, यदि कभी कोई रिव्यू करे कि नगरपालिकाओं के कितने मुकदमे कहां पर लम्बित हैं और क्या है तो पता चले। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि एक डिप्टी डाइरेक्टर आरएएस आफिसर है और सारे ये संभाग मुख्यालयों पर, चाहे वो जयपुर हो, जोधपुर हो, कोटा हो, उदयपुर हो, कौन लगते हैं? वे लगते हैं जो येन-केन-प्रकारेण या तो उदयपुर नहीं छोड़ना चाहते या कोटा नहीं छोड़ना चाहते या अजमेर नहीं छोड़ना चाहते या जयपुर नहीं छोड़ना चाहते। उन्हें बस उस जगह पर रहना है। वे लग जाएंगे यहां पर। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट महकमा है, आपने उसे बहुत इम्पॉर्टेंट बनाया है, पर जब तक आप इन सारी चीजों में परिवर्तन नहीं लाएंगे, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया जा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, आप पंचायत समिति लें। मैं सिरोही की पंचायत समिति का उदाहरण देता हूं। 31 पंचायतें हैं, उस पर एक बीडीओ बैठा रखा है। शिवगंज पंचायत समिति को लें, 26 पंचायतें हैं, एक बीडीओ बैठा रखा है। फिर एसीईओ उनके ऊपर बैठा रखा है, फिर सीईओ उनके ऊपर बैठा रखा है। आपके पूरे जिले की पांच-छह नगरपालिकाएं हैं, उनके ऊपर कौन है जिला स्तर पर आपके विभाग की तरफ से, जो यह देख सके कि हमारा यह अधिकारी है जो इन्हें सुपरवाइज करेगा, मानिटरिंग करेगा।

मैं आपसे विनती करूंगा कि आप यह संशोधन लाये, वह तो बढिया बात है, लेकिन आप इस बात की व्यवस्था करें कि जिला स्तर पर आपके विभाग का एक अधिकारी हो जो जिला स्तर पर इन नगरपालिकाओं के काम की मानिटरिंग कर सके। आपने अधिकार दिये हुए हैं पार्षदों को, चुने हुए जन प्रतिनिधियों को कि कमेटी बनाओ, कमेटियों के माध्यम से काम करो, पूरे

(श्री संयम लोढ़ा)

राजस्थान के अन्दर पचासों ऐसी नगरपालिकाएं होंगी, जिनमें कभी कमेटियां बनती ही नहीं हैं। न भवन निर्माण समिति बनती है, न कोई प्रशासनिक समिति बनती है और न कोई वित्त समिति बनती है तो ई.ओ. और चेयरमैन दोनों मिल करके सारे काम करते रहते हैं।

निर्माण की इजाजत हो, दूसरी इजाजत हो, सब काम वे ही करते हैं। कोई एक चैक करने वाला नहीं है, जबकि आपके यहां नियमों में व्यवस्था है कि अगर इतने दिनों के अन्दर नगरपालिका बोर्ड कमेटियों का निर्माण नहीं करता है तो राज्य सरकार को उन कमेटियों का निर्माण करना चाहिए, पर कोई देखने वाला नहीं है।

अब आप सफाईकर्मियों का लें। सफाईकर्मियों की भर्ती होती है। आपने यह कर दिया कि इसमें जनरल का आदमी भी एप्लाई करेगा, ओबीसी का भी करेगा, फलां भी करेगा। होता क्या है, ठेकेदार के फर्जी सर्टिफिकेट लाकर वे नियुक्ति पर लग जाते हैं। उसके बाद में किसी न किसी अधिकारी को पकड़कर उसके घर पर काम करने लग जाते हैं। कभी एक दिन वे झाड़ू हाथ में पकड़ते नहीं। मेरे सिरोही का एग्जाम्पल मैं बताता हूं। मुझे ध्यान है कार्मिकों का। एक तो जोधपुर में किसी आईएएस आफिसर के यहां काम कर रहा था। एक जालौर में किसी के यहां काम कर रहा था। परमानेंट हुए नहीं, टैम्परेरी हैं। अलग-अलग जगह लग जाते हैं पूरे राजस्थान के अन्दर। आपको देखना चाहिए, जो लोग वास्तव में सफाई का काम नहीं करते हैं, बेईमानी से लग गये हैं, तो जो सफाई का एक्चुअल में काम करते हैं, उन्हें काम करने का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन हम यह सब देख नहीं पाते। अब कहने को हम कह सकते हैं, हम इस बात का दावा कर सकते हैं कि हमने इतने में से 170 नगरपालिकाओं के मास्टर प्लान बना लिये। बची हुई जगहों के मास्टर प्लान इस साल में बना देंगे, लेकिन होता क्या है?

पिछली बार आप स्वायत्त शासन मंत्री थे, तब आपने बनाये थे, किसी में भी मास्टर प्लान के अकोर्डिंग काम हो रहा है, यह देखने वाला कोई सिस्टम है?

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या?

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): धन्यवाद।

श्री सभापति: अमेंडमेंट पर कोई बात कहनी है तो और कह दें आप। अमेंडमेंट सम्बन्धी कोई और बात कहनी है तो आप गौर फरमाएं। बोलने वाले वक्ता बहुत हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अभी अमेंडमेंट तो आप लाये हैं इसलिए कि पार्षदों की संख्या में बढ़ोतरी करें तो अच्छा ही है। बढ़िया है आप सावधानी से काम कर रहे हैं। वैसे भी पूनियां साहब और प्रतिपक्ष के नेता हमेशा आपको हर थोड़े दिन में धमकाते ही रहते हैं कि आप मंत्रिमंडल का जिस दिन विस्तार करेंगे, उस दिन सरकार गिर जाएगी, मध्यावधि चुनाव होंगे तो बढ़िया है, आपने यहां संख्या बढ़ा दी है तो यह एक संतुष्टि का काम है लोगों का। (व्यवधान) अच्छा ही है यह। (व्यवधान)

श्री सभापति: शान्त रहें, शान्त रहें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): और राजनीतिक लोगों को मौका मिलेगा। अब आगे के काम करना मत। इसी से काम चल जाएगा आपका। धन्यवाद।

श्री सभापति: जनमत पर भी। जनमत का दिया हुआ है आपका इसमें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं अपना जनमत जानने का प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री सभापति: श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक, 2021 सरकार लेकर आयी है और यह तीन कारणों के आधार पर लायी है। पहला कारण है, नगरपालिका, नगर निगम, नगर परिषदों में मनोनीत पार्षदों की संख्या बढ़ाने के लिए। दूसरा, दिव्यांगों को इसमें एक सदस्य मनोनीत करने के लिए। तीसरा, दिव्यांग व्यक्ति की उस चुनाव प्रक्रिया में गणना नहीं करने के लिए। इन तीन आधारों पर सरकार संशोधन लेकर आयी है।

मैं इसके कारण और उद्देश्य देख रहा था तो इसमें इन्होंने लिखा है, ''व्यक्तियों के स्थानों की संख्या में भी वृद्धि किये जाने की व्यापक रूप से मांग विभिन्न लोक प्रतिनिधियों और संगठनों द्वारा की जाती रही है'' तो माननीय मंत्री महोदय, यह जो प्रतिनिधियों और संगठनों के पत्र आपको मिले होंगे, एक बार उन्हें भी टेबल कर दीजिएगा कि किस-किसने लिखे हैं और वे

(श्री रामलाल शर्मा)

जन प्रतिनिधि व संगठन कौन-कौनसे हैं जिनकी मांग पर आप इस कानून में संशोधन लेकर आये हैं।

सभापति महोदय, मेरा सीधा-सीधा आपसे निवेदन है, जब हमारी सरकार एक संशोधन लेकर आयी थी जिसमें स्थानीय निकाय और पंचायती राज के चुनावों में शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गयी और उसके बाद पहली बार जो सैक्रेटरी ग्राम पंचायतों के सरपंच साहिबानों का दुरुपयोग करते थे या उन्हें स्टाम्प पैड समझते थे, पढ़े-लिखे लोग ही ग्राम पंचायतों में आने लगे, सब विवेक के आधार पर निर्णय करने लगे तो इसी कांग्रेस सरकार के विधायकों ने हम पर यहां बैठकर आरोप लगाये थे कि आपने लोकतांत्रिक प्रणाली की आस्था पर हमला करने का काम किया है। अशिक्षित व्यक्ति भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकता है। उसमें उसके हिस्सा लेने पर भी सरकार ने एक बंदिश लगाने का काम किया है। सभापति महोदय, उस समय चीख-चीखकर इन्होंने कहा कि कितने लोगों को आपने जेल की सलाखों के पीछे भेजने के लिए मजबूर कर दिया। फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र लेकर वे अंक तालिकाएं लेकर आये, चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने की वजह से वे जेल की सलाखों के पीछे गये।

सभापति महोदय, क्या मैं यह मानकर चलूं कि आपने जो दिव्यांग व्यक्ति की बात की है कि उसकी गणना उस कैटेगरी में नहीं की जाएगी, तो क्या ये जो मेडिकल के सर्टिफिकेट बनेंगे, इस बात को कौन प्रमाणित करेगा कि ये ईमानदारी से बनेंगे? क्या दिव्यांगों के प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से नहीं बनेंगे और आने वाले समय में क्या इन नगरपालिकाओं में भी इस तरह के प्रमाण पत्रों के आधार पर लोग नगरपालिकाओं में जाने का काम नहीं करेंगे? सभापति महोदय, मेरा सरकार पर सीधा-सीधा आरोप है, आप अपनी राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए इस तरह के संशोधन लेकर आये हैं। आप यदि नगरपालिकाओं में संशोधन लेकर आते तो यह लेकर आते कि राजस्थान में हाई-कोर्ट के आदेश के बावजूद कितनी नगरपालिकाएं ऐसी हैं जिनमें अधिशासी अधिकारी हैं। आप नगरपालिकाओं में चार्ज किसे दे रहे हैं, कोई जेईएन है तो आप उसे चार्ज दे रहे हैं, कोई एलडीसी है तो उसे आप चार्ज दे रहे हैं। अगर एलडीसी न हो तो आप तो चपरासी को भी चार्ज देने के लिए तैयार हैं।

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदय, मेरा सीधा-सीधा आरोप है, इन नगरपालिकाओं को ठेकेदार चलाने का काम करते हैं। ठेकेदार कांग्रेस के जन प्रतिनिधियों के पास जाते हैं, उनसे डिजायर करवाते हैं और अपना इच्छित कर्मचारी लगाने का काम करते हैं। जो नगरपालिका का ई.ओ. ईमानदारी से काम कर रहा है, वह उनके कहने से भी गलत काम नहीं कर रहा, उसे तत्काल हटवाने का काम ठेकेदार करते हैं, दूसरे को चार्ज दिलाने का काम करते हैं। आज राजस्थान की कितनी नगरपालिकाएं हैं, कितना बजट उनके पास है, उस बजट के आधार पर आप तय करें कि यह महत्त्वपूर्ण है।

अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि मास्टर प्लान तो आपने बना दिया, पर उसकी पालना कौन कर रहा है? कितनी नगरपालिकाएं ऐसी हैं जो मास्टर प्लान के अनुसार काम कर रही हैं? सभापति महोदय, आज भी नगरपालिका, नगर परिषद्, इनके अन्दर बेशकीमती जमीन पड़ी है। क्यों नहीं आप इनका लैण्ड बैंक बनाने का काम करते हैं, लेकिन इन्हीं के चुने हुए जन प्रतिनिधि उस सरकारी सम्पत्ति को खुदबुर्द करने का काम कर रहे हैं। मेरी सीधी-सीधी मांग है सरकार से कि सरकार ऐसे कानून लाने की बजाय, ऐसे संशोधन लाने की बजाय वह संशोधन लेकर आए जो स्थानीय नगरपालिकाओं में हितकारी हों।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। आज नगरपालिकाओं की क्या दशा है? आज नगरपालिकाओं में आप बजट दे नहीं रहे हैं। अभी नोखा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, मेरी चौमूं नगरपालिका की स्थिति भी वही है। पेयजल की आपूर्ति का काम भी नगरपालिका चौमूं को दे रखा है। वह नगरपालिका अपने कर्मचारियों की तनख्वाह देने में तो कई दिन लगा देती है। आखिरकार विकास के काम कैसे कराएगी, बिजली के बिलों का भुगतान कैसे करेगी? पीएचईडी के द्वारा जो पहले बोरिंग होते थे, नगरपालिकाएं वे बोरिंग कैसे करवाएंगी, पाइपलाइन डालने का काम कैसे करेंगी? इसलिए मैं चाहूंगा कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आपने जिन नगरपालिकों में पेयजल आपूर्ति की सप्लाई दे रखी है, उन्हें भी तत्काल बंद करने का काम करें।

सभापति महोदय, एक अंतिम निवेदन करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। आज राजस्थान में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, वे हालात इस

(श्री रामलाल शर्मा)

प्रकार के हैं कि आप स्थानीय निकाय जो कहने को तो आटोनोमस बोडी हैं, कहने में तो स्वायत्तता प्राप्त है, लेकिन आखिरकार सरकार उन पर शिकंजा कसने पर आतुर है।

आज भी राजस्थान की नगरपालिकाएं स्वतंत्र बोर्ड की बैठक के अन्दर जो कामों का अनुमोदन लेती है, पिक एण्ड चूज के आधार पर सरकार काम कर रही है। जो सरकार को अच्छा काम लगता है उसकी स्वीकृति जारी होती है, जो काम सरकार को अच्छा नहीं लगता है उसकी स्वीकृति जारी करने का काम नहीं करती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार जो संशोधन लेकर आई है इन तीनों कैटेगरी के अन्दर सरकार जल्दबाजी न करे। वैसे जल्दबाजी आपको इस बात की होगी कि हमारा कल का ही भरोसा नहीं है। आप रात को आराम से सोओगे, कल सुबह सूर्य उदय होगा तो क्या गुल खिले हुए राजस्थान में मिलेंगे, यह आपको भी पता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए डर और भय के आधार पर यह संशोधन लेकर आए हो। इनको बन्द करो।

सभापति महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि सरकार इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करे और आने वाले समय के अन्दर आप सदन का समय खराब न करें इस तरीके के संशोधन लाने के लिए। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती संतोष।

सूचना

अनूपगढ़ के रावला में गुमशुदा महिला की मृत्यु

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन के माध्यम से आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के रावला थाना क्षेत्र की घटना है। चावली देवी नामक एक महिला बस के इंतजार में 9पीएसडी बस अड्डे पर बैठी थी, 15 तारीख को उसको वहां देखा गया, लेकिन उसके बाद उसका कोई पता नहीं चलने पर परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज करवाई तो थाने में गुमशुदगी भी दर्ज नहीं की गई और 16 तारीख को उसकी गुमशुदगी दर्ज की गई। 16 तारीख को गुमशुदगी के बाद थाने में एसएचओ द्वारा परिजनों को

(श्रीमती संतोष)

बोला गया कि आप स्वयं ही तलाश कर लीजिए, यहीं कहीं मिल जाएगी। जब परिजनों ने तलाश किया तो मेरे क्षेत्र का एक आनन्दगढ़ है, वहां की रोही में 17 तारीख को उनको लाश मिलती है। भेड़-बकरियां चराने वालों ने बताया कि यहां पर किसी महिला की लाश पड़ी है। जब परिजन, ग्रामीण वहां जाने लगे तो वहीं पास में....

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें, इतना क्या है। आपने इन्फार्मेशन दे दी, सरकार के संज्ञान में आ गया। अब समाप्त करें।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): भू-माफियाओं द्वारा जो अवैध खनन किया जा रहा है, उन्होंने उनको रोका, उनकी गाड़ियां भी तोड़ दी गईं और रेंजर को बंधक बना लिया गया। 17 तारीख से आज तीन दिन हो गए, उस महिला की लाश पड़ी हुई है, सड़ रही है और पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। परिजन न्याय के इंतजार में बैठे हैं, धरना लगा रखा है और लोगों में काफी रोष है।

श्री सभापति: विराजिये। श्रीमती शकुन्तला रावत। विराजिये। आपकी बात आ गई। विराजिये आप। प्लीज, सहयोग करिये।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, उस एसएचओ को वहां से हटाकर परिजनों को न्याय दिलाया जाए, मेरी सरकार से यही मांग है। धन्यवाद।

विधेयक पर विचार

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021 बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। जिस तरह से एक-एक विधायक की मांग पर जो बड़े कस्बे और बड़ी पंचायतें हैं उन्हें नगरपालिका बनाया गया, यह जनता की मांग थी जिससे क्षेत्रों का विकास हो सके। इसके लिए सम्माननीय मुख्य मंत्री जी, सरकार भी धन्यवाद की पात्र है कि किस तरीके से पक्ष और विपक्ष न देखते हुए नगरपालिकाएं खोली गई हैं, यह जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए खोली गईं। नगरपालिका बनाने से उस क्षेत्र का, उस कस्बे का विकास होगा, सड़कें बनेंगी, नालियां बनेंगी, सीवरेज डाली जाएगी, पार्क बनाए जाएंगे, सार्वजनिक शौचालय बनेंगे और इसमें बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिलेगा लेकिन रोजगार में जो

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

पहले से सफाईकर्मी हैं, जो प्राचीन काल से वर्तमान काल तक करते आए हैं, कृपया उन्हीं को इसमें रोजगार देने का प्रावधान होना चाहिए। जैसा कि संयम जी ने कहा, सही है कि जो जनरल में भर्ती हो गए, वे काम नहीं करते हैं और वे कहीं न कहीं थोड़े पैसे देकर किसी दूसरे व्यक्ति को रख लेते हैं तो इसमें भी यह प्रावधान करना चाहिए।

श्री सभापति: संशोधन पर बोलिए आप।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): संशोधन पर ही बोल रहे हैं, सभापति महोदय। नगरपालिका संशोधन में जो नोमिनेट सदस्य बढ़ाए गए हैं और नगरपालिका में छह, नगर परिषद् में आठ, नगर निगम में बारह की संख्या की गई है, वह बहुत ही सराहनीय कार्य है और इससे प्रबुद्ध लोगों को इसमें मौका मिलेगा। जो दिव्यांगों का इसमें रखा गया है, प्रतिबद्धता है, वह भी अति महत्वपूर्ण है जिससे एक व्यक्ति को इसमें भागीदारी मिलेगी, सराहनीय कार्य है। जो जुड़वां बच्चों की एक यूनिट का दिया गया है कि गिना जाएगा, वह भी सराहनीय है। इसमें मेरा यही जोड़ने का निवेदन है कि जोड़ें तो, इसमें लड़कियों वाला था उसको भी एक यूनिट रखा जाता तो थोड़ा-सा और ज्यादा अच्छा होता।

सभापति महोदय, माननीय विपक्ष के सदस्य भी कह रहे थे कि अब जो काम हो जाएगा वह हो जाएगा, आगे होने की सम्भावना नहीं है क्योंकि इनको इनके काल में तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। जो नगर निगम और परिषदों का परिसीमन किया गया, जो जयपुर में किया गया, वह भी बहुत सराहनीय काम है। इससे वार्ड ज्यादा बढ़े हैं तो कार्य करने में सुविधा रहेगी, आसानी रहेगी और कार्य की जो प्रगति है वह जल्दी बढ़ेगी।

सभापति महोदय, एक जो राजीव गांधी जी ने सराहनीय काम किया कि नगर निकायों में और पंचायती राज में महिलाओं को हिस्सेदारी दी गई, इसके लिए भी धन्यवाद के पात्र हैं जिससे हम महिलाओं को यहां तक आने में सुविधा मिली है। मंत्री महोदय से हम निवेदन करेंगे कि जिस तरह से कोटा में अनेक चौराहे बनाए गए, तो एक चौराहा बानसूर नगरपालिका को भी कम से कम दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, विपक्ष के साथी यहां पर हैं। इतने सारे एमपी हैं, कम से कम एक-एक नगरपालिका को अपने-अपने क्षेत्र में विकास के कार्यों के

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

लिए क्यों नहीं एक-एक करोड़ रुपये देने की बात करें? दूसरे से तो उम्मीद रखते हैं, धन्यवाद है, सराहनीय काम है मुख्य मंत्री महोदय का कि कल एक लाइन में ध्वनिमत से 5 करोड़, एक एमपी के बराबर का कोटा एक एमएलए को अपने क्षेत्र के विकास के लिए मिला है। इनकी हिम्मत नहीं है, लगातार दो बार 25-25 एमपी देने के बाद भी, अमेंडमेंट की कह रही हूं कि कम से कम नगरपालिका के लिए ही आप अपने एमपी से कह दो कि दें।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): लेकिन एमपी की हिम्मत नहीं है कि वे प्रधान मंत्री जी से मांग लें। वे तो मुख्य मंत्री हैं बड़े दिल के, जो दे सकते हैं। धन्यवाद साहब।

श्री सभापति: श्री जगदीश चन्द्र। विशेष रूप से आज की चर्चा संशोधन पर है, इस पर कोई बात हो तो बोलिए, जनरल डिबेट तो है नहीं। (व्यवधान) प्लीज विराजिये आप।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): इनका तो नाम ही नहीं है इसमें।

श्री सभापति: किनका?

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): जिनका अभी नाम लिया है।

श्री सभापति: नाम है मेरे पास में।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): संशोधन लिस्ट में?

श्री सभापति: मेरे पास में पार्टी की तरफ से नाम है। आप विराजिये। पहले अपने स्थान पर विराजिये आप। (व्यवधान) पार्टी के ये नाम रहे। आप छोड़िए, यह आसन की व्यवस्था है। यह व्यवस्था आसन की है कि किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है। विराजिए आप अपने स्थान पर। (व्यवधान) विराजिए अपने स्थान पर। (व्यवधान) मेरे पास पार्टी की तरफ से नाम आए हुए हैं। ये पार्टी की तरफ से नाम हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): जनमत जानने के लिए जो आपने अपनी तरफ से दिया है....

श्री सभापति: जनमत जानने वाली बात जो आप फरमा रहे हैं न, पार्टी के तीन नाम जनमत के अलावा बोलने वाले वक्ताओं के नाम हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): पहले यह तो पूरा करो, उसके बाद बुलाओ। थर्ड रीडिंग पर बोल सकते हैं। तीन बोलें, पांच बोलें।

श्री सभापति: कितने बोलेंगे? सिर्फ दो नाम हैं उसमें। दो नाम अलग से।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नियम तो नहीं कहता।

श्री सभापति: चलिए, आप ऐसा कहते हैं तो मुझे कोई असुविधा नहीं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं सोचता हूं कि इसमें हमारा और आपका नहीं चलता, जिसने पहले दिया है। (व्यवधान)

श्री सभापति: पार्टी की तरफ से नाम आए हुए हैं। इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है? यदि तीन आदमी और बोल लेंगे तो कौनसी इसमें आफत आ जाएगी? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, हम कानून से बंधे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं आपका ध्यान नियमों की इस बुक की तरफ दिलाना चाहता हूं। सभापति महोदय, हमारा अधिकार ही नहीं है क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये आप। मैंने नाम पुकार लिया, जगदीश चन्द्र जी का नाम पुकार लिया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, हमारा अधिकार नहीं है क्या? जनमत जानने वाला हमारा अधिकार है और अगर यही छीन लोगे। (व्यवधान) आप एक बार यह पढ़ लीजिए। यह क्या बात हुई?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट विराजिये आप। विराजिये आप। एक मिनट विराजिये आप। जनमत जानने का तो आपका यह है, पार्टी की तरफ से दो नाम और आए हुए हैं। विशेष रूप से ऐसी कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं है, दो नाम पार्टी की तरफ से आए हुए हैं, वे भी चाहते हैं कि अपनी कोई बात रखें। दो आदमी बात रखेंगे तो क्या हो जाएगा? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह गलत परिपाटी पड़ जाएगी, यह किसी हालत में नहीं। किसी हालत में नहीं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट विराजो आप। और सब चीजों में चल सकता है, पर मैं सोचता हूं कि जब कानून बनाने की प्रक्रिया है, उस कानून बनाने की प्रक्रिया में बदलाव नहीं कर सकते हैं। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश)

श्री सभापति: क्या अव्यवस्था कर रहे हो आप? आप विराजिये, प्लीज। अपने स्थान पर विराजिये आप। मन नहीं है आपका। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह कानून बनाने की व्यवस्था आप अपनी तरफ से नहीं कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय नेता, प्रतिपक्ष। माननीय नेता, प्रतिपक्ष। प्लीज, आप विराजिये, अपने स्थान पर विराजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): चर्चा ही चालू नहीं हो सकती।

श्री सभापति: विराजिये, अपने स्थान पर विराजिये आप। स्थान पर तो विराजिये आप। (व्यवधान) अपने स्थान पर विराजिये। माननीय नेता, प्रतिपक्ष। आप अपने स्थान पर विराजिये। मैं बुला रहा हूं न। एक मिनट विराजें तो सही आप। आप अपने स्थान पर विराजिये। यहां खड़े होने का क्या मतलब है? अपने स्थान पर विराजिये आप। विराजिये। अपने स्थान पर विराजिये। क्या मजाक बना रहे हैं। स्थान पर विराजिये आप। (व्यवधान) हां, आप फरमाएं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, उसमें यदि गुलाब चन्द कटारिया ने भी प्रस्ताव देर से दिया तो वह नीचे ही आएगा, चाहे वह प्रतिपक्ष का नेता ही क्यों न हो। इसमें किसी की कोई प्रायोरिटी नहीं है, और सारे लोगों को हमने बताया ही है कि कानून बनाते समय जो भी अमेंडमेंट आप देंगे, उसमें पार्टी आपको बुलाये न बुलाये, कोई जरूरी नहीं है, आपका अधिकार है कि आप उस पर अपनी बात रख सकते हो। मैं सोचता हूं कि कांग्रेस के लोग भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जब इसकी फाइनल स्टेज आती है, थर्ड स्टेज में जब पास किया जाए, उसमें दो-पांच-दस जितने भी और बोलना चाहें, वे बोल सकते हैं लेकिन पहला राइट तो बोलने का कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, उसमें इस अधिकार को आपको चैलेंज करके, बदलने का काम नहीं करना चाहिए।

श्री सभापति: मैं समझ रहा हूं आपकी बात। माननीय सदस्य हैं, जो बाहर जाना चाह रहे थे, आपका यह आया हुआ है, दो माननीय सदस्य एक्स्ट्रा थे, उनको बाहर कहीं जाना था, ऐसी कोई चीज नहीं है, जो व्यवस्था में कोई असुविधा हो रही है। ठीक है मैं ऐसा कर देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, वे बोल सकते हैं,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उनको बोलने का अधिकार है, इसको हम नहीं करें, लेकिन थर्ड रीडिंग पर बोलने का उनको पूरा अधिकार है, वे बोल सकते हैं, एक बोलें या पांच बोलें।

श्री सभापति: माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपकी बात से मैं सहमत हूं। कई बार आपके माननीय सदस्य आते हैं कि हमको आप थोड़ा-सा पहले बुला लें, हमको बाहर जाना है। इस तरह का आग्रह यदि कोई माननीय सदस्य कर रहा है, तो यह आसन की व्यवस्था है कि एक मिनट बुला लें उनको क्या फर्क पड़ने वाला था उसमें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): कानून बनाने के क्रम में तो..नहीं-नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री सभापति: मैं समझ रहा हूं जनमत जानने के लिए आपकी जो लिस्ट मेरे पास है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): जब तक यह प्रस्ताव रिजेक्ट नहीं होगा, तब तक आगे की चर्चा नहीं चल सकती, यह प्रस्ताव जब तक गिरेगा नहीं, तब तक इस पर चर्चा प्रारम्भ ही नहीं हो सकती।

श्री सभापति: लेकिन किन्हीं दो माननीय सदस्यों ने यह कह दिया। श्री राम प्रताप कासनियां।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया के नियम 67 की ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री सभापति: विराजिए-विराजिए। श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021 पर मैंने जनमत जानने का जो प्रस्ताव दिया था, उस पर कायम तो हूं ही, मैं कोई वापस थोड़े ही ले रहा हूं, बोलने के लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं। सभापति महोदय, स्वायत्तशासी संस्थाओं का भट्टा बैठाने का काम यह सरकार लगातार करती जा रही है। नगरपालिकाओं के अन्दर सर्वप्रथम तो इस सरकार ने वार्डों का जो पुनर्सीमांकन किया, वह 2011 की जनसंख्या के अनुसार पूर्ववर्ती सरकार के समय में कर दिया गया और दुबारा 2011 की जनसंख्या के अनुसार पुनर्सीमांकन जो किया गया, सिर्फ इसलिए कि नगरपालिकाओं पर कब्जा कर लिया जाए, जहां पर बीजेपी के ज्यादा लोग, वार्ड हैं। उदाहरण के तौर पर एक वार्ड 2 हजार का है तो उसको 2 हजार का ही रख दिया और एक बराबर में

(श्री रामप्रताप कासनियां)

500 का वार्ड है उसको 300 का बना दिया, ये भेदभाव किया। मैं सही बोल रहा हूं। पहले भी लोग इसी तरह से बोल रहे थे। संयम जी क्या बोल रहे थे, मेरे से तो वे विद्वान हैं।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 000

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री अविनाश (जैतारण): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए, एक मिनट आप विराजिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय, इस तरह से सारे लोग खड़े होकर यदि अव्यवस्था करेंगे, इतने लोग कैसे बोल पाएंगे, आज दो बिल हैं संशोधन के लिए। सारे लोग एक साथ खड़े होकर बोलेंगे, ऐसे थोड़े ही..., अपने लोगों से भी कहिए कि जब मैंने नाम पुकार लिया एक आदमी बोल रहा है, अननेसेसरी सारे लोग एक साथ क्यों खड़े हो रहे हैं। इतने नाम हैं आपके इसमें, दूसरा संशोधन और है।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, नगरपालिका के अन्दर पहले से ही 4 सदस्य नियुक्त करने का नियम है, 4 की जगह 6, इतनी बड़ी फौज नोमिनेट करके।

श्री सभापति: एक मिनट, माननीय सदस्य। विशेष रूप से जो संशोधन है, उस पर ही आप लोग कन्फाइन करें। आज दो बिल हैं, इतने ही उस पर बोलेंगे, इतना समय भी नहीं है तो मेहरबानी रहेगी आपकी, आपने संशोधन के लिए जो प्रस्तुत किया है, उस पर आपको चर्चा करनी चाहिए। किसने क्या कहा, उसको छोड़िए आप, सिर्फ अपनी बात कहिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): आप आसन पर विराजमान हैं, आपका हुक्म सिर माथे पर, आप एक चीज ध्यान करें, जब भी कोई राइडर आप लागू करते हो तो रामप्रताप कासनियां के ऊपर ही टिकता है, यह न्यायसंगत नहीं है।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि ये इतनी बड़ी फौज नगरपालिका के अन्दर की। उदाहरण के तौर पर मेरी नगरपालिका में भवन ही नहीं है। वहां बैठने के लिए झगड़ा होगा, इनके लिए कोई नया भवन थोड़े ही बनेगा।

(श्री रामप्रताप कासनियां)

सभापति महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जहां पर जगह कम है, चुने हुए पार्षदों को प्राथमिकता पहले मिलनी चाहिए इस फौज की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको संशोधन करना था तो आप नगरपालिका के अन्दर आय बढ़ाने का कोई संशोधन करते, अरबों रुपये की आपकी जमीन पर कब्जे कर रहे हैं। आये दिन उस पर आप कोई कठोर कानून बनाने का काम करते, तब तो मैं मानता कि सरकार है, नगरपालिकाओं को मजबूत करने के लिए आय बढ़ाने के लिए कोई कानून बना रही है। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि अगर आपको संशोधन करना है तो आप नगरपालिकाओं के अन्दर, ये जो कब्जे वाली परम्परा है, इससे किसी का नुकसान नहीं होगा, नगरपालिकाओं की आय बढ़ेगी और सरकार का सिरदर्द कम होगा, ऐसा कोई कठोर कानून बनाओ। इसलिए, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप नगरपालिकाओं की आय बढ़ाओ। मास्टर प्लान आपका कागजों में बना रह गया, बड़े लोग जो हैं। उनके लिए मास्टर प्लान कहीं भी आड़े नहीं आता और एक यह जो प्रथा है, बिना अनुमति के मकान बना लिया, फिर उसके चारों ओर रस्सियां बांध दी जाती हैं और वे रस्सियां किस तरह से खुलती हैं, सभापति महोदय आप तो सब समझते हो, कहने की आवश्यकता ही नहीं, वे रस्सियां पहले टाउन प्लानर के जाती हैं, फिर डीएलबी में आती हैं और फिर कहीं और जाती हैं, तब जाकर वे रस्सियां खुलती हैं।

सभापति महोदय, अगर सरकार को कानून ही बनाने हैं तो इस तरह के बनाओ कि एक तो यह कब्जे वाली प्रथा हटाओ। यह मैं नहीं कह रहा हूं कि यह सरकार करा रही है, लगातार से प्रथा चल रही है, इस पर रोक लगाओ। नगरपालिकाओं, नगर परिषद् सबकी आय बढ़ेगी और इतना ज्यादा पैसा सरकार को मिलेगा, जिसकी कोई आज तक कल्पना नहीं कर पाया।

सभापति महोदय, मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि आप इसको जल्दबाजी में आगे ही बहुत बड़ी फौज है, इस फौज की नियुक्ति न करके, इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करें।

श्री सभापति: श्री जोराराम कुमावत।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक, 2021 पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी सरकार

(श्री जोराराम कुमावत)

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक लेकर आई है और इस विधेयक के खण्ड-2 की पहली व द्वितीय पंक्ति में नगरपालिक अंकित है, इसे संशोधित कर नगरपालिका किया जाए व खण्ड-4 की द्वितीय पंक्ति में भी नगरपालिक अंकित है, इसे संशोधित कर नगरपालिका किया जाए। राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021 के खण्ड 2 में पूर्व में नगरपालिका में 4 सदस्य मनोनीत होते थे, जिसकी जगह 6 सदस्य मनोनीत करने का संशोधन लाए हैं। नगर परिषद् में 5 की जगह 8 लाए हैं, नगर निगम में 6 की जगह 12 लाए हैं।

सभापति महोदय, नगरपालिका, नगर परिषदों की वैसे भी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, खराब है, कर्मचारियों के वेतन भत्ते भी नगरपालिकाएं बराबर नहीं दे पाती हैं, मेरे क्षेत्र में तख्तगढ़ नगरपालिका की बात करूं...

(15.00 बजे)

तो वहां बिजली के बिल और पानी के बिल भी नगरपालिका पूरे नहीं भर पाती है और कर्मचारियों के वेतन भत्ते भी समय पर नहीं दे पाती है। अब जैसे यह मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ाने से और भी नगरपालिकाओं के ऊपर वित्तीय भार पड़ेगा तो यह वित्तीय भार वह नगरपालिकाएं कैसे वहन करेंगी? वैसे भी परिसीमन में सरकार ने इन स्वायत्तशासी संस्थाओं का पूरी तरह से भट्ठा बैठा दिया है और असमान तरीके से यह जो परिसीमन किया था, निश्चित रूप से मैं मेरे सुमेरपुर क्षेत्र की बात करूं तो 1 वार्ड में 282 मतदाताओं का वार्ड, दूसरा 318 का वार्ड, चौथा 950 का वार्ड, पांचवां 12 सौ का वार्ड तो इस तरह से यह जो असंतुलित वार्ड बना दिए, इसमें कई वार्ड तो जाति के आधार पर बना दिए, कई धर्म के आधार पर बना दिए। यह बंटवारा भी नगरपालिका में जो सरकार ने किया है, यह बहुत ही गलत तरीके से किया है। मैं इसका भी विरोध करता हूं। वैसे यह वर्तमान में जो मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ाने का काम सरकार ने किया है, इससे बढ़िया तो यह काम करते कि वर्तमान में जो पार्षद बने हुए हैं, जन प्रतिनिधि बने हुए हैं, चेयरमैन बने हुए हैं, इनका जो मासिक भत्ता है, वह बहुत ही कम है। उनका ही भत्ता बढ़ाते और उनको ही मजबूत करते तो निश्चित रूप से वह चुने हुए जन प्रतिनिधि हैं, जनता ने उनको वोट देकर भेजा है तो वह मजबूती से नगरपालिकाओं का काम करते, जनता की सेवा करते। यह करते तो और भी बढ़िया रहता।

(श्री जोराराम कुमावत)

विधेयक के खण्ड-IV में खण्ड (क) के उपखण्ड (ii) के अधीन नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद् और नगर निगम, प्रत्येक में नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में एक दिव्यांग व्यक्ति को सम्मिलित किया गया है। सभापति महोदय जी, यह दिव्यांग व्यक्ति को सम्मिलित किया, यह तो ठीक है लेकिन इसके साथ-साथ में नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाले या अनुभव रखने वाले व्यक्ति, किसी सरकारी रिटायर्ड अधिकारी या पूर्व जन प्रतिनिधि या एक महिला प्रतिनिधि को भी इसमें अनिवार्य रूप से करते तो निश्चित रूप से उससे नगरपालिकाओं को फायदा होता।

नगरपालिका और नगर परिषदों के संबंध में, सभापति महोदय जी, मैं एक जानकारी देना चाहूंगा कि वर्तमान में पूरे राजस्थान भर में नगरपालिकाओं की स्थिति बहुत ही खराब है। आज नगरपालिकाओं में ईओ रैंक के अधिकारी को अधिशासी अधिकारी के पद पर नहीं लगाया जाता। वहां किसी बाबू या चपरासी या कनिष्ठ लिपिक रैंक के, आर.आई. रैंक के अधिकारी को ईओ का चार्ज दे दिया जाता है। आज जेईएन और एईएन उस ईओ के सामने खड़े रहते हैं और वह चपरासी ईओ की कुर्सी पर बैठता है और उनको आदेश देता है तो इस तरह से असंतुलित तरीके से यह अधिकारियों के पद पर, यह जो अधिकारी लगाए जाते हैं, उससे नगरपालिकाओं में पूरे राजस्थान भर में भ्रष्टाचार बढ़ा है और प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। नगरपालिकाओं का पूरी तरह से कबाड़ा हो गया है। इस व्यवस्था में सुधार करने के लिए इस अधिनियम में कोई न कोई संशोधन लाते तो निश्चित रूप से इसका फायदा जनता को होता।

सभापति महोदय जी, नगरपालिका क्षेत्र में कई ऐसी कामर्शियल दुकानें बनी हुई हैं, जिनके लंबे समय से पट्टे बने हुए नहीं हैं और उनके पट्टे बनाने की कोई प्रक्रिया नहीं है और नगरपालिका विधेयक में उन दुकानों को नीलाम करके ही पट्टे बनाए जा सकते हैं तो निश्चित रूप से नीलाम करने से तो कई तरह से नीलामी में कई बोलियां लगाने वाले आ जाते हैं तो जिनकी दुकान है, उनको वह दुकानें नहीं मिल पाती है तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस संशोधन विधेयक में जो दुकानें बनी हुई हैं उनको वाणिज्यिक दर से नीलाम करके उनके मालिक को स्वयं को देने का यदि संशोधन लाते तो निश्चित रूप से उन लोगों को फायदा मिलता।

श्री सभापति: संशोधन पर बोलिये।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): सभापति महोदय जी, यह जो नगरपालिका अधिनियम, 2021 का संशोधन सरकार लेकर आई है, मैं इसका पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं और इसे जनमत जानने के लिए 6 महीने के लिए परिचालित करने के लिए प्रस्ताव करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री छगनसिंह।

श्री छगनसिंह (आहोर): सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021, जब से कांग्रेस की सरकार बनी है इस नगरपालिका पर ही विधेयक आ रहे हैं। यह तीसरा विधेयक है, संशोधन विधेयक। पहले आए तो आते ही शिक्षा की योग्यता को हटाया कि शिक्षा नहीं होनी चाहिए। बिना शिक्षा के ही चेयरमैन बनें, पार्षद बनें, फिर दोबारा 2000 से 5000 वाला एक राइडर लाए। फिर अब जब चुनाव हो गए, जब आपके जन प्रतिनिधि चुने नहीं गए, तब आप यह तीसरा आप्शन लाए कि हमारे जो 4, 5 और 6, जो नगरपालिका में 4, नगर परिषद् में 5 और नगर निगम में 6, जिनकी कोई किसी भी प्रकार के नियम के बिना ही सीधे संख्या बढ़ा दी आपने इसकी 6, 8 और 12, 4 की 6 की, 5 की 8 की और 6 की 12 की। इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यह किस नियम के तहत आप कर रहे हो। पहले जो नियम बने थे 4, 5 और 6 और अब सीधे 6, 8 और 12, मतलब नगर निगम में सीधे 12 की है, 6 से सीधी 12. 1, 2 बढ़ाते तो फिर भी समझ में आता।

मैं यह कहना चाहूंगा कि क्या यह जो मनोनीत सदस्य हो रहे हैं तो मनोनीत सदस्य में, चुने हुए सदस्यों में जो आप योग्यता मानते हो उनके लिए बच्चों की जो योग्यता मांगते हो कि इनके दो बच्चों से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। क्या यह इनके अन्दर भी लागू होता है? क्या यह लागू होता है कि इनका भाई या इनका कोई भी खूनी रिश्तेदार ठेकेदार नहीं होना चाहिए? क्या यह नियम इसमें लागू होते हैं क्या? यह आपने अगर खुलासा किया होता तो समझ में आता कि आप कहीं न कहीं पारदर्शी विधेयक बना रहे हो। मैंने जब राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, 2009 पढ़ा तो मुझे थोड़ा-सा यह लगा कि इसमें नगरपालिका, नगर परिषद् और नगर निगम बनाने के लिए जनसंख्या का कोई न कोई मापदंड होगा। शायद इसमें मापदंड का मैंने कहीं पढ़ा नहीं।

मैं निवेदन करूंगा कि अगर कहीं न कहीं नगरपालिका के लिए मापदंड बन जाए कि 10 हजार या 15 हजार जो इस एक्ट में बन जाए,

(श्री छगनसिंह)

क्योंकि 2009 में एक्ट बना, एक्ट में संशोधन इसलिए किया जाना चाहिए कि जब वह एक्ट बना था उसमें क्या-क्या वीकनैस है तो एक साथ में पढ़कर उसमें वापस जो संशोधन करने हैं, वह एक बार कर लें लेकिन जब भी जरूरत पड़ती है, वैसा विधेयक में चेंज नहीं करना चाहिए। यह सरकार को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर एक्ट में कोई कमी है, चार-पांच कमियां हैं तो एक साथ में ही विधेयक बना दे। 2019 में भी बना, 2020 में और 2021 में, तीनों बार यह संशोधन हुए हैं।

मैं निवेदन करूंगा कि नगरपालिका में जनसंख्या का कोई राइडर नहीं है तो मेरे आहोर विधान सभा क्षेत्र के आहोर में नगरपालिका के योग्य है, 20000 की जनसंख्या है और उसकी नगरपालिका की घोषणा नहीं की, जबकि 7000 की जनसंख्या वाले को नगरपालिका की घोषणा की है। अगर भौगोलिक दृष्टि की भी आप कहीं न कहीं बात करें तो भौगोलिक दृष्टि से भी वह पूरी तरह से सक्षम है। पूरी तरह से आहोर बहुत बड़ा क्षेत्र है। मैं चाहूंगा कि इस विधेयक में जनसंख्या का राइडर लाकर जो भी आप चाहो तो भले ही 5000 का, 3000 वाली को भी नगरपालिका बना दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन यह नियम बना दिया जाए। यह विधेयक बनाया जाए कि 10,000 से ज्यादा जो भी जनसंख्या है उनको नगरपालिका की घोषणा की जाएगी। भले ही उसके बाद में आप 5000 वाले बना दो लेकिन 10000 वाले तो बनने ही चाहिए।

सभापति महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय को मैं विशेष आग्रह करूंगा कि जो इस विधेयक को लाए हैं, मैं पुनः आपको कहूंगा कि इसको छह माह के लिए परिचालित करने के लिए भेजा जाए।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021, जिस काम के लिए लाया गया है, वह इतना आवश्यक नहीं था कि यह 2 दिन भी अगर देर हो तो कोई बहुत बड़ी आफत गिर जाएगी। अगर यह लाए हैं तो मैं निश्चित रूप से इनसे विनम्र प्रार्थना यह करता हूं कि संशोधन इस प्रकार का लाएं कि नगरपालिका की हालत कैसे सुधारी जाए और नगरपालिका को अधिक से अधिक जनता के काम करने के लिए सक्षम कैसे बनाया जाए। जो आवश्यक काम था वह तो हम करना नहीं चाहते और इसमें जो आपका उद्देश्य और कारणों का कथन किया है, उसमें आपने लिखा है कि 2011 की जनगणना के आधार पर प्रत्येक नगरपालिका में स्थानों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। मेरे समझ में नहीं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आता या मेरी याददाश्त कमजोर है, 2011 के बाद हमने 2014 का चुनाव कर लिया, 2015 का चुनाव कर लिया। वार्डों का जो सीमांकन करना था, बढ़ाना था, वह उस समय भी अपन ने बढ़ाया था तो वह 2011 की जनसंख्या से जो बढ़ा चुके, अच्छा होता अगर यही कानून आप 2021 की जनगणना के बाद लाते और इसको इस कारणों और उद्देश्यों में डाल करके इस शब्द का प्रयोग करते तो जनता आपकी वाहवाही करती। एक तरह से जनता आप पर और हम सब पर इस प्रकार का एक क्वेश्चन मार्क करती है कि किस प्रकार के शब्दों के प्रयोगों के आधार पर हम विधान बनाने की जो दुर्गति करते हैं। इसके आगे एक और लिखा है नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान और अनुभव, अब ईमानदारी से यह जितने नियुक्त होते हैं इनको एक लाइन में खड़ा करो और फिर किसी एक आदमी को थर्मामीटर दो कि आप इसको नाप कर देखो कि इसको नगरपालिका का क्या-क्या अनुभव है। क्या मजाक करते हो। अगर आपको कोई ज्ञान का आदमी चाहिये तो एक लिमिटेड संख्या में अच्छे व्यक्ति को आप तय कर सकते हो जिसने कभी इस विभाग की नौकरी की हो, कोई इस प्रकार का टैलेंटेड व्यक्ति हो, वह समझ में आ सकता है। लंबे समय तक जन प्रतिनिधि रहा हो और आज वह कहीं नहीं है तो उस जन प्रतिनिधि के ज्ञान का उपयोग करो। मतलब शब्द तो लिखो आप बहुत सुंदर सुंदर और उसमें एकदम कादा निकलता है। मतलब यह राजनीति का घृणित काम है। यह हम जिस प्रकार से कर रहे हैं, इसका परिणाम तो राजस्थान भी भुगतेगा, आप और हम तो दोनों भुगतेंगे ही, पार्टियां तो आयेंगी और जायेंगी, राज भी आयेंगे और चले जायेंगे, लेकिन इन स्वयंसेवी संस्थाओं को इतना गिराने का जो काम आप कर रहे हो उसका परिणाम आने वाले वर्षों में आप और हम भुगतेंगे।

मैं सोचता हूं 2009 में पहली बार आप अमेंडमेंट लाये। 2009 में यहां से शुरुआत हुई। इसके पहले भी मुझे जैसा अनुभव है कि पहले हमारे यहां महिलाओं का आरक्षण नहीं होता था। महिला पार्षद जीतकर आती नहीं थी या कोई भी पार्टी महिला को टिकट देती नहीं थी। उस समय यह प्रोविजन जरूर कर रखा था कि उस नगरपालिका में कम से कम दो महिला प्रतिनिधि हो और उसका अधिकार किसको मिलता था, उसी नगरपालिका के चुने हुए मैम्बर को। वह जो चाहे किसी भी दो को अपना मैम्बर बना सकते हैं। यह तो था सही प्रतिनिधित्व देने का तरीका और यहां जो आपका प्रतिनिधित्व देने का तरीका है वह उचित नहीं लगता। इस हिसाब से इसको देखने का प्रयास करना चाहिये।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैं सोचता हूं कि जो आप धारा 6 (क) में अमेंडमेंट ला रहे हो, उसमें आपने लिखा है नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले, नगरपालिका मामले में 6 व्यक्ति, नगर परिषद् मामले में 8 व्यक्ति और नगर निगम के मामले में 12 व्यक्ति, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार बहुत फुर्सत में है, उसके पास काम तो है नहीं, तो इसको ढूंढ़ना है कि किसको नियुक्त करें। मतलब, लगता है कि सोच ही कहीं न कहीं गलत दिशा में जा रही है। जिन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाये। शब्द तो बहुत प्यारा है, वास्तव में क्या कर रहे हैं। इस प्रावधान का संशोधन कर नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार से करें। नगर निगम में पहले 6 थी, अब आप इसको 12 कर रहे हैं। परिषद् में 5 थी, उसको 8 कर रहे हैं। नगरपालिका में 4 थी, उसकी जगह 6 कर रहे हैं। मैं थोड़ा-सा आपको बताना चाहता हूं कि आप और मैं भले ही खुश हो जाओ, बहुमत है इसके कारण से आप जो करना चाहो, करो, मुझे कोई एतराज नहीं लेकिन जिस प्रकार की हालत है उसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करो। केवल और केवल ऐसा चश्मा मत लगाओ जिससे इन संस्थाओं का बेड़ा गर्क हो जाये। मैं आपको बताता हूं यह कुछ नगरपालिकाएं ऐसी हैं जिनमें वार्ड पार्षदों की संख्या केवल 20 है। आप करो न करो, आपकी इच्छा पर है, पर मैं आपको सचेत जरूर कर देता हूं कि आपने इन संस्थाओं को मटियामेट करने का दिल और दिमाग बना लिया है। अब मैं आपको बताता हूं यह नगरपालिकाएं हैं, गजसिंहपुर में पार्षदों की टोटल संख्या 20 है। ऐसे ही गंगानगर, चूरू, अजमेर, टोंक, कानोड, कुशलगढ़, रानीपुर, जोबनेर, बगड़ हैं, इनमें पार्षदों की संख्या 20 है और हम नोमिनेट 6 कर रहे हैं। अब आप सोच लीजिए 20 में से 6 नोमिनेटेड लोग उसमें जायेंगे तो वह संस्था, संस्था रहेगी क्या जिसमें 30 परसेंट पार्षद नोमिनेटेड होंगे। वह संस्था, संस्था रहेगी या नहीं रहेगी, इसके बारे में दिल और दिमाग लगाना चाहिये। इस प्रकार से इस ढांचे को चरमराने का बहुमत के आधार पर आप जाना चाहते हो, जाओ, लेकिन गति वही होगी जो कभी आप 156 थे तो 56 रह गये, कभी आप इतने थे तो 21 रह गये। यह इस प्रकार के काम जनता भूलती नहीं है। आपको और मुझे माफ नहीं करती है, हम भी गलती करते हैं तो हमको भी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सुलटती है। मैं सोचता हूं कानून बनाते समय इतना कमजोर दिमाग रखकर करना किसी भी दृष्टि से मैं इसको उचित नहीं मानता हूं।

फिर कुछ जिनमें आपने 8 किये हैं। उसमें 30 नगरपालिका, नगर परिषद् हैं जिनमें आपने 8 की संख्या बढ़ाई है। इसमें से भी अधिक से अधिक 35 वार्ड सिरोही में हैं। संयम जी चले गये, उसमें से 8 आयेंगे, मान लो किसी पार्टी को एक या दो के बहुमत से ही चेयरमैन बनाना है। एक क्षण के लिए मान लो इसमें 17 और 18 का चेयरमैन बना। 18 का जिसका चेयरमैन है, वह हमारा है, आप उसमें 8 अपने और मजबूत, दमदार हाथापाई करने वालों को डाल दो ताकि वहां आपकी नगरपालिका में कुश्ती पछाड़ होगा। मैं सोचता हूं अक्ल का काम करने के लिए 8 आदमी की जरूरत नहीं है, 2 आदमी भी अगर अक्लमंद डाल दो न तो वह आपको अच्छे सुझाव देते तो आपका यह अक्लमंद काम करने का तरीका नहीं है। आपको लग रहा है कि जहां हमारा बहुमत नहीं है वहां भी हम किस प्रकार से और ताकत के आधार पर उस नगरपालिका का बंटाढार करने का काम करें, वह काम आप कर रहे हैं।

मैं आपको बताता हूं कि यह जो आपकी टोंक नगरपालिका है, इसमें कुल 45 सदस्य हैं। उसमें से 8 आप डाल रहे हो, 13 परसेंट सदस्य इसमें डाल रहे हो। नगर निगमों की जो दुर्गति होगी, वह मैं आपको बता रहा हूं। मानो न मानो आपकी मर्जी, जो पास करना है, कर देना लेकिन आने वाला समय न आपको माफ करेगा न मुझे माफ करेगा। इन नगर निगमों की जो गति आप बनाना चाह रहे हो, भरतपुर में कुल 65 की संख्या आपने अभी की है, पिछली बार 50 थी। 50 को आपने जनगणना के आधार पर पिछली बार बदलकर 65 कर दी। इस 65 में पहले 6 होते थे, अब 12 होंगे। इसका मतलब 18 प्रतिशत पार्षद आप सरकारी खाते में उतारोगे, यह कोई लोकतंत्र है या तमाशा है? यह लोकतंत्र की इज्जत हो रही है या लोकतंत्र का सम्मान हो रहा है? इसी जनता ने चुनकर आपको बनाया था, हमें बनाया था, किसी को भी बनाया, इस प्रकार से आप इसको करने जा रहे हो।

मैं आपको अपनी उदयपुर नगरपालिका का बताता हूं। इसमें कुल 70 मैम्बर हैं। इन 70 में से आप 12 लोग उसमें डालेंगे। अभी हमारा बहुमत है। मान लो हम 40 हैं और कांग्रेस 30 है। 12 डालने के बाद कांग्रेस 42 हो जायेगी, हम 40 हो जायेंगे। फिर वह नगरपालिका चलेगी या कुश्ती का

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अखाड़ा बनेगी। शब्द कड़वा जरूर लगेगा लेकिन मैं समझता हूं कि इतनी जिद नहीं करनी चाहिये। विषय को समझकर जो इस लोकतंत्र की इस मर्यादा को ताकत देने वाला हो, वह काम हम लोगों को करना चाहिये। हम अपने बहुमत के आधार पर अगर इन संस्थाओं की इस प्रकार से दुर्गति करेंगे। यह 73 और 74 अमेंडमेंट क्यों किया, क्योंकि पहले कई सालों तक इन संस्थाओं के चुनाव भगवान भरोसे ही चलते थे। इस बात को ताकत देने के लिये यह संशोधन किया और यह कहा कि एक चेयरमैन दूसरे चेयरमैन को अपना पद देकर जायेगा। जैसा आज एमएलए का है, अभी हम हैं, अगली बार जो आयेगा उसको अपन सुपुर्द करके जायेंगे। यह व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है। यही संवैधानिक व्यवस्था इसमें की, पर आपने उसका भी बंटाढार कर डाला। केवल और केवल अपने स्वार्थों के लिये कि अभी यहां गणित ठीक बैठती है, यहां नहीं बैठती, यहां बोर्ड अपना बनेगा या नहीं बनेगा। बोर्ड किसी का भी बनो, जनता के द्वारा चुने हुए लोगों का बनता है इतना तो विश्वास और भरोसा लोकतंत्र पर आपको और मुझे करना पड़ेगा, जो आप नहीं कर रहे हो। इस प्रकार से मैं सोचता हूं कि आपका यह सोच मुझे तो कम से कम उचित नहीं लगता।

आपने इसके खण्ड 2 में नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद्, नगर निगम प्रत्येक में नाम निर्दिष्ट किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में से एक दिव्यांग व्यक्ति सम्मिलित होगा, यह स्वागत योग्य है। जो भी आप 6 कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं, 12 कर रहे हैं, कम से कम एक ऐसा व्यक्ति जाये, निश्चित रूप से वह समाज का प्रतिनिधित्व भी करेगा और अपने सारे लोगों का भी प्रतिनिधित्व नगर परिषद् में रहकर करेगा, वह स्वागत योग्य है।

इसी तरह से आप राजस्थान अधिनियम की धारा 18 की धारा 24 में संशोधन कर रहे हैं। मैं सोचता हूं इसमें कोई बहुत ज्यादा एतराज तो नहीं है पर फिर भी 'किसी एकल प्रसव से जन्मी हुई सन्तानों की किसी भी संख्या को एक ही माना जायेगा और दत्तक में दी गयी किसी संतान को संतानों की संख्या की गणना करते समय अपवर्जित नहीं किया जायेगा।' मैं सोचता हूं कि दत्तक का कहां प्रोविजन है। आपने जो पुराने बिल बनाये हैं, उसमें इसका रेफरेंस कहां है। मतलब, जो चीज नहीं है उसको भी आप कानून के खिलाफ जाकर डालने का प्रयास कर रहे हो। मैं सोचता हूं कि यह जो अधिक संतान

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

के बारे में है, उसमें भी नहीं। मोटे रूप में मेरी यह विनम्र प्रार्थना है, करना चाहे तो आपकी इच्छा है। आने वाला समय मुझे और आपको, दोनों को याद रखेगा। कम से कम ये शब्द तो लिखे रहेंगे कि हम केवल और केवल राजनीतिक फायदे के लिए, आज आप कर रहे हो, कल मैं करूंगा, तो इस संस्था का बंटाधार करने की सोच लेंगे। हो सकता है, आज आप शासन में हो, कल हम आएंगे, हम कर देंगे। उस बीस की संस्था में आप छह ऐसे मुस्टंडे डाल देंगे, जिससे वहां कुश्ती के अलावा और कुछ नहीं होगा। क्या वह संस्था काम कर सकती है? मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप इसको बहुत सीरियसली लेना। मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि इन चुनी हुई संस्थाओं को इस प्रकार अपने व्यक्तिगत लोगों को एडजस्ट करने के लिए इतनी भारी-भरकम यह जो संख्या बनती है, क्या इनको देने के लिए पैसे हैं? इनको आप भत्ता नहीं दे सकते, जो बैठक का रोजाना का भत्ता बनता है, वह भत्ता आपसे चुक नहीं पा रहा है, उनकी तनख्वाह आपसे नहीं चुक पा रही है। फिर यह लगाकर इस संस्था को बर्बाद करने का रास्ता क्यों निकाला। पहले उसकी आमदनी बढ़ाने की सोचनी चाहिए थी, जिसके कारण से झाड़ू लगा सके, बिजली का लट्टू बदल सके। कहीं गड्ढे पड़ जाएं, तो सड़क बना सकें। उसकी तो आपको चिंता नहीं है। केवल यह कि मेरे लोग नाराज नहीं हो जाएं, इसलिए आपने पूरी की पूरी फौज, ये इतनी संस्थाएं हैं, इन सबकी संख्या हजारों में पहुंचेगी। इन हजारों लोग को लगाकर आप कौनसा लोकतंत्र तैयार कर रहे हैं। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं और एक बार फिर कहता हूं कि मैंने इसको जनमत जानने के लिए दिया है, लास्ट तक जनमत जानने के लिए प्रयत्न करूंगा, चाहे असफल भी हो जाऊं तो चिंता की कोई बात नहीं है।

श्री सभापति: श्री सुरेश सिंह रावत।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021, राजस्थान अधिनियम 18 की धारा-6 और 24 का संशोधन।

माननीय सभापति महोदय, इस बिल को पढ़ने के बाद यह लगता है कि अंतर्विरोध से घिरी हुई यह सरकार राजस्थान के अन्दर कई गुटों में बंटी हुई पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने के लिए यह बिल लायी है। माननीय सभापति महोदय, अभी हाल ही में आपने देखा कि नगरपालिकाओं के

(श्री सुरेश सिंह रावत)

चुनाव हुए। चुनावों से पूर्व मनमाने तरीके से वार्डों का परिसीमन हुआ। जिस तरह से हारे हुए प्रत्याशियों के घर पर आपके निर्देश से अधिकारी और कर्मचारी जाकर वार्डों का नक्शा खींचा, इसके बाद राजस्थान की जनता ने आपको आईना दिखाया।

तीर्थराज पुष्कर में भी नगरपालिका में लाख जतन और लाख कोशिश करने के बाद और सरकार का बेजा दुरुपयोग करने के बाद भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन दिया। माननीय सभापति महोदय, पुष्कर ही नहीं, राजस्थान की अधिकतर नगरपालिकाओं और नगर निगमों में यह स्थिति है कि सफाई कर्मचारी पर्याप्त नहीं हैं। पहले पुष्कर की बात करें तो सरोवर में गंदा पानी जाता है। तीर्थराज पुष्कर में श्रद्धालु और पर्यटक रोज हजारों की संख्या में आते हैं। 2012 में जब आपकी सरकार थी, तब पूरे राजस्थान की नगरपालिका का कानून है, पर तीर्थराज पुष्कर के लिए एक अलग से राइडर लगा दिया कि 90-ए की कोई भी कार्यवाही होगी तो सरकार से अनुमोदन के बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। इससे तीर्थराज पुष्कर का विकास ठप हो गया।

दूसरा, हमारे नगर निगम का एरिया भी लगता है। उसके अन्दर भी आबादी का विस्तार नहीं हो रहा है। लोगों को पट्टे नहीं मिल रहे हैं। लोग कच्ची बस्तियों के अन्दर रहते हैं। बरसात आती है तो पानी भर जाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से मांग करता हूं कि अच्छा तो यह होता कि राजस्थान की जितनी भी नगरपालिकाएं हैं, उनका आप सर्वे कराते और उनकी जो समस्या है, उसके लिए अगर आप कोई बिल लेकर आते, तो यह राजस्थान की जनता के हित में होता।

माननीय सभापति महोदय, आज नगरपालिका, नगर निगमों और नगर परिषदों का पैरीफेरी एरिया है, गांवों को तो आपने उसमें जोड़ लिया है, लेकिन अभी वे पंचायतों के अधीन ही काम कर रहे हैं। वहां न तो कोई नियमन कर सकता है, न कोई ग्राम पंचायत पट्टा दे सकती है। इस समस्या की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैंने जो जनमत जानने के लिए दिया, मैं उसको जनमत जानने के लिए परिचालित करता हूं।

श्री सभापति: श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, बहुत

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

गम्भीर विषय पर चर्चा चल रही है। एक छोटा संशोधन है, लेकिन उसके व्यापक असर हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं मूल रूप से निर्वाचित सदनों में मनोनीत करने के खिलाफ हूं। देश में कहीं पर भी ऐसी स्थिति नहीं है। आपकी लोक सभा में दो मैम्बर मनोनीत होते हैं, उसकी एक अलग विशेष परिस्थिति है। इसके बाद मनोनयन कहीं नहीं होता है। मनोनयन विधान सभा में भी हो सकता है, अगर आप कानून ले आओ तो। आपके यहां मनोनयन की स्थिति है, एक व्यक्ति ऐसा है जो विधायक न होते हुए भी विधान सभा में आकर अपनी बात कह सकता है, वह है एडवोकेट जनरल। उसके अलावा यहां कोई नहीं आ सकता, नहीं तो विशेषाधिकार लग जाएगा, सज़ा भी हो सकती है। माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यह लोकतांत्रिक मर्यादा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसका आप नोमिनेशन से चरित्र बदलना चाहते हैं। यह देश में नहीं चल सकता, राजस्थान में नहीं चल सकता।

माननीय सभापति महोदय, राज्य सभा में हंगामा होता है, उसका असर नीचे तक नहीं आता। लोक सभा में हंगामा होता है, उसका असर नीचे तक नहीं आता। इस विधान सभा में हंगामा होता है, उसका असर भी नीचे तक नहीं आता, लेकिन नगरपालिका, नगर परिषद् और नगर निगमों में जो हंगामा होगा, उसका असर नीचे तक जाएगा और उसके बाद लोगों का लोकतंत्र में विश्वास कम होता चला जाएगा, जो स्थिति आज बन रही है। माननीय सभापति महोदय, आज लोकतंत्र कहां खड़ा है, धनतंत्र, बाड़ेबंदी तंत्र। यह धनतंत्र और बाड़ेबंदी तंत्र जिस तरह से लोकतंत्र को खा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम आज राजस्थान की सरकार कर रही है क्योंकि मैं यह मानता हूं, हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने बड़े नम्र शब्दों में कहा, कुश्ती लड़ लेंगे, यह नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, आप सुन लीजिए, आप राजस्थान में हर जगह हंगामा पैदा करने की स्थिति कर रहे हैं। इस संशोधन से नगरपालिकाओं में, नगर परिषदों में, नगर निगम में हंगामे की स्थिति पैदा होगी और इस हंगामे की स्थिति के कारण काम-काज तो कुछ नहीं होगा और लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठेगा। जो लोकतंत्र धीरे-धीरे तिरोहित हो रहा है, जो लोकतंत्र में धनतंत्र में आगे की ओर जा रहा है, जो लोकतंत्र बाड़ेबंदी तंत्र के बीच में जा रहा है, उस लोकतंत्र को आप फिर से ज्यादा बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। यह उचित नहीं है।

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

मनोनीत सदस्यों का निर्वाचित सदनों में क्या लाभ है? विशेष योग्यता वाले, विशेष योग्यता वाले तो हर जगह हैं। लोक सभा में भी आप विशेष योग्यता के नाम से नोमिनेशन क्यों नहीं करा देते? आखिर क्या है? नगरपालिका चाहेगी, उनके इंजीनियर भी होते हैं, आपके यहां अधिकारी भी होते हैं। हर विषय पर वह कहीं से भी राय ले सकती है, लेकिन ये संशोधन करके आप निश्चित रूप से हंगामा की स्थिति पैदा करने की ओर जा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इसमें राजनीति छिपी हुई है। राजनीति क्या छिपी हुई है? आजकल पार्षदों को तनख्वाह मिलती है, जितने नोमिनेटेड सदस्य होंगे, चाहे नगर निगम के होंगे, चाहे नगर परिषद् के होंगे, चाहे नगरपालिका के होंगे, ये नोमिनेटेड सदस्य, चाहे हमारा राज होगा तो हम करेंगे और राजस्थान में इनका राज है तो माननीय मंत्री शांती धारीवाल जी करेंगे। यह जो फौज खड़ी होगी, वैतनिक कर्मचारियों की। ये सारे पार्षद पार्टी के वैतनिक कर्मचारी होंगे। इससे राजनीति का चरित्र बिगड़ेगा। ऐसी स्थिति में चाहता हूं कि इसे आगे नहीं बढ़ाया जाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर क्यों मनोनीत करने की आवश्यकता पड़ी? कहां पड़ी? किसने मांग की? आपने लिखा है कि जनता की मांग, जनता की मांग तो कहीं नहीं हुई। हमने कहीं कोई प्रस्ताव नहीं सुना। हमने कोई किसी तरह की आवाज नहीं सुनी। यह कौनसी जनता की मांग थी? (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांत रहें।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): मैं इसमें राजनीति नहीं लाना चाहता। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मांग की या जनता पार्टी ने मांग की। मैं यह कहता हूं कि किसी की मांग नहीं है। यह आपकी कल्पना है, क्योंकि आप राजनीति का चरित्र बदलना चाहते हैं। नगरपालिका, नगर परिषद् और नगर निगम में आप ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं, जिससे आपका सर्वत्र राज स्थापित हो जाए। कोई काम नहीं होगा। कैसे होगा, बताओ। चरित्र बदलेगा। जैसे प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे कि दो आदमी ही काफी हैं, कुश्ती पैदा करने लिए। ये आठ-आठ, छह-छह, सात-सात, जो बाहर से जाएंगे, वे आपके निर्देश पर हंगामा जरूर करेंगे क्योंकि आप सफल होने नहीं देना चाहते। आज मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि देश का लोकतंत्र जिस दिशा में जा रहा है, उसमें लोकतंत्र की सफलता के प्रयत्न कम हो रहे हैं, लोकतंत्र को बिगाड़ने के प्रयत्न ज्यादा हो रहे हैं।

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

चाहे राज्य सभा हो, चाहे विधान सभा हो, चाहे लोक सभा हो, वहां पर जिस तरह की अमर्यादित बातें जो आज हो रही हैं, उनके आधार पर क्या लोकतंत्र में लोगों का विश्वास रहेगा? आज सारे राजस्थान में देख लो, सारे देश में देख लो, एक बात जगत चर्चा में है, जगत चर्चा में है, अर्थ तंत्र का बहाव बहुत बढ़ गया। चुनाव लड़ने के लिए धन का बहाव बढ़ गया है। चुनाव में आने के लिए भी धन का बहाव, और ये मनोनीत होंगे। माननीय मंत्री महोदय, ये मनोनीत होंगे, इसमें धन का बहुत बड़ा रोल होगा। चाहे आप करें या कोई भी करे, लेकिन धन का, आज की स्थिति में टिकटों के लिए जिस तरह का हम सुनते हैं, राजनीति में टिकटों के लिए, टिकट दिलाने के लिये जिस तरह की आज की स्थिति है, मनोनयन तो सीधा, बिना फर्ज किये, अब ठीक है जब विशेषाधिकार है कि आपको जो है, ये लोकतंत्र में वोट तो दे ही नहीं सकते। जब वोट नहीं दे सकते और अपनी राय दे सकते हैं, ये मुझे विरोधाभास लगता है।

वोट तो दे नहीं सकते, राय दे सकते हैं। यह कौनसी स्थिति है? इस स्थिति से आमना-सामना कैसे होगा? वोट देने का अधिकार नहीं और राय देने का अधिकार, उस राय पर वोट देने का अधिकार नहीं, ये लोकतंत्र के साथ मजाक है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं सही है कि लोकतंत्र, इनको मत देने का अधिकार नहीं है, मत देने का ही अधिकार नहीं है, अपनी राय, अभी एक बात उठी विशेष योग्यता, विशेष योग्यता तो मेरे में भी है, आपमें भी है, हम विशेष योग्यता लेकर ही यहां बैठे हैं। सब किसी न किसी विशेष योग्यता के हैं, लेकिन हमारी इस विशेष योग्तया को असिस्टेंस मिलता है ब्यूरोक्रेसी से। ब्यूरोक्रेसी में हर स्टेप पर आपको विशेष योग्यता वाले अधिकारी मिल जाएंगे जो आपको राय देंगे, आपकी नीतियां बनाने में राय देंगे। लेकिन वहां तो सीधी-सीधी थी, कौनसी विशेष योग्यता चाहिए? इंजीनियर होता है, छोटे-मोटे काम, नीतियां नहीं बनती हैं।

माननीय सभापति महोदय, नगरपालिका, नगर परिषद् और नगर निगम में नीतियां नहीं बनती हैं। विशेष योग्यता वहां चाहिए, जहां नीतियां बनती हैं। वहां तो अधिकारी चाहिए। जिस तरह के अधिकारियों की चर्चा आज राजस्थान में चल रही है, आपने राजस्थान स्वायत्त सेवा अधिकारी वर्ग कायम किया है, मैं चाहता हूं उसको मजबूत कीजिए। उसी में होगा सब। यहां हमारे विधान सभा में एक सैक्रेटरी बैठता है, सारी विधि की स्थिति वह बताते हैं। मैं

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

विनम्रतापूर्वक आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो विधि बनाने की प्रक्रिया है, उसमें संशोधन विधायक का अधिकार है। अभी न मालूम किस कारण से आपने थोड़ा परिवर्तन करना चाहा, जो प्रोटेस्ट हुआ, वह सही हुआ क्योंकि विधि बनाने की प्रक्रिया में विधायक का अधिकार है। कौन बोलेगा, कौन नहीं, यह उस समय तय होता है कि कौन संशोधन देगा, कौन नहीं। पार्टी स्तर पर संशोधन दिया तब तक तो ठीक है। बाकी जो भी विधि बनाने की प्रक्रिया में संशोधन देगा, उसका अधिकार है कि वह बोले। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और इसीलिए आपने ठीक समय पर वापस स्थिति संभाल ली, आपका धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने अभी कहा कि यह लोकतंत्र की अंतिम कड़ी है। लोकतंत्र में विश्वास तब जमेगा जबकि नगरपालिका, नगर परिषद्, नगर निगम में ठीक ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था का काम चलना चालू हो। वह नहीं होगा तो विश्वास उठेगा। जब नीचे लोकतंत्र में विश्वास उठेगा तो ऊपर भी उठेगा और ऊपर भी उठेगा तो आगे भी उठेगा, आज जो स्थिति पैदा हो रही है, उस स्थिति में हमको संभल-संभलकर एक-एक कदम संभलकर रखना है कि जिससे लोकतंत्र मजबूत हो। चुने हुए सदनों में मनोनयन का मैं विरोध करता हूं। मैं इस मामले में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, जरा गंभीरता से विचार कीजिए। अच्छा सेमिनार बुलाकर, अच्छे राजनीतिक विद्वानों को, अच्छे राजनीतिक जानकारों को कि ये मनोनयन की प्रथा जो हमने डाली है, क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है? क्योंकि मेरा मानना है कि ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं का अतिक्रमण है और ये अतिक्रमण करने की स्थिति जो आज पैदा हुई है, वह राजनीतिक दृष्टि से पैदा हुई है। ऐसी राजनीति करने से आप अपने आपको पीछे लें। यही मेरा आपसे निवेदन है। सभापति महोदय, इसलिए इस संशोधन विधेयक को मैं लोकमत जानने के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: श्री अभिनेश महर्षि।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): बहुत-बहुत धन्यवाद, सभापति महोदय। राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021, अधिनियम संख्या 18 की धारा 6 के संशोधन सहित अनेक धाराओं में कुछ संशोधन करने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया है।

(श्री अभिनेश महर्षि)

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार ने कुछ समय पहले नगरपालिकाओं में परिसीमन किया। परिसीमन का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यह था कि सरकार कुछ नगर निगमों में, कुछ नगर परिषदों में और पालिकाओं में कभी भी अपना बोर्ड बना नहीं पाती थी। कांग्रेस के विद्वान लोगों ने विचार किया कि क्या किया जाए ऐसा कि जिससे हम इस सत्ता पर काबिज हो जाएं? उन्होंने तोड़-मरोड़कर जहां जो स्थिति अनुकूल अपने हिसाब से लगी, वह वैसी की वैसी बनाने का काम किया। कहीं 200-250 के ऊपर एक वार्ड बना दिया तो कहीं 2000 और 3000 के ऊपर भी एक वार्ड बना दिया। ये सरकार ने जिस तरह का कुत्सित प्रयास किया इनके ऊपर काबिज होने का, वह आप सब लोगों के सामने है। 20 में से 6 पार्षद नोमिनेट, अब बताएं कैसा लोकतंत्र के साथ में घिनौना मजाक यह सरकार करने जा रही है, जिसके अन्दर 30 प्रतिशत के करीब हम नोमिनेट कर देंगे। जहां आपकी सत्ता नहीं आयी, जहां आपकी नगरपालिकाएं नहीं आयी, वहां पर आप इन नगरपालिकाओं के ऊपर कब्जा करने की एक कुचेष्टा जो कर रहे हैं, मैं समझता हूं इससे आपको बाज आना चाहिए।

आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, आपका विरोध बहुत भयंकर हो रहा है। सरकार कई बार कगार पर चली जाती है गिरने की। आपने देखा कि इतने बड़े, लंबे-चौड़े इस कुनबे के अन्दर किस तरह से लोगों को संतुष्ट किया जाए, आपने एक तरीका खोज निकाला इसमें संशोधन करने के लिए कि संशोधन करके कुछ लोगों को उनकी महत्वाकांक्षा के अनुसार वहां पर नोमिनेट कर दें और नोमिनेट करके वहां पर उनको संतुष्ट करने का काम करें। मैं समझता हूं यह अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाया गया है कि कुछ राजनीतिक लोगों को राजनीतिक नियुक्तियां देकर जो संख्या बल आपके पास में बहुत बड़ा बढ़ा हुआ है, उसको कुछ कम करने का होता।

माननीय सभापति महोदय, अच्छा होता सरकार की मंशा के ऊपर हम कोई डाउट नहीं करते, करते, यदि सरकार क्या करती, ये जो भयंकर आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई नगरपालिकाएं, नगर परिषद् और नगर निगम हैं, इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का यदि कोई अमेंडमेंट सरकार लेकर आती तो हमें अच्छा लगता, लेकिन सुधार करने का कोई संशोधन विधेयक नहीं लेकर आए हैं। कुछ नगरपालिकाओं के हालात इतने खराब हैं, कुछ नगर परिषदों के कि वहां पर तनख्वाह देने के लिए नहीं है। इसके बावजूद भी वहां पर भयंकर

(श्री अभिनेश महर्षि)

अवैध निर्माण होते हैं। अवैध निर्माण करवाने वाले लोग भी वही आपके कर्मचारी होते हैं। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय यहां पर बैठे हुए हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि कोई कानून में ऐसा अमेंडमेंट भी लेकर आइए, जिस अमेंडमेंट से जब अवैध कोई निर्माण हो जाता है और उसके बाद में उसकी शिकायत होती है, जांच होती है, यदि वह सही पाया जाता है जो जिस अधिकारी, कर्मचारी की देखरेख में या उसके समय के अन्दर जो वह अवैध निर्माण हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी तय करके, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए, उसको ध्वस्त कराया जाए, उसकी नौकरी ली जाए या उससे जुर्माना वसूल किया जाए जिससे भविष्य में कोई भी इस तरह का काम कर नहीं सके। ऐसा अमेंडमेंट भी यदि आप कोई लेकर आते तो मुझे अच्छा लगता।

पार्टी में असंतोष को खतम करने के लिए संख्या बल बढ़ा रहे हैं। जहां नगरपालिकाओं में आपकी संख्या बिलकुल किनारे पर हैं, उसके ऊपर आप उनको बढ़ाकर अपना वर्चस्व साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। महोदय, वित्त आयोग अभी तक आपने बनाया नहीं है। ठीक कह रहे थे, छठे वित्त आयोग का गठन, हमारे उप नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अभी तक किया नहीं है तो आपकी मंशा क्या है? ये यहां पर हो रही है।

एक निवेदन और मैं करना चाहता हूं कि जब ये अमेंडमेंट की बात हो रही है, जहां आपकी नगरपालिका नहीं है या जहां आपकी नगरपालिकाएं नहीं थी, वहां पर दो वर्षों के अन्दर, 15 से 16 बार ईओ बदला गया। अब ईओ कैसे बदला गया? इसकी एक बानगी देखिए। आपके कांग्रेस पार्टी के अंदर दो-दो धड़ें हैं, एक धड़ा कहता है कि एक्स को लगा दीजिए ईओ, दूसरा धड़ा कहता है कि इसको ईओ लगा दीजिए। माननीय महेश जोशी साहब को निवेदन करता हूं कि आप बड़े भाई हैं कृपा दृष्टि रखिए, जब जब भी मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूं, आपकी ये दृष्टि मेरे ऊपर टिक जाती है। आपका पुराना साथी हूं, कम से कम इतनी कृपा तो करिए। सभापति महोदय, इनकी तरफ मत देखना, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, आप मेरी तरफ देखिए। मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं। बिलकुल ठीक है, यह हमने दिया है, यह हमारा अधिकार है, कैलाश मेघवाल साहब ने अभी-अभी बताया है, हमें बताया गया था कि ये सदन जो है, इसमें कानून बनते हैं। इसमें कानून में संशोधन होता है। मेरे पिताजी ने ये बात कही, जब मैं राजनीति के अन्दर आया तो

(श्री अभिनेश महर्षि)

मुझसे मेरे पिताजी ने पूछा कि बेटा, अपने जैसे लोगों के लिए, अपने जैसे परिवार के लोगों के लिए क्या यह राजनीति उचित है? मैंने उनसे एक यक्ष प्रश्न किया था कि पिताजी राजस्थान को कौन चलाता है? इसके अन्दर कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसा डवलपमेंट होना चाहिए, कैसी शिक्षा की नीति होनी चाहिए, यह कौन तय करता है। चुने हुए सदस्य, जो माननीय सदस्य चुनकर जाते हैं, उनका अधिकार होता है, वहां पर वह कानून बदलने का काम करें। यह सोचकर मैं इस सदन के अन्दर आया। मुझे रोकिए मत, प्लीज।

श्री सभापति: आप संशोधन पर बोलिए, कोई नहीं रोक रहा आपको। आप संशोधन पर बोलिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): मैं माननीय आपको कह रहा हूं। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि नगरपालिकाओं के अन्दर...

श्री सभापति: क्या मजाक बनाकर रखा हुआ है ?

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): दो वर्ष में 15 से 16 बार ईओ बदल दिए गए। ईओ क्यों बदल दिए गए? कांग्रेस के दो धड़े, एक धडा कहता है इसको लगा दीजिए।

श्री सभापति: उप नेता महोदय।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): दूसरा धड़ा कहता है इसको बदल दीजिए।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री अविनाश।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय, मैं समाप्त कर रहा हूं लेकिन मैं नगरपालिकाओं के संशोधन पर बोल रहा हूं। मुझे बोलने का मौका दिया जाए।

श्री सभापति: संशोधन पर कहां बोल रहे हैं। आप एक मिनट विराजिए। इतने माननीय सदस्य इस पर बोलने हैं। दूसरा संशोधन बिल और आना है। आप सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। इस पर जो संशोधन है, सीधी-सीधी उस पर बात करनी चाहिए। आपको रोकें तो आपको असुविधा होती है। सहयोग नहीं करेंगे तो सदन कैसे चलेगा? सदन की कार्यवाही सम्पन्न कैसे होगी? अभी एक बिल और बाकी पड़ा हुआ है। इस पर अभी 15 माननीय सदस्य और बोलने हैं। मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आप सहयोग करें। आप सीधे-सीधे संशोधन पर बात करें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, मेरा तो दोनों बिलों के अन्दर संशोधन इस एक में ही मान लेना।

श्री सभापति: आप इस पर अपनी बात रखिए। अब आप समाप्त करें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): दोनों समय का मान लीजिए। समाप्त तो तब करूं, जब गलत वार्ड बना दिए गए थे, उन गलत वार्डों को दुरूस्त करने का कोई कानून बना देते।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री अविनाश।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): उसके अन्दर कोई दुरुस्तीकरण कर देते।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। अब आप विराजिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: विराजिए। कोई अन्याय नहीं कर रहा। अब आप विराजिए, सहयोग करें। विराजिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री अविनाश (जैतारण): सभापति महोदय...

श्री सभापति: अविनाश जी, आप एक मिनट इनको बोलने दें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माइक बंद कर दिया, वापस चालू कर दिया ...(व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज।

श्री अभिनेष महर्षि (रतनगढ़): माननीय, सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती हुई थी, बहुत मुद्दे की बात बता रहा हूं। सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई उसमें जो सफाई कर्मचारी लगाए थे, उनको सफाई कर्मचारी के रूप में ही काम लिया जाए। दूसरे कामों में लिए गए, जितने भी कर्मचारी हैं, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय, एक आदेश निकालकर उनको सफाई के कार्य में ही लगाया जाए। खाली पड़ी सीटें हैं, स्टेट ग्रांट के पट्टे हैं, उनको बनाने के लिए भी कोई कानून लाइये। कहीं पर बन रहे हैं, कही पर नहीं बन रहे हैं।

श्री सभापति: विराजिए। श्री अविनाश।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): ठीक है, साहब। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका आभार। मुझे तो आप बोलने देते नहीं हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: मेरा पुन: सभी से आग्रह है, आप संशोधन पर अपनी बात रखें, ताकि समय पर सारी कार्यवाही सम्पन्न हो। एक बिल अभी और बाकी पड़ा हुआ है। कृपया सहयोग करें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): सभापति महोदय, उधर से इशारा होता है और आप फटाफट बोल देते हो।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक, 2021 पर आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): जनमत जानने के लिए, परिचालित करने की बात तो कही ही नहीं, वह तो कहूं।

श्री सभापति: मान ली आपकी बात। जनमत जानने के लिए परिचालित कर दीजिए आप इसको।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): कितने महीने के लिए, तीन महीने के लिए, छह महीने के लिए ...(व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें। अब आप विराजिए। कुछ अच्छी परम्पराएं, अच्छी संसदीय परम्पराएं, जो पार्लियामेंट्री परम्पराएं हैं, उनको आप सीखेंगे तो अच्छा होगा। (व्यवधान) अब आप विराजिए।

श्री अविनाश (जैतारण): मेरा समय अब काउंट करना, सर।

श्री सभापति: आप संशोधन पर अपनी बात रखिए।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, मैं संशोधन पर ही बात करूंगा।

श्री सभापति: बोलिए आप।

श्री अविनाश (जैतारण): इन्हीं दोनों विधेयक पर पांच मिनट के अन्दर अपनी बात को खतम कर दूंगा। जिस प्रकार से यह संशोधन माननीय मंत्री महोदय द्वारा इस विधान सभा में रखा गया, यह नगरपालिका अधिनियम 2009 अधिनियम संख्या 18 की धारा 6 के अन्दर संशोधन किया। उसके द्वितीय खण्ड में लिखा गया, नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले नगरपालिका बोर्ड के मामले में छह व्यक्ति, नगर परिषद् के मामले में आठ व्यक्ति और नगर निगम के मामले में बारह व्यक्ति, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा।

(श्री अविनाश)

इसके खण्ड चार में, नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद् और नगर निगम प्रत्येक में नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में एक दिव्यांग व्यक्ति को सम्मिलित किया जाएगा।

यह संशोधन आपने इस अधिनियम में किया। जब मैं इसके उद्देश्य और कारणों को पढ़ रहा था, तो इसमें लिखा हुआ है कि 2011 की जनगणना के आधार पर प्रत्येक नगरपालिका में स्थानों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि आपने यह संशोधन किया, इसमें मेरा ऐसा मानना है कि जिस प्रकार से सहवृत पार्षदों की आप लोग नियुक्ति करेंगे, उन सहवृत पार्षदों की नियुक्ति का कोई औचित्य नहीं है, आधार नहीं है।

अभी थोड़ी देर पहले माननीय मंत्री महोदय एक माननीय सदस्य के प्रश्न के जवाब में कह रहे थे कि नगर परिषद् हो या नगरपालिका हो, उनके पास इतने वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं हैं कि हम लोग उनके अंदर अतिरिक्त काम करवा सकें। यह हकीकत है कि राजस्थान प्रदेश की नगरपालिकाओं में वित्तीय संसाधन कम है, सफाईकर्मियों को वेतन नहीं मिलता है, उनके स्टाफ का वेतन नहीं मिलता है। इस स्थिति में अगर आप लोगों ने सहवृत पार्षदों की संख्या बढ़ाई, छोटे-छोटे वार्डों में, कहीं 20 की नगरपालिका है, कहीं 25 की है, वहां आपने सहवृत पार्षद कर दिया, मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है, इसको वापस लिया जाना चाहिए। किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार होता है वोट देने का, मत देने का। जब किसी नगरपालिका में किसी नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को सहवृत पार्षद को वोट देने का अधिकार नहीं होगा तो उसको लेने से, उस नगरपालिका बोर्ड में अपनी राय रखने से क्या मतलब होगा। इसमें आपने लिखा कि नगरपालिका के बारे में जानने वाला व्यक्ति होना चाहिए। उसको लिया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अधिकांश होता क्या है कि यह सारा राज्य सरकार की अनुशंसा के आधार पर होता है। मेरा यह सुझाव है कि राज्य सरकार जो नाम निर्दिष्ट करती है, यह उन्ही नगरपालिका के बोर्ड को, जो स्थानीय बोर्ड होते हैं, उनको ही अधिकार दिए जाए, कि जहां जिसका बोर्ड होगा, उस बोर्ड के आधार पर पहले तो इसको लिए जाने की जरूरत नहीं है,

(श्री अविनाश)

लेकिन फिर भी अगर आप यह बिल पास करते हैं, विधेयक पास करते हैं, तो उसके अन्दर स्थानीय नगरपालिकाओं को भी अधिकार दिये जाएं, राज्य सरकार की बजाय।

आपने इसमें एक दिव्यांग का लिखा। मैं चाहूंगा कि उसमें एक एससी, एसटी का व्यक्ति भी हो, एक महिला हो। इस प्रकार का एक वर्गीकरण करें, ताकि सब वर्गों का उसके अन्दर समावेश हो।

नगरपालिका के पार्षदों का वेतन पिछले काफी वर्षों से बहुत कम है। मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा कि आने वाले समय में आप नगरपालिका के पार्षदों का वेतन भी बढ़ाएं, ताकि नगरपालिका में बड़ी मुश्किल से जीतकर आने वाले जो पार्षद हैं, उनका भी अच्छी तरह से गुजारा हो सके।

माननीय मंत्री महोदय, दूसरा विधेयक राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2021 को आपने विचारार्थ लिया, मैं इस विधेयक पर भी बोलना चाहूंगा। इसमें आपने मुख्य रूप से दो या तीन संशोधन किए। मैं कुछ सुझाव इस विधेयक के संबंध में देना चाहूंगा।

आपने राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 में संशोधन कर, इसकी धारा 60 (ख) अंत:स्थापित कर जो संशोधन किया, उसके प्रस्तावित संशोधन, उसके सुझाव के रूप में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा...(व्यवधान) मेरा निवेदन रहेगा कि जो दूसरा विधेयक है, धारा 60 (ख) आबंटन का प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख का रद्दकरण। इसकी उपधारा एक में पट्टा विलेख के निष्पादित और रजिस्ट्रीकृत किये जाने से पूर्व या पश्चात...

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सभापति महोदय.... (व्यवधान)

श्री सभापति: क्या करें, इनको समाप्त करने दो। (व्यवधान)

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, मैं यह चाह रहा था कि दोनों विधेयक पर मैं पांच मिनट में अपनी बात खतम कर दूं ...(व्यवधान) लेकिन चलो कोई बात नहीं। सभापति महोदय, मैं तो इतना ही कहूंगा, मैंने जो कहा है, उन संशोधनों को, उन सुझावों को लागू कर, इस विधेयक को तीन महीने के लिए जनता के जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): सभापति महोदय, राजस्थान

(श्री मदन दिलावर)

नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2021 इस विधान सभा में लाया गया है, उसको मैं 6 माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित करने का निवेदन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यह विधेयक क्यों लाया गया है, इसका क्या लाभ होने वाला है? इससे नगरपालिका, नगर निगमों को क्या फायदा होगा, यह मेरे अभी तक समझ नहीं आया। माननीय सभापति महोदय, अगर इनको इसमें करना ही है तो यह करते कि जिसका बोर्ड है, इनको बोर्ड ही तय करेगा। जो मनोनीत सदस्य हैं उनको बोर्ड ही तय करेगा, सरकार नहीं, तो बोर्ड अपने हिसाब से अच्छे लोगों को तय करके भेजता, परन्तु हुआ क्या है बोर्ड को पाबंद कर दिया। बोर्ड तय नहीं करेगा, सरकार तय करेगी। अब मुझे इसमें बू आ रही है, क्योंकि मैं सच बोलने के लिए बदनाम भी हूं। लोग कहते हैं यह सच बोलता है, तो मेरा विरोध करते हैं। पर मैं निवेदन यह कर रहा हूं, क्योंकि मुझे जो आभास हुआ है, आभास यह हुआ है कि +++

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): +++ ...(व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): क्या बोल रहे हैं, वह देखें आप। तरक्की की बात कर रही है सरकार, साहब, +++ ...(व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): क्या बोल रहे हैं, सर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): सभापति महोदय +++

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप बताओ, फिर वही हरकत कर रहे हैं। (व्यवधान) वही हरकत कर रहे हैं।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, क्या बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): +++ (व्यवधान)

श्री सभापति: विधेयक के अलावा जो भी कुछ लिखा है, सब विलोपित कर दें आप।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): +++ (व्यवधान)

श्री सभापति: कर दिया, मैंने डाइरेक्शन दे दिया। (व्यवधान) विराजिये, विराजिये। विलोपित कर दिया, अब आप विराजिये। (व्यवधान) विलोपित कर दिया, विराजिये अब आप।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): +++ (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): स्पीच का सवाल नहीं है, बोलने का तरीका क्या है ... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): +++

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये, माननीय सदस्य। श्री सतीश पूनियां।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): अदरवाइज यह सरकार चलने की स्थिति में नहीं है ...(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मुझे बोलने दें।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये आप। (व्यवधान) विराजिये, विराजिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, यह एस.सी., एस.टी. के खिलाफ है। (व्यवधान) यह एस.सी., एस.टी. के चेयरमेनों को दबाने के लिये ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। श्री सतीश पूनियां। विराजिये अब आप। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा, अब आप विराजिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। श्री सतीश पूनियां।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: आपका गला खराब है। मैं आपका शुभचिंतक हूं इसलिये आप शांति से बैठें।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): वह गला खराब है, इसलिये अमाउंट कम बताया उन्होंने। गला खराब था, इसलिये अमाउंट कम बताया था।

माननीय सभापति महोदय, वैसे तो इस संशोधन में राजनीतिक रूप से कहने का स्कोप खूब है, तकनीकी रूप से कम है। मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा ...(व्यवधान) आपको नहीं, आपको।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे बोलने की आदत मत डालो। अच्छी परम्पराएं नहीं हैं। नये आए हो, कुछ सीख लो। आप लोगों को बार-बार कहना पड़ता है।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस बिल का और पार्षदों के मनोनयन का मंतव्य राजनीतिक है, यह सबको ही पता है। आपने एक विशेष ज्ञान की बात इसमें कही है। बेहतर होता कि आप इसमें किसी शहीद की वीरांगना को, किसी पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता को, किसी अर्जुन अवार्डी को, शहर की किसी विशेष श्रेणी को शामिल करते तो शायद इसकी शोभा ज्यादा होती लेकिन पिछले दरवाजे से राजनीतिक कार्यकर्ताओं को खपाने का काम, इसमें मंतव्य साफ तौर पर दिखता है।

दूसरी तरफ महिलाओं की भागीदारी की बात आप लोग करते हैं, इसमें स्पेसिफिक यदि महिलाओं के पार्टिसिपेशन की बात होती तो यह बिल और ज्यादा खूबसूरत होता।

माननीय सभापति महोदय, निकाय और पंचायती राज ग्रास रूट की डेमोक्रेसी के पिलर हैं। यह दृश्य पहले देखा है कि पंचायती राज के चुनाव इस कार्यकाल में किस तरीके से डिले हुए और किस तरीके से वे संस्थाएं कमजोर हुईं। एक तरफ हम ग्राम सभा के सशक्तीकरण की बात करते हैं, दूसरी तरफ शहरों के विकास की बात करते हैं। लेकिन पिछले सवा दो साल के इस पूरे कालखण्ड में चुनाव भी डिले हुए परिसीमन पर सवाल उठे और उन संस्थाओं के वित्तीय हालात इतने कमजोर हैं कि जिसमें आपने एडमिट किया है कि हमारे पास देने के लिये तनख्वाह नहीं है। बेहतर होता कि स्थानीय निकायों की मजबूती के लिये, क्योंकि सामान्य तौर पर हम लोग जो काम करते हैं, सफाई के, सड़क के, रोशनी के, इसके अलावा, यूटिलिटीज के अलावा नवाचार क्या हो सकते हैं, इस पर चर्चा होती, इस पर कोई बात आती तो मुझे लगता है कि यह सदन भी इस पर ठीक तरीके से चर्चा करता।

आपका बहुमत है, यह बिल आप ले आए, इसको पारित कर लेंगे लेकिन मुझे लगता है कि एथीकली यह काम ठीक नहीं हुआ है। इतनी बड़ी खेप आप जब खपाएंगे, तो मैं पिछले दिनों देख रहा था, कहीं नगरपालिकाओं ने लैपटॉप का, किसी ने भत्ते का और ये सारे जो भर्ती करेंगे, कल ये आप से हीरो होंडा भी मांगेंगे तो मुझे लगता है कि इस बिल की और इस प्रोविजन की उपयोगिता साफ तौर पर दिखाई नहीं देती है। इसमें कुछ कंट्राडिक्शन है

(श्री सतीश पूनियां)

दत्तक को लेकर और जो पहली संख्या थी, वह अपने आप में सीमित थी, और उसकी संख्या का, जैसा अभी नेता, प्रतिपक्ष ने बताया, वह साफ तौर पर दिखता है कि बहुत छोटी नगरपालिकाओं में इतने सारे लोग होंगे। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, यह +++ शब्द संसदीय है या असंसदीय है, +++?

श्री सभापति: असंसदीय है +++।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): असंसदीय है तो मैं फिर नहीं बोलूंगा। वरना तो 8, 6 और 4-4 +++ भर्ती करने के बाद नगरपालिकाओं की स्थिति क्या होगी, यह हम समझ सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री संजय शर्मा।

मेरा, सभी माननीय सदस्य, जो बोलने वाले हैं, उनसे विशेष आग्रह है कि 2-3 मिनट में संशोधन पर अपनी बात रखें, क्योंकि अभी एक और विधेयक पेश होना है। तो समय पर करेंगे तो समय पर सदन की कार्यवाही सम्पन्न हो जाएगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मेरी एक जिज्ञासा है, यह +++ कहते किसको हैं, यह शब्द ईजाद कहां से हुआ। यह तो मेरे को मालूम है शेखावाटी में हुआ, सीकर में हुआ।

श्री सभापति: माननीय उप नेता महोदय, जो व्यक्ति मुझे पूछ रहा है, उस व्यक्ति के मुंह पर यह शब्द शोभा नहीं देता, इसलिये मैं मेरे विवेक से यह कह रहा हूं कि अपने लिये यह शब्द असंसदीय ही है।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): पहले चर्चा में आ चुका था।

श्री सभापति: हटा दिया, हटा दिया।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): पहले चर्चा में आ चुका था।

श्री सभापति: क्योंकि आपके मुंह पर यह शोभा नहीं देता न।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): नहीं, मैं शब्द वापस लेता हूं, सर।

श्री सभापति: अपने मारवाड़ी में एक कहावत है भीत गेल मांडणा तो यह भीत गेल मांडणा, शोभा कोन दे।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक, 2021 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: +++ की जगह आप बाहुबली बोलते तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यहां नगरपालिका प्रशासन में पार्षदों के मनोनयन के लिए, जो पहले नगरपालिका क्षेत्र में 4, नगर परिषद् में 5 व नगर निगम में जो 6 पार्षदों का मनोनयन होता था, उसको बढ़ा करके नगरपालिकाओं में 6, परिषदों में 8, और नगर निगमों में 12 व्यक्तियों के मनोनयन की बात के लिए रखा है। उसमें एक विशेष बात उन्होंने कही है कि नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाले, या अनुभव रखने वाले व्यक्ति का इसमें मनोनयन किया जाएगा। अब वह विशेष ज्ञान रखने वाले, या अनुभव रखने वाले का क्राइटेरिया इस बिल में खोला जाता कि उसका क्राइटेरिया क्या होगा, उसका पैमाना क्या होगा? क्या वह कोई वकील होगा, या वह नगरपालिका, नगर परिषद्, नगर निगम से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी होंगे, या प्रशासनिक रूप से सेवानिवृत्त हुए अधिकारी, कर्मचारी होंगे, तो ज्यादा अच्छा होता लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि विशेष योग्यता व विशेष ज्ञान का पैमाना राजनीतिक रूप से जो बड़े नेताओं की जितनी ज्यादा परिक्रमा करेगा, वही इसमें मनोनीत पार्षद के रूप में आएगा।

श्री सभापति: विशेष योग्यता, जो सतीशजी पूनियां ने परिभाषित की थी, वह है विशेष योग्यता।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): वह आपके और माननीय भाई साहब के बीच की बात है, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं आऊंगा।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): मैं कह रहा हूं कि धारीवालजी वही भर्ती करना चाह रहे हैं।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): इसके साथ-साथ आज प्रश्नकाल के दौरान स्वयं माननीय मंत्री महोदय ने यह माना था कि राजस्थान की बहुत सारी नगरपालिकाओं और नगर परिषदों की स्थिति आर्थिक रूप से बहुत खराब है। बहुत सारी जगहें तो ऐसी हैं कि जहां 5-5, 6-6 महीने से कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दिया गया है तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह आग्रह है कि मनोनयन के माध्यम से पार्षदों की जो बढ़ोतरी आप कर रहे हैं, उसका जो आर्थिक भार नगरपालिकाओं पर, नगर परिषदों पर और नगर निगमों पर आने वाला है, उसका खामियाजा यह संस्थान निश्चित रूप से भुगतेंगी।

(श्री संजय शर्मा)

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि राजस्थान की बहुत सारी नगरपालिकाएं, नगर परिषद् और नगर निगम ऐसे हैं, जिनमें बहुत सारे रिक्त पद हैं।

(16.00 बजे)

अलवर नगर परिषद् की बात करूं तो कुल 47 पद वहां पर रिक्त हैं। अच्छा होता कि आप पार्षदों के मनोनयन की संख्या बढ़ाने के बजाय राजस्थान की तमाम नगरपालिका, नगर परिषद् और नगर निगम में जो पद रिक्त पड़े हुए हैं, उनको भरने के लिए बात करते तो निश्चित रूप से कार्य का विभाजन होता और आम जनता को भी राहत मिलती, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को यह आग्रह करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से एक आग्रह और करना चाहूंगा कि मनोनीत पार्षदों की संख्या बढ़ाने के बजाए जो निर्वाचित पार्षद हैं उनको आप यह अधिकार दें क्योंकि बहुत सारी जगह पर अनुकूल स्थिति नहीं होती है, जिस प्रकार से हमारी अनुकूल स्थिति नहीं है। सत्ता पक्ष के विधायकों को विशेष प्रिविलेज दिया जाता है और माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जिस प्रकार के बजट की घोषणा की है, ज्यादातर घोषणाएं या तो कांग्रेस के विधायक महोदय को मिली है या निर्दलीय विधायक महोदय को मिली है। इसी प्रकार की स्थिति बोर्ड, निगम में भी है। अच्छा होता कि आप निर्वाचित पार्षद को यह अधिकार देते कि उसकी अनुशंसा पर ई.ओ. या आयुक्त, उसके वार्ड में जो वह अनुशंसा करे, वह कार्य करे तो निश्चित रूप से लोकतंत्र मजबूत होता और उस निर्वाचित पार्षद को भी ताकत मिलती और वह आम जनता के काम करवा सकता।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा कि पंचायती राज में मनोनयन सदस्यों का प्रावधान ही नहीं है तो अच्छा होगा कि राज्य सरकार नगर निगम, जो अपने यह स्वायत्त शासन विभाग है, उसमें भी नगरपालिका, नगर निगम और परिषद् में मनोनयन पार्षद का प्रावधान खतम कर दे।

मैं आपके माध्यम से राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए, यह आपसे मांग करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलजीत यादव।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। काफी माननीय सदस्यों के द्वारा इस बात को कहा गया कि नगरपालिकाओं, नगर परिषद्, नगर निगम, इनकी आर्थिक हालत बहुत ही खराब है।

माननीय सभापति महोदय, जो मनोनीत अनुभवी लोगों को करने का बिल लाये हैं, वह तो ठीक है। मेरे साथी यह कह रहे थे कि इससे भार पड़ेगा, यह गलत हो गया, कुछ बढ़ाये लेकिन मनोनीत पहले भी किये गये। ऐसा नहीं है कि पिछली सरकार ने कोई मनोनीत नहीं किये। उन्होंने भी किये हैं। अभी वह यह कह रहे हैं कि मनोनीत करना लोकतंत्र के ही खिलाफ है।

मैं तो सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि जो मेन चीज है इसके अन्दर कि नगरपालिकाओं की हालत खराब है। उसका कारण है एक तो उनके अन्दर भ्रष्टाचार पूरी तरह से जैसे रम गया है। मानिटरिंग ठीक से नहीं हो पाती है। नगरपालिकाओं की आमदनी कैसे बढ़े, टैक्स का कलेक्शन ठीक से हो, उसके प्रति कोई अधिकारी सीरियस रहते ही नहीं हैं और वह सीरियस इस चीज में रहते हैं कि उनका खुद का खेल कैसे हो जाए और जो सील करके फिर जो खेल होता है, सील का खेल, वह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। मुझ से पहले भी यह बात आ चुकी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं तो आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं मंत्रीजी से कि यह बिल लाये इसके साथ-साथ में ऐसा भी कोई बिल लाते जिससे कि उस भ्रष्टाचार पर अंकुश कैसे लगे और जो दोषी अधिकारी है उनके सामने इल्लीगल कंस्ट्रक्शन होता है, पूरी बिल्डिंग बन जाती है, एक दिन में नहीं बनती है और मैं यह भी नहीं मान सकता कि उस अधिकारी को पता नहीं हो कि वह अवैध बिल्डिंग बन रही है और जब वह पूरी बन जाती है तब उसको सील किया जाता है और फिर उसको खोल दिया जाता है तो इन सारी चीजों में जो लिप्त लोग हैं, इन पर अंकुश कैसे लगाया जाए, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा कैसे मिले, जिससे कि सिस्टेमेटिक ढंग से फिर विकास हो सके। वह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उनको भय नहीं होगा। आप किसी भी जगह पर जाओ तो अवैध निर्माण बन रहा है। ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिल पर ही बोलिए। बार-बार यह आग्रह करना पड़ रहा है।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): हम जानते हैं कि वहां पर जो जिम्मेदार अधिकारी है, अगर उसने होने दिया तो उसने इसको रोका क्यों नहीं?

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो नोन गजेटेड अफसर है, उनके अभियोजन स्वीकृति देने और न देने का निर्णय यह बोर्ड ही करता है। भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है, एंटीकरप्शन ब्यूरो पकड़ लेती है और ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, संशोधन पर ही बात करें, संशोधन पर ही।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): उसके पास अभियोजन स्वीकृति ही नहीं मिलती है तो मैं यह चाहता हूं कि ऐसी चीजें भी बिल में डाली जाएं, ऐसी चीजें लाई जाएं।

यह मनोनीत करने का, अनुभवी लोगों को रखने का जो निर्णय सरकार ने लिया है, मैं मानता हूं कि इसके अन्दर अनुभवी लोगों को ही लिया जाएगा और उससे लाभ लेने में कोई हर्जाना नहीं है।

एक बात और कहूंगा कि यह जो पार्षद हैं, जो जीतकर आते हैं पार्षद, उनका वेतन भी बहुत कम है और बिलकुल कम वेतन में हम चाहते हैं कि वह घर का काम छोड़कर समाज सेवा करता रहे तो पहले पेट भी उसका भरना होता है। वह जब फ्री रहता है तो थोड़ा-सा जो भी न्यायसंगत हो, जो उचित हो, उनका वेतन भी बढ़ाया जाना चाहिए। मैं इस बात की मांग करता हूं। केवल उसको सील के खेल में हम लगाते हैं कि आपको कुछ नहीं देंगे, आप तो अपना कमाओ, जुगाड़ करो और आप जाओ और फिर हम उनसे यह अपेक्षा रखते हैं कि अब आप ईमानदार बन जाओ तो मैं यह समझता हूं कि यह चीजें कोई जायज चीज नहीं हैं। इसलिए मैं मेरी इस बात की सहमति देते हुए जो संशोधन के लिए प्रस्ताव दिया जनमत जानने के लिए मैं उसको वापस लेता हूं। माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुरेश टाक।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021 पर आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय मंत्री महोदय विराज रहे हैं, जो संशोधन किया गया है, मैं

(श्री सुरेश टाक)

इसका समर्थन करता हूं और साथ में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इसमें एक छोटा-सा अमेंडमेंट और कर दिया जाए कि जिस व्यक्ति ने यह चुनाव लड़ा है और जो हार गया है, उसका कम से कम नोमिनेशन नहीं हो। यह अगर एक लाइन डलेगी तो जिसको जनता ने नकार दिया है, वह वहां पर नहीं जाएगा और अनुभवी व्यक्ति ही वहां पर जाएगा तो इस संशोधन विधेयक की सार्थकता सिद्ध करेगा और इससे निश्चित रूप से जनता में भी एक संदेश अच्छा जाएगा।

अभी मेरे से पूर्व हमारे बहुत सारे विद्वान साथियों ने अपनी-अपनी बात रखी। मैं चूंकि, नगर परिषद् का सभापति रहा हूं इसलिए थोड़ा-सा मेरा अनुभव है इसलिए मैं यह चाहता हूं कि कुछ अमेंडमेंट और भी होने चाहिए जो बहुत जरूरी है। अभी नगर परिषद्, नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति के बारे में बात चल रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर पूरी तरह से अंकुश लगा दिया जाए तो कोई कमी नहीं रह सकती किसी भी नगरपालिका में, किसी भी नगर परिषद् में, किसी भी निगम में। अगर पूरे मन के साथ अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर कार्यवाही कर दी जाए तो शायद आर्थिक दृष्टि से यह नगरपालिकाएं मजबूत होंगी और मेरा एक सुझाव है इस पर कि मैं यह चाहूंगा कि आपने यह डीडी.आर. बैठा रखे हैं बहुत सारे, उनको नियमित रूप से हर माह मानिटरिंग करे वह, अवैध निर्माण और अतिक्रमण की शिकायतों की कि संबंधित कमिश्नर ने या संबंधित ई.ओ. ने, नगरपालिका के अधिकारी ने जो जिम्मेदार है, उसने इस संबंध में क्या कार्यवाही की? जितनी भी शिकायतें आई हैं उनका संधारण करे और हर माह उनकी मानिटरिंग हो कि इन शिकायतों पर अतिक्रमण तोड़ा गया या नहीं तोड़ा गया, अवैध निर्माण को सीज किया गया या नहीं किया अगर यह कार्यवाही होगी तो निश्चित रूप से अवैध निर्माण पर अंकुश लगेगा और सरकारी सम्पत्ति बचेगी। किसी भी सूरत में सरकारी सम्पत्ति पर किसी की नजर नहीं रहेगी।

दूसरा कमेटियां, आपने नगरपालिका एक्ट में यह प्रावधान किया हुआ है, मेंडेटरी रूप से कमेटियां बनना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पांच साल तक कमेटियां नहीं बनती हैं। इस बार मैं यह चाहूंगा कि यह अवधारणा खतम हो जाए और नगर परिषद्, नगरपालिकाओं में कमेटियां अनिवार्य रूप से बनें ताकि कार्य का विभाजन हो और जनता के काम का शीघ्र निस्तारण हो

(श्री सुरेश टाक)

क्योंकि यह जरूरी है, लोग अपेक्षा करते हैं और साथ में जीतकर आया पार्षद भी यह अपेक्षा करता है कि मुझे कोई जिम्मेदारी मिले। अकेला सभापति या चेयरमैन ही सर्वेसर्वा नहीं रहे, सबको बराबर कानूनी अधिकार है और वह जनता की बात को सुन सकते हैं और उनके काम को कर सकते हैं।

एक भवन निर्माण स्वीकृति को ऑनलाइन अनिवार्य रूप से करें। इसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। जो व्यक्ति अपने घर की जमीन पर, अपने प्लाट पर मकान बनाना चाह रहा है और जब वह निर्माण स्वीकृति लेने जा रहा है और वहां पर निर्माण स्वीकृति के लिए छह-छह महीने के लिए चक्कर लगाये जा रहे हैं तो कम से कम ऐसा नहीं हो और इसको ऑनलाइन करें और इसको टाइम बाउंडिंग करें कि 10 दिन और 15 दिन में किसी भी सूरत में भवन निर्माण स्वीकृति जारी करें अन्यथा उस पर कार्यवाही हो और जिस तरह से अधिकारी को जिम्मेदार बनाया जाए, अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर कार्यवाही होने पर सीधे-सीधे जो जिम्मेदार अधिकारी है, उस पर कोई न कोई सरकारी कार्यवाही होनी चाहिए, निलम्बन तक की कार्यवाही उसकी होनी चाहिए ताकि यह जो गलत काम हो रहे हैं नगरपालिकाओं में यह रुक जाए।

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, समय कम है, बहुत से लोगों को बोलना है और जो भवन निर्माण की स्वीकृति जारी हो, उस पर स्वीकृत नक्शा हर हाल में वहां पर लगे। जहां पर यह निर्माण हो रहा है, वहां पर यह नक्शा लगना चाहिए ताकि आम जन को यह पता रहे कि इस भवन में इस तरह का निर्माण हो रहा है और विशेष तौर से व्यावसायिक निर्माण में। वहां पर यह पार्किंग की जगह नहीं छोड़ी जाती है, अनियमित डवलपमेंट होता है और फिर पार्किंग की वजह से शहर का सारा यातायात खराब होता है। आज बहुत सारी बैंक बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे ऐसे अवैध काम्प्लेक्स हैं जो बन रहे हैं और एक गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं है। जो बिल्डिंग सीज हो जाती है उसको किन नियमों के आधार पर वापस सीजर खोल दिया जाता है, यह समझ में नहीं आता है। यह भी जरूरी है कि उन अधिकारियों पर लगाम लगायी जाये कि वह सीजर खोलने की कार्यवाही नहीं करे, या करे तो जिन शर्तों के साथ सीजर खोला गया, उन शर्तों की अनिवार्य रूप से पालना हो। अगर पालना नहीं हो तो परमानेंटली उन बिल्डिंगों को सीज कर दिया जाना चाहिए ताकि ऐसे

(श्री सुरेश टाक)

अवैध निर्माण फिर से नहीं हों। जनमत जानने का मेरा प्रस्ताव वापस लेता हूं और इसको लागू करने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021 पर बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, अभी बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव इस पर रखे हैं और जो मनोनीत नगरपालिका सदस्यों की संख्या का संशोधन मुख्य रूप से सरकार इस बिल में लेकर आयी है, उसके कारणों पर भी बहुत सारे माननीय सदस्यों ने चर्चा की और कारण लिखते हुए यह जो बिल आया है, उसमें 2011 की जनगणना के आधार पर प्रत्येक नगरपालिका में स्थानों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। निश्चित रूप से मैं मानती हूं कि 2011 से आज 2021 चल रहा है, इन 10 वर्षों में जनसंख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन 2011 में जब जनगणना हुई थी, माननीय सभापति महोदय, उसके बाद 2015 के चुनाव आये। 2015 के चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर हो गये। एक वर्ष की जनगणना के आधार पर दो-दो बार संशोधन नहीं किया जा सकता। वह एक बार संशोधन हो चुका है। उसके बावजूद हम यह कारण बताते हैं तो मुझे यह समझ नहीं आता है कि जो विभाग के अधिकारी बिल बनाकर पेश करते हैं, क्या मंत्री महोदय उनको बिलकुल नहीं पढ़ते हैं? जो विभाग के अधिकारियों ने बनाकर दिया, उसको ऐसे के ऐसे रख देते हैं।

माननीय सभापति महोदय, 2015 में वार्डों का पुनर्गठन 2011 की जनगणना के आधार पर हुआ। फिर 2020 में चुनाव होना था, 2020 में चुनाव नहीं हुआ, 2021 में अधिकतम नगरपालिकाओं का चुनाव हुआ और पुन: पुनर्गठन करना पड़ा। 2011 की जनगणना के आधार पर हम दो-दो बार पुनर्गठन कर रहे हैं और अबकी बार जो हमने 2020 में वार्डों का पुनर्गठन किया है, उन वार्डों में तो हमने जहां 50 वार्ड थे, वहां 80 वार्ड बना दिये, जहां 60 वार्ड थे, वहां 80 वार्ड बना दिये। इसका मतलब यह निश्चित है कि जनसंख्या वही है, भौगोलिक स्थिति वही है, आपने नगरपालिका की सीमाओं में कोई नया नोटिफिकेशन नहीं किया है। भौगोलिक सीमाएं वही की वही हैं। सिर्फ आपने उन वार्डों को और छोटा कर दिया है, तो इसका मतलब साफ है कि जब वार्ड छोटे हो गये हैं तो फिर अधिक संख्या में नगरपालिका में

(श्रीमती अनिता भदेल)

मनोनीत करने की क्या आवश्यकता है? वार्ड आलरेडी छोटे हो गये। उस जनसंख्या पर जो आज से पांच साल पहले एक जन प्रतिनिधि होता था, उससे आधी जनसंख्या पर आज एक प्रतिनिधि है, तो ऐसी स्थिति में यह कारण आपका बताना बिलकुल भी उचित नहीं है। माननीय सभापति महोदय, यह बिलकुल गलत है और मैं इससे रिलेवेंट एक समस्या बताना चाहती हूं, जो मेरे अजमेर की नहीं है, यह पूरे राजस्थान की है और वह समस्या यह है, माननीय सभापति महोदय, कि जब-जब पुनर्गठन होता है, जब-जब वार्डों का नया सीमांकन होता है तो रिजर्वेशन होता है और जहां एस.सी. के वार्ड अधिक होते हैं, एस.सी. के वार्डों में जहां जनसंख्या अधिक होती है, उन वार्डों को रिजर्व घोषित कर दिया जाता है। अब आप हर पाँच साल बाद में यदि पुनर्गठन करेंगे तो वह जो ज्यादा जनसंख्या वाले वार्ड हैं एस.सी. की ज्यादा जनसंख्या वाले वार्ड ही रिजर्व होंगे और उसमें तकनीकी परेशानी जो आती है, वह मैं आपको बयां करती हूं। तकनीकी परेशानी यह आती है कि जहां जनंसख्या अधिक है, वहां से रिजर्वेशन वाले वार्ड आज 15 साल पहले भी वह एस.सी. रिजर्व था, आज भी एस.सी रिजर्व है और पांच साल बाद भी वह एस.सी. रिजर्व होगा। उसमें जो विकास के काम होते हैं, वे विकास के काम फिर सभी एरिया में बराबर-बराबर नहीं बंटते हैं। मैं उदाहरण दे सकती हूं अजमेर का। अजमेर के दो वार्ड 15 साल पहले भी एस.टी. थे, 10 साल पहले भी एस.टी. थे और आज भी वह एस.टी. हैं। जो रोटेशन होता है न, जिससे आदमी काम करता है, जो पार्षद है, वह पार्षद जब काम करता है, जब उसको लगता है कि नहीं, मुझे इस वार्ड से वापस चुनकर आना है। रोटेशन वाली प्रणाली में कोई भी वार्ड जनरल या आरक्षित हो सकता है। यह सबसे बड़ी समस्या है और यह सबकी समस्या है। जहां जनरल के लोग ज्यादा हैं, वहां से जनरल का व्यक्ति चुनकर आता है, जहां अनुसूचित जाति के लोग ज्यादा है, वहां अनुसूचित जाति का व्यक्ति चुनकर आ रहा है और ऐसी स्थिति में जनरल का व्यक्ति सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में काम कराता है, एस.सी. का व्यक्ति उन्हीं क्षेत्रों में काम कराता है। जो वर्क आफ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वह वर्क आफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता और उसके कारण से विकास में असमानताएं खड़ी हुई हैं। कालोनियों में असमानताएं खड़ी हुई हैं और यह बहुत टैक्निकल कारण हैं, जिसकी ओर आपको ध्यान देना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही आगे एक निवेदन करना

(श्रीमती अनिता भदेल)

चाहूंगी कि जब हम वार्डों का चुनाव करते हैं तो हर जनप्रतिनिधि एक वार्ड से चुना जाता है और एक वार्ड से जब जनप्रतिनिधि चुना जा रहा है, जब हम सभापति या मेयर बनाते हैं तो पूरे नगर निगम का वह एक मुखिया बन जाता है। वार्ड से वह भी चुनकर आ रहा है, वह सब जगह से चुनकर नहीं आ रहा, लेकिन, मुखिया बनने के बाद में उसकी प्राथमिकताएं क्या रहती हैं, मेरा वार्ड, मेरा क्षेत्र, मेरा विधान सभा क्षेत्र, यही उसकी प्राथमिकताएं रहती हैं, क्योंकि उसको लगता है कि मैं मेयर बन गया हूं तो अब मैं एमएल.ए. का चुनाव लड़ूंगा, इसलिए मेरे क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान दूं। मेरा निवेदन इतना भर है कि यदि आप कमेटियों का गठन कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बांट देते हैं, इसको अलग-अलग वर्ग में बांट देते हैं तो आपका काम भी ठीक प्रकार से होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं शान्ती धारीवाल जी को याद दिलाना चाहती हूं सन् 2000, जब मैं सभापति थी और कमेटियां हमने आपके पास भेजी थीं, पर आपने उसको अप्रूव नहीं किया। 2000 से 2021, चार बोर्ड निकल गये, चार बोर्ड अजमेर नगर निगम में एक भी बोर्ड में कमेटी नहीं बनी। यह मैं 20 साल का इतिहास आपको बता रही हूं। अभी भी मुझे यकीन नहीं है कि इस बोर्ड में भी कमेटी बन जाएगी। इसलिए, यदि आप इस टर्म में पूरी नगर निगम, मैं केवल अजमेर की बात नहीं कर रही हूं, आप यदि सारी नगर निगमों में कमेटियां बना देते हैं तो निश्चित रूप से आपका काम बहुत तेजी से होगा, बहुत अच्छे से होगा।

माननीय सभापति महोदय, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केन्द्र सरकार हो, नीतियों और योजनाओं को सफलतापूर्वक चलाने का काम स्थानीय पार्षद का होता है। आपको कोई आंदोलन करना है तो भी पार्षद बस भरवाये, आपको कोई अभियान चलाना है, 'प्रशासन शहरों के संग' अभियान चलाना है तो भी पार्षद, कोरोना में आपको मास्क बांटने थे तो भी पार्षद, तो पार्षद ही है मजबूत कड़ी, जो आपकी योजनाओं को और नीतियों को आमजन तक लेकर जाता है। उसको ट्रेनिंग का काम, वह ठीक प्रकार से ट्रेनिंग करे। अभी इन चुनावों में आप यह देखिए एक-एक वार्ड से 20-20 लोगों ने आवेदन किया पार्षद का चुनाव लड़ने के लिये। यह इतनी बड़ी संख्या कैसे आयी? क्योंकि हमने नगर निगमों को, स्थानीय निकायों को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। ठीक समय पर कार्यवाही नहीं होती है। इस वजह से यह संख्या बढ़ी है। वह पार्षद, वह जनप्रतिनिधि, सुबह से लेकर रात्रि तक उसका काम होता है। सुबह

(श्रीमती अनिता भदेल)

यदि सफाई वाला नहीं आया, तो पार्षद याद आता है कि पार्षद कहां गया, उसने सफाई वाला नहीं भेजा। रात को सोते समय यदि स्ट्रीट लाइट बंद है, तो उसको पार्षद याद आता है कि पार्षद को फोन करो, स्ट्रीट लाइट बंद है। वह जन्म से लेकर मृत्यु तक, यदि किसी के परिवार में कोई बच्चा जन्मा है तो पार्षद याद आता है कि उसका रजिस्ट्रेशन कराना है, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है। किसी की मृत्यु हो गयी तो पार्षद याद आता है, कि उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है। ऐसा जनप्रतिनिधि, जो पहली सीढ़ी है, राजनीति की पहली सीढ़ी, यदि किसी को सीखना है तो वहां से सीखकर आये तो वह सफल एम.एल.ए. बन सकता है, सफल एम.पी. बन सकता है। ऐसी स्थिति में जो चुनकर आये, जिनको जनता ने चुना है, उन लोगों को कोई विशेष ट्रेनिंग देने का काम हम कर सकते हैं क्या, कोई ऐसा प्रावधान कर सकते हैं क्या? हम ट्रेनिंग के माध्यम से उनमें विशेष योग्यताएं डालें, उनको विशेष योग्य बनाएं ताकि ऐसे नोमिनेट लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करती हूं बहुत सारे लोगों ने चर्चा की कि नगर निगमों की रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जाना चाहिए। मैं आपको बताती हूं मेरे अजमेर नगर निगम में आज तक यूडी. टैक्स का सर्वे ही नहीं हुआ, लागू होना तो बहुत दूर की बात है। जो सर्वे ही नहीं करेगा, वह टैक्स कब लगाएगा और आप देखिए कैसे भ्रष्टाचार होता है। हम, चाहे राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार हो, एक फाइनेंशल ईयर का टेंडर एक बार करते हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्या।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): हां, मैं समाप्त ही कर रही हूं। एक फाइनेंशल ईयर का टेंडर एक बार मार्च-अप्रैल में करते हैं। हमारे नगर निगम में क्या होता है, पांच साल का टेंडर एक साथ हो गया, दो साल का टेंडर एक साथ हो गया। आप हर साल टेंडर नहीं कर सकते क्या? हमारे जो अकाउंट्स सैक्शन के लोग बैठे हैं, वह कर क्या रहे हैं? हमारे पास वैसे ही रेवेन्यू नहीं है और ऐसी स्थिति में जहां रेवेन्यू नहीं है, हम तीन-तीन, चार-चार साल का टेंडर एक साथ कर देते हैं।

माननीय सभापति महोदय, एक चीज आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगी, क्योंकि हजारों केस स्थानीय स्वशासन कोर्ट में

(श्रीमती अनिता भदेल)

लड़ती है और अधिवक्ताओं को भी नियुक्त करती है, उनको पैसा भी देती है। हम सरकारी स्तर पर भी अधिवक्ता नियुक्त करते हैं कि नगर निगम के कामों की पैरवी यह चार नये अधिवक्ता हम नोमिनेट कर देते हैं कि यह चार-पांच अधिवक्ता करेंगे। लेकिन, नगर निगम का वह अधिवक्ता, नगर निगम के पक्ष में फैसले करवा रहा है कि विपक्ष में फैसले करवा रहा है। ऐसे व्यक्ति को नोमिनेट करके जो नगर निगम के विपक्ष में या स्थानीय निकाय के विपक्ष में फैसला कराये और हम पांच साल तक क्योंकि हमारा बी.जे.पी. का कार्यकर्ता है, क्योंकि हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता है इसलिए उसको काम मिलना चाहिए, इसलिए हम उसको वहां नियुक्त कर देते हैं, तो यह हम स्थानीय निकायों के पेट में छुरा घोंपने का काम करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, अंत में एक बात कह करके मैं अपनी बात को पूरा करूंगी। राजनीति में महिलाएं कैसे आगे आएं, उनका प्रतिनिधित्व कैसे बढ़े? तो राजनीति की जो पहली सीढ़ी कहलाती है उसमें तो महिलाओं का रिजर्वेशन कर दिया गया और उस रिजर्वेशन के आधार पर जो कुछ थोड़ी-बहुत महिलाएं वहां स्वयं काम करते-करते सीखती हैं, वे एम.एल.ए. भी बनती हैं फिर एम.पी. भी बनती हैं और आगे भी बढ़ती हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य, समाप्त करें। जनरल डिबेट थोड़ी है यह, अब आप समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): हां, बिलकुल। बस यह लास्ट पाइंट ही मैं बोल रही हूं आपको।

तो मेरा निवेदन है कि ऐसी विशेष योग्यता रखने वाली महिलाओं को भी मेंडेटरी करना चाहिए क्योंकि यह व्यावहारिक है। यदि आप 12 लोगों को नोमिनेट करेंगे तो 12 के 12 पुरुष ही होंगे। धन्यवाद देती हूं कि आपने एक विशेष योग्यजन को उसमें नियुक्त किया है, लेकिन महिलाओं का भी प्रोविजन होना चाहिए कि ऐसी विशेष योग्यता रखने वाली दो महिला या एक महिला उसमें हो तो हमें लगेगा कि हम महिलाओं को भी राजनीतिक रूप से उसको भी कोई आधार देना चाहते हैं, उसको भी कोई जगह देना चाहते हैं और इस नाते से महिलाओं का प्रतिनिधित्व हम करवाना चाहते हैं...

श्री सभापति: महिलाओं का उसमें आलरेडी प्रोविजन है। विराजिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): वास्तव में जो बिल केन्द्र में

(श्रीमती अनिता भदेल)

इतने लम्बे समय से पैंडिंग है उस बिल की भावना को आगे बढ़ाते हुए हमने नीचे यहां से शुरुआत की है। यह एक उदाहरण प्रस्तुत होगा यदि आप यह संशोधन करेंगे तो इसलिए मेरा निवेदन है कि महिलाओं को भी इसमें स्थान दिया जाना चाहिए।

श्री सभापति: महिलाओं का इसमें आलरेडी प्रोविजन है इसमें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): नहीं, वह तो चुनकर आने वाला है, नोमिनेशन वाले में नहीं है, वह मर्जी पर है।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। श्रीमती शोभारानी।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, वह तो मर्जी पर है कि आप करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है। मेरा निवेदन है कि इसमें मेंडेटरी होना चाहिए ताकि एक महिला निश्चित रूप से जाए ही जाए। इतना निवेदन है।

श्री सभापति: विराजिए।

श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे संशोधन विधेयक पर बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: आप चालू वाला बटन तो वो कर देते हो, फिर आफ वाला बटन आपके हाथ से बाहर चला जाता है।

श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): सम्माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध है कि अभी हाल ही में नगरपालिका, नगर पार्षदों एवं नगर निगमों के सम्पन्न हुए, चुनावों में वार्डों की संख्या कई गुना बढ़ाकर जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से कई-कई वार्डों को बहुत छोटा एवं बड़ा कर दिया गया है, जिसकी पुन: समीक्षा किया जाना आवश्यक है।

सभापति महोदय, राज्य सरकार की ओर से नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगरपालिकाओं में पार्षदों का मनोनयन किया जाता है। मेरा मानना है कि चुने हुए पार्षदों के बाद अन्य पार्षदों का मनोनयन उचित नहीं है। जहां एक ओर इसका सम्बन्धित नगरपालिकाओं के ऊपर आर्थिक रूप से भार बढ़ता है वहीं दूसरी ओर इस कानून का खुले रूप से दुरुपयोग भी किया जा रहा है।

(श्रीमती शोभारानी कुशवाह)

पहले सरकार की मंशा रही होगी कि क्षेत्र में समझ रखने वाले व्यक्ति को मनोनीत किया जाए, लेकिन अब वास्तविकता इससे बिलकुल परे है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 कानून में भी अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को ही मनोनीत किये जाने का नियम है, लेकिन देखने में आता है कि मनोनीत पार्षदों के रूप में अनुभव नहीं रखने वाले लोगों को नियुक्त कर दिया जाता है।

सभापति महोदय, मनोनीत पार्षदों में एक दिव्यांग व्यक्ति को सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव स्वागत योग्य है। मेरा मानना है कि नये संशोधन में किसी **ए**कल प्रसव से जन्मी हुई संतानों की किसी भी संख्या को एक ही माना जाएगा और दत्तक में दी गयी किसी संतान को संतानों की संख्या की गणना करते समय अपवर्जित नहीं किया जाएगा। यहां तक तो ठीक है लेकिन हम दिव्यांगों को सम्मान, समानता देने की बात करते हैं और कानूनन भी उन्हें आम आदमी की तरह सारे अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन हम कानून की भावना के विपरीत दूसरे बिंदुओं में, संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जाएगा जो पूर्व में प्रसव से जन्मी हो, के साथ, और दिव्यांगता से ग्रस्त हो, को जोड़कर हम उनके अधिकारों के विपरीत आचरण कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जब हम गोद दी हुई संतान की गणना कर सकते हैं तो हमें दिव्यांग संतान की गणना भी करनी चाहिए अन्यथा समाज के अन्दर दिव्यांगजनों को और हीन भावना से देखा जाएगा। मेरा आग्रह है कि 2009 में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम संख्या 18 की धारा 24 खण्ड के प्रयोजन के लिए कृपया दिव्यांग रूप से जन्मी संतान की गणना करते समय उसे अपवर्जित नहीं किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि प्राय: देखा जाता है कि नगरपालिका, नगर परिषद् व नगर निगमों में कार्य संचालन के लिए बनायी जाने वाली पार्षदों की समितियों का गठन समय पर नहीं किया जाता है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): मेरा आपसे आग्रह है कि कानून में इसे अनिवार्य किया जाए तथा इसके संगठन की जिम्मेदारी सम्बन्धित नगरपालिका, नगर परिषद् एवं नगर निगम के अधिशासी अधिकारी एवं

(श्रीमती शोभारानी कुशवाह)

आयुक्त पर डाली जानी चाहिए। यदि बोर्ड की ओर से बैठक में इसका प्रस्ताव नहीं किया जाता है तो 90 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से इसकी सूचना लिखित में डी.एल.बी. को भेजी जानी चाहिए और डी.एल.बी. निदेशक आवश्यक रूप से एक महीने के भीतर इसका गठन करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि जनता के हित से जुड़े मुद्दों के लिए कानून है प्रत्येक माह साधारण सभा की एक बैठक अनिवार्य रूप से आहूत होनी चाहिए। सभापति महोदय, नगरपालिका अधिनियम, 2009 में पूर्व में किये गये संशोधन के दौरान एक बड़ी त्रुटि रहना नजर आती है।

श्री सभापति: विराजिए।

श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): पहले साधारण सभा की बैठक में गत बैठक को पढ़कर सुनाया जाता था तथा इसकी पुष्टि की जाती थी लेकिन अब देखने में आ रहा है कि इसका प्रावधान त्रुटिपूर्ण ढंग से हट गया है। इसके बाद प्राप्त होने पर सम्बन्धित नगरपालिका, नगर परिषदों में इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसे इसमें समावेश किया जाना चाहिए तथा गत बैठक की पुष्टि के बाद भी पूर्व में हुई बैठक के लिये गये निर्णय को स्वीकार्यता मिलनी चाहिए।

श्री सभापति: समाप्त करें। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): सभापति महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि साधारण सभा की बैठक की मिनिट्स निश्चित समय अवधि में पार्षदों को उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। कानून का प्रावधान होना चाहिए कि साधारण एवं आवश्यक बैठक की मिनिट्स तथा पार्षदों द्वारा सम्बन्धित नगरपालिकाओं, नगर परिषदों एवं नगर निगमों से मांगी जानी चाहिए। सूचना सात दिवस के अन्दर अनिवार्य रूप से सम्बन्धित पार्षदों को उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

श्री सभापति: विराजिए।

श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत। जय जय राजस्थान।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचंद पारख। ज्ञानचंद जी नहीं हैं क्या? (अनुपस्थित)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद, मुझे दस मिनट का समय दिया जाए क्योंकि मैं लास्ट वक्ता हूं।

सभापति महोदय, जैसाकि हम विधेयक लेकर आये हैं कि किस तरह से नगरपालिका में 6 पार्षदों को नोमिनेट किया जाएगा, नगर परिषद् में आप 8 करेंगे और नगर निगमों में 12 करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री महोदय को इस बात का निवेदन करना चाहूंगी कि हम आनन-फानन में विधेयक तो लेकर आते हैं लेकिन उस विधेयक का आम जनता पर क्या असर पड़ेगा, स्थानीय स्तर पर हमारे निकायों पर क्या असर पड़ेगा, इस बात पर भी हमें विचार करना चाहिए।

जैसा कि आपने कहा और मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने भी इस बात की ओर इंगित किया, आप विधेयक लेकर आये हैं कि इसमें ज्ञानी और अनुभवी व्यक्तियों को नोमिनेट किया जाएगा। मुझे लगता है कि सम्माननीय हमारे आदरणीय मंत्री जी से ज्ञानी कोई नहीं होगा और इसमें वे पारंगत हैं, बड़ा सोच-समझकर सलेक्शन करेंगे। मुझे कहीं लगता है कि जो सभी पार्षदों ने कहा और मैंने भी इसको पढ़ा कि जिस तरह आपने अभी कोटा का हाल देखा। जिस तरह से वह अखाड़ा बनकर पहली बैठक नगर निगम की हुई। यह जीता-जागता उदाहरण है कि अगर हम इसी तरह के पार्षद नोमिनेट करेंगे तो आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस ओर भी आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगी कि आपने 16 नई नगरपालिकाएं बनाईं और हमारी नगरपालिकाएं बढ़कर 216 हो चुकी हैं। आप देखें, आपने आनन-फानन में नगरपालिकाएं बढ़ा दीं। आप विधेयक यह लेकर आते कि किस तरह से नगरपालिकाओं में बिल्डिंग की व्यवस्था होगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 4 नगरपालिकाएं हैं। लाखेरी नगरपालिका के बोर्ड की प्रथम बैठक, बजट की अभी हुई। वह धर्मशाला के अन्दर बैठक हुई।

इसी के साथ-साथ इंद्रगढ़ नगरपालिका का उदाहरण भी मैं बताना चाहूंगी। कितनी विडम्बना है कि परिसीमन हुआ। परिसीमन के अन्दर क्या

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

हुआ? किस तरह से वार्डों का परिसीमन हुआ? यह हम सबके सामने है। लाखेरी नगरपालिका के अन्दर, हमने जयपुर में तो देखा कि 12 से 14 हजार एक वार्ड के अन्दर वोटर हैं, लेकिन मेरी नगरपालिका इंद्रगढ़ में मात्र 120 वोटर हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। धन बल के आधार पर पार्षद जीतकर आ रहे हैं। यह हालात हमारे हो गए हैं। इतनी आपत्तियां आने के बाद, मात्र सांगानेर ऐसा विधान सभा क्षेत्र है जिसमें 44 आपत्तियां आईं, लेकिन सरकार ने उन आपत्तियों का क्या किया? यह हम सबके सामने हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि आप विधेयक यह लेकर के आते कि किस तरह से और कहां से पेमेंट की व्यवस्था होगी। पार्षदों को कहां से उनका पेमेंट दिया जाएगा। कर्मचारियों को कहां से व्यवस्था होगी। मैंने ऐसी-ऐसी नगरपालिकाएं मेरे विधान सभा क्षेत्र की देखी हैं जिनमें कर्मचारियों का जो पीएफ कटता है, उस पीएफ में से ही पेंशन दी जाती है। यह इंद्रगढ़ नगरपालिका का हाल आपको बता रही हूं।

माननीय सभापति महोदय, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमने 2-2 टुकड़ों में जयपुर को, कोटा को, जोधपुर को, अजमेर को बांट दिया। हमने कौनसा गढ़ जीत लिया? हमने मात्र वह जो हमने मन में सोचा कि हम हमारे कार्यकर्ता की महत्वाकांक्षा को ध्यान में रखकर के यह काम करना चाहते हैं, वही करके दिया। हम काम यह करते, हम विधेयक यह लेकर के आते कि हमने 10 साल पहले जो कोटा नगर निगम के अन्दर हमारे जो गांव थे, जिनको नगर निगम की सीमा में शामिल किया, उनमें सड़क बनाएंगे, उनमें बिजली की व्यवस्था करेगे। वहां की जनता को पानी पिलाएंगे। यू.डी. चार्ज उनसे वसूला जाता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि हम विधेयक इस बात का लेकर क्यों नहीं आए कि यू.डी. चार्ज उन लोगों से नहीं वसूला जाए, जब तक कि उनको मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं करवा दी जाती।

माननीय सभापति महोदय, हमने देखा है कि 7500 आपके पार्षद जीतकर के आएंगे। उसके बाद नोमिनेशन के आधार पर यह संख्या कितनी बढ़ जाएगी? यह कितना भार हम नगर निकायों पर डाल रहे हैं, इस बात पर हमें विचार करना चाहिए। हमारे रेवेन्यू कैसे बढ़ता? इस बात पर हमें विचार करना चाहिए।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

माननीय सभापति महोदय, साथ ही मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगी कि हमने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। आज हमारी नगरपालिकाओं में जे.ईएन. मालिक बनकर के बैठा है। उसके आधार पर हमारी नगरपालिकाएं चल रही हैं। कहीं ई.ओ. नहीं है। 5-5, 6-6 साल तक ई.ओ. नहीं लग पाते। लगते हैं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में हारे हुए प्रत्याशियों का यह हाल है कि हर आए दिन, एक तो कहता है कि इसको ई.ओ. लगाया जाए, दूसरा कहता है कि इसको लगाया जाए। इस स्थिति से क्या उस क्षेत्र का विकास हो पाएगा? इस ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। हमारी एम्पावर्ड कमेटियां, आप देखिए, निकालिए रिकार्ड कि नगर निकायों की एम्पावर्ड कमेटी की बैठकें कब-कब होती हैं? नगरपालिका को यह भी अधिकार नहीं है इसकी बैठक करने के बिना कि वह एक पट्टा भी दे दे।

सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि मास्टर प्लान में कैसे परिवर्तन हो जाता है? कैसे नक्शा चेंज हो जाता है? कोटा में इतना बड़ा उदाहरण हम लोगों के सामने आया। निश्चित तौर पर इन सारी बातों की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। आने वाले समय में यह जो हमारे गांव हैं, जो नगर निगम की सीमा से लगे हुए हैं, इनमें विकास होना चाहिए। हमारे सफाई कर्मचारी, 100 से ज्यादा सफाई कर्मचारी केशोरायपाटन के अन्दर, हमारे कापरेन के अन्दर सफाई कर्मचारी हैं, इसके बावजूद हमारे सफाई कर्मचारी कहां काम करते हैं, इसके लिए भी हमें विधेयक लाना चाहिए।

श्री सभापति: बिल पर बोलिए बिल पर।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): जिस काम के लिए निकाय में जिस कर्मचारी को लगाया है, उसी को हमें उस काम में लगाना चाहिए। यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ मैं इस संदर्भ में कहना चाहूंगी कि आपने विधेयक में जो कहा है कि दिव्यांग एक पार्षद उसमें लिया जाएगा, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमें एक महिला का और एक एस.सी. का प्रतिनिधित्व भी उसमें देना चाहिए ताकि इससे एक अच्छा मैसेज जाए। साथ ही साथ जो आपने संख्या की बात की है, जिस तरह से आपने कहा है, जो आपने एकल प्रसव से जन्मी हुई संतान की किसी भी संख्या को एक ही माना जाएगा और दत्तक में दी गई किसी भी संतान को संतानों की संख्या की गणना करते समय अपवर्जित नहीं किया जाएगा।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसमें 3 बालिकाओं वाला कानून भी लेकर आएं। अगर उसके 3 बेटियां हैं तो उसको भी 2 के बाद तीसरे को नहीं माना जाए। निश्चित रूप से जो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का आंदोलन चला, उस पर कहीं न कहीं हम एक अच्छा संदेश दे सकते हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें, समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, मैंने विधेयक को जो जनमत जानने के लिए परिचालित करने के लिए जो संकल्प दिया, मैं उसे वापस नहीं लेना चाहती हूं। मैं कहूंगी कि इससे हमारी सारी नगर निकायों पर भार पड़ेगा। मैं इसको एक काला कानून कहूंगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री चन्द्रभान सिंह आक्या। एक मिनट में अपनी बात कहकर समाप्त करना।

सूचना

चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर में आगजनी के कारण हुई मृत्यु का मुआवजा

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, आज चित्तौड़गढ़ में सुबह 3 बजे एक घर में आग लग गई। चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर मीठाराम जी के खेड़ा में बहुत भीषण आग थी। आस-पड़ोस वालों ने आवाज सुनी। उसमें 3 जनों की डैथ हो गई, पुरूषोत्तम भांभी, उनकी माता सजनी बाई और पत्नी जमना देवी। उनके 4 पुत्र जयदीप, भूमि, उमेश और सूरज काफी गम्भीर रूप से घायल हो गए। यह बहुत बड़ा हादसा था। यह भी गम्भीर रूप से घायल हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरी सरकार से विनती है कि यह जो तीनों डैथ हुई हैं इनको 10-10 लाख रुपया मुआवजा दें और जो घायल हुए हैं, उनको 5-5 लाख रुपये इलाज कराने के लिए दें। यह चित्तौड़गढ़ का बहुत बड़ा हादसा है। इस हादसे में सरकार इनकी हैल्प करे। ऐसा मेरा कहना है।

विधेयक पर विचार

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री। मंत्री महोदय।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, जनमत जानने के लिए प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव जो माननीय सदस्यों ने रखा है, मेरा उसके बाबत यह निवेदन है कि यह अस्वीकार किया जाना चाहिए और विधेयक को विचारार्थ लिया जाना चाहिए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): वी वांट डिवीजन। वी वांट डिवीजन।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार। श्री गुलाब चन्द कटारिया, संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, यह हमारा अधिकार है। हम इसमें जीतते, हारते, अलग बात है लेकिन हमने इस पर डिवीजन मांगा था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): डिवीजन मांगा था।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह तो राजस्थान की जनता को पता लगे कि कितने लोग इस काले कानून के पक्ष में हैं और कितने इसके खिलाफ हैं। यह कम से कम जनता के बीच में मैसेज जाना चाहिए। चाहे हम हारें या जीतें, लेकिन यह हमारा अधिकार है।

श्री सभापति: नहीं ...(व्यवधान) श्री गुलाब चन्द जी कटारिया, संशोधन प्रस्तुत करेंगे ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): पिछले 5 साल में कितनी बार दिए थे डिवीजन? पिछले 5 साल में। पिछले 5 साल में कितनी बार दिए थे डिवीजन? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, विराजें आप। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): परम्पराएं आपने तोड़ी हैं ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हमारा अधिकार है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट विराजें आप। विराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह हमारा अधिकार है ...(व्यवधान) कोई बात नहीं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आपका डिवीजन मांगने का अधिकार है लेकिन आसन का भी अधिकार है, वह भी अपने विवेक से यह समझता है कि यदि बहुमत है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: हां, तो बहुमत है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हार जाएंगे, काउंटिंग होगी, काउंटिंग, काउंटिंग, काउंटिंग होगी।

श्री सभापति: वाइस वोट से जब सत्ता पक्ष का बहुमत साबित हो गया तो फिर इस पर विचार करना ही पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): काउंटिंग होगी, मत विभाजन होगा। मत विभाजन होगा, काउंटिंग होगी। (व्यवधान)

श्री सभापति: विधेयक को विचारार्थ ले लिया। (व्यवधान) अब मैंने माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया का नाम पुकार लिया। (व्यवधान) माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मत विभाजन होगा, काउंटिग होगी, अब हमें कितने मत मिलें या नहीं मिलें, पता लग जाएगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: गुलाब चन्दजी कटारिया, अपना संशोधन प्रस्तुत करें। (व्यवधान) विधेयक को विचारार्थ ले लिया गया। अपना संशोधन प्रस्तुत करें। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, नहीं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): वी वांट डिवीजन। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपने डिवीजन मांगा लेकिन ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हमने डिवीजन मांगा, मांगा, मांगा, मांगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: नियमों में जो प्रोविजन है उसके आधार पर यह किया है। (व्यवधान)

सदन कूप में

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में आगमन व नारे)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नो, वाइस वोट नहीं चलेगा। (व्यवधान) नियमों से चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा? (व्यवधान) डिवीजन मांगा है, हमारा अधिकार है।

श्री सभापति: विधेयक को विचारार्थ ले लिया ...(व्यवधान) विधेयक को विचारार्थ ले लिया और उस पर खण्डश: विचार हो रहा है। (व्यवधान) आप विराजिये प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह हमारा अधिकार है। (व्यवधान) हम डिवीजन मांगेंगे।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): वी वांट डिवीजन। (व्यवधान)

श्री सभापति: खंडश: विचारार्थ ले लिया। (व्यवधान) गुलाब चन्दजी कटारिया अपना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): वी वांट डिवीजन।

श्री सभापति: अभी और बहुत मौके आएंगे डिवीजन के, आप कृपया अपने स्थान पर विराजिये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): डिवीजन मांगना हमारा अधिकार है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपका अधिकार है लेकिन आसन को भी निर्णय लेने का अधिकार है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): कम है या ज्यादा है, इसकी कोई चिंता नहीं, पर डिवीजन होगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: ये प्रोविजन है कि जब हां पक्ष (व्यवधान) जब वाइस वोटिंग हो रही है तो इस तरह से नहीं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हां, बजाओ घंटी। घंटी बजाओ आप। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री सभापति: प्लीज आप अपनी सीटों पर जाइए। (व्यवधान) प्लीज आप अपनी सीटों पर पधारिये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): डिवीजन। (व्यवधान)

श्री सभापति: अभी एक विधेयक और लेना है, आप अपनी सीटों पर पधारें। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, जनमत जानने का डिवीजन मांगा है, जनमत जानने का।

श्री सभापति: आप इस बात को जानते हैं कि बहुमत किधर है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): जनमत जानने का डिवीजन मांगा है।

श्री सभापति: आप स्वयं देख लें, खड़े होकर दिखा दें। (व्यवधान) खड़े होकर दिखा दें। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: खड़े होकर देखिये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपको काउंटिंग बतानी पड़ेगी। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, अपनी सीटों पर पधारें। (व्यवधान)

सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16:42 बजे आधा घंटे के लिए स्थगित हुई)

(17:12 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश एवं नारे)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा ने प्रस्तुत किया, उसे स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 3 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

विधेयक का पारण

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2021

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2021 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़। श्री अशोक लाहोटी। श्री बिहारीलाल। श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, यह जो बिल राजस्थान सरकार लेकर आयी है - 'The RAJASTHAN LAWS (AMENDMENT) BILL, 2021' इसके दो-तीन बिंदु मैं आपको सुनाता हूं, "The Trust has reasons to believe that allotment of land has been obtained and lease deed has been executed, by way of misrepresentation of facts or on the basis of false documents or with collusion or in contravention of law."

माननीय सभापति महोदय, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी, जब यह सारा गैर कानूनी है, गलत तथ्यों के आधार पर है, मिस-रिप्रजेंटेशन आफ फैक्ट्स है तो बाद में आपको सिविल कोर्ट पर भरोसा क्यों नहीं है?

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

जब सारी चीजें ही गलत देखकर आप निरस्त कर रहे हैं तो सिविल

(श्री संयम लोढ़ा)

कोर्ट के दायरे से बाहर करने की क्या जरूरत है? मैं आपको याद दिलाऊंगा, यह जो मिस-रिप्रजेंटेशन आफ फैक्ट्स की बात आपने लिखी है, आप दो साल से स्वायत्त शासन मंत्री हैं, आपके अपने शहर कोटा का किस्सा याद दिलाऊंगा। 120 फीट रोड लैण्ड यूज कमेटी ने घटाकर कर दिया 100 फीट, 100 फीट की साइड की रोड लैण्ड यूज कमेटी ने घटाकर कर दी 80 फीट और एक सड़क का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया उस भूखण्ड का पार्ट और बन गया पट्टा।

आप मंत्री बने तो फाइल वहां निगम से गायब। हाई-कोर्ट में पीआईएल लगी तो हाई-कोर्ट से गायब। माननीय सभापति महोदय, यह पूरी तरह से गैर कानूनी प्रोविजन है। भारत सरकार का जो बिल है - 'The Specific Relief Act, 1963' उसके प्रोविजन के वायलेशन में ये लेकर आये हैं। मैं आपको उसका सैक्शन 31 पढ़कर सुनाता हूं, "when cancellation may be ordered - any person against whom a written instrument is void or voidable, and who has reasonable apprehension that such instrument.

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): "if left outstanding may cause him serious injury, may sue to have it adjudged void or voidable; and the court may, in its discretion, so adjudge it and order it to be delivered up and cancelled."

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपको जल्दी क्या है? मेरा राइट है बोलने का। क्या जल्दी है आपको? सिरोही में 60 साल से पीडब्ल्यूडी का जमीन पर कब्जा था। इनकी सरकार थी। वह जमीन पीडब्ल्यूडी से खाली करवाकर कलेक्टर को दिलवायी गयी और नगर परिषद् ने उस लैण्ड को बीजेपी को ट्रांसफर कर दिया।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री सभापति: आंखें एक बार उधर करके तो देखें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कामर्शियल वैल्यू की जमीन। कलेक्टर लिख रहा था 50 करोड़ की जमीन है। मास्टर प्लान में उसका इंस्टीट्यूशनल लीज

(श्री संयम लोढ़ा)

नहीं। आप जिन भूखण्डों को, जिन पट्टों को जिस लीज पर खारिज करने की बात कर रहे हैं...

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह तो बड़ा गम्भीर विषय है। आप कभी सरकार की जानकारी में नहीं लाए। अगर यह इतना गम्भीर विषय है तो निश्चित तौर पर इस पर कार्यवाही होगी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): दो साल हो गये आपको मंत्री बने और आपसे मैं मिला। आपको कहा मैंने।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2021 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2021 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 11 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 11 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 11 स्वीकार किये गए।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

विधेयक का पारण

राजस्थान (विधियां) संशोधन विधेयक, 2021

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया गया।

माननीय सदस्य, अपनी सीटों पर पधारें। राष्ट्र गान होगा, अपनी सीटों पर पधारें। प्लीज, सहयोग करें। राष्ट्र गान।

राष्ट्र गान

जन गण मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता
पंजाब-सिन्धु-गुजरात-मराठा,
द्राविड़-उत्कल-बंगा
विन्ध्य-हिमाचल, यमुना-गंगा
उच्छल जलधि तरंगा
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तव जय गाथा
जन-गण-मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
जय हे, जय हे, जय हे,
जय-जय-जय-जय हे।

सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.22 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

दौसा में संचालित ईंट भट्टे

370. श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला दौसा में विभाग की बिना स्वीकृति के अवैध ईंट भट्टों का संचालन किया जा रहा है? यदि हां, तो कहां-कहां पर? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त ईंट भट्टों का कब-कब निरीक्षण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ईंट भट्टों के संचालन हेतु भू-रूपान्तरण कराया गया है? यदि हां तो किन-किन शर्तों पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से प्राप्त सूचना अनुसार दौसा जिले में 11 ईंट भट्टे राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की सम्मति के पश्चात् संचालित हैं। 5 ईंट भट्टों की संचालन सम्मति हेतु आवेदन पत्र राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को प्राप्त हुए हैं। 7 ईंट भट्टों द्वारा संचालन सम्मति के नवीनीकरण हेतु आवेदन नहीं किया है जिनको राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत नोटिस जारी किये गये हैं। 5 ईंट भट्टों द्वारा अभी तक सम्मति हेतु आवेदन नहीं किया है, जिनका निरीक्षण कर नोटिस जारी किये गये हैं। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा ईंट भट्टों का विगत वर्षों में किये गये निरीक्षण व कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जिला कलेक्टर, दौसा से प्राप्त सूचनानुसार दौसा जिले में संचालित ईंट भट्टों के भू-रूपांतरण का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है। राजस्व विभाग के भू-राजस्व नियम दिनांक 06.10.2016 के अनुसार स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि जिसका क्षेत्रफल 01 एकड़ से कम है, में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, कजावा (लघु ईंट भट्टे) स्थापित करने हेतु भू-रूपांतरण की आवश्यकता नहीं है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

लाडनूं में भूमिगत प्लास्टिक कोटेड केबल लगाने की कार्ययोजना

372. श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में बिजली के झूलते तारों से हादसों के कारण जान-माल की हानि हो रही है? यदि हां तो क्या सरकार आबादी भूमि एवं ढाणियों के बीच से गुजर रही 11/33 KV लाइन एवं LT लाइन के स्थान पर प्लास्टिक कोटेड केबल डालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र लाडनूं के आबादी क्षेत्र में भूमिगत प्लास्टिक कोटेड केबल डालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में विद्युत लाइनें विद्युत सुरक्षा अधिनियम में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार रिहायशी मकानों से निश्चित दूरी व ऊंचाई पर ही स्थापित की जाती है/जा रही है लेकिन कुछ स्थानों पर अवैध रूप से लाइन के समीप व नीचे नियम विरुद्ध निर्माण कर लेने के कारण, विद्युत पोल से स्टे हटाने के कारण, सड़क किनारे स्थापित विद्युत लाइनों के नीचे सड़क डामरीकरण होने, आंधी, तूफान, वर्षा इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं के कारण विद्युत दुर्घटना की संभावना होती है। ऐसे स्थानों को चिन्हित कर समय-समय पर विद्युत वितरण निगमों द्वारा विद्युत तंत्र को दुरुस्त किया जाता है एवं आवश्यकता होने पर झूलते तारों को ऊंचा करने के लिये बीच में पोल लगाये जाते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है।

डिस्काम क्षेत्र में साध्यतानुसार 33 एवं 11 केवी अण्डर ग्राउण्ड केबल डाली जाती है।

(2) विधान सभा क्षेत्र लाड़नूं के आबादी क्षेत्र में विद्युत लाइनों को भूमिगत किये जाने की योजना वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

उक्त क्षेत्र में विद्युत लाइनें निर्धारित मानदण्डों के अनुसार स्थापित हैं। भूमिगत प्लास्टिक कोटेड केबल वित्तीय रूप से साध्य नहीं है।

डूंगरपुर में संचालित निजी महाविद्यालय

376. श्री राजकुमार रोत (चौरासी): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला डूंगरपुर में स्नातक, स्नातकोत्तर, दो वर्षीय बी.एड. व चार वर्षीय बी.एड. के कितने महाविद्यालय संचालित हैं? उक्त की एन.ओ.सी. व टी.एन.ओ.सी. कब जारी हुई? महाविद्यालयवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में कितने निजी महाविद्यालय के स्वयं के भवन हैं और कितने महाविद्यालय किराये के भवन में कब से संचालित हैं? अवधि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला डूंगरपुर में 32 स्नातक, 05 स्नातकोत्तर, 04 दो वर्षीय बी.एड. एवं 06 चार वर्षीय बी.एड. सहित कुल 47 निजी महाविद्यालय संचालित हैं, जिनकी एन.ओ.सी. व टी.एन.ओ.सी. का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-01 से 04 पर संलग्न है।

(2) जिला डूंगरपुर में 25 निजी महाविद्यालय स्वयं के भवन में एवं 22 निजी महाविद्यालय किराये के भवन में संचालित हैं, जिनका अवधि सहित विवरण क्रमश: परिशिष्ट-05 व 06 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

भोपालगढ़ में नहरी परियोजना से लाभान्वित गांव

379. श्री पुखराज (भोपालगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में नहरी परियोजनानुसार प्रत्येक लाभान्वित गांव तक पानी की टंकी (ओवर हैड टैंक) के माध्यम से पानी पहुंचाकर गांव में वीटीएस स्थापित कर समिति के माध्यम से पानी आपूर्ति की व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अन्तिम छोर के उपभोक्ता तक मांग अनुसार अनवरत रूप से पानी पहुंच पा रहा है? यदि नहीं, तो कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार उक्त योजना को बन्द कर सप्लाई व्यवस्था विद्यमान विभागीय व्यवस्था अनुसार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त की क्या कार्ययोजना होगी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार सम्मिलित कुल 193 आबाद राजस्व ग्राम, सतही जल स्रोत आधारित 4 वृहद् पेयजल परियोजनाओं से वर्तमान में जुड़े हुए हैं। इन पेयजल परियोजनाओं अन्तर्गत क्लस्टर वितरण प्रणाली अन्तर्गत ग्रामों में कुल निर्मित 60 उच्च जलाशयों से 153 ग्रामों में विलेज ट्रांसफर चैम्बर (वी.टी.सी.) तक विभाग द्वारा जलापूर्ति की जाकर, संबंधित ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों द्वारा ग्राम की आंतरिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत स्थापित पी.एस.पी. द्वारा पेयजल वर्तमान में उपलब्ध हो रहा है।

उक्त विधान सभा क्षेत्र के शेष 40 ग्रामों में उक्त पेयजल परियोजनाओं से ग्राम में भू-तल जलाशय/पी.एस.पी. के माध्यम से सीधे ही पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

उक्त पेयजल परियोजनाओं अन्तर्गत वी.टी.सी. से जुड़े हुए 153 ग्राम एवं शेष सीधे पेयजल आपूर्ति वाले 40 ग्रामों का परियोजनावार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के समस्त 193 ग्रामों में उक्त पेयजल परियोजनाओं अन्तर्गत 20 से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है।

(3) जी नहीं। केन्द्र सरकार के जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2024 तक ग्रामीण क्षेत्र में हर घर को घरेलू जल संबंध द्वारा स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

उक्त दिशा-निर्देशों की अनुपालना में उक्त वर्णित सतही जल स्रोत आधारित 4 वृहद् पेयजल परियोजनाओं से विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के समस्त ग्रामों को वर्ष 2024 तक चरणबद्ध रूप से घरेलू जल संबंधों द्वारा लाभान्वित करना प्रस्तावित है।

उक्त मिशन के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के 62 ग्रामों हेतु राशि रुपये 133.18 करोड़ की 28 योजनाओं की स्वीकृति अब तक जारी की जाकर 7 योजनाओं का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु कार्यादेश जारी किया जा चुका है एवं शेष योजनाओं का क्रियान्वयन भी शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत उक्त विधान सभा क्षेत्र हेतु स्वीकृत योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

न्यायाधीशों की नियुक्ति में आरक्षण देने की कार्ययोजना

380. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं पदोन्नति में अनु. जाति तथा जनजाति के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त पदों पर उक्त वर्गों को आरक्षण का लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

स्थगित प्रश्न

दिनांक 10 मार्च, 2021

कोचिंग सेन्टर्स द्वारा वसूली जा रही फीस पर नियंत्रण

238. श्री बलजीत यादव (बहरोड़): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में कोचिंग सेन्टर्स द्वारा बेरोजगार युवाओं से मनमानी फीस की वसूली की जा रही है?

(2) क्या सरकार उक्त सेन्टर्स की फीस पर नियंत्रण हेतु कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में संचालित कोचिंग सेन्टर्स में विद्यार्थियों से वसूली जाने वाली फीस के निर्धारण सम्बन्धी नियम अस्तित्व में नहीं हैं। इन केन्द्रों में अध्ययन करने के इच्छुक विद्यार्थी स्वयं अपनी मर्जी से प्रवेश लेते हैं। कोचिंग सेन्टर्स पर प्रभावी नियंत्रण हेतु नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाना प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां। कोचिंग संस्थानों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु नियामक प्राधिकरण का गठन प्रक्रियाधीन है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायती राज विभाग में लिपिकों की भर्ती

378. श्री अविनाश (जैतारण): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विभाग में कनिष्ठ लिपिकों की भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार द्वारा कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा को पूर्ण कर लिया गया है? यदि हां, तो कितने पदों पर व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत कनिष्ठ लिपिक के पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।

(2) जी नहीं।

फागी में ग्रेवल सड़कों का डामरीकरण

379. श्री बलजीत यादव (बहरोड़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि तहसील फागी जिला जयपुर में ग्राम खेड़ा हनुमान से ग्राम मोहनपुरा रणवां एवं ग्राम माधोराजपुरा-मान्दी सड़क पर गणेश जी मन्दिर से भौमियां जी तालाब (ढण्ड लखड़ा) तक ग्रेवल होने के कारण लोगों को आवागमन व अपनी फसल के परिवहन में अत्यन्त परेशानी का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों ग्रेवल सड़कों का डामरीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। तहसील फागी जिला जयपुर में ग्राम खेड़ा हनुमान से ग्राम मोहनपुरा रणवां तक ग्रेवल सडक की लम्बाई 5 किमी है एवं ग्राम माधोराजपुरा-मान्दी सड़क पर गणेश जी मन्दिर से भौमियां जी तालाब (ढण्ड लखड़ा) तक ग्रेवल सड़क की लम्बाई 4.50 किमी है, जिनका डामरीकरण करवाया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

जायल के गांवों को सड़क से जोड़ने की कार्ययोजना

380. श्रीमती मंजु देवी (जायल): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जायल में 500 से अधिक आबादी के ऐसे कितने गांव हैं जो सड़क सुविधा से वंचित हैं? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त सभी गांवों को सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जायल में ग्राम पंचायतवार 500 से अधिक आबादी के सभी गांव डामर सड़क से जुड़े हु ए हैं। अत 500 से अधिक आबादी का कोई भी गांव डामर सड़क से वंचित नहीं है। ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। इस बिन्दु का जवाब बिन्दु संख्या 1 में दिया जा चुका है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सीकर शहर स्थित नवलगढ़ रोड के पुल पर जाम की समस्या का निराकरण

381. श्री वीरेंदर सिंह (दांतारामगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के राजस्व ग्राम जो सड़कों से वंचित हैं, उक्त के लिये सरकार की सड़क निर्माण की क्या योजनाएं हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सीकर शहर में स्थित नवलगढ़ रोड पुल की चौड़ाई कम होने के कारण जाम की भारी समस्या है? यदि हां, तो उक्त निवारण हेतु सरकार द्वारा क्या योजना बनाई जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार 500 या 500 से

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

अधिक आबादी के राजस्व गांवों को आगामी 3 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से डामर सड़कों से जोड़ा जाएगा एवं शेष गांवों को डामर सड़क से जोड़ना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(2) जी हां। सीकर शहर में स्थित नवलगढ़ रोड पर वर्तमान में दो लेन आरओबी बना हुआ है तथा दो लेन से चार लेन किया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

जयपुर-कोटा मेगा हाईवे के पुल की चौड़ाई बढ़ाने की कार्ययोजना

382. श्री वेद प्रकाश सोलंकी (चाकसू): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र चाकसू के अन्तर्गत जयपुर-कोटा मेगा हाईवे पर स्थित शीतला माता मन्दिर से आगे चाकसू रोड पर स्थित पुल की मरम्मत एवं पुल की चौड़ाई बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र चाकसू के अन्तर्गत जयपुर-कोटा मेगा हाईवे पर स्थित शीतला माता मन्दिर से आगे चाकसू रोड पर स्थित पुल की स्थिति संतोषजनक है। पुल की चौड़ाई बढ़ाने का कार्य करवाया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

टोंक शहर के वार्ड नं. 49 के हटाये गये विद्युत मीटर

383. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) 01 जनवरी, 2021 से अब तक टोंक शहर के वार्ड नंबर 49 में स्थापित विद्युत पोल संख्या 214 से जुड़े हुए कितने बिजली के मीटर कब-कब हटाये गये व उनके स्थान पर नए मीटर कब-कब लगाए गए? उपभोक्ता के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विद्युत मीटर हटाने से पूर्व इनकी जांच करवाई जाती है? यदि हां, तो उक्त अवधि में हटाये गये उक्त मीटरों की जांच किसके द्वारा की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री निर्मल कुमावत)

(3) उक्त विद्युत पोल से जुड़े हुए कितने विद्युत मीटर छेड़छाड़ के कारण कब से बंद थे? उपभोक्ता के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त विद्युत पोल से जुड़े हुए मीटरों से छेड़छाड़ के कारण काफी समय से बंद होने के उपरांत भी विद्युत कर्मियों द्वारा बिना मीटर की जांच कर मीटर बदल दिए गए? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त विद्युत कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त अवधि में विद्युत पोल 214 से जुड़े हुए विद्युत मीटरों को हटाने के पश्चात् बिना जांच के उक्त मीटरों को खुर्दबुर्द कर दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 01 जनवरी, 2021 से अब तक टोंक शहर के वार्ड नं. 49 में स्थापित पोल संख्या 214 पर कुल 11 उपभोक्ताओं में से 01 उपभोक्ता का मीटर परिवर्तित किया गया, जिसका विवरण निम्न है:-

क्र. सं.	**उपभोक्ता का नाम**	**खाता संख्या**	**मीटर क्रमांक**		**मीटर बदलने की दिनांक**
			पुराना	**नया**	
1.	श्री गणेश मेहरा पुत्र श्री प्यारेलाल मेहरा	2413/61	19078706	11383185	13.02.2021

(2) उक्त मीटर डिफेक्टिव (डिस्प्ले आउट) था, जिसकी जांच मीटर परिवर्तित होने के बाद की जाती है। बिलिंग के दौरान फीडर इन्चार्ज द्वारा मीटर को डिफेक्टिव (डिस्प्ले आउट) पाया गया, जो कि सहायक अभियंता कार्यालय द्वारा जारी मीटर परिवर्तन आदेश संख्या MC211311003138 दिनांक 20.01.2021 के आधार पर दिनांक 13.02.2021 को फीडर इन्चार्ज द्वारा परिवर्तित कर दिया गया है।

(3) उक्त पोल से जुड़े हुए कुल 11 उपभोक्ताओं में से 01 उपभोक्ता श्री गणेश मेहरा पुत्र श्री प्यारेलाल मेहरा का मीटर 04 जनवरी, 2021 को

(ऊर्जा मंत्री)

बिलिंग के दौरान डिफेक्टिव (डिस्प्ले आउट) पाया गया, जिसको माह फरवरी, 2021 में परिवर्तित कर दिया गया है।

(4) जी नहीं। उक्त विद्युत पोल से केवल एक मीटर 4 जनवरी, 2021 को बिलिंग के दौरान डिफेक्टिव (डिस्प्ले आउट) मिला, जिसको माह फरवरी में परिवर्तित कर दिया गया है। उक्त मीटर को सहायक अभियन्ता (पवस) टोंक के पत्र संख्या 6112 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा सहायक अभियन्ता (मीटर) लैब टोंक को जांच हेतु भेज दिया है।

(5) जी नहीं। उक्त अवधि में किसी भी मीटर को खुर्दबुर्द नहीं किया गया है। हटाया गया मीटर जांच हेतु सहायक अभियंता (मीटर) टोंक को जांच हेतु भेज दिया है।

इंटाली में पानी की टंकी का निर्माण

384. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मावली के ग्राम पंचायत इंटाली में पेयजल व्यवस्था हेतु पानी की दो टंकियां बनी हुई हैं? यदि हां, तो उक्त दोनों पानी की टंकियों का निर्माण, सफाई कब-कब एवं किस एजेन्सी द्वारा की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम पंचायत में जो पानी की टंकी बनी हुई है, वह वर्तमान में काफी जीर्ण-शीर्ण एवं जर्जर अवस्था में हो चुकी है, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होने का अंदेशा बना रहता है? क्या यह भी सही है कि उक्त पानी की टंकी को गिराने एवं नवीन स्थान पर पानी की टंकी के निर्माण कार्य हेतु उक्त के लिए भौतिक सत्यापन किया गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ग्राम पंचायत इंटाली की उक्त पुरानी टंकी को हटाकर आबादी से दूर सीनियर स्कूल एवं आम रास्तों से दूर नई पानी की टंकी का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र मावली के पाइप्ड जल योजना से लाभान्वित ग्राम पंचायत मुख्यालय, इन्टाली की पेयजल योजना अन्तर्गत 2

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

उच्च जलाशय क्रमश: 90 किलोलीटर जल भण्डारण क्षमता व 15 मीटर स्टेजिंग एवं 200 किलोलीटर जल भण्डारण क्षमता व 18 मीटर स्टेजिंग के निर्मित हैं।

उक्त ग्राम में बस स्टैण्ड के निकट निर्मित उच्च जलाशय का निर्माण अनुबंधक फर्म मैसर्स मांगीलाल टाक, उदयपुर द्वारा वर्ष 1980 में तथा मुख्य ग्राम में निर्मित उच्च जलाशय का निर्माण अनुबंधक फर्म मैसर्स ईण्डाराम शंकरसिंह, उदयपुर द्वारा वर्ष 2007 में किया गया।

समस्त प्रकार के जलाशयों की सफाई प्रत्येक वर्ष में दो बार करने के संदर्भ में फील्ड अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हुए हैं जिनकी पालना में उक्त दोनों उच्च जलाशयों की सफाई का कार्य विगत वर्ष में दिनांक 06.09.2020 एवं 07.09.2020 को विभाग द्वारा संविदा श्रमिकों से तथा हाल ही में दिनांक 06.03.2021 को मैसर्स बी.एन.आर.जे. बिल्ड ग्रुप, भुवाणा-उदयपुर द्वारा किया गया है।

(2) जी हां। ग्राम पंचायत मुख्यालय, इन्टाली की पेयजल योजना अन्तर्गत बस स्टैण्ड के निकट वर्ष 1980 में निर्मित किये गये उच्च जलाशय की महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के सिविल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा दिनांक 01.12.2020 को प्रस्तुत स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी रिपोर्ट में, उक्त उच्च जलाशय के कालम, बालकनी स्लेब, बाटम डोम एवं सीढ़ियां काफी क्षतिग्रस्त अवस्था में बतलाया गया है तथा इस जलाशय के 40 वर्ष की अवधि तक उपयोग में लेने के कारण पानी के रिसाव से डोम की दीवारों एवं बाटम डोम में सीलन होने से मुख्य रीनफोर्समेन्ट में जंग लगने की संभावना के कारण उच्च जलाशय को गिराने की अनुशंषा की गई है।

(3) जी हां। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के सिविल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा उक्तानुसार की गई अनुशंषा के आधार पर, ग्राम पंचायत मुख्यालय इन्टाली की पेयजल योजना अन्तर्गत बस स्टैण्ड के निकट निर्मित किये गये उक्त उच्च जलाशय को गिराने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 1.90 लाख की हाल ही में दिनांक 13.03.2021 को जारी की गई है।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय, इन्टाली हेतु राशि रुपये 165.95 लाख के बनाये गये प्रस्तावों में 250 किलोलीटर जल

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

भण्डारण क्षमता एवं 18 मीटर स्टेजिंग के एक नवीन उच्च जलाशय के निर्माण के साथ-साथ नलकूप निर्माण, राइजिंग एवं वितरण पाइप लाइनें बिछाने व जोड़ने का कार्य, पम्प मशीनरी स्थापना इत्यादि अन्य कार्यो का प्रावधान सम्मिलित किया गया है। योजना के प्रस्ताव हाल ही में दिनांक 11.03.2021 को सक्षम स्तर पर प्रस्तुत किये जाकर तकनीकी परीक्षण की कार्यवाही में प्रक्रियाधीन है।

उक्त प्रस्तावों की स्वीकृति उपरांत प्रस्तावित उच्च जलाशय का निर्माण ग्राम में भूमि की उपलब्धता के आधार पर मुख्य आबादी से दूर बनाये जाने के विभाग द्वारा हर सम्भव प्रयास किये जायेंगे।

मनोहर थाना में पेयजल व सिंचाई की कार्ययोजना

385. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना के समीपवर्ती मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थापित मोहनपुरा डैम से विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में पेयजल व सिंचाई हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

झालावाड़ जिले के विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना के निकटवर्ती मोहनपुरा बांध का निर्माण, मध्य प्रदेश राज्य द्वारा अपने क्षेत्र में उपयोग हेतु किये जाने से, राजस्थान के मनोहर थाना क्षेत्र में इस बांध से पेयजल आपूर्ति तथा सिंचाई हेतु वर्तमान में कोई कार्ययोजना प्रस्तावित/विचाराधीन नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार कुल सम्मिलित 457 आबाद राजस्व ग्रामों में से 227 ग्राम सतही जल स्रोत आधारित एवं 230 ग्राम भू-जल स्रोत आधारित पेयजल परियोजनाओं से वर्तमान में लाभान्वित हैं।

भू-जल स्रोत आधारित योजनाओं से लाभान्वित उक्तानुसार 230 ग्रामों में से 130 ग्राम परवन-अकावद पेयजल परियोजना एवं 100 ग्राम छापी विस्तार पेयजल परियोजना में सम्मिलित किये गये हैं।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत घर-घर जल संबंधों द्वारा पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु परवन-अकावद पेयजल परियोजना की तैयार की गई डी.पी.आर. स्वीकृति पूर्व तकनीकी परीक्षण की प्रक्रिया में विचाराधीन है। प्रस्तावित छापी विस्तार पेयजल परियोजना अन्तर्गत ग्रामों को जोड़े जाने की फिजिबिलिटी का परीक्षण वर्तमान में किया जा रहा है तथा छापी बांध में पेयजल हेतु जल संसाधन विभाग से अतिरिक्त जल आरक्षण 5.95 मिलियन क्यूबिक मीटर (10.95 मिलियन क्यूबिक मीटर पूर्व से आरक्षित) की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जल आरक्षण सुनिश्चित होने पर परियोजना की डी.पी.आर. तैयार करने का कार्य हाथ में लिया जायेगा।

जयपुर व जोधपुर की तर्ज पर उदयपुर के प्राइवेट काम्प्लेक्सों में पेयजल की सुविधा

386. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर व जोधपुर में प्राइवेट काम्प्लेक्सों को पीने के लिए पानी का कामर्शियल कनेक्शन दे रखा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त की भांति ही उदयपुर शहर में भी पीने के पानी का कामर्शियल कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रदेश में जल संबंध जारी करने के प्रचलित नियमों के अन्तर्गत, जल उपभोक्ताओं को तीन श्रेणियों क्रमश: घरेलू, अघरेलू एवं औद्योगिक में वर्गीकृत किया गया है। कामर्शियल कनेक्शन की पृथक से कोई श्रेणी विद्यमान नहीं है।

जयपुर शहर में उक्त वर्णित तीन श्रेणियों के अन्तर्गत वर्तमान में क्रमश: 425603, 31510 एवं 2085 तथा जोधपुर शहर में वर्तमान में क्रमश: 187753, 11125 एवं 3345 क्रियाशील जल संबंध हैं।

(2) विभाग द्वारा जल संबंध जारी करने के प्रचलित नियमों के अन्तर्गत उक्त वर्णित तीन श्रेणियों में उदयपुर शहर में वर्तमान में क्रमश: 79664, 2410 एवं 294 क्रियाशील जल संबंध हैं।

सागवाड़ा में आर.ओ. प्लान्ट स्थापित कर पेयजल उपलब्ध करवाने की कार्ययोजना

387. श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जहां पर फ्लोराइड युक्त पानी है, के स्थान पर आर.ओ. प्लान्ट स्थापित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में कौन-कौन से ग्रामों, नगरपालिकाओं, शहरों, कस्बों व ढाणियों में आर.ओ. प्लान्ट स्थापित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। स्थानीय भू-जल में फ्लोराइड एवं अन्य घुलनशील तत्वों की मात्रा निर्धारित मानक मात्रा से अधिक होने की अवस्था में, सरकार द्वारा विभिन्न चरणों में प्रदेश में 4148 आर.ओ. संयंत्र की स्वीकृति के विरुद्ध, 3716 संयंत्र स्थापना उपरान्त चालू किये जा चुके हैं।

स्थानीय भू-जल में केवल फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानक मात्रा से अधिक होने की अवस्था में, सरकार द्वारा विभिन्न चरणों में प्रदेश में सौर ऊर्जा आधारित 3414 बोरवेल पम्पिंग सिस्टम मय डी-फ्लोरिडेशन यूनिट्स की स्वीकृति के विरुद्ध, 2747 यूनिट्स स्थापना उपरान्त चालू किये जा चुके हैं।

विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के 10 ग्रामों हेतु विभिन्न चरणों में 10 आर.ओ. संयंत्र तथा 93 ग्राम एवं 14 ढाणियों हेतु सौर ऊर्जा आधारित 107 बोरवेल पम्पिंग सिस्टम मय डी-फ्लोरिडेशन यूनिट्स की स्वीकृति के विरुद्ध, समस्त 10 आर.ओ. संयंत्र तथा समस्त 107 यूनिट्स स्थापना उपरान्त चालू किये जाकर इनसे निर्धारित मानक गुणवत्ता अनुरूप स्वच्छ पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है।

आर.ओ. संयंत्र एवं डी-फ्लोरिडेशन यूनिट्स के ग्राम/ढाणीवार स्थापना संबंधी विवरण क्रमश: परिशिष्ट-अ एवं परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

धौलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की योजना

388. श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करें:-

विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार कुल सम्मिलित 164 आबाद राजस्व ग्रामों में से 2 ग्राम पाइप्ड जल योजना, 68 ग्राम क्षेत्रीय जल योजना, 06 ग्राम पम्प एवं टैंक जल योजना तथा 88 ग्राम हैण्डपम्प जल योजना से वर्तमान में लाभान्वित हैं।

उक्त विधान सभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था अन्तर्गत माह जनवरी, 2019 से दिनांक 10 मार्च, 2021 तक पेयजल संबंधी 43 योजना/कार्यों की स्वीकृतियां जारी की जाकर, इनके विरुद्ध 34 योजना/कार्य अब तक पूर्ण किये जा चुके हैं। योजना/कार्यवार प्रगति विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्राम विश्नोदा एवं ग्राम सखवारा में घरेलू जल संबंधों द्वारा पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्रमश: राशि रुपये 199.00 लाख एवं रुपये 128.16 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 03.02.2021 को जारी की जाकर, इनकी तकनीकी स्वीकृति की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। इन योजनाओं के संबंध में विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

उक्त के अतिरिक्त विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के 28 ग्रामों हेतु 22 जल योजनाओं के जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राशि रुपये 2726.83 लाख के बनाये गये प्रस्ताव स्वीकृति पूर्व तकनीकी परीक्षण की कार्यवाही में प्रक्रियाधीन हैं। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रस्तावित इन योजनाओं संबंधी पूर्ण विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर की जल महल योजना को निरस्त करने की कार्ययोजना

389. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री कालीचरण सराफ)

(1) क्या यह सही है कि भूमि अधिग्रहण पुनरुद्धार पुनर्वास में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 24(2) की अनुपालना हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा खसरा नं. 172 ग्राम बास बदनपुरा (जोन 10) की अवाप्त की गई भूमि को अवाप्ति से मुक्त किये जाने का प्रस्ताव सरकार को नहीं भिजवाया गया है? यदि हां, तो उक्त खसरे को अवाप्ति से मुक्त करने का प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा अब कब तक भिजवा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिस उद्देश्य के लिए उक्त भूमि को अवाप्त किया गया था, 20 वर्ष पश्चात् भी उक्त भूमि का उपयोग नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि झील प्राधिकरण बनने के कारण जल महल योजना निरस्त हो गई है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। खसरा नम्बर 172 ग्राम बास बदनपुरा को अवाप्ति से मुक्त किये जाने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार को नहीं भिजवाया गया है। इस खसरा नम्बर की अवाप्ति का मुआवजा राशि रुपये 1498738/- का चैक नम्बर 012824 न्यायालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास, योजनाएं, जयपुर, जविप्रा जयपुर के पत्रांक भू.अ/नवि/2015/डी-757-60 दिनांक 04.03.2015 के द्वारा माननीय सिविल न्यायाधीश (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) जयपुर महानगर, जयपुर के यहां जमा कराया गया है। अवाप्त से मुक्त करने का कोई प्रस्ताव प्राधिकरण स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

(2) प्रश्नगत खसरा नम्बरान की भूमि जल महल योजना हेतु अवाप्त की गई थी तथा वर्तमान राजस्व जमाबंदी अनुसार खसरा नम्बर 172 रकबा 0.2276 है. किस्म गैर मुमकिन सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर के नाम दर्ज है एवं सड़क के रूप में काम में आ रही है एवं खसरा नम्बर 172/1 रकबा 0.1012 है. किस्म गैर मुमकिन जल महल, जल महल विकास प्राधिकरण, जयपुर के वांछित उपयोग हेतु दर्ज है।

(3) जी नहीं। झील प्राधिकरण बनने के कारण जल महल योजना निरस्त नहीं हुई है।

उदयपुर शहर की आयड नदी का पुनरुद्धार

390. श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर शहर की ऐतिहासिक आयड नदी के पुनरुद्धार के लिये वित्तीय वर्ष 2020-21 में 75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था?

(2) उक्त स्वीकृत राशि में से किस-किस मद पर कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उदयपुर शहर की ऐतिहासिक आयड नदी के पुनरुद्धार के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में 75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।

(2) उक्त कार्य हेतु आमंत्रित निविदा अनुसार संवेदक द्वारा प्रदान की गई दरें जो स्वीकृत की गई हैं, उसके अनुसार राशि रुपये 49.20 करोड़ का कार्यादेश प्रदान किया गया है। अभी तक किसी भी मद में राशि व्यय नहीं की गई है।

(3) उक्त कार्य हेतु संवेदक को दिनांक 09.02.2021 को कार्यादेश प्रदान किया गया है। कार्यादेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 19.08.2022 है।

राठी सर्विस स्टेशन सोडाला जयपुर के समीप अतिक्रमण को हटाने की कार्ययोजना

391. श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण एवं जयपुर नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में जयपुर शहर में आपरेशन पिंक अभियान के अन्तर्गत सोडाला, अजमेर रोड पर एचपी कम्पनी का संचालित पेट्रोल पम्प राठी सर्विस स्टेशन के पश्चिम की ओर किये गये कितने अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया था? उक्त पेट्रोल पम्प को आबंटित भूखण्ड के साइट प्लान की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री खुशवीरसिंह)

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त पेट्रोल पम्प ने आबंटित भूखण्ड की वास्तविक साइज को छोड़कर अवैध निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है? यदि हां, तो मौके की रिपोर्ट सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त पेट्रोल पम्प संचालक द्वारा पश्चिम की ओर पुन: अवैध अतिक्रमण कर दीवार का निर्माण करवाकर आम रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया है? यदि हां, तो उक्त अभियान में अतिक्रमण ध्वस्त करने के उपरान्त पुन: अवैध अतिक्रमण कराने के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है और अब कब तक उक्त अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर निगम, जयपुर एवं जयपुर विकास प्राधिकरण के साथ आपरेशन पिंक अभियान चलाया गया था। सोडाला अजमेर रोड पर HP कम्पनी के संचालित पेट्रोल पम्प राठी सर्विस स्टेशन के आबंटन संबंधी पत्रावली एवं आपरेशन पिंक अभियान के दौरान इस भूखण्ड बाबत की गई कार्यवाही की पत्रावली उपलब्ध नहीं है। पत्रावली उपलब्ध नहीं होने के कारण आबंटित भूखण्ड का साइट प्लान भी उपलब्ध नहीं है।

(2) पत्रावली उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त आबंटित भूखण्ड की वास्तविक साइज की जानकारी नहीं है। अब नगर निगम जयपुर, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों से संयुक्त मौका निरीक्षण करवाकर अतिक्रमण की जानकारी ली जायेगी और उसे नियमानुसार हटाने की कार्यवाही की जावेगी।

(3) इस भाग का उत्तर भाग संख्या 02 के उत्तर में निहित है।

जयपुर नगर निगम के विद्याधर नगर जोन में स्टेट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत पट्टे

392. सुश्री रीटा चौधरी (मण्डावा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर निगम के विद्याधर नगर जोन द्वारा राजस्थान स्टेट ग्रान्ट एक्ट, 1961 के तहत सार्वजनिक विज्ञप्ति संख्या 231 दिनांक 28.07.2017 को दैनिक समाचार पत्रों में उक्त एक्ट के तहत

(सुश्री रीटा चौधरी)

आवेदित आवेदकों की सूची आम जनता की आपत्ति हेतु जारी की गई थी? यदि हां, तो समाचार पत्र हेतु जारी सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विज्ञप्ति में क्र.सं. 35 से 40 तक के आवेदकों द्वारा आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त आवेदकों की सूची में क्रम संख्या 35 से 40 तक के आवेदकों के संबंध में आपत्ति प्राप्त हुई? यदि हां, तो किस-किस के संबंध में प्राप्त हुई और किस-किस के द्वारा आपत्ति की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विज्ञप्ति में क्रम संख्या 35 से 40 तक आवेदकों में से किस-किस को पट्टे जारी कर दिये गये हैं? यदि हां, तो जारी पट्टों व नक्शों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। समाचार पत्रों में जारी की गई सार्वजनिक विज्ञप्ति की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त विज्ञप्ति में क्रम संख्या 36 से 39 तक के आवेदकों द्वारा आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है एवं क्रम संख्या 35 एवं 40 के आवेदकों की पत्रावलियां कार्यालय रिकार्ड में उपलब्ध नहीं हैं, जिसके लिए खोज पत्र जारी किये गये हैं, जिनकी प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(3) जी हां। उक्त आवेदकों की सूची में क्रम संख्या 35 से 40 तक के आवेदकों के संबंध में क्रम संख्या 38 में आपत्ति प्राप्त हुई है, जिसमें श्री भगवान सहाय खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री गोविन्द नारायण द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई है, जिसकी प्रति परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(4) उक्त विज्ञप्ति में क्रम संख्या 35 से 40 तक के आवेदकों में से किसी भी आवेदक को पट्टा जारी नहीं किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डीग (भरतपुर) नगरपालिका में सफाई शुल्क का ठेका

393. श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती सफिया जुबेर)

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका डीग (भरतपुर) द्वारा शहर के दुकानदारों एवं ठेले वालों से सफाई शुल्क के नाम से पैसा वसूला जा रहा है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पालिका द्वारा प्रत्येक वर्ष सफाई शुल्क के नाम से ठेका भी होता है, जिसको ठेका मिलता है वह दुकानदारों व ठेले वालों से सफाई शुल्क वसूल करता है? यदि हां, तो वर्ष 2018 से वर्ष 2021 तक की ठेके की निविदा की शर्तों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि ठेकेदार दुकानदारों एवं ठेले वालों से बिना रसीद दिये पैसा वसूल करता है? क्या सरकार द्वारा होने वाले ठेके की मंजूरी दी जाती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त ठेके को बन्द करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) जिला भरतपुर की किन-किन नगरपालिकाओं में सफाई शुल्क की वसूली की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नगरपालिका डीग द्वारा नगरपालिका प्रारम्भ होने से ही सफाई शुल्क का ठेका दिया जाता रहा है। इस ठेके के माध्यम से रोड पर लगे ठेले एवं दुकानों के आगे लगे दासे (फुटपाथ) वालों से 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ठेकेदार के माध्यम से शुल्क के रूप में लिया जाता है।

(2) जी हां। नगरपालिका डीग द्वारा नगरपालिका प्रारम्भ होने से ही सफाई शुल्क का ठेका दिया जाता रहा है। इस ठेके के माध्यम से रोड पर लगे ठेले एवं दुकानों के आगे लगे दासे (फुटपाथ) वालों से 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ठेकेदार के माध्यम से शुल्क वसूला जाता है। निविदा की शर्तों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

वर्षवार दिये गये ठेके की राशि निम्नानुसार है:-

वर्ष	राशि
2018-19	5,82,400/-
2019-20	9,00,500/-
2020-21	9,91,100/-

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(3) नगरपालिका डीग द्वारा उक्त ठेका खुली बोली द्वारा दिया जाता है। ठेकेदार द्वारा बाजार के दुकानदारों से राशि वसूल कर रसीद दी जाती है। इस संबंध में नगरपालिका डीग में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उक्त ठेका लगभग 50 वर्ष पूर्व से ही चला आ रहा है।

(4) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(5) भरतपुर जिले में नगरपालिका डीग में सफाई शुल्क वसूल किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य किसी निकाय द्वारा सफाई शुल्क की वसूली नहीं की जा रही है।

छतरगढ़ भूदान बोर्ड द्वारा किसानों को खातेदारी अधिकार

394. श्री गोविन्द राम (खाजूवाला): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

छतरगढ़ भू-दान बोर्ड में किसानों के ऐसे कितने प्रकरण विचाराधीन हैं, जिसमें कोई विवाद नहीं है? क्या सरकार उक्त प्रकरणों में किसानों को खातेदारी अधिकार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

छतरगढ़ भूदान से संबंधित किसानों के 137 प्रकरण बोर्ड कार्यालय में विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में विवाद होने के कारण विचाराधीन माने गये थे। राज्य सरकार ने सद्भावी भूदान किसानों को खातेदारी देने का प्रावधान अधिनियम में संशोधन कर दे दिया है। उक्त विचाराधीन प्रकरणों का निपटारा राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड के गठन के पश्चात् कर दिया जायेगा।

अवाप्त की गई भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने की कार्ययोजना

395. श्री बाबूलाल नागर (दूदू): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये कानून के अनुसार कृषि भूमि के अधिग्रहण का उद्देश्य समाप्त हो जाने पर किसान को उनकी अवाप्ति की गई पूरी कृषि भूमि लौटा दी जाती है? यदि हां तो प्रावधानों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अवाप्ति का उद्देश्य निरस्त कर दिए जाने पर भी किसान की

(श्री बाबूलाल नागर)

कृषि भूमि को सरकार द्वारा अवाप्ति से मुक्त नहीं किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जयपुर व प्रदेश के लिए क्या नीति निर्धारित की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि भूमि का अधिग्रहण का उद्देश्य समाप्त हो जाने पर Rajasthan Right to fair Compensation and Transeperency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 की धारा 93 के तहत यदि भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है तो समुचित सरकार द्वारा उस भूमि को अर्जन में प्रत्याहारित कर भूमि को मूल खातेदार को लौटाया जा सकता है एवं धारा 101 के तहत यदि ऐसी अर्जित भूमि 5 साल तक अधिग्रहित प्रयोजन से अथवा संबंधित प्रयोजन में अनुपयोगी रह जाती है तो ऐसी भूमि मूल खातेदारों को लौटा दी जाती है। (धारा 93 व धारा 101 की प्रति संलग्न है)

(2) उक्त अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत यदि अवाप्ति का उद्देश्य निरस्त कर दिया जाता है एवं ऐसी भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है तो ऐसी भूमि को अर्जन से मुक्त कर वापस खातेदारों को धारा 93 के तहत लौटाई जा सकती है एवं धारा 101 के तहत अधिग्रहित भूमि के 5 साल तक अनुपयोगी रह जाने पर वापस खातेदारों को लौटा दी जाती है।

(3) इस संबंध में Rajasthan Right to fair Compensation and Transeperency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 व इस अधिनियम के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये नियम 2016 पूरे राजस्थान राज्य में लागू हैं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

गोचर एवं चरागाह भूमि को अन्य योजनाओं में विक्रय की जांच

396. श्री रमेश चन्द मीना (सपोटरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2018 के मध्य प्रदेश में गोचर एवं चरागाह भूमि को अन्य योजनाओं में विक्रय या अधिगृहित किया गया था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रमेश चन्द मीना)

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा गोचर एवं चरागाह भूमि को अन्य योजनाओं में विक्रय की जांच कराने का निर्णय लिया था? यदि हां, तो अब तक कितनी जांचें करायी गयीं एवं उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

पुजारियों को संचालित योजनाओं से लाभ

397. श्री राकेश पारीक (मसूदा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मंदिर माफी की जमीन पर पुजारियों को भी दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्या-क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

इस संबंध में राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज.-6/2007/पार्ट/5 दिनांक 12.09.2018 के बिन्दु संख्या 4 अनुसार मंदिर भूमि हेतु परिपत्र दिनांक 13.12.1991 द्वारा निर्धारित पंजिका में वर्णित पुजारी मंदिर भूमि के संरक्षक के रूप में निम्नानुसार अनुमत/प्राधिकृत होंगे-

- मंदिर भूमि के विकास के लिए संबंधित विभाग के नियमानुसार विद्युत, पेयजल, टयूबवैल आदि के लिए कनेक्शन हेतु।
- फसल खराबे की स्थिति में नियमानुसार सहायता अनुदान हेतु।
- कृषि विभाग की योजना अनुसार भूमि सीमा में पात्र होने पर बीज, कृषि उपादान आदि पर नियमानुसार अनुदान प्राप्त करने हेतु।
- मंदिर के नाम बैंक खाता होने पर इसका संचालक एवं उपयोगकर्ता पुजारी को बनाया जा सकेगा। इसमें प्रत्येक पुजारी बहैसियत मंदिर के संरक्षक के रूप में नियमानुसार योजनांतर्गत लाभ हेतु अनुमत/प्राधिकृत होगा।

इस संबंध में जारी परिपत्र दिनांक 12.09.2018 एवं 13.12.1991 की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

गढ़ी में मा.वि. एवं उ.मा.वि. में कक्षा-कक्षों का निर्माण

398. श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(श्री कैलाशचन्द्र मीणा)

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र गढ़ी के समस्त मा.वि. एवं उ.मा.वि. में कक्षा-कक्षों का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। समग्र शिक्षा अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों में भूमि उपलब्ध होने पर कक्षा-कक्षों के निर्माण कार्य शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावों के आधार पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रति वर्ष स्वीकृत किये जाते हैं। स्वीकृति प्राप्त होने पर ही कक्षा-कक्षों का निर्माण कार्य करवाया जाना सम्भव है।

कम्प्यूटर शिक्षकों की भर्ती

399. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2020-21 में कम्प्यूटर शिक्षक भर्ती हेतु कैडर की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त घोषणा के आज पश्चात् अब तक सरकार द्वारा कम्प्यूटर शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में लागू अनिवार्य कम्प्यूटर शिक्षा के लिए कम्प्यूटर शिक्षक भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विभाग में कम्प्यूटर शिक्षक का पद संवर्गित नहीं है। बजट घोषणा वर्ष 2020-21 की घोषणा संख्या 99 के अनुसरण में "कम्प्यूटर शिक्षक" का पद सृजन किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) प्रश्नोत्तर भाग संख्या 01 के अनुसार।

(3) प्रश्नोत्तर भाग संख्या 01 के अनुसार।

विद्यालयों में योग शिक्षा को अनिवार्य करने की कार्ययोजना

400. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री वासुदेव देवनानी)

(1) क्या प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में प्रार्थना सभा के दौरान योग का अभ्यास कराया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विद्यालयों में योग संबंधी प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षित, चयनित योग शिक्षक नियुक्त हैं? यदि हां, तो कुल कितने योग शिक्षक कार्यरत हैं व यदि नहीं, तो क्या सरकार योग शिक्षकों की भर्ती करने की कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश में योग शिक्षा को अनिवार्य करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। योग शिक्षकों की भर्ती/कैडर गठन संबंधी कोई प्रस्ताव विभाग स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। योग शिक्षा अनिवार्य किये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव विभाग स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

सरमथुरा (बसेड़ी) में नवीन बालिका महाविद्यालय खोलने की कार्ययोजना

401. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के सरमथुरा में नवीन बालिका महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के सरमथुरा में नवीन बालिका महाविद्यालय खोले जाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

फलौदी के महाविद्यालयों में विषयों की स्वीकृति

402. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री पब्बाराम)

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में किन-किन स्थानों पर महाविद्यालयों की स्थापना की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त महाविद्यालयों में किस स्तर व किन-किन विषयों की स्वीकृति जारी की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में दो महाविद्यालय यथा वर्ष 1999 में राजकीय महाविद्यालय फलौदी व वर्ष 2017 में राजकीय महाविद्यालय बाप की स्थापना की गई है।

(2) उक्त महाविद्यालयों में स्वीकृत विषयों का विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

घाटोल में महाविद्यालय की स्थापना

403. श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में सभी उपखण्ड मुख्यालयों पर राजकीय महाविद्यालय है? यदि हां, तो किस-किस उपखण्ड में कहां-कहां पर?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र घाटोल उपखण्ड पर महाविद्यालय नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रदेश के 294 उपखण्ड मुख्यालय में से 228 उपखण्ड मुख्यालयों पर राजकीय महाविद्यालय स्थापित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(2) जी हां। वर्तमान में घाटोल विधान सभा क्षेत्र में उपखण्ड घाटोल में महाविद्यालय खोले जाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मुण्डावर में औद्योगिक इकाइयों से प्रदूषण रोकने की कार्ययोजना

404. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में स्थापित औद्योगिक इकाइयों से बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

रीको से प्राप्त सूचनानुसार विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में रीको द्वारा स्थापित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों को भूखण्ड इस शर्त पर आबंटित किये जाते हैं कि औद्योगिक इकाई द्वारा स्थापना एवं संचालन से पूर्व जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से स्थापना एवं संचालन की सम्मति प्राप्त की जायेगी। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा औद्योगिक इकाइयों के निरीक्षण के दौरान स्थापना व संचालन की सम्मति में अधिरोपित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जाती है।

इसके अतिरिक्त औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण संबंधित नियमों, शर्तों एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए रीको ने आबंटी एवं रीको के मध्य निष्पादित की जाने वाली भू-खण्डों की लीज डीड में आवश्यक प्रावधान किये हैं।

औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत सभी उद्योगों द्वारा जल प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था स्थापित कर रखी है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा समय-समय पर उद्योगों का निरीक्षण/मोनिटरिंग कर उद्योगों द्वारा स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की दक्षता की जांच की जाती है एवं प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का संचालन सही नहीं पाये जाने पर उद्योगों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

जोधपुर के कारखानों व टैक्सटाइल उद्योग से निकलने वाले गन्दे पानी की रोकथाम

405. श्री महेन्द्र बिश्नोई (लूणी): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जोधपुर से कल कारखानों व टैक्सटाइलों से निकलने वाले गन्दे पानी से जोजरी नदी प्रदूषित हो रही है? यदि हां, तो गन्दे पानी से प्रदूषित होने वाले क्षेत्र को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जोधपुर में 86 स्टील इकाइयां तथा 308 टैक्सटाइल इकाइयों से निकलने वाले उच्छिष्ठ को उपचारित कर रीको द्वारा निर्मित एक नाले के माध्यम से जोजरी नदी में निस्त्रावित किया जाता है।

इस नाले में रीको क्षेत्र के खुले अन्य नालों का पानी भी जोजरी नदी में प्रवेश करता है।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के द्वारा उक्त नाले के जल के नमूनों की जांच समय-समय पर की जाती है।

औद्योगिक इकाइयों द्वारा निष्कासित गन्दे पानी से होने वाले प्रदूषण से बचाने के लिए एक 20 एमएलडी का संयुक्त उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र सागारिया में संचालित है।

उक्त सीईटीपी की ऑनलाइन मानिटरिंग की जाती है। उपचारित जल के पुन: काम में लेने हेतु आर.ओ. प्लांट लगाने के लिये प्रयास किया जा रहा है जिससे की शून्य द्रव्य निस्त्राव (जीरो लिक्विड डिस्चार्ज) की स्थिति बनायी जा सके।

जल संसाधन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के निर्देशानुसार जल संसाधन विभाग द्वारा प्रत्येक 15 दिनों में जोजरी नदी के चिह्नित अलग-अलग स्थानों पर नदी में प्रवाहित पानी के नमूने लिये जाकर कृषि विभाग की प्रयोगशाला में परीक्षण करवाये जाते हैं एवं सिंचाई हेतु जल उपयुक्त नहीं पाये जाने की सूचना संबंधित विभाग को दी जाती है।

विलायती बबूल को खतम करने की कार्ययोजना

406. श्री अमीन खां (शिव): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में विलायती बबूल खेतों एवं पशुओं को नुकसान पहुंचा रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि विलायती बबूल जहां है, सेवण घास व धामण घास नहीं होती है?

(3) क्या सरकार विलायती बबूल को खतम करने हेतु कोई कार्ययोजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) प्रदेश में खेतों में विलायती बबूल (Prosopis Juliflora) से नुकसान एवं विलायती बबूल से पशुओं को नुकसान पहुंचाने के संबंध में वन विभाग द्वारा कोई अध्ययन नहीं कराया गया है।

(2) विलायती बबूल वाले क्षेत्रों में सेवण घास व धामण घास विकसित नहीं होने के संबंध में वन विभाग द्वारा कोई अध्ययन नहीं कराया गया है।

(3) प्रदेश में खेतों से विलायती बबूल को हटाने के क्रम में कोई योजना वन विभाग में विचाराधीन नहीं है।

वन क्षेत्र को बढ़ाने की कार्ययोजना

407. श्री प्रशान्त बैरवा (निवाई): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वनों से आच्छादित क्षेत्रों की संख्या में लगातार कमी हो रही है? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रदेश के किस-किस जिले के कितने भू-भाग पर वन भूमि की कमी हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वन क्षेत्रों को बढ़ाने हेतु कोई कार्ययोजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग कर प्रत्येक दो वर्ष में भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, जिसमें प्रत्येक राज्य में वृक्षाच्छादित क्षेत्र संबंधित आंकड़े भी दर्शाये जाते हैं। उनके द्वारा जारी रिपोर्ट वर्ष 2019 में वर्ष 2017 की तुलना में

(राज्य मंत्री, वन)

57.51 वर्ग कि.मी. तथा रिपोर्ट वर्ष 2017 में वर्ष 2015 की तुलना में 466 वर्ग कि.मी. वृक्षाच्छादित क्षेत्र में अभिवृद्धि दर्शाई गयी है। रिपोर्ट की आंशिक प्रति संलग्न परिशिष्ट-ए, बी एवं सी अनुसार है।

(2) प्रदेश की वन भूमि (Forest land) में सामान्यता वृद्धि की संभावनाएं नहीं हैं, क्योंकि वन भूमि में वृद्धि सिर्फ गैर वन भूमि (यथा सिवायचक, राजस्व भूमि) के वन विभाग को आबंटित होने से ही होती है। अपितु प्रदेश में वन आच्छादन (Forest cover) में वृद्धि हेतु सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं यथा कैम्पा, पर्यावरण वानिकी, परिभ्रांषित वनों का पुनरारोपण, जलवायु परिवर्तन एवं मरु प्रसार रोक, भाखड़ा एवं गंग नहर वृक्षारोपण, विदोहन एवं पुन: वृक्षारोपण योजनाओं में वृक्षारोपण करवाया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में 20956 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाया गया है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)